खण्ड-236, अंक-2
गुरूवार, 26 आश्विन, शक संवत् 1884
(18 अक्टूबर, 1962 ई0)

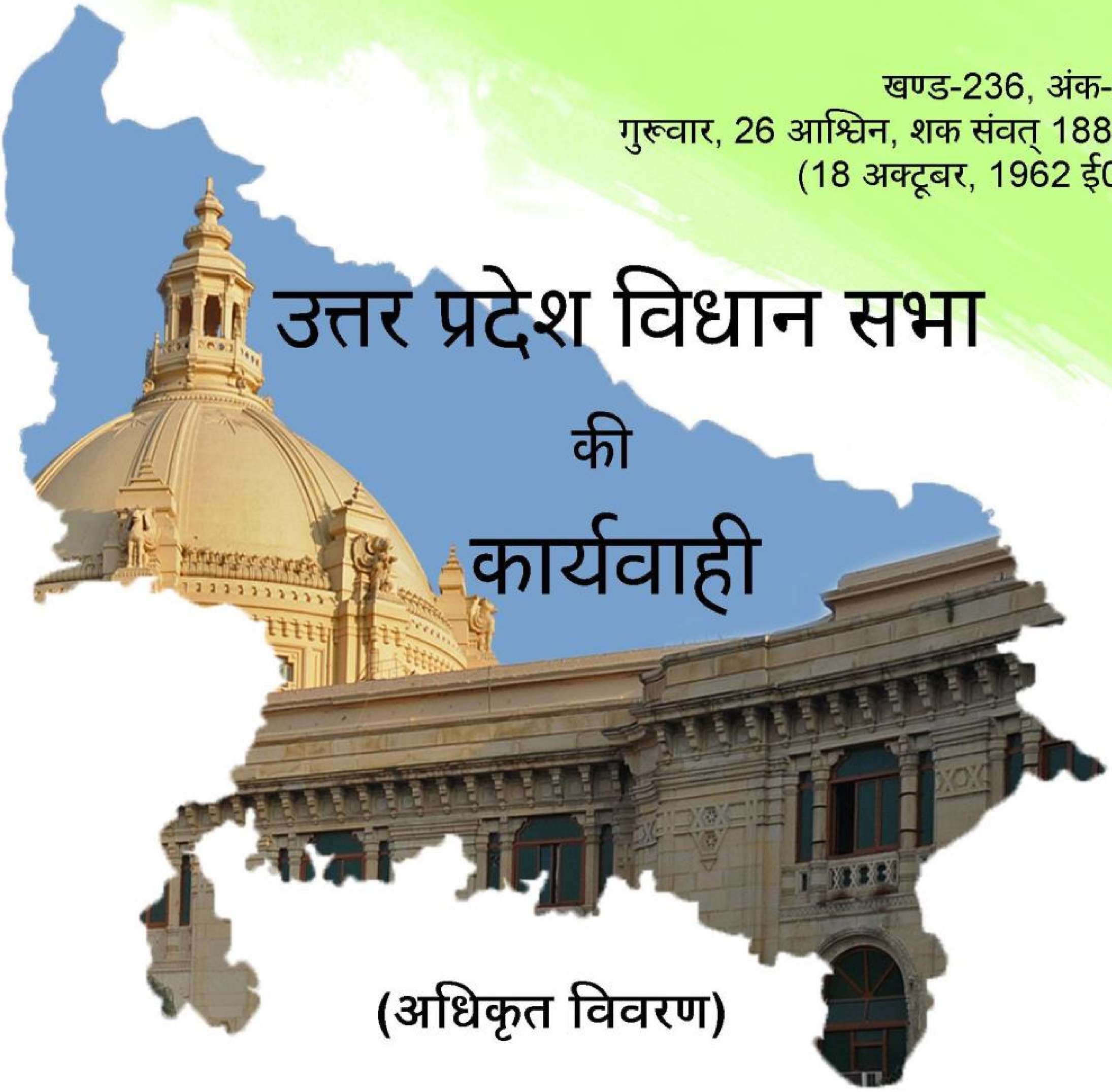

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९७–१०१
प्रश्नोत्तर	१०१–१८३
श्री सोहनलाल धुसिया द्वारा प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति ..	१८३–१८४
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (सदन की मेज पर रखा गया) ..	१८४
श्री शारदानन्द, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ..	१८४–१८५
सर्वश्री बैजनाथसिंह वैद्य तथा रामायणराय द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना (स्थगित)	१८५–१८७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१८७–१८८
गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क मजदूरों की मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१८८–१९४
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–विचार जारी)	१९४–२२७
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ..	२२७–२२८
आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक से सम्बन्धित समाचार के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग	२२८–२२९
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–विचार जारी)	२२९–२३४
नत्थियां	२३५–२७८

संसदीय विद्युत पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८४

अक्षयबर सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अअजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नगुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री

शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—नियोजन मंत्री श्री हरगोविंदसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ अक्तूबर, १९६२

'तारांकित प्रश्न'

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जरवल चीनी मिल पर बकाया

१—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जरवल शुगर मिल बहराइच में किन-किन कारणों से ताला लगाया गया है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जरवल शुगर मिल बहराइच में ताला लगाये जाने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

२—श्री राम अधार कनौजिया—उक्त मिल पर सरकार, जनता एवं अन्य संस्थाओं का कितना-कितना धन अवशेष है जो अभी तक मिल द्वारा भुगतान नहीं किया गया और जनता के धन के भुगतान की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस मिल पर सरकार का सेस तथा क्रय कर की मद के अन्तर्गत, किसानों के गन्ने के मूल्य तथा गन्ना समितियों के कमीशन व सूद के रूप में ३१-८-१९६२ तक जितनी रकम बकाया है उसका विवरण संलग्न तालिका* में दिया हुआ है । उक्त बकाया रकम की वसूली के लिये रिकबरी सार्टिफिकेट जारी किये जाने पर मिल की चीनी का स्टाक जिलाधीश बहराइच द्वारा कुर्क (attach) कर लिया गया था ।

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३५ पर)

*३—श्री रामअधार कनौजिया—उक्त मिल में इस समय कितने रुपयों का स्टाक है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—उक्त मिल में १५-९-१९६२ को ६०.८७ लाख का शुगर स्टाक था व उसकी मार्जिनल वैल्यु १५.२२ लाख रुपये की थी।

श्री रामअधार कनौजिया—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें जनता का धन जो बाकी है उसको भी शामिल कर लिया गया है या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां, जितना रुपया इस मिल के खिलाफ बाकी है सब के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल के खिलाफ कब रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया और किसानों का तथा सरकारी रुपया कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस मिल पर जितना रुपया बाकी था उसके संबंध में इसका स्टाक २३ अगस्त, ६२ को अटैच किया गया है, उससे किसानों का पूरा रुपया वसूल हो जायगा ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—इस मिल के ऊपर जो गन्ने का मूल्य बकाया है उसके लिये नियम यह है कि ७ दिन के बाद सूद मिलना चाहिये, तो क्या सरकार उन किसानों को जिनका रुपया इस मिल पर बाकी है सूद दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां, जो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें सूद की रकम भी शामिल कर दी गई है ।

श्री रामअधार कनौजिया—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अटैचमेंट होने के बाद नीलाम की कार्यवाही हो रही है या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस संबंध में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि इसमें इस मिल के लिए अथौराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कर दिया जाय। उसकी टीम आ गई है और उसने जांच कर ली है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट्स किसानों को जारी किये गये हैं उनमें कितना धन है और कब तक अदा कर दिया जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—रिकवरी सर्टिफिकेट्स किसानों को नहीं दिये जाते हैं बल्कि मिल के खिलाफ वसूली के लिये जारी किये गये हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि बहुत सी मिलों ने गन्ने का अपना पूरा दाम चुका दिया है आज से कुछ महीने पहले, तो सरकार ने इस पर गौर किया है कि इन मिलों ने जो इतनी बड़ी-बड़ी रकमें बकाया रखी हैं, किसी मजबूरी की वजह से रखी हैं या किसी और गरज से बकाया रखी हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—बहरहाल, यह तो जाहिर है कि इतनी बड़ी रकमें बहुत सी मिलों ने बकाया रखी हैं और बहुत सी मिलों ने रुपया चुकाया है और जिन्होंने नहीं दिया है उनके खिलाफ रिकवरी सर्टीफिकेट्स जारी किये हैं । जहां जरूरी समझा है वहां हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथौराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त करने के लिये लिखा है ताकि भविष्य में रुपया बाकी न रहे और यह रकम भी धीरे-धीरे वसूल की जा सके ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि जिस फैक्टरी की चर्चा है उसके जिम्मे पिछले कई वर्षों से बकाया चली आ रही है और उसके साथ बराबर रियायत हुई है ? यदि हां, तो इत्मीनान कर लिया है कि गन्ने का दाम जल्दी से जल्दी अदा कर दिया जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसमें रियायत का कोई सवाल नहीं है । कोई रियायत नहीं की गयी है । हमारा पूरा विश्वास है कि जो सीजन चलेगा उसके चलने से पेश्तर जो किसानों का पैसा है वह वसूल करवा ही देंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि बड़हल शुगर फैक्टरी के ऊपर ही किसानों का रुपया नहीं बाकी है बल्कि और भी सूबे की शुगर फैक्टरीज हैं, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जहाँ बाढ़ आयी हुई है, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती जिलों की शुगर फैक्टरियों पर किसानों का रुपया बाकी है, उसके लिए भी कोई रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे और अटैच करने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह कृपा करके अलग से पूछिए ।

श्री रामअधार कनौजिया—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि २० सितम्बर, १९६२ को, मिल मालिकों के इस कथन पर कि घाटा हुआ है, कोई जाँच बोर्ड वहाँ गया था और वह जांच हुई या नहीं और क्या वह जाँच स्थगित कर दी गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—घाटे और नफे से कोई मतलब नहीं है । जरवल मिल में जांच बोर्ड जो मेरे इल्म में है, वह हमारे लिखने पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा था । वह जांच आथोराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त करने के सम्बन्ध में थी । उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है । आथोराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त होने पर आगे वह इंतजाम करेगा ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—इस बात को देखते हुए कि पिछले कई वर्षों से यह मिल अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है, काश्तकारों को रुपया नहीं दे पाता है, इस सब को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पूरी फैक्टरी को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस सिलसिले में जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस वक्त यह स्टेप लिया है कि आथोराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कर दें । उसके मानी यह होंगे कि वह इंतजाम गवर्नमेंट के हाथ में आ जायगा और आगे अन्देशा नहीं रहेगा कि जिस तरह से अब तक मिल ने रुपये को रोक रखा था, वह आगे रुक सकेगा और जो भी रुपया होगा वह वसूल करेंगे ।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों का नोटिस

*४—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने कुछ मांगों को लेकर १५ सितम्बर, १९५२ से हड़ताल करने की नोटिस निदेशक, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री को दे दी है ? क्या इंटक ने भी १५ मांगों का एक स्मृति-पत्र निदेशक को दिया है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—जी हां ।

*५—**श्री विजयपालसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**—क्या उन मांगों में ऐसी भी मांग है कि सीमेंट वेतन आयोग की सिफारिशों को जिस दिन से लागू होना चाहिये था नहीं हुआ है और बाद में हुआ जिसमें १५–१६ किस्म के कर्मचारी आते हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां । वास्तव में सीमेंट वेतन आयोग की सिफारिशें जिस दिन से लागू होनी चाहिए थीं उसी दिन से चुर्क सीमेंट फैक्टरी में लागू की गई हैं । १६० श्रेणियों में से केवल १७ श्रेणियों के श्रमिकों, जिनकी संख्या ५ प्रतिशत से कम है, के वेतन निर्धारण पर पुनर्विचार करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*६—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार इस मामले में जल्द से जल्द दखल देकर मामले को सुलझाने का प्रयत्न करेगी ताकि मजदूरों के साथ न्याय हो और हड़ताल भी न हो सके ?

श्री बनारसीदास—श्रमिकों ने फैक्टरी में १५ सितम्बर, १९६२ से हड़ताल शुरू कर दी। फैक्टरी के काफी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया और हड़ताल २८ सितम्बर, १९६२ को समाप्त हो गई ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १७ श्रेणियों के श्रमिकों के ऊपर अभी वेतन आयोग की सिपारिशों को लागू नहीं किया गया है वह इस का फैसला करेंगे कि वह लागू हो जाय ?

श्री बनारसीदास—प्रथम के भी कुल १७ केसेज थे। १७ केसेज में से केवल ४ केसेज ऐसे हैं जिनके बारे में अभी निश्चय नहीं किया गया है। जहाँ तक १३ केसेज का सवाल है, उनको हायर ग्रेड देने के बारे में विचार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है। बात यह है कि वेज बोर्ड की सिपारिशें दो हिस्सों में थीं। जनरल नीति के अनुसार एक को कार्यान्वित किया गया है। दूसरा, अभी जल्दी ही वहाँ से आया है। उस पर देख रहे हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो इंटक यूनियन है उसने भी सरकार के सामने और निदेशक के सामने १५ माँगों की सूची पेश की थी ? हड़ताल होने से पहले, मैंने भी श्रीमन् के यहाँ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करके दिया था ताकि हड़ताल न हो, तो उस सूची में क्या-क्या माँगें हैं और जो हड़ताल हो गयी १३ दिन, इससे कितना नुकसान हुआ सरकार का ?

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, जहाँ तक इंटक का सवाल है, १४ डिमांड एक दफा और १ डिमांड एक दफा भेजी थी। इनमें से ज्यादातर जो ताल्लुक था वह वेज एवार्ड से ही था। जैसा कि अभी उत्तर में बताया गया है, १६० में से कुछ खास क्लासिफिकेशन की बातें थीं, तो करीब करीब उनको बता दिया गया था, सब को कार्यान्वित सन् ६१ से ही किया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में हड़ताल हो रही थी उस वक्त कुछ माँगों के संबंध में सदन में प्रश्न उठाया गया था और माननीय मुख्य मंत्री ने उस वक्त यह कहा था कि उस पर सरकार हमदर्दी के साथ विचार करेगी लेकिन यह हड़ताल पहले समाप्त हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हड़ताल समाप्त हो चुकी है सरकार मजदूरों की उचित माँगों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—वाकया तो यह है कि हड़ताल होने के पहले ही बहुत से विषयों पर जो कि सरकार के सामने मजदूरों की तरफ से रखे गये थे सरकार ने विचार कर लिया था, निर्णय भी ले लिये थे और निर्णय की घोषणा करने जा रही थी कि तब तक जबरिया हड़ताल करा दी गई और जब जबरिया हड़ताल करा दी गई तो सरकार ने भी यह मुनासिब समझा कि जो आदेश उसने दिये हैं उन आदेशों को वह प्रकाशित न करे। तो जहाँ तक सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का विषय है, सरकार मजदूरों की माँगों पर सदा सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है और उस पर निर्णय लेती है और जैसा कि मैं सदन में कई मर्तबा कह चुका हूं कि सीमेंट फैक्टरियाँ इस देश में बहुत सी हैं, उन तमाम फैक्ट्रियों ने वेज बोर्ड की सिफारिशों को सामने रखते हुये जो कार्यवाही की है और हमने जो कार्यवाही की है, यदि उस कार्यवाही की तुलना माननीय सदस्य उससे करेंगे तो स्वतः उन्हें विदित हो जायगा कि इस प्रदेश की सरकार किस प्रकार से शीघ्रता से और सहानुभूतिपूर्वक मजदूरों की माँगों पर सदा विचार करती है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी सदन और सदन के बाहर के लोगों के जानने के लिये जिस प्रकार वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में और दूसरी सीमेंट फैक्टरियों से इस फैक्ट्री में अगुवाई की गई है, उसका कोई विवरण रखने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये तो फिर सारी फैक्ट्रियों के कागजात लाने पड़ेंगे और इस कार्य में जो समय लगेगा वह बहुत यूजफुल काम में नहीं लगेगा। इसकी जानकारी तो माननीय सदस्यों को, चूंकि वह स्वतः अध्ययन करते हैं, होगी, या लाइब्रेरी से भी वह की जा सकती है और यदि कोई माननीय सदस्य चाहें तो मेरे मन्त्रालय से मेरे सचिवों के द्वारा वह जानकारी उन्हें मिल सकती है।

श्री गेंदासिंह—सचिवालय में यह आम तौर से कहा जाता है कि विलम्ब होता है और यह कंसर्न जो है वह कामर्शियल है। तो क्या सरकार इस बात की व्यवस्था आइन्दा से करेगी कि सचिवालय में आकर के वह कागजात जो सीमेंट फैक्ट्री या प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फक्ट्री के हैं या जितने इस तरह के कंसर्न्स हैं उनमें विलम्ब न लगे और इस प्रकार की हड़ताल या और चीजों को बचाया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसीलिये कि जल्दी से जल्दी इन मामलों में फैसले हो जायं जो बड़े बड़े हमारे उद्योग धन्धे हैं, उनके विषय में हमने एक हाई पावर बोर्ड बना रखा है, सीमेंट फैक्ट्री बोर्ड बना रखा है ताकि जल्दी से जल्दी उसमें फैसले हो जायं और कागज इधर से उधर के अधिकारियों के पास भेजे नहीं जाते हैं। उसके सदस्य वित्त विभाग के भी व्यक्ति होते हैं, उसके सदस्य डेवलपमेंट कमिश्नर भी होते हैं और और अधिकारी जिनके पास कि विभिन्न मसलों के सिलसिले में राय लेने के लिये कागजात जाते हैं, वे सब सदस्य के रूप में उसमें कार्य करते हैं और कुछ विशेषज्ञ हैं वह भी उसमें रहते हैं, जो उन विषयों की जानकारी कराते हैं जिनका स्वतः उन्हें तजुर्बा है। तो इसलिये हमने यहां पर सीमेंट कंट्रोल बोर्ड एक बना रखा है और उसके तहत में ही निर्णय लेते हैं और इन मसलों के ऊपर उसी कंट्रोल बोर्ड ने हड़ताल के पूर्व ही कुछ फैसले कर लिये थे और जो कि घोषित होने जा रहे थे परन्तु घोषित नहीं किये जा सके। हमारी उस नीति के अन्तर्गत कि जब हमारे ऊपर हड़ताल की पिस्तौल लाकर के खड़ी कर दी गई तो हमने भी यह मुनासिब समझा कि हम ऐसी नीति की घोषणा न करें कि जिसके विषय में हमने पहले निर्णय ले लिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभिन्न पार्टियों के नेताओं की मीटिंग जब आपके यहां हुई थी तो उसमें कहा था कि जो चुर्क मजदूर सभा की मांगें हैं उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा और हमने कहा था कि इस संबंध में लेबर कमिश्नर को वहां भेजकर उन मांगों की जांच करवाइये और उसमें जो उनकी उचित मांगे हैं, उन मांगों को आप पूरा करवाइये ? इसका आश्वासन मुख्य मंत्री जी ने उस दिन दिया था और मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के ऊपर मैंने स्वंय जाकर चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री की हड़ताल को वापस कराया। अब मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह लेबर कमिश्नर को वहां भेजकर उन मांगों के संबंध में जांच करा रहे हैं और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लेबर कमिश्नर को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसा मैंने अभी सदन के समक्ष निवेदन किया, बहुत से विषयों में हम निर्णय पहले ले चुके थे। तो पहले सेकिंड फेज के विषय में जो निर्णय लेना था उन पर भी निर्णय ले लिया। सेकिंड फेज के सिलसिले में जब कि हड़ताल चल रही थी तो केन्द्रीय सरकार से निर्णय प्राप्त हुये। जैसे ही वह निर्णय प्राप्त हुये उन पर भी यहां निर्णय ले लिया गया और उन निर्णयों के अनुसार कार्य करने के आदेश जारी कर दिये। तो अब लेबर कमिश्नर को भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विषय पर जब इस हाउस में चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कृपा कर इस बात को बतलाया था कि बहुत से मामलों के कागजात प्रकाशन किये जाने वाले थे जो मजदूरों की माँग के बारे में थे और जिन पर सरकार ने कुछ निर्णय लिया लेकिन हड़ताल हो जाने के कारण उन निर्णयों का प्रकाशन रोक दिया गया, तो क्या अब उस बदली हुई परिस्थिति में जबकि हड़ताल बिना किसी शर्त के वापस हो गई है, मुख्य मंत्री जी कृपाकर अपने उन पुराने निर्णयों को प्रकाशित करायेंगे जिन पर विचार करके उन्होंने निर्णय लिया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो सही और उचित माँगें थीं जिनके ऊपर निर्णय ले चुके थे उन निर्णयों को हमने डाइरेक्टर, जो वहाँ हैं, उनके पास भेज दिया है और वह उस वातावरण के पैदा हो जाने के बाद जिसकी आवश्यकता है उनको लागू कर देंगे और कुछ को कदाचित्, ३, ४ दिन से मुझ से बात नहीं हुई है, वह लागू कर चुके होंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—जितना मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया उससे मालूम हुआ कि चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूर मुख्य मंत्री जी की दया के मुस्तहक है। हमारा कहना यह है कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सीमेन्ट वेतन मंडल, जो भारत सरकार ने नियुक्त किया था, उसकी सिफारिशों को प्राइवेट सीमेन्ट फैक्टरी, जबलपुर और डालमिया नगर वालों ने उसी तरह से लागू किया है जिस तरह से चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री ने लागू किया है। मेरी जानकारी है कि वेतन मंडल की सिफारिशें जिस तरह से प्राइवेट फर्म ने अपने यहाँ लागू की हैं उससे कम सुविधा चुर्क सीमेट फैक्ट्री में मजदूरों को दी गई है। उनको मजदूरी, छुट्टी और दूसरी सुविधा कम मिलती है....

श्री अध्यक्ष—आप जो सवाल करना चाहते हैं वह स्पष्ट करें। यह कहिये कि जबलपुर में इतनी है और फलाँ जगह इतनी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—जबलपुर और डालमियानगर में केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों को जिस तरह से लागू किया गया है उसके मुकाबले में छुट्टी और मजदूरी चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री में कम मिलती है। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसके बारे में कमेटी बिठायेंगे कि जो इस बात को देखे कि प्राइवेट में अधिक सुविधा दी जाती है और चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में कम सुविधा है ?

श्री अध्यक्ष—आप स्पेसिफिक सवाल कीजिये।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मंत्री की जानकारी है कि जिन १७ किस्म के कर्मचारियों के बारे में अभी वेतन मंडल की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है उनमें टैक्निकल लोग हैं, जैसे डम्पर ड्राइवर, सिविल आपरेटर, बुल्डोजर आपरेटर, डीजल मैकेनिक और सिविल मैकेनिक आदि और इस तरह के टैक्निकल काम करने वाले लोगों के ऊपर अभी तक वे सिफारिशें नहीं लागू की गई हैं जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी है ? क्या इस श्रेणी के टैक्निकल काम करने वाले लोगों के लिये मुख्य मंत्री जी आदेश देंगे कि जब से सिफारिशें लागू हुईं तब से उनको वह पिछला रुपया भी मिल जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी सूचना मंत्री जी ने यह सूचना दी थी कि १७ में १३ विषयों में निर्णय ले लिया गया था और वह निर्णय वहाँ भेज दिया गया और उन निर्णयों के अन्तर्गत जो सुभीते मजदूरों को मिलने वाले हैं, वह मिलेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस हड़ताल के कारण कितने टन सीमेंट और कितनी रकम का नुकसान प्रोडक्शन न होने की वजह से सरकार को हुआ ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

कौसानी में जल-व्यवस्था

*१—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौसानी, जिला अल्मोड़ा, की पीने के पानी की पूर्ति के लिये सरकार ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—कौसानी, जिला अल्मोड़ा, में पीने के पानी की पूर्ति के लिये कुल २८,६०१ रुपया ७ आना ६ पाई व्यय हुआ है ।

*२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतना रुपया व्यय करने के बाद भी आज नल सूखे क्यों पड़े हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उपरोक्त पेयजल योजना की देखरेख एवं आवश्यक मरम्मत आदि, ग्राम सभा, कौसानी एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कौसानी ने, जिनको उक्त योजना के द्वारा जल उपलब्ध करवाया गया था, नहीं की, जो कि उनकी जिम्मेदारी थी ।

शुगर केन ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें

*३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलायेंगे कि शुगर केन इंस्पेक्टर ने १९५७ से लेकर आज तक कितने केसेज पकड़े और उनमें से कितनों को सजायें हुईं, कितना खर्च इस मुहकमे पर १९५७ से अब तक हुआ और कितनी आमदनी इस महकमे द्वारा सरकार को हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—प्राप्त सूचनानुसार शुगर केन इंस्पेक्टर्स ने १९५७ से अगस्त, १९६२ तक ३८५ केसेज पकड़े और उनमें से ९७ केसेज में सजाएं हुईं व ८६ केसेज कम्पाउन्ड किये गये तथा १५१ केसेजे में मुक्ति (acquittal) के आर्डर हुये, शेष ५१ केसेज अभी विचाराधीन हैं । इस महकमे पर उक्त अवधि में रुपये ४,८७,८९६.०० व्यय हुआ व केसेज में जुर्माने के रूप में सरकार को ४९,४३१ रुपये प्राप्त हुये ।

*४—श्री रियासत हुसैन—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतायेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूलिंग के कारण जिसकी वजह से कर्मचारी लोग मुल्जिम नहीं ठहराये जाते हैं शुगर केन ऐक्ट बिलकुल बेअसर हो गया है, इस विषय में सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह सही नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के कारण शुगर केन ऐक्ट बिल्कुल बेअसर हो गया है । इसमें या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं ।

*५—श्री रियासत हुसैन—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतायेंगे कि जिस दिन किसान का गन्ना खरीदा जाता है और तीन दिन के बाद जब फैक्ट्री में पेरा जाता है उन तीन दिनों में रिकवरी में कितने परसेन्ट की कमी हो जाती है और वह नुकसान किस तरह से किसान को अदा किया जाता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—फैक्ट्री गेट पर खरीदा गया गन्ना उसी दिन पेर दिया जाता है । दूर के केन्द्रों से लाये गये गन्ने का मूल्य क्रय-केन्द्र पर तौल के हिसाब से निर्धारित दर पर अदा किया जाता रहा है, अतएव किसानों को अभी तक किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ । आगामी सीजन १९६२–६३ से गन्ने का मूल्य पिछले वर्ष की रिकवरी के आधार पर निर्धारित होगा ।

श्री रियासत हुसैन—अभी मंत्री जी ने बतलाया कि ८६ केसेज कम्पाउन्ड हुये, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन केसेज के कम्पाउन्ड होने की वजहात क्या थीं ?

श्री अध्यक्ष—कम्पाउन्ड होने की क्या वजूहात हो सकती है ? आपस में समझौता हो जाता है।

श्री रियासत हुसैन—जो केसेज कम्पाउन्ड हुये, उसमें किसान, जिसका गन्ना था उसे भी पार्टी बनाया गया या सिर्फ सोसाइटी और मुलाजिमों के दरम्यान ही यह मामले कम्पाउन्ड हो गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—अलग-अलग केसेज की इत्तला नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य किसी खास केस की बाबत जानना चाहेंगे तो सूचना पाने पर बतला दूंगा।

श्री रामायणराय—३०० कुछ केसेज पकड़े गये केन इंस्पेक्टर द्वारा। उनमें कितने केसेज ऐसे थे जिनका संबंध तौल से था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसकी सूचना नहीं है, लेकिन ज्यादातर तौल से संबंधित हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या गन्ना मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लिस्ट में दिये केसेज को देखने से मालूम होता है कि इसमें ज्यादा केसेज छूट गये हैं और इसके बावजूद भी जो आने जाने और मुकदमा दायर करने पर खर्च पड़ा है वह ४ लाख से अधिक है। तो क्या मंत्री जी को सूचना है कि इन केसेज के बारे में किसी गवर्नमेंट एडवोकेट से राय ली गयी थी तब प्रासीक्यूशन किया गया था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो आप अलग से पूछ लें। मुकदमा चलायें तब भी आफत, न चलायें तब भी आफत, छूट जाय तब भी आफत।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्न ५ के संबंध में उन्होंने उत्तर दिया कि रिकवरी पिछले वर्ष की आधार होगी, दूसरे वर्ष गन्ने की कीमत मिलने की, तो क्या उन्होंने आज समाचार-पत्रों को नहीं देखा है कि कल दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेन्टरी पार्टी ने कुछ विचार किया और जिसमें प्रधान मंत्री जी ने भी यह स्पष्ट किया कि वह रिकवरी जो पहले लगाई गई है, वह लागू नहीं होगी ? तो क्या इस ओर माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—श्रीमन्, अखबारों की रिपोर्ट का हवाला देना मैंने मुनासिब नहीं समझा। चूंकि यह पालिसी सेन्टर से तय हुई है तो अगर ऐसी चीज है तो वह खत्म हो जायगी।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील नहीं है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो यह रिकवरी बेसिस पर कीमत तय की है वह वापस ले ली जाय और जो गन्ने की मिनिमम प्राइस है इस वक्त, उसमें किसी प्रकार की कमी न होने पाये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—श्रीमन्, प्रादेशिक सरकार ने बराबर इस पर जोर दिया है कि जो आज गन्ने की कीमत १ रुपये १० आने थी वही रखी जाय और रिकवरी से न जोड़ा जाय। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने २ बार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को चिट्ठी भी लिखी है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो रिकवरी बेसिस से गन्ने की कीमत है, उसकी वजह से करीब २५ प्रतिशत गन्ने की बोआई इस प्रदेश में कम हो गई है और जिसकी वजह से आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा न हो पायेगा, क्या इसकी आपको सूचना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—श्रीमन्, इसका इससे कोई ताल्लक नहीं है।

*६—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—(माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।)

तुलसीपुर चीनी मिल में छटनी

*७—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या श्रम मंत्राणी बताने की कृपा करेंगी कि तुलसीपुर चीनी मिल, जिला गोंडा, के प्रबन्धकों ने गत ४ वर्षों में कितने अकुशल कर्मचारियों को स्थायी या अस्थायी नौकरी दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस फैक्ट्री ने गत चार वर्षों में ४५ अकुशल (सीजनल) तथा १० अकुशल अस्थायी (टेम्प्रेरी) श्रमिकों को काम पर रखा है।

*८—श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या इसके पूर्व के ५६ कर्मचारी मजदूर बढ़नी सेन्टर की खरीद बन्द करने के कारण अलग किये गये थे, उन्हें अब तक नौकरी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१९५५-५६ सीजन में बढ़नी सेन्टर इस मिल के पास न रहने के कारण प्रबन्धकों ने ५१ श्रमिकों की छटनी कर दी थी। जिसमें से १२ श्रमिकों को सीजनल कार्य पर सीजन ५७-५८ से रख लिया गया है तथा १० को सीजन १९५८-५९ से १९६१-६२ के दौरान अस्थायी कार्य समय समय पर दिया जाता रहा है। शेष कर्मचारियों को मिल अपनी किसी भी सेवा के लिये अनुपयुक्त बताती है।

खपटिहा ग्राम के लिए अस्पताल

*९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खपटिहा, जिला बांदा में अस्पताल बनना स्वीकार हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१०—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यदि बनना स्वीकार है तो उसके निर्माण-कार्य शुरू होने में क्यों देर हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भवन निर्माण कार्य शुरू होने में देर के कारण ये थे :—

१—निर्माण के लिये चुनी हुई भूमि अच्छी नहीं थी।

२—गहरी नींव की आवश्यकता हुई।

३—भवन निर्माण का सामान दूर से ढुलवाना था।

इन कारणों से निर्माण कार्य पर संभावित व्यय लगभग दुगना हो गया था। फरवरी, १९६२ में शासन द्वारा आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं। आशा है कि निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायगा।

वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मऊनाथभंजन के चेयरमैन के खिलाफ शिकायत

*११—श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़), श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव, सोसाइटी लिमिटेड मऊनाथभंजन में बहुत से कमचारी सोसाइटी के चेयरमैन के अत्यन्त गहरे व नजदीकी संबंधी हैं जो कि सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है ? यदि, हां, तो इसका क्या कारण है ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—कथित सोसायटी के सभापति के दो करीबी संबंधी उस सोसाइटी में नौकर हैं। जिस समय इन व्यक्तियों को नौकर रक्खा गया था। उस समय सोसायटी की नियमावली में कोई ऐसी पाबन्दी नहीं थी कि सोसायटी के किसी पदाधिकारी का कोई संबंधी सोसायटी में नौकर नहीं हो सकता। इस प्रकार की पाबन्दी सिर्फ १२-४-६२ से हुई है जब से सोसायटी के नियमों में संशोधन किया गया और उक्त पाबन्दी लगादी गई।

*१२—श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त सोसायटी के चेयरमैन के पुत्रों तथा पौत्रों के नाम भारी रकमें काफी दिनों से बकाया में चढ़ी हुई हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीरसेन—कुछ रकमें सोसायटी के चेयरमैन के पौत्रों के नाम बकाया हैं। उक्त चेयरमैन के किसी पुत्र के नाम कोई रकम बकाया नहीं है।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३—श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि सोसायटी के कागजों में १२,००० से अधिक रुपया ऐसी बोगस फर्मों के नाम दिखाया गया है जिनका नाम व निशान भी नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीरसेन—कुछ फर्म तथा व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल रहा है परन्तु यह निश्चित नहीं है कि उक्त फर्म या व्यक्ति बोगस थे। प्रश्न की जांच की जा रही है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी है मऊ की, इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं और जो मेम्बर्स हैं वह आम तौर पर एक ही परिवार और एक ही कुनबे के लोग हैं। जो कि अलग-अलग नाम से इसमें शामिल हो गये हैं।

श्री वीरसेन—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सोसायटी के कुछ कर्मचारी हैं जो कि चेयरमैन के सम्बन्धी हैं, लेकिन जिस वक्त उनका एप्वाइन्टमेंट हुआ, उस वक्त ऐसा कोई नियम नहीं था कि सम्बन्धी न रखे जायें। लेकिन जिस वक्त से प्रतिबन्ध हो गया है तब से ही उनको हटाने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ग्राम तथा लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—यह रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है।

श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है ?

श्री वीरसेन—श्री अब्दुल लतीफ नोमानी।

श्री ऊदल—कितनी रकम पौत्रों पर सोसायटी की बकाया है ?

श्री वीरसेन—एक के बारे में बकाया है ६,९५५ रुपये ३३ नये पैसे और दूसरे की है ६,२३५ रुपये ७५ नये पैसे।

श्री ऊदल—इस बकाया रकम की वसूली के लिये अब तक क्या क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरसेन—इसको वसूल करने की कोशिश की जा रही है।

श्री ऊदल—जैसा कि संशोधित उत्तर दिया है कि कुछ फर्म और व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल रहा है कि वह बोगस थे, तो और बोगस थे या पता नहीं चल रहा है तो इससे सम्बन्धित जो जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री फूलसिंह—हैंडलूम का रुपया आल इंडिया हैंडलूम देता है और उसको यूपिका खर्च करता है, तो इसे तो वह डील करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, हम सब चीजों की जांच करा रहे हैं और बहुत से पुराने कागज निकल रहे हैं, उसमें खोजबीन करना कठिन है। "बोगस" के माने तो यह हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक एग्जिस्ट करता हो और आज न हो, यह भी संभव हो सकता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि बोगस थे या नहीं, लेकिन अब जांच कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या यह सही है कि मऊनाथ भंजन में ९९ फी सैकड़ा सोसाइटियां फर्जी बनी हुई हैं ?

श्री फूलसिंह—बोगस, नाजायज नफा करने वाले लोग हर जगह रहते हैं। मऊ में भी होंगे। लेकिन किसी आदमी की वजह से सारे कामों को रोकना ठीक न होगा।

श्री झारखंडेराय—इसके पहले भी मऊ के सम्बन्ध में कई सवाल उठाये गये हैं और उनसे खास किस्म के आरोप की ओर इशारा होता है। जो जवाब दिया गया है उसमें भी बहुत सी बात स्वीकार की गयी हैं। क्या मंत्री जी वस्तुस्थिति की गम्भीरता को देखते हुये और महसूस करते हुये कि हम लोगों की भी जानकारी है तभी सवाल उठाते हैं, जहां करोड़ों का व्यापार होता है और सरकार से बहुत सा रुपया लिया जाता है, उसका दुरुपयोग होता है तो क्या वे स्वयं अथवा किसी उच्चाधिकारी द्वारा जिस पर पूरा विश्वास हो, पूरे मऊ के मामलात की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह—जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं स्वयं भी तमाम प्रान्त में जाऊंगा, मगर इतना बड़ा प्रान्त है और आप के यहां भी हाजिरी देनी पड़ती है। जब तक आप सदन में बैठे हैं, बाहर जाना संभव नहीं है।

इसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा, मैं सब जगह खुद जाऊंगा और उन चीजों को देखूंगा। मऊ का सवाल किया गया, वहां ही नहीं, जहां के बारे में सवाल नहीं किया गया है, वहां भी मैं जांच कराऊंगा और जहां गड़बड़ी पायी जायेगी, जो उसके दोषी होंगे उन्होंने बख्शा नहीं जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, इस सोसायटी के बारे में पिछले ५ सालों से लगातार प्रश्न होते रहे हैं और चूंकि इसी सदन के एक भूतपूर्व सदस्य उसके चेयरमैन थे, इस कारण उसकी जांच वगैरह नहीं हो पाती थी। उन्हीं के कारण तमाम बोगस उसके मेम्बर बने थे और बोगस तरीके से काफी रुपया पुत्रों तथा पौत्रों के नाम से दे दिया गया था जिसके कारण वहां के बुनकरों में एक अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है। तो क्या मंत्री महोदय इस वक्त जो जांच करवा रहे हैं वह किसी डाइरेक्टोरेट लेविल के उच्च अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री फूलसिंह—जांच का जो तरीका अपनाया है वह मैं सदन के सामने रख दूं। मैंने सब अधिकारियों से कहा है कि दोबारा जांच करो और अगर यह साबित होगा कि रुपये का दुरुपयोग किया गया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जायगी। अब सब जगह जांच लखनऊ के अधिकारी ही जाकर करें, यह मुश्किल है। यह हो सकता है कि सब कर्मचारी यह लिख दें कि सब ठीक है, इसीलिये मैंने दोबारा जांच कराने का तरीका रखा है। जो लिस्ट आयेंगी उनको मैं फिर अलग कर्मचारियों से और माननीय सदस्यों से भी, उनकी जांच कराऊंगा। ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है कि जिससे जांच भी हो जाय, काम भी पूरा हो जाय और देर भी न लगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उत्तर में कहा गया है कि बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जिनका पता नहीं चल रहा है। मैं जानकारी के लिये यह पूछना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या लिखे हुये हैं, वे क्या हैं, वे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरसेन—उनका पता मालूम होता तो यह जवाब ही क्यों दिया जाता ?

भेड़ ग्राम का अस्पताल

*१४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के ग्राम भेड़ में कोई Medical Officer quarter बनने जा रहा था ? यदि हां, तो अभी तक उसका कार्य क्यों प्रारम्भ नहीं हुआ ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी हां। यह क्वार्टर स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाया जाना था किन्तु उक्त विभाग के पास निर्माण कार्य अधिक होने क कारण यह कार्य अभी तक नहीं हो सका है। उक्त विभाग के मुख्य अभियंता ने अब यह कार्य करने से इंकार कर दिया है अतः इस क्वार्टर को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

*१५—**श्री विजयसिंह**—क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि ग्राम भेड़ के राजकीय अस्पताल की इमारत दान द्वारा प्राप्त की गई है? यदि हां, तो वह इमारत कितने रुपये कीमत की है और उसकी मरम्मत सरकार ने कब से नहीं कराई और क्यों?

श्री धर्मसिंह—यह इमारत दान में नहीं परन्तु बिना किराया प्राप्त हुई है। इसकी कीमत २०,००० रु० है। इमारत की मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी है क्योंकि यथोचित खर्च देने पर भी कोई ठेकेदार अभी तक इस कार्य को करने के लिये तैयार नहीं हुआ है।

*१६—**श्री विजयसिंह**—क्या मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम भेड़ में कम्पाउन्डर क्वार्टर बनाने में क्या असुविधायें सामने आ रही हैं?

श्री धर्मसिंह—ग्राम भेड में कम्पाउन्डर के क्वार्टर बनाने का कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री विजयसिंह—श्रीमन्, वहां पर मेडिकल आफिसर के क्वार्टर बनने का निर्णय ७/८ साल हो गये हैं, हो चुका है लेकिन वह अभी तक नहीं बना है। बात यह है कि वहां का नक्शा इतना बड़ा है कि वह ८ हजार पया जो उसके लिये सैंक्शन हुआ, उस पये में बन ही नहीं सकता। तो क्या सरकार यह बता सकेगी कि वह अब कब तक बन जायेगा?

श्री धर्मसिंह—समय तो बतलाना कठिन है। लेकिन विभाग के द्वारा दोबारा प्रोपोजल्स पर विचार हो रहा है और उसके एप्रूवल के लिये जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी।

श्री विजयसिंह—श्रीमन्, यह करीब ४० हजार की इमारत है वहां के अस्पताल की और उसकी मरम्मत आदि का कार्य १२ साल से नहीं हुआ है वहां पर देहात में ठेकेदार लोग मिलते नहीं। तो क्या सरकार कोई ऐसे आदेश देगी कि शहर से ठेकेदार भेज कर वहां मरम्मत का काम कराया जाय?

श्री धर्मसिंह—जून ६२, में २,६५० रु० स्वीकार किया गया है इस कार्य के लिये और आशा की जाती है कि उतने में मरम्मत हो जायेगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ रुकावट पड़ी तो सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री विजयसिंह—कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें देहात के लोग नहीं समझते हैं। तो जिसका वह मकान है उसको सरकार कुछ छूट देने पर या किसी शहर के ठेकेदार द्वारा उसकी मरम्मत कराने पर विचार करेगी?

श्री धर्मसिंह—इसमें और रुपया स्वीकार करके भेजा गया है और मरम्मत अवश्य होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल अफसर के क्वार्टर के लिये टेण्डर पड़े? यदि हां, तो सबसे ऊंचा और कम क्या है?

श्री धर्मसिंह—एल०एस० जी०ई०डी० ने कहा है कि हम नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि पी०डब्लू०डी० को दोबारा दिया जाय। इसलिये टेंडर का सवाल नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि उनकी मशीनरी उनके नियंत्रण में नहीं है। तो जितनी सड़कें या क्वार्टर आदि बनाते हैं उनके लिये सरकार कोई निश्चित समय निर्धारित करेगी जिसके अन्दर वे बन जावें ?

श्री अध्यक्ष--यह अलग से पूछिये ।

श्री विजयसिंह--इस ग्राम में १२ साल से डाक्टर नहीं रहते हैं। तो जब तक मेडिकल अफसर का क्वार्टर बने तब तक के लिये किसी कम्पाउन्डर को ही सरकार वहां भेजने की कृपा करेगी और कम्पाउन्डर के लिये ही क्वार्टर बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--डाइरेक्टर महोदय से इसके बारे में ज्ञात कर लिया जायगा ।

*१७--श्री ऊदल--[२५ अक्तूबर, १९६२ के लिये प्रश्न १३३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

कटरा ग्राम में खाद के गड्ढे

*१८--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बांदा, तहसील नरैनी पंचायतराज सरकिल, कालीजर के कटरा ग्राम में बहुत से खाद के गढ़े बनाये गये हैं ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)--जी हां, तीस खाद के पक्के गढ़े बनाये गये हैं ।

*१९--श्री मतोलासिंह--क्या सरकार को जानकारी है कि इन खाद के गढ़ों की लागत क्या है, इसके बनाने वाला ठेकेदार कौन है और गढ़ों का मुआइना करके फाइनल पेमेंट किस अधिकारी ने कराया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--प्रत्येक गढ़े की लागत ९० पये है। श्री कामता प्रसाद ठेकेदार ने इन्हें बनवाया है। इन गढ़ों का मुआइना सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा करने के बाद फाइनल पेमेन्ट कराया ।

*२०--श्री मतोलासिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन गढ़ों और ग्राम नहरी के गढ़ों की लागत में अन्तर क्या है और क्यों है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--कोई अन्तर नहीं है ।

श्री मतोलासिंह--क्या माननीय मंत्री बतावेंगे कि नहरी के गड्ढों की कीमत क्या है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--दोनों गड्ढों की कीमत बराबर है ।

श्री मतोलासिंह--बराबर होने का क्या कारण है और उनकी लम्बाई, गहराई और चौड़ाई क्या है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--जमीन की किस्म का आधार होता है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--क्या ९० पये प्रति गड्ढा पूरा राजकीय अनुदान से दिया गया ? यदि हां, तो किस मद से और किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--सहायता की मद से दिया गया ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--क्या माननीय मंत्री जी के पास शिकायत आई है कि २० गड्ढ कुछ दिनों बाद टूट गये और इस्तमाल नहीं हो रहे हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--नहीं, हमारे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री मतोलासिंह--क्या, श्रीमन्, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १ साल के अन्दर ये गड्ढे गिर गये और बह गये और उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं कि उन्हें सूचना नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--गड्ढे बनवाने में क्या सारा खर्चा सरकार का ही होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--ब्लाक स्तर पर कुछ लोग स्वयं देते हैं और कुछ सरकार देती है।

बुढ़गंगा पर पटियाली का पुल बनाने के लिए पत्र

*२१--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--क्या श्रम मंत्राणी बताने की कृपा करेंगी कि २७ जून, १९६२ को प्रश्नकर्ता का पत्र पटियाली जिला एटा में बुढ़गंगा पर पुल निर्माण हेतु मिला और उचित कार्यवाही हेतु जो विकास आयुक्त के पास भेज दिया गया उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--माननीय सदस्य का प्रसंगगत पत्र विकास आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष जी, खेद है कि जो जवाब आया है उसमें कुछ फर्क है। आपकी तरफ से छानबीन का पत्र आया। उसके मिसप्लेस हो जाने के कारण उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। मैं माननीय सदस्य को यह एश्योरेंस देना चाहती हूं कि अब उस पर जल्दी कार्यवाही की जायगी।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारियों का वेतन

*२२--श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमेंट वेतन आयोग की सिफारिशें पहली जनवारी, सन् ६० से चुर्क सीमेंट फैक्टरी में लागू कर दी गई हैं और उसी दिन से कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम से वेतन दिया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*२३--श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में जिस दिन से यह वेतन-क्रम लागू किया गया है उसमें कुछ श्रेणी के कर्मचारियों जैसे, डम्पर ड्राइवर, सिविल आपरेटर, बुल्डोजर आपरेटर, डीजल मैकेनिक सिविल मैकेनिक आदि २० श्रेणियों के लोगों ने सरकार को प्रार्थना-पत्र अक्तूबर, सन् ६१ में दिया है कि उनके वेतन-क्रम के बारे में पुनर्विचार किया जाय ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार को ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। जिन पदों के मामले निदेशक द्वारा सरकार को पुनर्विचारार्थ भेजे गये और जिनमें प्रश्न में पूछी गई श्रेणियां भी सम्मिलित हैं उन पर विचार हो रहा है।

श्री ऊदल--अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि माननीय सूचना मंत्री जी ने उत्तर दिया कि १३ श्रेणियों का फैसला हो गया है और इस प्रश्न के उत्तर में है कि अभी विचार हो रहा है। कौन-सा सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दोनों बातें सही हैं। १७ श्रेणियों में से जिन पर विचार होना था, १३ पर विचार होकर निर्णय भेज दिये गये। ४ के केस रिजेक्ट कर दिये गये। रिजेक्ट हुओं के उन्होंने फिर विचार के लिये कागजात भेज रखे हैं। तो कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी श्रेणियों के लोगों ने अलग-अलग आवेदन-पत्र दिये जिन पर विचार हो रहा है?

श्री बनारसीदास—बहुत डिटेल के लिये तो सूचना की जरूरत है। लेकिन कुछ केसेज में आप्शन दिया गया था कि वे पहली दर पर ही काम करना पसन्द करेंगे या रिवाइज्ड स्केल पर। कुछ लोगों ने इस आप्शन का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है और कुछ ने रिप्रेजेन्टेशन्स भी दिये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिवाइज्ड स्केल और जो पहले का स्केल है, इन दोनों में क्या अन्तर है और क्या कारण है कि इन लोगों ने रिवाइज्ड स्केल न लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है?

श्री बनारसीदास—जैसा कि पहले बताया गया कि पहले १६० ग्रेड्स थे, मैं समझता हूं कि यह ब्योरे की बात है। ऐसे नया स्केल लेने में कोई हानि नहीं है लेकिन बहुत सी कंडीशंस का सवाल है। ऐसे ज्यादातर लोगों ने इसको मंजूर तो कर ही लिया है और उसके मुताबिक एरियर्स और पे जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बतलाया—पहले फेज में अप्रेल, ६० से दिया गया है और दूसरे फेज में जनवरी, ६० से दिया गया है। वैसे अभी ४ श्रेणियों के बारे में हायर स्केल की बात को रिजेक्ट कर दिया गया है। डाइरेक्टर से हमने रिपोर्ट मंगवायी है, उसके बाद माननीय सदस्य चाहें तो सवाल रख सकते हैं।

मिर्जापुर जिले में विस्थापितों को असुविधाएं

*२४—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला मिर्जापुर पुनर्वास क्षेत्र "चन्द्रभान नगर" पुनर्वास द्वारा बस्ती बसाई गई है, परन्तु अभी तक कृषि करने हेतु भूमि का वितरण नहीं हुआ है? किसान दो वर्ष से बेकार पड़े हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में सरकार तत्काल उनको कृषि हेतु भूमि देने की व्यवस्था करेगी?

नियोजन उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—ब्योरपुर ग्राम के पश्चिम में हवाई अड्डे से लगे पुनर्वास क्षेत्र में जिसको वहां के बसने वाले "चन्द्रभान नगर" कहते हैं ३१ परिवारों को कृषि हेतु तथा ४५ परिवारों को गृह-निर्माण हेतु भूमि नियमानुसार दी गई। कुछ अन्य परिवार जिनके लिये दूसरे पुनर्वास क्षेत्रों में भूमि की व्यवस्था की गई उक्त "चन्द्रभान नगर" में ही बसना चाहते हैं परन्तु इस क्षेत्र में वितरण के लिये भूमि अब शेष नहीं है।

*२५—**श्री रामप्यारे**—क्या सरकार को पता है कि पुनर्वास क्षेत्र बड़हौर व दरनखां आदि में जो कुएं निर्मित हैं, उनकी सफाई न होने के कारण दूर-दूर से नदी-नालों का पानी लाकर उद्वासितों को पीना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कूपों की सफाई करा दी गई थी परन्तु गहरे कूपों से जल खींचने के श्रम से अभ्यस्त न होने के कारण कुछ पिछड़े वर्गों के विस्थापित परिवार स्वेच्छा से नदी-नालों के पानी को उपयोग में लाते हैं।

*२६—**श्री रामप्यारे**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध से जो उद्वासित परिवार हैं कितने परिवार के बीच में एक कूप का निर्माण सरकार द्वारा होता है? क्या सरकार यह बतायेगी कि कितने परिवार उसके द्वारा बसाये गये हैं तथा कितने कुयें निर्मित हुये हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जहां पर परिवार गांवों के रूप में एक दूसरे के निकट बसे हैं वहां पर लगभग ५० परिवारों के बीच में एक कूप का निर्माण किया गया है। साथ ही पुनर्वास-क्षेत्रों में कूपों के निर्माण में स्थानीय आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा गया है। कुल ६,५६८ परिवार बसाये गये हैं और १७३ कुयें निर्मित हो चुके हैं।

श्री रामप्यारे—क्या विद्युत मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चन्द्रभान नगर बस्ती जो बसाई गयी है, वहां के लिये पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने जंगल विभाग को लिखा है कि उन्हें दूसरी जगह जंगल विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाय जो उनके बसने के लिये कोई जमीन दे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस वक्त दो किस्म के जंगल हैं, एक तो कटात और दूसरे रखात। तो जंगल विभाग रखात में जो बड़े-बड़े पेड़ हैं, उसे उनको देना नहीं चाहता जब तक कि और जंगल जो पुनर्वासन के लिये दिये गये हैं, उसमें पूरे लोग न बस जायं।

श्री रामप्यारे—क्या यह सही है कि जंगल विभाग के कर्मचारी इसके लिये तैयार हैं कि ऐसे लोगों के लिये कृषि हेतु वह जमीन पुनर्वासन विभाग को दे दी जाय जो कि कटाव के अन्दर है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चन्द्रभान नगर बस्ती को इस वक्त तक सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सहायता का सवाल नहीं है। उन लोगों को वहां बसने के लिये जमीन दी गयी और नियम के अनुसार वहां बसने वालों को मकान के लिये लकड़ी वगैरह की सहायता दी गयी।

श्री ऊदल—इस बात को देखते हुये कि इस स्थान से ४५ हजार आदमी निकाले गये और बसाये गये सिर्फ ६ हजार और उनके लिये भी वहां ठीक से स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है और न तो अभी तक डाकखाने की व्यवस्था है और न पानी पीने के लिये कुयें की ही व्यवस्था हो सकी है, तो क्या सरकार जितने लोग अब तक बस सके हैं, उनकी शिक्षा, उनके पीने के लिये पानी और डाकखाने आदि की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—वे बस जायं तो व्यवस्था कर सकती है। अभी क्या कर सकती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि माननीय सदस्य का यह कहना है ठीक व्यवस्था से तो अभी पूरी व्यवस्था जितनी कि सरकार उन निवासियों के लिये करना चाहती है वह नहीं हुई है, तो इस आरोप को सरकार स्वीकार करती है, यदि बहुत-सी चीजें जिनको सरकार करना चाहती है और जिनके लिये बराबर प्रत्येक वर्ष चेष्टा हो रही है वह अभी अपूर्ण हैं अभी पूरी होंगी जैसे कि अभी कोई कुआं बनाना है सिंचाई विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। इस संबंध में अभी कई काम अपूर्ण हैं इसको सरकार स्वीकार करती है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको इस बात की सूचना है कि उक्त बस्ती जिसको चन्द्रभान नगर कहा जाता है उसका रेवेन्यू के कागजात में नाम क्या है और यह चन्द्रभान नगर नाम पड़ने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, म इस संबंध में स्थिति साफ करना चाहता हूं। जब यह सवाल आया कि मेरे नाम को उस स्थान से जोड़ा गया है तो उसे देखकर मुझे दुख हुआ इस माने में कि मैंने कभी भी किसी संस्था से जहां-जहां मैंने काम किया है और जहां जहां से मांग रही है कि मेरा नाम उन संस्थाओं से जोड़ा जाय तो मैंने बराबर इसका विरोध किया है और इस विषय में भी जिन माननीय सदस्यों ने स्वतः अपनी इच्छा से वहां मेरा नाम संलग्न करदिया है मैं उसका विरोध करने वाला हूं। मैं तो इस नीति में विश्वास करता हूं कि राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्ति जबतक जीवित रहें तबतक उनके नाम से कोई भी चीज घोषित न की जाय।

रामनगर लेवेट अस्पताल के डाक्टर की शिकायत

*२७—**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि वाराणसी जिले के एक विधायक ने संचालक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को जुलाई, ६२ के दूसरे सप्ताह में रामनगर लेवेट अस्पताल के डाक्टर के संबंध में कोई शिकायती-पत्र लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। जुलाई, १९६२ के दूसरे सप्ताह में इस संबंध में कोई शिकायती-पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पास नहीं प्राप्त हुआ।

*२८—**श्री उमाशंकर तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन उस कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

रामनगर व मड़ियाहूं ब्लाकों में कुओं का निर्माण

*२९—**श्री जगन्नाथ राव** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रामनगर ब्लाक व मड़ियाहूं ब्लाक, जिला जौनपुर में कितने कुओं के लिये अनुदान दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में कितने कुयें निर्माण हुये?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३६ पर)

श्री जगन्नाथ राव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रामनगर ब्लाक में ३४ और मड़ियाहूं ब्लाक में ८८ कुयें स्वीकृत हुये लेकिन बाद में उनमें से रामनगर में २४, मड़ियाहूं में ७९ ही बन पाये, तो बाकी के न बनने का क्या कारण है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दे दिया गया है। सिंचाई के और पानी पीने के कुयें अलग-अलग होते हैं उनकी संख्या अलग-अलग दी हुई है ताकि उन्हें पूरी जानकारी हो जाय। जो पानी के कुयें होते हैं उनको सब्सीडी पार्टपेमेंट में दी जाती है और सिंचाई के कुएं जब मुकम्मिल हो जाते हैं तब पेमेंट होता है। जो पूरे नहीं हुये हैं उनको अभी रुपया नहीं दिया गया है और इसीलिये पूरे न बनने की रुकावट हो रही है।

श्री जगन्नाथ राव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सूचना दी गई है कि कई वर्षों में यह कुयें बने हैं, तो कितने समय के बीच में यह कुयें बनकर तैयार हुये हैं? यह कितने वर्षों के आंकड़े हैं?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—यह जो कुयें बने हैं वह ५७-५८ से ६१-६२ तक के हैं।

मुजफ्फरनगर जिले के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर श्री जे० एन० त्यागी के विरुद्ध जांच

*३०—श्री शुगनचन्द मजदूर तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या 'दैनिक हिन्दुस्तान (हिन्दी) दिल्ली' दिनांक २१ जुलाई, १९६२, के पृष्ठ १, कालम ४ पर जो "पुलिस अफसर के आचरण की भर्त्सना के शीषक से समाचार प्रकाशित हुआ है तथा 'दैनिक हिन्दुस्तान (हिन्दी) दिल्ली, दिनांक २३ जुलाई, १९६२ के पृष्ठ ४, कालम २ में "स्फुट विचार" के शीर्षक से प्रकाशित हुआ है की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मान्य न्यायाधीश श्री ज्ञानेंद्र कुमार तथा उनयाल ने जिला मुजफ्फरनगर के एक पुलिस अफसर की एक कत्ल के मुकदमे के संबंध में भर्त्सना की गई है ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां।

*३१—श्री शुगनचन्द मजदूर तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार उस अफसर का नाम तथा जो कार्यवाही उसके विरुद्ध की गई उसकी सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—संबंधित पुलिस अफसर का नाम श्री जे० एन० त्यागी है जो सब-इन्स्पेक्टर हैं। उनके विरुद्ध पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन के अन्तर्गत जाँच की जा रही है। जाँच समाप्त होने पर यदि कोई कार्यवाही आवश्यक पाई जायेगी तो की जायेगी।

श्री शुगनचन्द मजदूर—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जाँच कब से आरम्भ हुई और कब खत्म हो जायगी ?

श्री नवलकिशोर—जैसे ही यह जजमेंट हमारे पास आया, डेट तो नहीं है, उसके बाद ही शुरुआत कर दी गयी ।

श्री गेंदासिंह—हाईकोर्ट के जजों ने उनके विरुद्ध यह लिखा है कि उन्होंने जालसाजी की है कत्ल के मामले में, तो अब कौन-सी जाँच की जा रही है ? हाई कोर्ट के जज के फैसले की जाँच की जा रही है या दारोगा जी के चालचलन की जाँच की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिस व्यक्ति के संबंध में हाईकोर्ट स्ट्रिक्चर पास करती है तो उसको पुलिस मैनुअल के अन्तर्गत सफाई देने का अधिकार रहता है और नियमानुसार उसे अधिकार है कि जो कुछ उसे कहना हो फिर से सरकार के सामने अपने दृष्टिकोण को रखे और अधिकारीगण उसके ऊपर विचार करें और विचार करके फिर सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजें। तो इस मसले में भी जो अधिकार उस पुलिस मैनुअल के अन्तर्गत प्राप्त है वह कार्यवाही की गयी है और वह अधिकार बरतने का अधिकार उसे रहता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हों तो जिस आदमी के खिलाफ वह हों, वह अपील कर सकता है और अधिकारी उस पर विचार करें और विचार करने के मानी होते हैं कि हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स से वह एग्री नहीं करते तो क्या उस रूल के मानी यह होंगे कि डिपार्टमेंटल अधिकारी हाईकोर्ट के जजेज और जजमेंट के ऊपर हो गये ?

श्री अध्यक्ष—मैं साफ कर दूं। पुलिस ऐक्ट में यही प्राविजन है कि सेक्शन ७ में चाहे स्ट्रिक्चर्स पास हो गये हों लेकिन विभागीय कार्यवाही की जायगी। उसमें नियम दिया हुआ है और उस नियम में उसको अधिकार है कि वह अपनी सफाई दे और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजमेंट हो चुके हैं कि सेक्शन ७ का प्रोसीजर फालो किया जावे।

नोट—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

लखनऊ में कथित गिरफ्तारियां

*३२—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतावेगी कि दिनांक १९,२० तथा २१ अगस्त, १९६२ को लखनऊ नगर के चौक थाना के अन्तर्गत लगभग पचास व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों तथा किस धारा में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*३३—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति दंगा करने पर तुले थे, जिन्हें पकड़ा गया ? यदि हाँ, तो दंगे का क्या कारण था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जिले के लेपरोसी सेंटर में मोटरगाड़ी की कमी

*३४—चौधरी अब्दुल हसीब खां तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि बहराइच में जो लेप्रेसी की दवा जनता को दी जाती है उससे हजारों रोगियों को लाभ पहुंचा है लेकिन एक ही मोटर बस है जो कि बहराइच से कैसरगंज जरवल की पक्की सड़क के चक्कर लगाया करती है जिससे सड़कों के आस-पास के रोगियों को लाभ पहुंच पाता है ? क्या सरकार जिले की समस्त रोगी जनता को लाभ पहुंचाने हेतु और बसों का प्रबन्ध करेगी कि जनपद के तमाम रोगियों को लाभ पहुंच सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बहराइच जिले में एक Leprosy Subsidiary Centre कार्य कर रहा है जिसको भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार केवल एक ही मोटर-गाड़ी दी गई है । एक सेंटर को एक से अधिक गाड़ी देना संभव नहीं है ।

वाराणसी जिले में स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र

*३५—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में पिछली दोनों योजनाओं में स्त्रियों के स्वास्थ्य सुधार और चिकित्सा के लिये कोई नया जनाना अस्पताल अथवा जन स्वास्थ्यशाला खुली है ? यदि हाँ, तो कहाँ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वाराणसी जिले में पिछली दोनों योजनाओं में स्त्रियों के स्वास्थ्य सुधार और चिकित्सा के लिये निम्नलिखित जनाने अस्पताल और प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं :—

जनाना अस्पताल

१—चकिया ।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

१—चिराई गाँव
२—चिहानिया
३—गोपीगंज
४—चकिया
५—पिंडरा
६—धनापुर
७—काशी विद्यापीठ
८—औराई ।
९—आरजी लाइन
१०—चन्दौली
११—बड़ा गाँव
१२—नियामताबाद

ढांगू ब्लाक में सड़कों पर व्यय

*३६—**श्री रियासत हुसैन**—क्या सरकार बतायेगी कि ब्लाक ढांगू, जिला गढ़वाल में गुमखाल, द्वारीखाल सड़क के लिये कुछ लोगों को कुछ साल पहले १३ हजार रुपया दिया गया था? वे लोग कौन हैं और वह १३ हजार रुपया किस तरह खर्च हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गुमखाल-द्वारीखाल सड़क के लिये कुल मिलाकर १८,३५६ रुपये १२ नये पैसे दिये गये थे। जिसमें से केवल ७,२८९ रु० ढाँगू ब्लाक के आय-व्ययक से व शेष ११,०६७ रुपये १२ नये पैसे जिला नियोजन समिति के आय-व्ययक से दिया गया था।

ये राशियाँ किन-किन लोगों को दी गईं इसका विवरण माननीय सदस्य कृपया विकास मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं। तत्संबंधी खर्च की मदें जिला नियोजन अधिकारी गढ़वाल द्वारा एकत्र की जा रही हैं तथा उनका प्रमाणित संकलन प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा।

हाथ कर्घा कपड़े के लिए ऋण

*३७—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री भानुप्रतापसिंह** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पाँच वर्षों में हाथ करघा द्वारा कपड़ा बनाने के काम को प्रोत्साहन देने हेतु कितनी कितनी रकम अनुदान तथा कितनी-कितनी रकम कर्जा के रूप में दी गई?

श्री फूलसिंह—वाँछित सूचना संलग्न सूची 'क' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३७ पर)

*३८—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** तथा **श्री भानुप्रतापसिंह**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले पाँच वर्षों में उपरोक्त कर्जा जो दिया गया उसमें से कितनी-कितनी रकम प्रत्येक वर्ष वसूल हुई और कितनी-कितनी बाकी है?

श्री फूलसिंह—वाँछित सूचना संलग्न सूची 'ख' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३७ पर)

*३९—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** तथा **श्री भानुप्रतापसिंह**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हाथ कर्घा द्वारा कपड़ा बनाने के काम से संबंधित संस्थाओं को जो रकम पाँच वर्षों में कर्ज के रूप में दी गई थी उसकी वसूली में कितनी कुल रकम इस काल में माफ (write off) की गई? कितना देय (due) बाकी है जो समय पर नहीं हुआ?

श्री फूलसिंह—(क) कथित कर्ज की वसूली में कुछ भी माफ नहीं किया गया।

(ख) समय पर वसूल न होने वाली देय धनराशि १,३३,३९१ रुपया ७८ नये पैसे है।

मुरादाबाद के इण्डस्ट्रीज आफिस के खिलाफ शिकायत

*४०—**श्री रियासत हुसैन**—क्या उद्योग मंत्री को यह मालूम है कि मुरादाबाद में, जो सरकारी कंट्रोल का कच्चा माल वहाँ के सोसाइटी के आम मेम्बरान को दिया जाता है वह मेम्बरान को नहीं मिलता और सोसाइटी के चन्द पदाधिकारी खुद हजम करके ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं जब इसकी शिकायत अफसर मुताल्लिका से की जाती है तो कोई जाँच नहीं होती है? क्या सरकार इसमें कोई जाँच करायेगी?

श्री फूल सिंह—इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह सही नहीं है कि उक्त शिकायतों पर जाँच नहीं होती। कुछ शिकायतों पर जाँच हो चुकी है और कुछ पर अभी शेष है।

*४१—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकार को जिले मुरादाबाद की इन्डस्ट्रीज आफिस के खिलाफ रिश्वत लेने और रिश्वत को बढ़ावा देने के बारे में शिकायत मिली है ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही की गई ?

श्री फूल सिंह—जी हां । कुछ शिकायतों पर जांच हो चुकी है तथा कुछ पर शेष है ।

*४२—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि दि ग्लास मैनुफैक्चर्ड कोआपरेटिव सोसाइटी, मुगलपुरा के कुछ मेम्बरान की शिकायत पर श्री शुक्ला ने यह हिदायत की थी कि कच्चा माल सुपरवाइजर की मौजूदगी में तकसीम हो लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ और रुपया वसूल करके माल तकसीम हुआ । जब इसकी इत्तला श्री शुक्ला को की गई तो कोई कार्यवाही नहीं हुई ? क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करके अफसरान को सजा देगी ?

श्री फूलसिंह—जी हां । श्री शुक्ला ने ऐसी हिदायत दी थी । यह सही नहीं है कि इन हिदायतों पर अमल नहीं हुआ है । हमेशा वितरण के समय कच्चे माल की कीमत नकद वसूल करके माल दिया जाता है । ऐसा नहीं है कि वितरण के बारे में कोई शिकायत श्री शुक्ला से की गई हो जिस पर कि श्री शुक्ला ने उचित कार्यवाही न की हो । इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बरगढ़ स्टेशन पर बालू साफ करने का कारखाना

*४३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरगढ़ स्टेशन, जिला बांदा में उद्योग विभाग की ओर से बालू साफ करने का कारखाना खोलने के लिये ७५,००० रु० ऋण दिया गया है ? उसको कितने दिन हो चुके हैं ?

श्री फूलसिंह—जी हां । ऋण को दिये हुये लगभग २ वर्ष ५ माह हो चुके हैं ।

*४४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस कारखाने में क्या प्रगति हो रही है ?

श्री फूलसिंह—कारखाने की इमारत का अधिकांश भाग बन चुका है और कुछ आवश्यक मशीनें भी लग चुकी हैं । अनुमानतः लगभग ३६,५०३ रु० १३ न० पै० अब तक व्यय हो चुका है ।

नर्सिंग स्टाफ

*४५—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के हास्पिटल में कुल कितना नर्सिंग स्टाफ है और उसमें कितना स्थायी कार्य कर रहा है और कितना स्टाफ अस्थायी कार्य कर रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है ।

खादी बोर्ड

*४६—श्री विजयसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड में सदस्यों की संख्या उनके नाम तथा किन-किन संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं तथा उन संस्थाओं में इनका पद क्या है ?

श्री फूलसिंह—खादी बोर्ड के सदस्यों के नाम, संख्या तथा जिन संस्थाओं से वे लिये गये हैं, अथवा उन संस्थाओं में उनके पद की †सूची परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

यह सदस्य किसी भी संस्था के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं लिये गये हैं बल्कि राज्य सरकार ने उन्हें खादी तथा ग्रामोद्योगों के कार्य की क्षमता तथा अनुभव को देख कर मनोनीत किया है।

*४७—श्री विजय सिंह—जिस समय से उत्तर प्रदेश में खादी बोर्ड का गठन हुआ और माननीय सदस्यों ने अपना कार्य भार संभाला तब से बोर्ड ने इन संस्थाओं को जिसके कि ये प्रतिनिधि हैं किस मद में कितना-कितना रुपया दिया और उसमें से इन संस्थाओं ने अभी तक कितना रुपया इस्तेमाल कर लिया तथा कितना रुपया बैंकों में तथा इनके पास पड़ा हुआ है ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना परिशिष्ट† 'ख' में दी गई।

*४८—श्री विजयसिंह—इन संस्थाओं के अलावा और किन-किन संस्थाओं को सहायता दी गई तथा उसकी मदवार सूची, और यह भी बतलाने की कृपा करें कि इन संस्थाओं ने कितना रुपया इस्तेमाल कर लिया ?

वांछित †सूचना परिशिष्ट 'ग' तथा 'घ' में दी गई है।

फेफरा ग्राम का सामुदायिक बाग

*४९—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के ग्राम फेफरा, में कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कासिमाबाद द्वारा सन् १९६२ से १९६५ के मध्य कोई सामुदायिक बाग लगाया गया था ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गाजीपुर जिले के फेफरा ग्राम में वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में कम्युनिटी प्रोजेक्ट कासिमाबाद द्वारा एक सामुदायिक बाग लगाया गया था। यह बाग २०.७५ एकड़ भूमि पर लगाया गया था।

*५०—श्री झिलमिट राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बाग पर सरकार एवं किसानों का पृथक्-पृथक् कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त बाग पर सरकार का ४०० रु० तथा किसानों का लगभग ८०० रु० व्यय हुआ।

*५१—श्री झिलमिटराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बाग हेतु सरकार ने वहां के किसानों को कितना कर्ज व अनुदान, नकद व सामान की शक्ल में, दिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त बाग हेतु सरकार ने अनुदान की शक्ल में ४०० रु० (चार सौ रुपया) नकद दिया।

खनसर पट्टी में यातायात

*५२—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—क्या सरकार को सीमान्त जिला चमोली के अन्तर्गत पट्टी खनसर की यातायात संबंधी असीमित कष्ट कठिनाइयों और असुविधाओं का ज्ञान है और सन् १९४७ से आज तक प्रतिवर्ष राम गंगा व खनसर गधेरा (नाला) और स्मूणी गाढ़ को पार करने पर कुल कितने स्त्री पुरुष मौत के मुह में पहुंचे यह बतलाने की कृपा करेगी ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, जिला चमोली के अन्तर्गत पट्टी खनसर में यातायात अत्यंत कठिन है। कहा जाता है कि १९४७ से अब तक रामगंगा व खनसर गधेरा (नाला) और स्मूणी गाड़ को पार करने में लगभग १० जानें जा चुकी हैं।

रामगंगा के ऊपर रेलकोट स्थान पर पंचवर्षीय योजना में एक पुल बनाने का प्रस्ताव है।

*५३—**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)—[१६ वें बुधवार के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रुद्रपुर महिला चिकित्सालय

*५४—**श्री चन्द्रबली सिंह** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के रुद्रपुर नगर में महिला अस्पताल बनवाने की योजना है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक हो जायेगा तथा उसके भवन आदि पर निर्माण व्यय क्या पड़ेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, रुद्रपुर नगर में महिला चिकित्सालय बनवाने की योजना है। भूमि प्राप्त होने में विलम्ब है। भवनों के निर्माण पर ९५,००० रु० की लागत का अनुमान है।

शाहजहांपुर जिले में इण्डस्ट्रियल लोन

*५५—**श्री मुहम्मद रफी खां**—क्या यह सही है कि शाहजहांपुर में कुछ लोगों ने इंडस्ट्रियल लोन मुख्तलिफ कामों के लिये ले रखा है और कई साल गुजर जाने पर भी कोई इंडस्ट्री आज तक नहीं लगाई गई है? यदि हां, तो सरकार ने अपने रुपये की वापसी के लिये अब तक क्या कदम उठाया?

श्री फूलसिंह—जी हां। ऐसे व्यक्तियों में से कुछ से रुपये वापस करा लिये गये हैं और बाकी लोगों से रुपया वसूल करने के लिये उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

नियोजन विभाग, आजमगढ़ में नियुक्तियां

*५६—**श्री सुरजन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग, आजमगढ़ में सन् १९६० से जुलाई, १९६२ तक कुल कितने कर्मचारी अलग-अलग पदों पर रक्खे गये हैं? उनमें हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के व्यक्ति अलग-अलग पदों पर जो रक्खे गये हैं उनकी संख्या क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्लानिंग विभाग, आजमगढ़ में सन् १९६० से जुलाई, १९६२ तक अलग-अलग पदों पर कुल ३२१ व्यक्ति नियुक्त किये गये जिनमें अछूत ३७ तथा पिछड़ी जाति के ७८ व्यक्ति हैं।

चमोली जिले में पुलों व भवनों की मरम्मत

*५७—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिला चमोली में अब जिला अन्तरिम परिषद् के अभाव के कारण जिला अन्तरिम परिषद्, चमोली की सड़कों में पड़ने वाले नदी नालों पर उस सीमान्त जिले में कुल कितनी पुल-पुलिया नष्ट-भ्रष्ट हो गई हैं? कुल कितनी सड़कें बरबाद हो गई हैं? सरकार अन्तरिम जिला परिषद् के अभाव में उनकी मरम्मत आदि सुव्यवस्था के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चमोली जिला बनते समय अन्तरिम जिला परिषद् के तीन पुराने पुल गिर चुके थे और कुछ पुल पुलियां व सड़कों की हालत काफी खराब थी। वर्षा के कारण कुछ और पुल पुलियाओं व सड़कों पर क्षति हुई है। उनकी मरम्मत तथा नवनिर्माण का कार्य जिलाधीश के सुपुर्द किया गया है।

तीन स्थानों नीलगढ़ पाती, जखमोला और बेलगाड पर पुलों के नवनिर्माण के लिये लोहे के गर्डर पहुंच गये हैं और यह पुल जल्दी ही बन जायेंगे। दो सड़कों पर मरम्मत का कार्य भी चल रहा है।

*५८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिला चमोली में जिला अन्तरिम परिषद् के विद्यालयों तथा जूनयिर हाई स्कूलों के कुल कितने मकान टूट-फूट गये हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हुये हैं? अब इस सीमान्त जिले में अन्तरिम जिला परिषद् के अस्तित्व के अभाव के कारण इस सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या सरकार इन्हें अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अन्तरिम जिला परिषद्, चमोली के विद्यालयों के भवनों की मरम्मत व आवश्यकतानुसार नवनिर्माण के लिये १ लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है। आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

इन स्कूलों को शासन के हाथ में लेना व परिषदीय अस्तित्व को मिटाना उचित नहीं है।

जरवल रोड गन्ना विकास खण्ड

*५९—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जरवल रोड गन्ना विकास संघ लि० को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गन्ना काश्तकारों से प्रत्येक वर्ष कितना धन विकास कार्य के लिये कटौती द्वारा मिला?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जरवल रोड गन्ना विकास संघ लिमिटेड को गन्ना विकास कार्य के लिये कोई धन कटौती द्वारा नहीं मिला।

*६०—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितना धन बहराइच जिले का था और कितना धन गोंडा जिले का था?

श्री दाऊदयाल खन्ना—प्रश्न नहीं उठता।

*६१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन किस कार्य में गोंडा और बहराइच जिले में खर्च किया गया है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह भी प्रश्न नहीं उठता।

औरैया ब्लाक का उपकेन्द्र अयाना

*६२—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में औरैया ब्लाक के उपकेन्द्र अयाना में प्रस्तावित कार्यालय एवं आवास भवन तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बनाने में क्या प्रगति हुई है? यदि यह भवन नहीं बना, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—औरैया ब्लाक के उपकेन्द्र अयाना पर कार्यालय के लिये भवन बनाने का प्राविधान नहीं है। सहायक विकास अधिकारी के लिये दो आवास गृह, एक लिपिक एवं एक चपरासी के लिये आवासगृह बनना है। इनके लिये भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त हो जाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन बनाये जायेंगे। अयाना में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र किराये के भवन में चल रहा है। उस भवन के खरीदने के लिये चिकित्सा विभाग में विचार किया जा रहा है।

*६३--श्री सुखलाल--क्या सरकार जिलाधीश इटावा को आज्ञा देने की कृपा करेगी कि उक्त भवन का निर्माण शीघ्र कराया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्रश्न नहीं उठता।

मरियावां ब्लाक में प्रदर्शनी

*६४--श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--क्या सरकार एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी कि फरवरी, सन् १९६२ के लगभग से मरियावा ब्लाक के ग्राम सिसवा-डाखिली में ब्लाक की तरफ से विकास प्रदर्शनी हुई थी, इसमें किस-किस ग्राम के किन-किन लोगों को क्या-क्या इनाम दिया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--माननीय सदस्य वांछित सूचना कृपया विकास मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं।

कोन अस्पताल के लिए भवन तथा रिहन्द क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं

*६५--श्री रामप्यारे--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के कोन अस्पताल निर्माण हेतु धन स्वीकार हुआ था और भवन निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ हो गया था परन्तु वह क्यों बन्द हो गया ? क्या सरकार उसको तत्काल बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कोन, जिला मिर्जापुर में अस्पताल के भवन निर्माण हेतु ४६,००० रु० की धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। निर्माण-कार्य के लिये नकशे तथा तखमीनों पर प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई थी। निर्माण-कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि जिस भूमि पर अस्पताल का भवन बनाया जा रहा था वह पूर्ण रूप से एक्वायर (Acquire) नहीं की गई थी। अतः निर्माण-कार्य रोक दिया गया था। अब भूमि एक्वायर (Acquire) कर ली गई हैं। निर्माण कार्य के लिये अब परिवर्तित नक्शे तथा तखमीने बनाये जा रहे हैं जिन पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

*६६--श्री रामप्यारे--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध से ४५ हजार विस्थापितों के लिये चिकित्सा की कौन-कौन सी व्यवस्थायें की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निम्नलिखित पुनर्वास क्षेत्रों में अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी--

(१) चपकी, (२) जरहा, (३) कोटा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रिहन्द बांध क्षेत्र में विस्थापितों की चिकित्सा के लिये निम्नलिखित चिकित्सालय पहले ही खुले हुये हैं :--

एलोपैथिक चिकित्सालय--

(१) म्योर पुर,
(२) पिपरी।

आयुर्वेदिक औषधालय :--

१--कुलडोमरी
२--सिन्दुर।

जच्चा बच्चा केन्द्र :--

१--म्योरपुर
२--कचवा।

चपकी, कोटा तथा जरहा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है।

*६७—श्री रामप्यारे—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी जिला मिर्जापुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में वे महिला चिकित्सालय की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दुद्धी में महिला चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बी० डी० ओ०, रसूलाबाद का दौरा

*६८—श्री नित्यानन्द पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के रसूलाबाद विकास क्षेत्र के बी० डी० ओ० ने गत ३ मासों में कौन-कौन से ग्रामों का दौरा किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बी० डी० ओ०, रसूलाबाद, जिला कानपुर ने जून, जुलाई तथा अगस्त, १९६२ में पितऊपुर, अंगदपुर, विशनपुर, मारामऊ नारखुर्द, ताजपुर, अजनपुर इन्दौती, सुजानपुर, बहादुरपुर, असालतगंज, लालू मैसाया, सिहुवावीरा, उसरी, महेरा कमलिया तथा कैझिरी ग्रामों का दौरा किया ।

सैदपुर तहसील के अस्पताल

*६९—श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में कितने अस्पताल हैं ? उनके प्रकार क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*७०—श्री राजनाथ सिंह—उपर्युक्त अस्पतालों में किन-किन के निजी भवन हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*७१—श्री राजनाथ सिंह—उसमें कितनी प्रगति हुई है और उसके कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है ।

सांप काटे का इलाज

*७२—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि Hapkine kansuuli serum अनुसंधानशालाओं ने हाल ही में एक ऐसा serum बनाया है जो सांप काटे के इलाज के लिये बहुत ही उपयोगी है व पुराने serum के ऊपर तरक्की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हैफीकन व कसौली अनुसंधानशालाओं ने हाल में सांप काटे के इलाज के लिये कोई नया सिरम नहीं बनाया है ।

*७३—श्री भगवानसहाय—क्या सरकार ने इस serum को इस उत्तर प्रदेश में दवाखाने में सांप काटे के इलाज के लिये मंगाने की कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो कितने मरीजों के इलाज के लिये और कौन-कौन दवाखानों को यह दिया गया है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

पंचक्रोसी सड़क

*७४—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिलान्तर्गत पंचक्रोसी सड़क को पक्की करने की कोई योजना उसके सामने विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक कार्यान्वित की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

*७५—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिला बोर्ड के पास उसके रख-रखाव के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं ? यदि हां, तो उसके प्रबन्ध के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है, वह उसकी तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने का विचार कर रही है या स्वतः कुछ करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह सड़क अंतरिम जिला परिषद् वाराणसी के अधिकार में है अतः इसके रख-रखाव तथा उत्तरदायित्व परिषद् का है । अन्तरिम जिला परिषद् वाराणसी की आर्थिक हालत बहुत ठीक नहीं है । इस को दृढ़ करने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् प्रयत्नशील है ।

*७६—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—क्या प्रदेशीय सरकार वाराणसी के (पिलग्रिम) यात्री टैक्स का एक भाग पंचक्रोसी सड़क के विकास में खर्च करने को तैयार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह कर नगरमहापालिका द्वारा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से लगाया गया है । अतः प्रदेशीय सरकार उक्त सड़क के निर्माण के लिये इसका कोई भाग अन्तरिम जिला परिषद् को देने में असमर्थ है ।

[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

संयुक्त संचालक, उद्योग विभाग, वाराणसी के शिक्षकों का बकाया धन तथा आगरे का जूता उत्पादन संघ

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त संचालक उद्योग विभाग वाराणसी के सेवा मुक्त शिक्षकों का सरकार के पास लगभग ६,००० रु० बाकी है और जिसकी प्राप्ति के लिये बार-बार लिखा गया, पर अब तक भुगतान नहीं करने का कारण क्या है ?

श्री फूलसिंह—जी हां ।

भुगतान न होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

१—कुछ मामलों में एकाउन्टेन्ट जनरल तथा डाक विभाग से लिखा-पढ़ी हो रही है ।

२—कुछ अन्य मामलों में शिक्षकों ने भत्ते इत्यादि के त्रुटिपूर्ण बिलों को त्रुटियों का निवारण करके नहीं लौटाया है ।

३—कुछ लोगों से सरकारी रुपये की वसूली होना बाकी है ।

४—कुछ मामलों में वार्षिक वेतन-वृद्धि तथा अवकाश कालीन वेतन का प्रश्न विचाराधीन है ।

५—कुछ मामलों में यात्रा भत्तों के बिलों में उल्लिखित यात्राओं की जांच पूरी नहीं हुई है ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या ग्राम एवं लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें आगरा के जूता उद्योग की दुर्दशा पर भारतीय जूता गृह उत्पादन संघ आगरा की ओर से कोई स्मरण-पत्र अभी हाल में प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार उस पर कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री फूलसिंह—भारतीय जूता गृह उत्पादन संघ से अभी हाल ही में आगरा के जूता उद्योग की दुर्दशा पर कोई स्मरण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[४ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न १६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

सूचना विभाग के लिए समाचार-पत्र

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग द्वारा कितने साप्ताहिक तथा दैनिक अखबार रोजाना तथा सप्ताह में मंगाये जाते हैं। उसमें से सूचना विभाग में तथा दूसरे विभाग में किन-किन अफसरों को रोजाना कितने तथा कौन-कौन अखबार दिये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास—सूचना विभाग द्वारा ३० साप्ताहिक समाचार पत्रों की ५१ प्रतियां और ४० दैनिक समाचार-पत्रों की १३२ प्रतियां मंगाई जाती हैं। इसमें से सूचना तथा दूसरे विभागों के अफसरों को अखबार केवल अध्ययन के लिये दिये जाते हैं। सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३८–२४० पर)

कम्पाउण्डरों का वेतन

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के समस्त ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों की वेतन वृद्धि अप्रैल, सन् ६० की है ? क्या नियोजन विभाग में कार्य करने वाले ट्रेण्ड कम्पाउन्डरों का वेतन भी उसी अनुपात से बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो कब से, नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

नियोजन विभाग में काम करने वाले उन ट्रेंड कम्पाउन्डरों का, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति में आये हैं, वेतन भी उसी अनुपात से अप्रैल सन् ५० से बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिनकी इस विभाग में ही नियुक्ति की गई उनका वेतन बढ़ाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद समिति की सिफ़ारिशें

*६—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर की १९३८ की सूती मिलों की हड़ताल के बाद जो जांच समिति माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी थी क्या उनकी सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया है ? यदि हां, तो सब या कुछ ? और क्या सरकार उस समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

डा० राजेन्द्र प्रसाद समिति की कुछ सिफारिशें तुरन्त ही लागू कर दी गई थीं। पहली कांग्रेस सरकार के त्यागपत्र दे देने के बाद शेष सिफारिशों पर स्वतन्त्रता प्राप्त होने तक कोई कार्यवाही न हो सकी ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सिफारिशों पर बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव कार्यवाही की जाती रही है ।

समिति की रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध न होने के कारण उसको सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है, रिपोर्ट की एक प्रति श्रम मंत्रालय में रख दी गई है जो माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

पुलिस कर्मचारियों को पारितोषिक

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलावेंगे कि प्रदेश में १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ तक कितने डी० वाई० एस० पी०, थानेदार और हेड कांस्टेबिल भ्रष्टाचार की शिकायत पर नौकरी से अलग किये और कितनों को अच्छा कार्य करने हेतु पारितोषिक दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में ९ थानेदार तथा १५ हैड कांस्टेबिल भ्रष्टाचार की शिकायत पर नौकरी से अलग किए गए तथा ७६७२ थानेदारों और ८११४ हैड कांस्टेबिलों को अच्छा कार्य करने हेतु पारितोषिक दिया गया तथा ३ पुलिस उप अधीक्षकों को उनके वीरोचित कार्य के लिये पुलिस पदक प्रदान किया गया।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या गृह मंत्री कृपया बतलावेंगे कि प्रदेश में कितनी संख्या स्थायी पुलिस की है और उनकी तैनाती किन-किन जिलों में किस-किस पद पर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश में स्थायी अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की संख्या ४३,६९२ है। इनके जिलों तथा पदों का ब्योरा †संलग्न तालिका में दिया हुआ है। राजपत्रित अधिकारियों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९-११—श्री हिम्मतसिंह [(जिला बुलन्दशहर), श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (अनुपस्थित), श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री बसन्तसिंह (जिला जालौन) [हटा दिये गये।]

मैनपुरी जिले में डाक्टर के बिना अस्पताल

*१२—श्री गणेश चन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त मैनपुरी जिले में ऐसे सरकारी अस्पताल कौन-कौन से हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैनपुरी जिले में इस समय निम्नलिखित पांच सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं :—

१—सिरसागंज

२—कुसमरा

३—सुल्तानगंज

४—खैरगढ़

५—इक्का

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज के कर्मचारियों का अनशन

*१३—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि रत्ना शुगर मिल-शाहगंज (जौनपुर) के २२ कर्मचारियों द्वारा १९ जून, साढ़े सात बजे प्रातः से ११ मांगों को लेकर अनशन शुरू कर दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। २० कर्मचारियों ने १९ जन को अनशन शुरू किया था।

---

† छापी नहीं गई है।

*१४—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस विषय में वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिलाधीश जौनपुर के प्रयास से भूख हड़ताल जून २४, १९६० के ६ बजे शाम को दोनों पक्षों के आपसी समझौता हो जाने पर समाप्त हो गई थी।

हाइडेल सर्किल, रुड़की के कर्मचारी

*१५—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बतायेगी कि जल विद्युत विभाग, रुड़की सर्किल में कितने कर्मचारी अभी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हाइडिल सर्किल रुड़की में १११४ कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

*१६—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री सुखलाल—प्रथम प्रश्न के प्रसंग में क्या सरकार बतायेगी कि इसमें ३ वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप में काम करने वालों की संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त सर्किल में ३ वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से काम करने वालों की संख्या ६५१ है।

*१७—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री सुखलाल—क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य अभियन्ता द्वारा २ वर्ष पूर्व इनके स्थायी करने सम्बन्धी कोई आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक वह कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

उरई के वन विभाग कर्मचारी द्वारा हत्या

*१८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९६२ में उरई (जिला जालौन) में वन विभाग के एक कर्मचारी श्री चुन्नीलाल (ठूंठ मुहर्रिर) ने एक आदमी को गोली से मार कर हत्या की थी ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। किन्तु इस प्रकार की घटना अप्रैल, १९६२ में नहीं बल्कि दिनांक ६/७ मई, १९६२ की रात्रि को हुई। अभियुक्त का धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान किया गया है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

*१९—श्री सदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारी के पास बन्दूक कहां से आई थी और बन्दूक के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि संबंधित मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

डफरिन अस्पताल, लखनऊ

*२०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डफरिन अस्पताल, लखनऊ में औसतन रोजाना आउटडोर में कितनी गर्भवती स्त्रियां दवा लेने हेतु या भरती हेतु आती हैं। इस कार्य के संचालन हेतु कितने डाक्टर रखे गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डफरिन अस्पताल, लखनऊ में औसतन रोजाना आउट डोर में क्रमशः १३०.१ तथा २०.२ गर्भवती स्त्रियाँ दवा लेने हेतु तथा भर्ती हेतु आती हैं। इस कार्य के संचालन हेतु रोज सुबह एक अवैतनिक डाक्टर तथा एक डाक्टर जो राजकीय सेवा में होती है, आउट डोर में रहती है। बुधवार के रोज केवल गर्भवती स्त्रियों को देखा जाता है और उनकी विशेष रूप से जाँच की जाती है। उस दिन ६ डाक्टर आउट डोर में रहते हैं।

*२१—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई पत्र सुपरिन्टेन्डेन्ट, डफरिन अस्पताल का प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सरकार का ध्यान डाक्टरों की कमी की ओर दिलाया है? यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उचित कदम उठाया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, सुपरिन्टेन्डेन्ट, डफरिन अस्पताल का इस आशय का कोई भी पत्र सरकार के पास नहीं आया है।

*२२—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ जिले तथा शहर में बढ़ती हुयी अपराध स्थिति को देखते हुये कुछ अतिरिक्त थानों तथा चौकियों को खोलने की योजना पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक विवाद

*२३—**श्री सन्तसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ में विभिन्न श्रम अदालतों में (अ) १ जनवरी को (ब) १ जून को कितने मुकदमें चल रहे थे? उनमें से कितने मुकदमों में मालिकों ने यह ऐतराज लगाया कि वे औद्योगिक विवाद नहीं हैं और अदालत को उनकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है कितने मुकदमों में अदालतों ने उनका ऐतराज माना है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४१ पर)

*२४—**श्री सन्तसिंह यूसुफ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के मुकदमें नं० ३४,३५,३६ सन् १९६१ में बरेली श्रम अदालत के इस फैसले के बाद कि वे औद्योगिक विवाद नहीं हैं, और अदालत को उनकी सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, यूनियन ने सरकार को कोई स्मृति-पत्र दिया था कि राजाज्ञा में संशोधन करके उन्हें फिर अभिनिर्णय के लिये भेजा जाय? यदि हाँ, तो उसे खारिज करने के क्या कारण थे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। दोनों पक्षों के मध्य किसी औद्योगिक विवाद को जो एक बार निर्णित हो चुका है, दोबारा अभिनिर्णय हेतु नहीं भेजा जा सकता।

*२५—**श्री सन्तसिंह यूसुफ**—इस प्रकार के जिन औद्योगिक विवादों का हल नहीं हो पाता, उनको हल कराने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है? क्या वह औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा ३ के अन्तर्गत कर्मचारियों को रोजगार में बनाये रखने के लिये विशेष आज्ञा निकाल कर उनकी जाँच के लिये श्रम अदालतों को "अन्य कार्य" के अन्तर्गत निर्णय हेतु पुनः भेजने के बारे में विचार करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस मामले पर केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

विकास क्षेत्र, विसंडा की ग्राम सेविका को नोटिस

*२६—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक बसाँदा जिला बाँदा के विकास क्षेत्र अधिकारी ने ग्राम सेविका को नोटिस दिया है कि वह एक अन्य महिला जो स्वास्थ्य निरीक्षिका है के साथ क्यों रहती है, अकेले क्यों नहीं रहती ? और उसका जवाब तलब किया है ? यदि हाँ, तो इस प्रकार की नोटिस देने का आशय क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास क्षेत्र, विसंडा, जिला बाँदा की एक ग्राम सेविका तथा स्वास्थ्य निरीक्षिका क्षेत्रीय सहकारी समिति विसंडा के स्टोर रूम (गोडाउन) में बिना सरपंच की स्वीकृति के रहती थीं। सरपंच क्षेत्रीय सहकारी समिति विसन्डा ने उक्त इमारत को खाली करने के लिये क्षेत्र विकास अधिकारी को लिखा था। क्षेत्र विकास अधिकारी, बिसंडा ने उक्त ग्राम सेविका को मकान खाली करने एवं किराया देने के लिये लिखा था।

क्षेत्र विकास अधिकारी को ग्राम सेविका के एक महिला के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि ग्राम सेविका स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ रहने में उन्हीं के निजी कार्यों में व्यस्त रहती थीं जिससे वह प्रशासकीय कार्य न कर पाती थीं और उनका कार्य असन्तोषजनक था, अतः ग्रामसेविका को आदेश दिया गया था कि वे अलग मकान में, जिसमें बाल बाड़ी व महिला मंगल कार्य चल रहे थे, रहें।

मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों के लिए संरक्षण तथा डफरिन अस्पताल, कानपुर में श्रीमती प्रभावती की मृत्यु की जांच

*२७—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिये कोई संरक्षण रखा गया है ? यदि हाँ, तो वह कितना है और वह किस आधार पर रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिये संयुक्त संरक्षण की संख्या प्रदेश के चार मेडिकल कालेजों में निम्न प्रकार है।

१—मेडिकल कालेज, लखनऊ	८
२—मेडिकल कालेज, कानपुर	८
३—मेडिकल कालेज, आगरा	९
४—मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	४

उपरोक्त संरक्षण विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

*२८—श्री भीखालाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास ऐसी शिकायत आई है कि गत जून के तीसरे सप्ताह में कानपुर निवासी श्री रमेशचन्द्र गुप्त की धर्मपत्नी का देहान्त डफरिन अस्पताल, कानपुर के डाक्टरों की लापरवाही से हो गया ? यदि हाँ, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। घटना का विवरण निम्न प्रकार है :

श्री रमेश चन्द्र गुप्त की धर्मपत्नी, श्रीमती प्रभावती देवी, दिनांक १९-६-१९६२ को १ बजकर २० मिनट पर प्रातः डफरिन अस्पताल, कानपुर में प्रसव हेतु भर्ती हुयी थीं। उन्होंने उसी दिन प्रातः ३ बजकर १० मिनट पर एक कन्या को जन्म दिया। चूंकि श्री रमेश चन्द्र गुप्त और अधिक सन्तान नहीं चाहते थे इस लिये दिनांक २१.६.६२ को उनकी पत्नी के लिगेचर आफ ट्यूब का आपरेशन उनकी लिखित स्वीकृति से किया गया। आपरेशन करीब करीब समाप्त हो रहा था कि आपरेशन टेबुल पर अकस्मात श्रीमती प्रभावती देवी की मृत्यु हो गई ?

उपरोक्त शिकायत की जाँच संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश कर रहे हैं।

सवेरे कोर्ट करने की मांग

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश के कौन कौन जिले के बार एसोसियेशन ने गर्मी के दिनों में सवेरे कोर्ट करने की माँग की है ? यदि हां, तो कब और सरकार को सवेरे कोर्ट करने में कौन-कौन सी बाधायें हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष निम्नलिखित जिलों के बार एसोसियेशन ने गर्मी के दिनों में सबेरे कोर्ट करने की माँग की थी :

१—फतेहपुर, २—आजमगढ़, ३—जालौन, ४—मैनपुरी, ५—मिर्जापुर, ६—बाँदा, ७—एटा, ८—इटावा ।

२—उपर्युक्त बार एसोसियेशन्स द्वारा भेजे गये प्रस्ताव सरकार को अप्रैल में प्राप्त हुये थे । इन सब जिलों में सवेरे के कोर्ट कर दिये गये थे ।

कानपुर में तांत्या टोपे की मूर्ति

*३०—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी तांत्या टोपे की स्मृति में कानपुर कम्पनी बाग में स्थापित मूर्ति के आस-पास गन्दगी से पर्यटकों को बड़ी परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस गंदगी को साफ कराकर शहीद मूर्ति के चारों ओर सुरक्षा तथा उपवन निर्माण की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—तांत्या टोपे की मूर्ति के आसपास पिछले समय में कुछ गन्दगी रहने की शिकायत थी । यहाँ एक पपीते का ठेका नगर महापालिका द्वारा दिया गया था और उसके कारण कुछ गन्दगी थी जिसे अब बन्द कर दिया गया है । इस पार्क की सड़कों को भी पक्का किया जा रहा था जिसके कारण पर्यटकों को कुछ असुविधा हुई । अब सड़कें बन चुकी हैं । मूर्ति की सुरक्षा के लिये एक चौकीदार रहता है । स्मारक की सौन्दर्य वृद्धि का प्रश्न विचाराधीन है ।

रिहन्द बांध बिजली की मांग व पुलिस आयोग की सिफारिशें

*३१—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ रेलों का विद्युतीकरण करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि रिहन्द बांध से लगभग ६० हजार किलोवाट बिजली रेलवे विभाग को दे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । मुगलसराय-कानपुर शाखा के रेलवे ट्रक के विद्युतीकरण के लिये रिहन्द से ६० हजार किलोवाट बिजली रेलवे को देने की एक मांग केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई थी परन्तु रिहन्द से इतनी मात्रा में बिजली देना अब सम्भव न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि ओबरा तथा कानपुर में प्रस्तावित नये वाष्प विद्युती गृहों के चालू होने पर आवश्यक बिजली दे दी जायेगी ।

*३२—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद राज्य में पुलिस दल की शक्ति और थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है ? यदि हां, तो कितनी, कब से और उस पर कितना अतिरिक्त धन व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, किन्तु पुलिस आयोग की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं । अतः इस समय यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

*३३—श्री चन्द्रजीतयादव —क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय से राज्य सरकार के पास कोई सुझाव भेजा है जिसमें क्षेत्रीय पुलिस दल (Zonal Police Force) का संगठन करने के बारे में प्रदेशीय सरकार की राय मांगी गई है और इस सम्बन्ध में सीमावर्ती राज्य सरकारों ने भी राज्य सरकार से कुछ पत्र-व्यवहार किया है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जनहित में प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं होगा ।

बलरामपुर गन्ना मार्केटिंग यूनियन

*३४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के दिनांक २ अगस्त, १९६२, तारांकित प्रश्न ३२–३४, नत्थी (ग) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में क्या बलरामपुर गन्ना मारकेटिंग यूनियन ने दिनांक २५ जून, १९६२ के बाद कई बार अपने प्रतिनिधि बदलने के बारे में प्रस्ताव पास किये ? यदि हां, तो कब तक प्रस्ताव पास हुये और उनमें कौन–कौन वैध व अवैध रहे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । बलरामपुर गन्ना मार्केटिंग यूनियन ने २५ जून, १९६२ के बाद से तो नहीं बल्कि २५ जून, १९६१ के बाद दिनांक २ जुलाई, १९६१, ३ अगस्त, १९६१ और २८ अक्तूबर, १९६१ को अपने प्रतिनिधि बदलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये ।

दिनांक २ जुलाई, १९६१ को पारित प्रस्ताव अवैध हैं। दिनांक ३ अगस्त, १९६१ तथा २८ अक्तूबर, १९६१ को पारित प्रस्ताव त्रुटि पूर्ण प्रतीत होते हैं । उन त्रुटियों के कारण वह अवैध है या नहीं, इस की जांच अभी नहीं हुई है ।

*३५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—यदि कोई अवैध रहा तो अब तक उस प्रस्ताव के अनुसार प्रतिनिधि क्यों नहीं बदला गया और कब तक बदला जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गन्ना आयुक्त को ३ अगस्त, १९६१ तथा २८ अक्तूबर, १९६१ के प्रस्ताव उन की राय के लिये भेजे जा रहे हैं, जैसे ही उन की राय इन प्रस्तावों के बारे में आ जायेगी, जिलाधीश को इस बारे में आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

सभासचिवों और उपमंत्रियों के दौरे

*३६—श्री कल्पनाथसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कौन-कौन अवैतनिक सभा सचिव एवं उपमंत्री नियुक्ति के दिन से ३१ जुलाई के बीच अपने घर के जिलों में दौरे के सम्बन्ध में गये ?

*३७—श्री कल्पनाथसिंह—क्या सरकार उक्त प्रत्येक सभा सचिव एवं उपमंत्री के दौरे के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्योरा देने की कृपा करेगी ।

(क) कुल कितने दिन दौरा किया ?
(ख) कुल कितने दिन अपने घर के जिले में दौरा किया ?
(ग) कितने दिन रात्रि-निवास अपने घर पर किया ?
(घ) कितने ऐसे दिनों का भत्ता लिया जब कि रात्रि निवास अपने निवास-स्थान पर किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४२–२४३ पर)

भटनी चीनी मिल के विरुद्ध शिकायत

*३८—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ अप्रैल, १९६२ को उनके पास प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा हुआ कोई पत्र भटनी चीनी मिल, जिला देवरिया के विरुद्ध मिला है, जिसमें आजमगढ़ जिले के किसानों को गन्ने की कीमत दिलाने की मांग की गई है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यद्यपि इस आशय का निर्दिष्ट पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता तथापि भटनी चीनी मिल पर कमल सागर सहकारी समिति भंडार, आजमगढ़ के गन्ना उत्पादकों का जो १९६१-६२ सीजन के गन्ने का रुपया ४६,०५३.०७ न० पै० बकाया है उसकी वसूली के लिये गन्ना आयुक्त ने उक्त मिल के वि द्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है।

औद्योगिक ऋण की अदायगी के लिए सुझाव

*३९—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि उद्योग सम्बन्धी कर्जों की किस्त यदि ऐसे व्यक्ति या कम्पनी या उस कम्पनी को जिसका डायरेक्टर बकायेदार व्यक्ति हो या वह किसी बकायादार कम्पनी का डाइरेक्टर हो, कोई नया कर्ज न दिया जाय जब तक वह बेबाक न हो जाय? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा नियम बनायेगी ताकि वसूली समय पर हो जाया करे?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

(क) सरकार ऐसा कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं समझती क्योंकि औद्योगिक ऋण देने के पहले इस बात की अच्छी तरह जांच कर ली जाती है कि प्रार्थी बकायेदार (defaulter) तो नहीं है।

हैदरगढ़ अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध जांच

*४०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरजू, ननकऊ, बुचनू निवासी बेलवात, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी को कांता व बल्लम से मारा गया, पुलिस में भी रिपोर्ट ३२४ में दर्ज की? यदि हां, तो मेडिकल अफसर, हैदरगढ़ ने डाक्टरी मुआयने में क्या लिखा और जिला जेल बाराबंकी के डाक्टर ने क्या डाक्टरी रिपोर्ट लिखी? क्या दोनों की जांच में फर्क है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ननकऊ, पुत्र द्वारिका पासी द्वारा थाने पर दी गई सूचना के अनुसार उन्हें तथा उनके भाई को लाठी व बल्लम से तथा उनके पुत्र व भतीजे बुचनू को लाठी से मारा गया। इस सूचना के आधार पर, थाने पर धारा ३२४ भा०दं०वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखी गई तो जो अदम तफतीश रखी गई।

मेडिकल अफसर, हैदरगढ़ के मुआइने की रिपोर्ट के अनुसार ननकऊ को ६ चोटें तथा सरजू को १ चोट आई थी और यह सब चोटें साधारण थीं तथा (blunt weapon) से आई थीं। जिला जेल के डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार ननकऊ को ५ साधारण चोटें जिसमें २ धारदार हथियार से आई थीं और शेष के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि वे कैसे हथियार से आई, और सरजू को १ साधारण चोट तेज नुकीले हथियार से आई थी।

बुचनू, पुत्र सरजू की चोटों का मुआयना केवल मेडिकल अफसर हैदरगढ़ ने किया था। उस को केवल १ साधारण चोट कुन्द हथियार से आई थी।

ननकऊ तथा सरजू की चोटों के बारे में दोनों डाक्टरों की रिपोर्टों में अन्तर का कारण उसी समय बताया जा सकता था और इस बारे में इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है।

*४१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या यह सही है कि औषधालय हैदरगढ़ के कार्यों, रीति नीति, अनुभवहीनता से क्षेत्र में भय, निराशा और औषधालय के प्रति असंतोष फैला हुआ है और इस सम्बन्ध में जिला सिविल सर्जन बाराबंकी ने लिखा था जिस पर डाक्टर का तबादला हुआ ? यदि हां, तो उन्हें फिर क्यों रोक दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हैदरगढ़ अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध कुछ शिकायतों की जांच करने पर पता चला कि उनका व्यवहार रूखा तथा कुछ सख्त था। इसी कारण उनका वहां से तबादला किया गया। उन्होंने ४-१०-१९६२ को उक्त अस्पताल का चार्ज दे दिया है।

*४२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या यह सही है कि अगस्त सन् ६१ में मुख्य मंत्री के पास हैदरगढ़ औषधालय इंचार्ज के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भेजे गये किन्तु आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। यदि हां, तो क्यों ? यदि हुई, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगस्त, १९६१ में प्राप्त हैदरगढ़ अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध शिकायतों की जांच की गई थी और वे निराधार पाई गईं।

*४३—श्री कल्पनाथ सिंह—[वापस ले लिया गया।]

सदर अस्पताल, देवरिया में टिटनेस के रोगियों की भर्ती

*४४—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि देवरिया जिला के सदर अस्पताल में टिटनेस के रोगियों की चिकित्सा होती है ? यदि हां, तो १ जुलाई, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६२ तक प्रतिमास कितने रोगी उस अस्पताल में भर्ती हुये और उसमें कितने मर गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, होती है। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २४४ पर)

*४५—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या इस रोग में जितनी दवाओं की जरूरत है उतनी दवाइयां देवरिया सदर अस्पताल में नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो रोगी के अभिभावकों से दवा खरीद लाने के हुक्म क्यों दिये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रथम भाग—जी नहीं, सभी दवाइयां उपलब्ध हैं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय भाग—जो रोगी बाजार से खरीद सकते हैं उनसे केवल एन्टीटिटनेस सीरम खरीदने के लिये कहा जाता है। शेष दवाइयां सभी रोगियों को आवश्यकतानुसार मुफ्त दी जाती हैं। जब सीरम बाजार में उपलब्ध नहीं होता तब यह भी सभी रोगियों को मुफ्त दिया जाता है।

पूर्वी जिलों में मजदूरी सम्बन्धी कथित आदेश

*४६—श्री गेंदासिंह, श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री झारखंडेराय—क्या नियोजन मंत्री बतलायेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को ऐसे आदेश भेजे गये हैं कि वह इस प्रकार के कागजात तैयार करें जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे वहां दो आने या चार आने मजदूरी पर बड़ी संख्या में काम करते हुये मिलते हों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*४७—श्री गेंदासिंह, श्री कोतवालसिंह भदौरिया तथा श्री झारखंडेराय—क्या सरकार का ध्यान अभी हाल में काशी से प्रकाशित होने वाले दैनिक "आज" ने अपने अग्रलेख में उक्त प्रकार के समाचार का जिक्र किया था और सरकार की भर्त्सना की थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, सरकार ने कथित अग्रलेख को देखा है।

*४८—श्री गेंदासिंह, श्री कोतवालसिंह भदौरिया तथा श्री झारखंडेराय—उक्त प्रकार के आदेश भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम हस्वा के विद्युतीकरण के लिए कार्य

*४९—श्री रक्षपालसिंह—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम हस्वा, थाना थरियाव, जिला फतेहपुर में फरवरी, १९६२ में बिजली के खंभे गाड़े गये तथा उन पर तार दौड़ाया गया तथा उनमें से कुछ तार व खंभे अब भी उसी हालत में मौजूद हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*५०—श्री रक्षपालसिंह—यदि हां, तो उपरोक्त कार्य किस योजना के अन्तर्गत किस अधिकारी की आज्ञा से किया गया और योजना क्यों स्थगित कर दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम हस्वा के विद्युतीकरण के लिये कार्य किया गया जो कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरों के विद्युतीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत था। कार्य स्थगित नहीं किया गया परन्तु इस कारण आगे बढ़ नहीं सका क्योंकि फतेहपुर से हस्वा तक की ११ के० वी० लाइन खम्भों और कन्डक्टरों की कमी के कारण नहीं बन सकी।

*५१—श्री रक्षपालसिंह—क्या उक्त कार्य के संबंध में मंत्री जी को कोई पत्र फतेहपुर के लोक सभा सदस्य श्री गौरीशंकर कक्कड़ से प्राप्त हुआ है तो उसमें क्या आरोप हैं तथा सरकार ने उसके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, पत्र में यह आरोप किया गया था कि निर्वाचन के समय कस्बा हस्वा में खम्भे बिना किसी स्वीकृति के खड़े किये गये और यह व्यय जो हुआ कस्बे के विद्युतीकरण के लिये जो प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं था, अपव्यय था। मामले की जांच-पड़ताल के बाद यह पता चला कि जो आरोप लगाये गये थे वे सब निराधार थे। मामले की वास्तविकता यह थी कि राज्य विद्युत परिषद् ने कस्बा हस्वा की स्वीकृति अगस्त, १९६१ में दी थी और स्वीकृति के अनुसार एल० टी० मेन्स बिछवा दिये गये थे।

बारा चिकित्सालय में स्थानाभाव

*५२—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय, बारा, जिला उन्नाव में भर्ती किये जाने वाले (Indoor Patients) रोगियों के लिये चार शैयाओं की व्यवस्था है किन्तु स्थानाभाव के कारण यह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं हो पाती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिस इमारत में औषधालय स्थित है वह चार (Indoor beds) के लिये अपर्याप्त है तिस पर भी एक बरान्डे तथा छप्पर में मरीज भर्ती किये जा रहे हैं।

*५३—श्री देवदत्त मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये चिकित्सालय भवन के विस्तार के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सरकार के विचाराधीन है ।

अतर्रा-नरैनी सड़क पर हरे पेड़ कटना

*५४—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि बांदा जिले की नरैनी सड़क के १३ पेड़ हरे वह पुराने व सायादार २८५ रुपये में बांदा निवासी सेठ मेवालाल जी वैश्य को कम दाम में बेचे गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला परिषद् बांदा से अब यह सूचना मिली है कि अतर्रा-नरैनी सड़क के १३ पेड़ अवैधानिक रूप से नीलाम कर दिये गये थे ।

*५५—श्री मतोलासिंह—क्या सब-ओवरसियर को हरे पेड़, जो सड़क पर साया के वास्ते लगाये गये हैं, कटवाने का अधिकार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

*५६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार अविलम्ब जांच कराने को तैयार है कि सड़क के पुराने सायादार हरे शीशम के पेड़ कम दाम में बेचने का क्या कारण है और क्या सरकार सब-ओवरसियर पर इस गलत कदम पर कोई कड़ा कदम उठाने को तत्पर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सरकार द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह जिला परिषद् बांदा की सम्पत्ति है, वह इस मामले में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

विकास खण्ड, गंगोह में सरपंचों का चुनाव

*५७—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर), श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि विकास-खंड गंगोह, जिला सहारनपुर में दिनांक १९ अगस्त, १९६२ ई० को सरपंचों के चुनाव हेतु हुई मीटिंग में १० बजे पूर्वाह्न के उपरान्त किसी भी सदस्य न्याय पंचायत अर्थात् पंच को सभा में सम्मिलित होने से अवैधानिक रूप से रोक दिया गया एवं १० बजे ही दरवाजे बन्द कर दिये गये जब कि चुनाव सीक्रेट बैलेट में था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, विकास खंड गंगोह, की १० न्याय पंचायतों के सरपंचों तथा सहायक सरपंचों के चुनाव हेतु दिनांक १९ अगस्त, १९६२ को १० बजे विकास-खंड कार्यालय में बैठकें बुलायी गयी थीं । १० बजे के उपरान्त आने वाले पंचों को निर्वाचन में भाग नहीं लेने दिया गया । चुनाव में बाधा न पड़े, इसलिये मतदान अध्यक्षों ने कमरों के दरवाजे बन्द करा दिये थे ।

*५८—श्री यशपाल, श्री जगन्नाथ चौधरी तथा श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या यह सही है कि पंचों को मीटिंग के हेतु जो सूचना दी गयी थी उसमें मीटिंग का स्थान "खंड-विकास कार्यालय" गंगोह लिखा था जब कि उस कार्यालय में एक समय १० बजे से विकास-खंड में स्थित १० न्याय पंचायतों की मीटिंग्स न हो सकने के कारण नवनिर्मित स्त्री चिकित्सालय के भवन में चुनाव हेतु सभाओं का आयोजन हुआ जिसकी कोई सूचना किसी भी विज्ञप्ति अथवा नोटिस द्वारा किसी भी पंच को नहीं दी गयी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सरपंचों तथा सहायक सरपंचों का निर्वाचन, दी गई सूचना के अनुसार विकास खंड कार्यालय भवन में कराया गया। प्रत्येक न्याय पंचायत के सरपंचों तथा सहायक सरपंचों का निर्वाचन विकास खंड कार्यालय के अलग अलग कमरों में कराया गया। इसकी सूचना कि किस न्याय पंचायत का निर्वाचन किस कमरे में होगा, कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगा दी गई थी और प्रत्येक कमरे के दरवाजों पर चस्पां कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र के ग्राम सेवक तथा पंचायत मंत्री भी अपने अपने कमरों के समाने तैनात कर दिये गये थे जिस से किसी पंच को परेशानी नहीं हो। गंगोह में कोई स्त्री चिकित्सालय भवन नहीं है।

*५९—श्री यशपाल, श्री जगन्नाथ चौधरी तथा श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या इस प्रकार की अवैधानिकता के कारण चुनाव में भाग न ले सकने वाले पंचों के बुनयादी हक "हक राय देहन्दगी" व "सरपंची अथवा सहायक सरपंची के लिये चुनाव हेतु उम्मीदवार बनने के अधिकार" समाप्त नहीं हो गये? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में उन उम्मीदवार पंचों के मूल अधिकार वापिस दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस विषय में शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रभावित व्यक्ति निर्वाचन के विरुद्ध नियमानुसार निर्वाचन याचिका दायर कर सकते है।

*६०–६१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६२–६४—श्री लखीसिंह—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

बन्दूकों का लाइसेंस व छिबरामऊ–अछल्दा सड़क पर बस दुर्घटना

*६५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार में यह बात चल रही थी कि बन्दूकों के लाइसेन्स मिलने में कुछ तरमीम की जायें जिससे सही और साधारण व्यक्तियों को सुगमता के साथ बन्दूकों के लाइसेन्स मिल सकें? अब तक उस बात चीत का क्या परिणाम निकला?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, नए आर्म्स ऐक्ट तथा रूल्स के लागू किये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा इस सरकार से लिखा पढ़ी हुई। नया आर्म्स ऐक्ट तथा आर्म्स रूल्स १–१०–६२ से लागू हो गये हैं जिनके अनुसार बन्दूकों के लाइसेंस अब अधिक सुगमता से प्राप्त किये जा सकते हैं।

*६६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ-अछल्दा रोड पर दिनांक १३ जून, १९६२ को एक बस दुर्घटना हुई थी? अगर हां, तो उस दुर्घटना में कितने यात्रियों के मरने व घायल होने की सूचना मिली है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, १३–६–६२ को उक्त सड़क पर एक बस दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में एक यात्री के मरने तथा दो के घायल होने की सूचना मिली।

*६७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मुख्य मंत्री इस घटना के संबंध में पूरी पूरी छानबीन करके यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दुर्घटना किस प्रकार हुई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस संबंध में की गई जांच से यह पता चला कि यह दुर्घटना संयोगवश अचानक हो गई।

*६८–७०—श्री रियासत हुसैन—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

उचौलिया रेलवे स्टेशन पर डकैती

*७१—श्री बंशीधर मिश्र (जिला खीरी), श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि रेलवे स्टेशन उचौलिया, थाना पसगवां, जिला खीरी में गत १ और २ सितम्बर सन्, १९६२ की रात में डकैती की गम्भीर घटना घटित हुई ? यदि हां, तो कथित घटना के फलस्वरूप कितना जन जीवन और जायदाद की क्षति हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१/२ सितम्बर, १९६२ की रात में उक्त रेलवे स्टेशन पर डकैती की घटना घटी थी। इसमें ७५ रु० ५६ न० पै० जो रेलवे की आय का था, कैश बक्स से तथा २ रेलवे क्वार्टर्स से लगभग २,००० रु० के जेवर इत्यादि लूटे गये।

*७२—श्री बंशीधर मिश्र, श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह—क्या मुख्य मंत्री उपरोक्त प्रश्नोत्तर के साथ ही साथ यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त घटना के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त घटना के संबंध में धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और अभी इसकी जांच जारी है।

डिस्ट्रिक्ट ऐण्टी करप्शन कमेटियां

*७३—श्री नौरंगलाल (जिला बरेली) तथा श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—क्या सरकार बतलायेगी कि सरकार (District Anti-Corruption Committees) के गैरसरकारी मेम्बरों की नामजदगी कब करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शीघ्र ही। मामला विचाराधीन है।

पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन सदस्य न होना

*७४—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर कोई हरिजन सदस्य नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*७५—श्री श्यामलाल—हरिजन सदस्य कमीशन में न रखने का क्या कारण है और क्या इस कमी की पूर्ति के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कमीशन में सदस्यों की नियुक्ति बिना विशेष जाति या बिरादरी का कोई विचार रखकर की जाती है। अतः हरिजन सदस्य की नियुक्ति अथवा इस प्रकार की कथित कमी की पूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता, न ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

आगरा बिजली कम्पनी

*७६—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—प्रथम सत्र १९६२ के ८ वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ठेकेदार ने कर्मचारियों का प्रावीडेन्ट फन्ड काटना जो उसने बन्द कर दिया था प्रारम्भ किया या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ठेकेदार ने कोयला ढोने वाले कर्मचारियों का प्रावीडेन्ट फंड काटना अभी प्रारम्भ नहीं किया है।

*७७—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ठेकेदार ने अपने आश्वासन के अनुसार १५ कोयला ढोने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ठेकेदार ने जून और जुलाई, १९६२ में १० कोयला ढोने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया है ।

*७८—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भविष्य में कोयला ढोने वाले कर्मचारी काम बन्द न करें, इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भविष्य में स्थिति के अनुसार ही सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी ।

महिला अस्पताल, अलीगढ़ की श्रीमती एफ० के० राम

*७९—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती एफ० के० राम मास्टर मेल, जिला हास्पिटल अलीगढ़ का कई बार शिकायती तबादिला हुआ ? यदि हां, तो किस आधार पर रोका गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अस्पतालों में "मास्टर मेल" नामक कोई पद नहीं है । कुमारी एफ के० राम जिला तथा महिला अस्पताल, अलीगढ़ में मैट्रन हैं । किसी की शिकायत पर उनका वहाँ से तबादला नहीं किया गया ।

*८०—श्री बाबूसिंह—क्या श्रीमती एफ० के० राम नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स पास हैं ? यदि हां, तो किस सन् में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

जरवल रोड, चीनी मिल के लिए गन्ने की खरीद

*८१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जरबल रोड चीनी मिल, गोंडा जिले के काश्तकारों से सन् १९६२–६३ के सीजन में गन्ना खरीदने के लिये किस-किस स्थान पर तौलने का कांटा लगायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस प्रश्न का उत्तर सीजन १९६२–६३ के लिये सुरक्षित व अभ्यर्पित क्षेत्रों का निर्णय होने के पश्चात् ही दिया जा सकता है परन्तु यदि पिछले वर्ष का ही क्षेत्र संबंधित मिल के पास रहा तो आशा की जाती है कि जरवल रोड चीनी मिल, गोंडा जिले के काश्तकारों से सन् १९६२–६३ के सीजन में गन्ना खरीदने के लिये निम्न लिखित स्थानों पर तौलने का कांटा लागायेगी ।

१—सरय, २—करनैलगंज, ३—मैजापुर ।

*८२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में गन्ना काश्तकारों की सुविधा तथा उसकी मांग को देखते हुये, १९६२–६३ सन् के सीजन से, परसपुर बाजार तथा कैथोरा रेलवे स्टेशन पर गन्ना खरीद केंद्र स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सीजन १९६२–६३ में परसपुर बाजार तथा कैथोला रेलवे स्टेशन पर गन्ना क्रय केंद्र के स्थापित करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव मिल अथवा गन्ना सहकारी समिति से नहीं आया है । अतः उक्त स्थानों पर गन्ना क्रय केंद्र खोलने का विषय विचाराधीन नहीं है ।

हसनपुर जनाना अस्पताल में डाक्टरनी न होना

*८३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हसनपुर जिला मुरादाबाद के जनाना अस्पताल में गत चार महीनों से लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हसनपुर के जनाना अस्पताल में केवल १३-६-१९६२ से ३१-८-१९६२ तक कोई लेडी डाक्टर नहीं रही। इसका कारण प्रदेश में लेडी डाक्टरों की कमी है।

*८४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त विषय के संबंध में हसनपुर निवासियों की कोई शिकायत मंत्री जी को प्राप्त हुई है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

झांसी में नोट बनाने वालों की गिरफ्तारी

*८५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि झांसी में माह अगस्त सन्, १९६२ के अंतिम सप्ताह में पुलिस द्वारा कोई ऐसा बड़ा गिरोह पकड़ा गया है जिसका संबंध नोट बनाने वाले गिरोह से है तथा वह प्रांत के अनेक हिस्सों से लाखों रुपया फरजी दस्तखत बनाकर बैंकों से ले लिया करता था ? यदि हां, तो क्या सरकार गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम व अभियुक्तों के नाम व पद बताने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी, हां। एक गिरोह अगस्त के अन्त में पकड़ा गया था जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति संबंधित हैं।

१—डोनाल्ड मिचिगन, पुत्र राविन मिचिगन उर्फ राबर्ट मिचिग, निवासी रिच मेउन्ड टाउन, इंगलैंड।

२—कैनिथ डैनियल्स, पुत्र सी०सी० डैनियल्स, निवासी ३८, सतारा रोड, बाम्बे प्रेसीडेंसी।

३—श्रीमती जोन डैनियल्स-पत्नी कैनिथ डैनियल्स, निवासी १९ बी०, वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया, नई दिल्ली।

४—माता प्रसाद शर्मा, पुत्र राम कृष्ण शर्मा, निवासी जीवा जी गंज, लश्कर, ग्वालियर।

५—एच०ए० फ्रैंकलिन, झांसी।

ये लोग १०० रु० के जाली नोट चलाने, फरजी दस्तखत बनाकर बैंक से रुपये निकालने, कार चुराने, चोरी की कार खरीदने, व नाजायज असलहा व अमुनीशन रखने के अपराधों में गिरफ्तार किये गये।

इन अभियुक्तों को श्री गजेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष नवाबाद झांसी ने अन्य पुलिस कर्मचारियों की मदद से गिरफ्तार किया।

*८६—श्री लखपतराम शर्मा—क्या गृह मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त गिरोह द्वारा प्रांत के किन-किन भागों से कितना-कितना रुपया किस प्रकार तथा किस-किस बैंक तथा सरकारी महकमों से किन-किन अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर बनाकर वसूल किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस गिरोह के कुछ अभियुक्तों ने झांसी जिले में श्री राजेंद्र दयाल, असिस्टेंट इंजीनियर, एल० एस० डी० ई० डी० की तनख्वाह ४६२ रु० ४६ न० पै० स्टेट बैंक से उनके जाली दस्तखत बनाकर निकाली तथा इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट, झांसी के फंड से ४,५०० रु० पहली बार, तथा ८,५०० रु० व ७,५०० रु० दूसरी बार स्टेट बैंक से जिलाधीश झांसी व ट्रेजरी आफिसर, झांसी के जाली दस्तखत बनाकर निकाला।

अभी तक की गई विवेचना से झांसी के बाहर उपरोक्त गिरोह द्वारा की गई किसी जालसाजी का प्रमाण नहीं मिला है।

*८७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या गृह मंत्री यह बतावेंगे कि उपरोक्त गिरोह के विरुद्ध कितने अभियोग किन-किन जुर्मों में और किन-किन स्थानों के जांच में पुलिस को प्राप्त हुये क्या यह सही है कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रांतीय सी० आई० डी० तथा सेन्ट्रल सी० आई० डी० द्वारा भी जांच प्रारम्भ कर दी गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस संबंध में झांसी, इलाहाबाद, ग्वालियर पुलिस, तथा प्रदेशीय सी० आई० डी० की जांच से गिरोह के विभिन्न अभियुक्तों के विरुद्ध १०० रु० के जाली नोट चलाने, फरजी दस्तखत बनाकर बैंक से रुपया निकालने, कार चुराने, चोरी की कार खरीदने व नाजायज असलहा व आमुनीशन रखने के अपराधों के संबंध में आठ मुकदमें कायम किये गये हैं। इस बारे में सेंट्रल सी० आई० डी० द्वारा कोई जांच नहीं हो रही है। इलाहाबाद की कार की चोरी के विषय में प्रांतीय सी० आई० डी० जांच कर रही है।

*८८-९०—श्री गयाप्रसाद—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस का लिपिक वर्ग

*९१—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २३ अगस्त, १९६२ ई० के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १० नत्थी (ग) के उत्तर में सरकार ने कहा है कि पुलिस विभाग में जो वेतन वृद्धि हुई है उसमें पुलिस का लिपिक वर्ग सम्मिलित नहीं है, पुलिस के लिपिक वर्ग को सम्मिलित न करने के कौन-कौन से कारण हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस दल के वेतन-क्रमों में वृद्धि पुलिस आयोग की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये की गई। चूंकि आयोग ने पुलिस विभाग के लिपिक-वर्ग के वेतन क्रमों में वृद्धि के संबंध में कोई संस्तुति नहीं की इसलिये उनको तथाकथित वृद्धि में सम्मिलित नहीं किया गया।

*९२—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २३ अगस्त, १९६२ ई० के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १२ नत्थी (ग) के उत्तर में सरकार ने कहा है कि जो पुलिस के लिपिक वर्ग के पुनःगठन के लिये श्री के० के० दास, आई० सी० एस० के रिपोर्ट ही है वह सरकार के विचाराधीन है, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रिपोर्ट के विषय में किस तारीख तक सरकार का आखिरी फैसला हो सकेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। परन्तु अभी कोई तारीख बताना संभव नहीं है।

*९३-९४—श्री विशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद) तथा श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तराखण्ड डिवीजन का विकास

*९५—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—क्या यह सही है कि सरकार उत्तराखंड डिवीजन के विकास में प्रगति और कोआर्डिनेशन लाने के लिये राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति का संगठन कर रही है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति बनाने का विचार है। निर्माण की तिथि अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।

*९६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि सलाहकार समिति के सदस्य किस आधार पर लिये जावेंगे और इस समिति के क्या अधिकार और कर्त्तव्य होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

सदर अस्पताल, फतेहपुर में शैयाओं की कमी

*९७—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में उचित संशोधन करके विशेष परिस्थितियों वाले (पिछड़े हुये) क्षेत्रों में जिला फतेहपुर को भी शामिल करने व उसे उक्त क्षेत्रों को दी जाने वाली सुविधायें देने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*९८—श्री दीपनारायणसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औसतन प्रति १०,००० व्यक्ति (जनसंख्या पर) निम्नांकित जिलों के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिये कितने बिस्तरों (बेड) की व्यवस्था इस समय है। कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जैसे बड़े उन्नत जिलों में व फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसे उन्नत जिलों में यह किस औसत से है ? सदर अस्पताल फतेहपुर में इस समय कितने तपेदिक मरीजों के लिये बिस्तरों (बेड) का प्रबन्ध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औसतन, प्रति १०,००० व्यक्ति (जन संख्या पर) निम्नलिखित जिलों के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिये बिस्तरों (बेड) की व्यवस्था इस प्रकार है:—

जिला	प्रति १०,००० व्यक्ति पर बिस्तरों की संख्या
कानपुर	३.५
लखनऊ	३.४६
वाराणसी	३.६
इलाहाबाद	२.००३
बरेली	४.१७
फतेहपुर	१.५
बांदा	०.९८
हमीरपुर	१.२७
जालौन	१.४४
उन्नाव	०.७
रायबरेली	०.९६
प्रतापगढ़	०.७०

जिला अस्पताल, फतेहपुर में आइसोलेशन बार्ड में चार तपेदिक के रोगियों को रखने का प्रबन्ध है।

*९९—श्री दीपनारायणसिंह—क्या मुख्य मंत्री जिला फतेहपुर की ११ लाख आबादी व बढ़ते हुये मरीजों की हालत को दृष्टि में रख कर सदर अस्पताल फतेहपुर में कम से कम ५० साधारण मरीजों व २० तपेदिक के मरीजों के लिये बिस्तरों (बेड्स) का प्रबन्ध इसी वित्तीय वर्ष में करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वित्ती वर्ष में सदर अस्पताल, फतेहपुर में शय्या बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में वहां पर शय्या बढ़ाने तथा एक टी० बी० क्लीनिक की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

*१००—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

विकास अधिकारी, हरख, का मुख्यालय

*१०१—**श्री मेड़ीलाल** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास अधिकारी, क्षेत्र हरख, जिला बाराबंकी का हेडक्वार्टर क्षेत्र के बाहर है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क्षेत्रीय विकास अधिकारी, हरख का मुख्यालय हरख में ही है।

बाराबंकी जिले में लघु कुटीर उद्योग

*१०२—**श्री गिरजाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में १९६२-६३ वर्ष में कौन-कौन लघु कुटीर उद्योग किस स्थान पर खोलने का प्रयत्न हो रहा है, इस उद्देश्य पूर्ति हेतु अब तक क्या कार्यवाहियां की जा चुकी है?

श्री फूलसिंह—प्रथम भाग—वर्ष १९६२-६३ में जिला बाराबंकी में जिस स्थान पर जो लघु तथा कुटीर उद्योग खोलने का प्रयत्न हो रहा है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

द्वितीय भाग—संबंधित उद्योगों को चलाने वालों को ऋण तथा अनुदान देने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा १८ व्यक्तियों को उपरोक्त उद्योगों के हेतु ६४,२०० रु० और २ सहकारी समितियों को पावरलम लगाने के लिये भवन-निर्माण के हेतु ३०,००० रु० का ऋण स्वीकृत भी हो चुका है। इससे अलावा जिन उद्योगों को नियंत्रित कच्चे माल की आवश्यकता है उनके प्रार्थना-पत्रों पर भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २४५-२४६ पर)

*१०३—**श्री गिरजाप्रसाद**—क्या बाराबंकी जिला में १९६२-६३ में कोई बड़ा उद्योग चालू करने का सरकार का विचार है?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

*१०४—**श्री कृष्णा** (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के सदन से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

*१०५-१०६—**श्री रघुनाथसिंह**—[स्थगित किये गये।]

बांदा में विद्युत व्यवस्था

*१०७—**श्री बृजमोहनलाल गुप्त** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि बांदा शहर में नियमित बिजली न मिलने की वजह से जनता को पानी तथा रोशनी का बड़ा कष्ट है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बांदा में बिजली की सप्लाई नियमित ढंग से हो रही है।

*१०८—**श्री बृजमोहनलाल गुप्त** (अनुपस्थित)—इस संबंध में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गागंज औषधालय के चिकित्साधिकारी

*१०९—श्री हरिगंनराम (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के सुरियांवां ब्लाक में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, दुर्गागंज के डाक्टर कितने दिनों से बीमार हैं और उनको वहां से हटाकर दूसरा अच्छा डाक्टर देने का विचार है अथवा नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औषधालय के चिकित्साधिकारी की दमा की बीमारी की सूचना निदेशक आयुर्वेद के पास अप्रैल, सन् १९६२ में मिली थी। परन्तु ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इसके कारण वे कार्य करने में असमर्थ हैं। अतः उन्हें हटाने तथा दूसरा वैद्य भेजने का इस समय प्रश्न नहीं उठता।

*११०—श्री हरिगैनराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुर्गागंज औषधालय के डाक्टर की आयु क्या है तथा उनके स्थायी न होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चिकित्साधिकारी की आयु लगभग ४९ वर्ष है। उनके अब तक स्थाई न होने के निम्नलिखित कारण थे:—

१—स्थायी पदों का निर्माण करना।

२—लोक सेवा आयोग के समक्ष उनकी योग्यता का परीक्षण करना।

३—यह निश्चय करना कि किस तिथि से उनको स्थायी किया जाय। उपरोक्त कठिनाइयां अब दूर हो गई हैं और शीघ्र ही श्री श्रीनाथ द्विवेदी स्थायी हो जायेंगे।

फर्रुखाबाद मर्चेन्ट एसोसिएशन की प्रार्थना

*१११—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या Brass and Copper Merchants Association, Farrukhabad को सन् १९५८ तक तांबा, पीतल, रांगा, जस्ता आदि का कोटा दिया जाता रहा और उसके पश्चात् बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री फूलसिंह—सन् १९५८ में एसोशियेशन को ३२ टन ताम्बे का कोटा केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात् यह ज्ञात होने पर कि ऐसोसियेशन के सदस्य केवल व्यापारी हैं और स्वयं उपभोक्ता नहीं हैं और न ही उनके पास स्वयं के कारखाने हैं, केंद्रीय सरकार ने उनको कोटा देने से इन्कार कर दिया।

*११२—श्री दयाराम शाक्य—क्या उपरोक्त एसोसियेशन द्वारा कोई representation प्रांतीय सरकार के पास सन् १९६१ में किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उसकी क्या मांगे थीं और उनका क्या आधार दिया था ?

श्री फूलसिंह—जी हां, उपरोक्त ऐसोसिएशन का एक representation तारीख ११-४-१९६१ का प्राप्त हुआ था। उसमें एसोसिएशन को तांबा, पीतल, जस्ता आदि का कोटा मिलने के बारे में प्रार्थना की गई थी। बर्तन उद्योग के लिये उपरोक्त वस्तुओं के कोटा की मांग निम्नलिखित मुख्य आधार पर की गई थी।

१—एसोसियेशन वर्तन उद्योग में सबसे पुरानी संस्था है।

२—एसोसियेशन कच्चे माल की व्यवस्था तथा पूंजी आदि के लिये पूर्ण उत्तरदायी है।

३—उत्पादन का कार्य, कारीगरों के घरों पर मजदूरी देकर कराया जाता है। उनको केवल मजदूरी लेने से ही संबंध रहता है।

४—एसोसियेशन के सदस्य लगभग ५०० कारीगरों को काम देते हैं।

*११३—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के अन्य भागों में उक्त वस्तुओं का कोटा व्यापारियों को ही दिया जाता है जबकि फर्रुखाबाद में उन व्यापारियों को कोटा नहीं मिलता जो बर्तन स्वयं तैयार कराते हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं। सारे प्रान्त भर में कोटा केवल उन्हीं को दिया जाता है जो स्वयं बर्तन तैयार करते हैं। उन व्यापारियों को जो स्वयं उपभोक्ता नहीं हैं, कोटा नहीं दिया जाता। प्रश्न नहीं उठता।

*११४—११६—श्री सुखलाल—[१७ वे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में अपराध

*११७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में तथा चालू वर्ष में फतेहपुर जिले के प्रत्येक थाने में किस प्रकार की कितनी घटनायें दर्ज की गईं और उनमें से कितने चालान हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना एकत्र करने में जो श्रम समय तथा धन व्यय होगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए बहुत अधिक होगा।

*११८—११९—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[हटा दिये गये।]

ग्राम भेंड़ का अस्पताल

*१२०—श्री विजयसिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय अस्पताल ग्राम भेंड़ की जिला जालौन की इमारत किसकी है और क्या सरकार उसका कोई किराया भी देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह इमारत श्री भगवान दास की है। सरकार इसका कोई किराया नहीं देती है।

*१२१—श्री विजयसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ग्राम में न कोई डाक्टर है और न कोई कम्पाउन्डर के रहने का Quarter है तो सरकार को ग्राम भेंड़ में एक कम्पाउन्डर के लिये क्वार्टर बनवाने में क्या आपत्ति है ? यदि नहीं,तो क्या उसके बनवाये जाने पर सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डाक्टर का क्वार्टर बनाने के लिये धन स्वीकृत किया जा चुका है और नक्शे तथा तखमीनों पर प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। कम्पाउन्डर के क्वार्टर बनाने का कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१२२—श्री विजयसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जलौन राजकीय एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक के अस्पतालों में १९६१ की पहली जनवरी से ३० दिसम्बर, १९६१ तक मरीजों की अलग-अलग कितनी संख्या रही ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रश्न के उत्तर देने के लिये जो सामग्री एकत्रित की जायगी उसमें व्यय होने वाले समय और श्रम का,उत्तर से होने वाले जन हित में साम्य न होगा।

बांदा जिले को बिजली

*१२३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले को किस विद्युत गृह से बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है और उसके कब तक मिलने की सम्भावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बांदा जिले को बिजली तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक माताटीला जलविद्युत योजना के सम्पूर्ण होने पर मिल सकेगी।

बुलन्दशहर जिले में मुसम्मात कटोरिया की हत्या

*१२४—श्री विजयपाल सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जगदीश गिरि, गांव माकंडी, थाना सियाना, जिला बुलन्दशहर की बन्दूक से मु० कटोरिया की हत्या २२ दिसम्बर, १९५८ को हो गयी थी ?

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जिस बन्दूक से कत्ल हुआ था वह बिना लाइसेन्स की थी ? यदि कोई लाइसेन्स था, तो किस अधिकारी से कहां प्राप्त किया था, उसका नम्बर क्या है ? क्या २२ दिसम्बर, १९५८ को जगदीश गिरि की उम्र १७ वर्ष थी ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि ४ जनवरी, १९५९ को उक्त बन्दूक को बिना लाइसेन्स के जगदीश गिरि ने मजिस्ट्रेट के यहां पेश की थी और उसी दिन पुलिस मालखाना सदर, बुलन्दशहर भेज दी गई थी ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह बन्दूक ५ अगस्त, १९५९ को बिना कोई लाइसेन्स पेश किये ही पुलिस की रिपोर्ट पर एस० डी० एम० (जे०), बुलन्दशहर ने जगदीश गिरि को वापस लौटा दी है ?

(घ) क्या सरकार बतायेगी कि अपील व रिवीजन सरकार द्वारा प्रस्तुत करने की ६ मास अवधि के भीतर बन्दूक वापस कर दी गई जबकि उसके सम्बन्ध में सेशन जज, बुलन्दशहर ने स्पष्ट आदेश १ जून, १९५९ को बन्दूक वापसी के के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उसको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

(क) २२-१२-५८ को श्री जगदीश गिरि की आयु लगभग १७ वर्ष ७ मास थी। जिस बन्दूक से कत्ल हुआ था उसका लाइसेंस था अथवा नहीं, इस संबंध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) उक्त बन्दूक ७-१-५९ को श्री जगदीश गिरि ने न्यायालय में पेश की और उसी दिन जुडिशल आफिसर, बुलन्दशहर के यहां से मालखाने में बगर किसी लाइसेंस के दाखिल की गई।

(ग) यह सत्य है कि ५-८-५९ को उक्त बन्दूक न्यायालय के आदेश से श्री जगदीश गिरि को वापस हुई थी। श्री जगदीश गिरि के पास इस बन्दूक का लाइसेंस था अथवा नहीं, इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) सेशन जज के आदेश दिनांक १-६-५९ के अनुसार बन्दूक श्री जगदीश गिरि अथवा श्री सागर गिरि को लाइसेंस दिखाने पर अपील की अवधि समाप्त होने पर वापस की जानी थी। अपील की अवधि ३ मास थी। किन्तु बन्दूक न्यायालय के आदेश से ५-८-५९ को श्री जगदीश गिरि को अपील की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही वापस की गई थी। उक्त बन्दूक किन परिस्थितियों में श्री जगदीश गिरि को वापस की गई, इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

फरीदपुर ब्लाक का अनुदान

*१२५—श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक फरीदपुर, जिला बरेली को जो अनुदान १९६१-६२ को दिया गया क्या उपयोग हुआ और वह विधि पूर्वक ग्राम सभाओं की पासबुकों में चढ़ाया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त अनुदान से, नई खादों के प्रचारार्थ, ग्राम सभाओं को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई,ताकि वे उस खाद का प्रदर्शन करा सकें। जो गांव-पंचायतें इस व्यवस्था से सहमत नहीं थीं, उन्होंने अपने हिस्से का अनुदान अपनी पास बुकों में जमा कर लिया।

पुलिस स्टेशन, किला में श्री रामचन्द्र की रिपोर्ट

*१२६—श्री रामेश्वरनाथ—क्या सरकार यह बातने की कृपा करेगी कि २० अप्रैल, १९६२ को १२ बजे दिन मुकाम लाल फाटक, थाना कैन्ट, जिला बरेली में श्री रामचन्द्र से कुछ रुपया पुलिस के सिपाहियों ने छीन लिया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, किला में लिखाई गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस प्रकार की एक रिपोर्ट श्री रामचन्द्र ने थाना किला में दिनांक २०-४-६२ को लिखाई थी।

*१२७—श्री रामेश्वरनाथ—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रार्थी ने जांच कराने को एस० पी० महोदय को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

बस्ती जिले में कम्पोस्ट गड्ढे

*१२८—श्री सोहनलाल धुसिया—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के सेमरियावां ब्लाक के छपिया-छितौना ग्राम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल आठ ही पक्के कम्पोस्ट गड्ढे तैयार करके १६ गड्ढों का रुपया हाल ही में निकाला गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं, सोलह पक्के कम्पोस्ट गड्ढे तैयार किये गये हैं।

*१२९—श्री सोहनलाल धुसिया—क्या इसकी जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों को है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है और रुपया निकालने में प्रमुख व्यक्ति कौन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

गरौठा व महरौनी तहसीलों के लिए बिजली

*१३०—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार जिला झांसी की गरौठा व महरौनी दोनों तहसीलों में बिजली की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माताटीला जलविद्युत योजना के पूरे होने पर इन नगरों के विद्युतीकरण पर विचार किया जायेगा।

*१३१—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

छोटे नलकूपों को बिजली

*१३२—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने की नीति के अन्तर्गत छोटे ट्यूबवेल्स को बिजली कनेक्शन देने का अधिकार जिलाधीशों को देने के लिये कोई निश्चय लेने वाली है ? यदि हां, तो कब तक और कितने हार्स पावर तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस तरह के अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं (जल विद्युत) को दिये जा चुके हैं। वे ऐसे प्रार्थियों को, जिनके पास कम से कम २० एकड़ भूमि हो और सिंचाई विभाग को कोई आपत्ति न हो, १२ १/२ अश्व शक्ति तक विद्युत एक टयूब वेल के लिये दे सकते हैं।

रायबरेली बिजली कम्पनी के कर्मचारी का लापता होना

*१३३—श्री रतीपाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले की बिजली का कोई कर्मचारी बिलों का रुपया वसूल करके भाग गया ह और उन वसूल किये हुये बिलों का रुपया बिजली उपभोक्ताओं से फिर से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस अनियमितता पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रायबरेली में बिजली कम्पनी का एक कर्मचारी बिजली के कुछ बिलों का रूपया लेकर लापता है। जिन उपभोक्ताओं ने कम्पनी के रूपया पाने की रसीद दिखला दी है उन से दोबारा रुपया नहीं वसूल किया जा रहा है। अतः कम्पनी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१३४—१३६—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१३७—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—[१७वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

*१३८—श्री शिवसम्पति शर्मा—[१६वें बुधवार के लिये प्रश्न ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रायबरेली जिले में कारखाना न खुलना

*१३९—श्री रतीपाल—क्या सरकार का तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले में कोई कारखाना खुलवाने का विचार है ? यदि हां, तो कबतक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार की कोई योजना रायबरेली जिलें में कोई सरकारी कारखाना खोलने की नहीं है। अभी तक किसी गैर-सरकारी व्यक्ति ने भी इस जिले में कोई कारखाना खोलने की दरख्वास्त नहीं दी है।

अन्तू ग्राम की मस्जिद में सुअर

*१४०—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या गृह मंत्री को पता है कि इस वर्ष जिला प्रतापगढ़ के थाना अन्तू के अन्तर्गत ग्राम अन्तू की मस्जिद में ईद के अवसर पर कोई अशोभनीय घटना घटी थी ? यदि हां, तो उसमें किस का हाथ था और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। ईद के दिन ग्राम अन्तू की मस्जिद में एक मरा हुआ सुअर, जिसका सर कटा हुआ था, मिला।

इस संबंध में थाना अन्तू में धारा २९७ के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई, लेकिन किसी अपराधी का पता न चला अतः अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

*१४१-१४४—श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

जिला उद्योग समिति, कानपुर

*१४५—श्री शिवनाथसिंह—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग समिति, कानपुर की १ अप्रैल, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६२ तक कितनी बैठकें हुईं और उनमें समिति के कितने सदस्य उपस्थित रहे ?

श्री फूलसिंह—प्रथम भाग—१ अप्रैल, १९६२ से ३१ अगस्त १९६२ तक जिला उद्योग समिति, कानपुर की कोई बैठक नहीं हुई है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*१४६-१४७—श्री नौरंगीलाल तथा श्री मुहम्मद हुसैन—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

असिस्टेंट इंजीनियर्स का चयन

*१४८—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुलाई, अगस्त १९६२ में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद्, लखनऊ ने असिस्टेंट इंजीनियर्स (इलेक्ट्रिकल) का केवल मौखिक परीक्षा के आधार पर जिन १५८ अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर निकाली है उसमें परिगणित जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं लिया गया है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ । क्योंकि परिगणित जाति का कोई भी योग्य उम्मीदवार प्राप्त नहीं था ।

*१४९—श्री मंगलदेव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जगहों के लिये परिगणित जाति के उम्मीदवारों के कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं और उनके लिये कितनी जगहें सुरक्षित थीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केवल दो उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अपने को परिगणित जाति का सदस्य बताया था, परन्तु अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण-पत्र नहीं भेजा था ? अतः वह परिगणित जाति के नहीं माने गये ।

*१५०—श्री मंगलदेव—क्या सरकार परिगणित जाति के उन उम्मीदवारों की सूची उनकी शैक्षिक योग्यता तथा उनको न लेने के कारणों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न नहीं उठता ।

*१५१—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१५२-१५३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५४-१५६—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५७—श्री उमाशंकर—[हटा दिया गया ।]

*१५८-१५९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये ।]

*१६०—श्री नाथूराम शिक्षक—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया ।]

*१६१—श्री बृजेश्वरसहाय—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६२—श्री श्यामलाल—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६३—श्री बृजेश्वरसहाय—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां

*१६४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि होमियोपैथिक की कितनी ऐसी डिस्पेन्सरी प्रदेश में है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और कहाँ कहाँ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की सब्सिडी योजना के अन्तर्गत ३८ होमियोपैथिक डिस्पेंसरी होमियोपैथिक परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २४७ पर)

*१६५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[१६वें बुधवार के लिये प्रश्न २ के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया ।]

*१६६—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर मिलों के लिये सम्पूर्णानन्द अवार्ड

*१६७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में सम्पूर्णानन्द अवार्ड को कब से लागू करने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त अवार्ड ज्यों का त्यों लागू किया जायगा या कुछ उसे आँशिक रूप से लागू किया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—डा० सम्पूर्णानन्द जी द्वारा कानपुर की मिलों के संबंध में दिया गया अवार्ड १४ सितम्बर, १९६२ से ज्यों का त्यों लागू हो गया है ।

पी० टी० आई० पर व्यय

*१६८—श्री दीपनारायणसिंह—क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० टी० आई० को उत्तर प्रदेश सरकार प्रेस एजेन्सी के रूप में कोई रकम देती आ रही है ? यदि हाँ, तो कितनी ?

श्री बनारसीदास—पी० टी० आई० को उनके टेलीप्रिन्टर सर्विस के लिये १,२०० रुपये प्रतिमास तथा गर्मियों में नैनीताल में "प्रेस कवरेज" के लिये केवल ३७५ रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं ।

*१६९-१७१—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७२-१७४—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७५–१७६—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली), श्री चन्द्रबली सिंह, श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी), श्री गिरजाप्रसाद, श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी) तथा श्री उग्रसेन—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१७७—श्री चन्द्रबली सिंह—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहपुर जिले के लिए बिजली

*१७८—श्री दीपनारायणसिंह—क्या मुख्य मंत्री जिला फतेहपुर के लिये भी उन्हीं बिजली के रेटों पर बिजली देने की व्यवस्था करेंगे जिन पर इलाहाबाद जिले को वे बिजली दे रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फतेहपुर जिले को रिहन्द से बिजली सप्लाई करने की कोई योजना इस समय नहीं है। यदि कभी इस प्रकार की योजना बनी तो बिजली की सप्लाई की दरों पर भी विचार किया जायेगा।

विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिये ऋण

*१७९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने विदेशों में advance studies के लिये प्रान्त के किन छात्रों को study grant या study loan दिया और वे छात्र किन विषयों पर advance studies के लिये विदेश गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित† सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

स्थानीय निकायों में हरिजन संरक्षण

*१८०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या विकास मंत्री कृपया हरिजनों को १८ प्रतिशत संरक्षण प्रदान करने वाला जी० ओ० तथा नोटिफिकेशन संख्या २३–बी/९-ए—८६३–५१, दिनांक १६ मार्च, १९५६ सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—स्थानीय निकायों की सेवाओं में १८ प्रतिशत का संरक्षण कभी भी प्रदान नहीं किया गया, अतः ऐसे जी० ओ० की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। नोटीफिकेशन संख्या २३–बी/९–ए—८६३–५१, दिनांक १६ मार्च, १९५६ की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २४८ पर)

सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन का वेतन

*१८१—श्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायक विकास अधिकारी, कृषि, समाज, शिक्षा, सहकारिता इत्यादि की नियुक्ति १२०–२५० रु० के वेतन-क्रम में होती है परन्तु सहायक विकास अधिकारी पशुपालन की नियुक्ति ७५–१२० रु० के वेतन-क्रम में होती है ? यदि हाँ, तो इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ, सहायक विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक (graduate) है। सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) के पद पर नियुक्ति हेतु वेटेरिनरी विज्ञान स्नातक काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी दशा में जिन कर्मचारियों से इस समय सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) का काम लिया जाता है वे आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं रखते तथा इसी कारण उन्हें वेतनक्रम १२०—२५० रु० न देकर निम्न वेतन-क्रम ६५–५–१२० रु० दिया जाता है।

†छापी नहीं गई।

*१८२—श्री काशीनाथबहादुर पाल—सहायक विकास अधिकारी पशुपालन को सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि नियुक्ति के दो वर्ष बाद इन्टरव्यू करके वेतन १२०–२५० रु० कर दिया जायेगा, परन्तु १९५९ के निकले बैच का जो फरवरी, सन् १९६० से कार्य कर रहा है, ढाई साल से ज्यादा हो जाने पर भी उसका इन्टरव्यू नहीं हुआ। क्या इस बैच के स० वि० अधिकारियों का शीघ्र इन्टरव्यू करा कर इन्हें उच्च वेतन-क्रम में नियुक्त किया जायगा ? क्या उन्हें पिछले ६–७ महीनों का वेतन भी उच्च वेतन-क्रम के अनुसार दिलाया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आश्वासन यह दिया गया था कि सहायक विकास अधिकारी पद पर वेतनक्रम ७५–५–१२० रु० में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने के बाद उन कर्मचारियों के लिये वेतनक्रम १२०—२५० रु० देने हेतु विचार किया जायेगा। फरवरी, १९६० से कार्य करने वाले बैच को अभी ३ वर्ष नहीं हुआ है इसलिये अन्य प्रश्न उठते ही नहीं।

अतारांकित प्रश्न

बांदा जिले में अपराध

१—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा में माह जून, जुलाई तथा अगस्त सन् १९६२ तक कितने कत्ल, डकैती, राहजनी तथा चोरियां हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२ डकैती, १ राहजनी, १३ हत्यायें और १३२ चोरियों की घटनायें हुईं।

२—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि दिन ति दिन जरायम बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अपराधों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। अतः वृद्धि के कारण बताने का प्रश्न नहीं उठता।

३—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि टाउन अतर्रा, जिला बांदा में डकैती व चोरी दिन प्रति दिन बढ़ रही है और अभी हाल में स्टेशन अतर्रा में कानपुर के व्यापारी का मुनीम लूटा गया जबकि मौके पर थाने के २ कानिस्टेबिल मौजूद थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहां डकैती व चोरी की घटनायें बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि कम होती जा रही हैं।

मुनीम को लूटने की घटना रात्रि में रेलवे स्टेशन के यार्ड में हुई थी। घटना-स्थल पर कोई कांस्टेबिल मौजूद नहीं था।

४—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि इन्चार्ज, थाना अतर्रा गुंडों का सहारा लेते हैं और क्या जरायम बढ़ने का एक मूल कारण यह भी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सच नहीं है कि मौजूदा थानाध्यक्ष गुंडों का सहारा लेते हैं। अपराधों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

५—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार इन्चार्ज थानेदार की योग्यता का ध्यान करके उन्हें अतर्रा थाना से हटाने की सोचेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मौजूदा थानाध्यक्ष, अतर्रा के स्थानान्तरण का प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है। आगे जसा भी प्रशासन की दृष्टि से आवश्यक होगा किया जायगा।

सुल्तानपुर जिले के लिये मार्ग निर्माण योजना

६—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार सुल्तानपुर जिले के जामों परगने में आज तक एक भी पक्की या सुविधाजनक मार्ग न होने के कारण विकास खंड, जामों द्वारा दिनांक २९ जुलाई, १९६२ के प्रस्ताव नं० १६ के प्रार्थना पर विचार करके जामों से मुसाफिरखाना तक की सड़क "मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम" में लेने की शीघ्र कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं । क्योंकि जामों मुसाफिरखाना जन-मार्ग के निर्माण की अनुमानित लागत पांच लाख रुपया है जब कि ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली योजनायें साधारणतया एक ब्लाक में लगभग दो लाख रुपये की होनी चाहिये ।

७—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार सुल्तानपुर जिले के विकास खंड, मुसाफिरखाना द्वारा प्रेषित मुसाफिरखाना से केशीपुर तक की सड़क को मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम में लेकर जनता को सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जायगा ।

८—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर के विकास खंड, जगदीशपुर, गौरीगंज तथा मेटुआ ने मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम में क्या-क्या योजना बना कर भेजी है और उनमें से इस पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन-सी योजनायें स्वीकृत की जायेंगी, कौन-सी नहीं और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जगदीशपुर ब्लाक के अन्तर्गत जगदीशपुर शुकुल बाजार जन मार्ग के निर्माण तथा वृक्षारोपण की योजनायें, गौरीगंज ब्लाक के अन्तर्गत गौरीगंज-ऐठा जनमार्ग के निर्माण की योजना तथा मेटुवा ब्लाक के अन्तर्गत थौरा-मेटुवा-कल्याणपुर जनमार्ग की योजनायें जिला स्तर से प्राप्त हुई थीं । इन योजनाओं पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जायगा ।

सचिवालय में अस्थायी पदों पर कर्मचारी

९—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में लोक-सेवा-आयोग की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर चुने गये कितने अभ्यर्थी अस्थाई पदों पर काम कर रहे हैं, क्या इनकी ज्येष्ठता वर्ष १९५७ के विभागीय क्वालीफाइंग परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों के नीचे निश्चित की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या १५५ है । ये लोग, लोक-सेवा-आयोग द्वारा अस्थायी पदों के लिये नामजद किये गये हैं । इनकी ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग की राय से १९५७ वर्ष के विभागीय क्वालीफाइंग परीक्षा के उत्तीर्ण सहायकों के नीचे निर्धारित की गई है ।

१०—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या उपरोक्त अस्थायी रखे गये कर्मचारी वर्ष १९५७ से उत्तीर्ण कर्मचारियों से अधिक शिक्षित, योग्य तथा कुशल हैं और वर्षों तक अन्य विभागों में सेवा भी कर चुके हैं ? यदि हां, तो उन्हें वर्ष १९५७ के विभागीय परीक्षा पास लोगों के नीचे क्यों रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५७ से पहले लोअर डिवीजन सहायकों के लिये न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल थी और उसके बाद उसे बी० ए० कर दिया गया। इसलिये जो सन् १९५७ के पहले हाई स्कूल योग्यता वाले कर्मचारी होंगे उनसे नये अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता जरूर ज्यादा है। उन्हें सन् १९५७ के विभागीय क्वालीफाइंग परीक्षा के उत्तीर्ण सहायकों के नीचे लोक-सेवा आयोग की राय से ही रक्खा गया है।

११—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब आयोग द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर चुने हुये लोग सचिवालय में अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं तो बाहरी लोगों को स्थायी पदों पर क्यों चुना जा रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ न कुछ हर साल बाहरी लोगों को भी लाना आवश्यक है ताकि बाहरी लोगों का चुनाव एक दम बन्द न हो। इसलिये ऐसे पदों को ८० प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों के लिये तथा २० प्रतिशत बाहरी अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित किया जाता है।

पोलीटेक्निक विद्यालय, गोरखपुर में अनियमितताएं

१२—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री जाँच कर बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के गवर्नमेंट पोलीटेकनिक विद्यालय में भर्ती के संबंध में हुई अनियमितताओं के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र तारीख ११ अगस्त, १९६२ को उनको प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था और उस पत्र में लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा जाँच-पड़ताल कराई गई।

१३—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त विद्यालय में भर्ती जो इस वर्ष की गयी है उस भर्ती का क्या आधार रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष भर्ती स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन ऐंड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर की गई है।

१४—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री यह जाँच कर बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त विद्यालय में ७ अगस्त, १९६२ ई० को लड़कों की भर्ती के संबंध में कोई लिस्ट नोटिस बोर्ड पर टाँगी गयी थी और उसके अनुसार लड़कों को सूचना-पत्र प्रवेश के हेतु दिया गया था कि आप लोग १० अगस्त, १९६२ तक फीस जमा कर प्रवेश प्राप्त कर लें? परन्तु जब लड़के प्रवेश-पत्र जो सरकारी विद्यालय द्वारा भेजा गया था, लेकर गये तो उनमें से १० लड़कों का प्रवेश-पत्र (सूचना-पत्र) वहाँ के (विद्यालय के) अधिकारियों द्वारा ले लिया गया और उनकी भर्ती नहीं की गयी? यदि हाँ, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, ७ अगस्त, १९६२ को लड़कों की भर्ती के सम्बन्ध में एक लिस्ट नोटिस बोर्ड पर टाँगी गई थी कि वे लड़के १०-८-१९६२ तक फीस जमा करके प्रवेश-पत्र प्राप्त कर लें। अतएव १० अगस्त को ५ बजे तक जितने लड़के आये थे सब रिक्त स्थानों पर भर्ती कर लिये गये। इसके अतिरिक्त उपरोक्त लिस्ट के १० विद्यार्थी नहीं वरन् १८ विद्यार्थी ५ बजे के बाद आये जबकि सब जगहें भर चुकी थीं। प्राधानाचार्य ने उन सब विद्यार्थियों से प्रवेश-पत्र इस हेतु ले लिये थे कि वे उनके मामले सेक्रेटरी, बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेज कर अतिरिक्त प्रवेश स्थान बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा प्रयत्न किया गया जो असफल रहा।

१५–१७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[१६वें गुरुवार के लिए] प्रश्न ५–७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

१८–२०—श्री गयाप्रसाद—[१७वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

२१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[२५ अक्तूबर, १९६२ के लिए प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

२२—श्री वेदराम (जिला एटा)—[१४ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

२३–२४—श्री विशनलाल यादव—[१७वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

निघासन तहसील में अपराध

२५—श्री रामचरण शाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील निघासन (खीरी) में जनवरी, १९६२ से आज तक कितने कत्ल हुये और कितनी डकैतियाँ पड़ीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तहसील निघासन (खीरी) में जनवरी, १९६२ से अगस्त, १९६२ तक १२ कत्ल व ८ डकैतियाँ पड़ीं ।

२६—श्री रामचरण शाह—क्या यह सही है कि इस वर्ष तहसील निघासन में कत्लों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, उक्त अवधि में पिछले वर्ष की अपेक्षा ३ कत्ल अधिक हुए हैं । जो हत्यायें अनुचित प्रेम संबंध, अचानक वादविवाद व उत्तेजना के कारण हो जाती हैं उनकी रोकथाम करना संभव नहीं होता । किन्तु जो हत्याएं पुरानी शत्रुता के कारण होती हैं उसमें संबंधित पार्टियों से पुलिस न्यायालय के द्वारा मुचलके ले लेती है । जिले के थानेदारों को यह आदेश दे दिए गए हैं कि जहाँ झगड़े की आशंका हो दोनों पार्टियों को चेतावनी दे दी जाय और यदि आवश्यक हो, तो उनके विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० की कार्यवाही की जाय ।

फर्रुखाबाद अस्पताल

२७—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद नगर के अन्तर्गत स्थित अस्पताल की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो रही है, दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है और मरीजों के जीवन के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फर्रुखाबाद का मर्दाना अस्पताल वहाँ के नगरपालिका के अधीन है । नगरपालिका ने इस अस्पताल का अनुदान पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी कम कर दिया है । उसे कई बार अनुदान बढ़ाने के विषय पर लिखा गया मगर उसने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की । इस अस्पताल का प्रान्तीयकरण किये जाने के विषय पर सरकार विचार कर रही है, पर धनाभाव के कारण अभी यह संभव नहीं हो पाया है ।

२८—श्री दयाराम शाक्य—क्या नगर की आवश्यकता को समझते हुये सरकार का उक्त अस्पताल को provincialize करने का विचार है और क्या नगरपालिका ने भी उक्त अस्पताल के provincialize किये जाने पर अपनी अनुमति तथा ८ हजार रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव पास किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऊपर बताया जा चुका है कि सरकार इस अस्पताल के प्रान्तीयकरण किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। धनाभाव के कारण इस वर्ष इस अस्पताल का प्रान्तीयकरण नहीं किया जा सका। नगरपालिका, फर्रुखाबाद ने उक्त अस्पताल के प्रान्तीयकरण किये जाने पर अपनी अनुमति तथा ८ हजार रुपया वार्षिक सहायता देने का प्रस्ताव जुलाई, १९५६ में पास किया था।

टेक्सटाइल मिलों के कर्मचारियों के सेवा नियम

२९—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले सुपरवाइजरी तथा टेकनिकल (स्टाफ) कर्मचारियों का कोई निश्चित वेतन-क्रम है तथा उनकी नियुक्ति व कार्य व नौकरी सुरक्षा के कोई निश्चित नियम हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसकी व्यवस्था करने की कोई कार्यवाही करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले सुपरवाइजरी तथा टेकनिकल स्टाफ का कोई एक निश्चित वेतन-क्रम नहीं है। जहाँ तक उनकी नियुक्ति, कार्य व नौकरी सुरक्षा का सम्बन्ध है इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट तथा सं० प्रा० औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट में तत्संबंधी नियमों का प्राविधान किया गया है और वे नियम उन कर्मचारियों पर लागू हैं जो उन ऐक्टों में दी गई "श्रमिक" (वर्कमैन) की परिभाषा में आते हैं। शेष अन्य कर्मचारियों के लिए जो "श्रमिक" की परिभाषा में नहीं आते, सरकार द्वारा कोई व्यवस्था करना संभव नहीं है।

३०–३४—**श्री देवदत्त मिश्र**—[१७ वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

डाक्टरों की कमी

३५—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जानने के लिये कि क्यों हमारे मेडिकल स्नातक इस राज्य की सेवाओं में जाने की अपेक्षा अन्य उपलब्ध सेवाओं और निजी प्रैक्टिस को अधिक पसन्द करते हैं, कोई सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हाँ, तो इस सर्वेक्षण से क्या तथ्य मालूम हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

३६—**श्री देवदत्त मिश्र**—यदि अब तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया तो क्या सरकार इस तरह के सर्वेक्षण के लिये स्नातकेतर (अन्डर-ग्रेजुएट) तथा उन स्नातकों को जो इस राज्य की सेवा में नहीं बल्कि बाहर हैं और अन्ततोगत्वा उन लोगों को जो सेवाओं में हैं इस आशय की प्रश्नावली भेजने पर विचार करेगी कि वे पी० एम० एस० को क्यों पसन्द करते हैं एवं उन साधनों की तुलना में वे क्यों इस सेवा में लगे हुये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी के कारणों की जाँच करने तथा इस कमी को पूरा करने के लिए उपाय निश्चित करने के हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (HIGH POWERED COMMITTEE) नियुक्त की गई है और यह समिति इस सम्बन्ध में कुछ पी० एम० एस० (२) के डाक्टरों के बयान भी ले रही है।

३७–३८—**श्री मन्नालाल**—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

जालौन जिले को बिजली

३९—श्री विजयसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोंच, जिला जालौन को जो बिजली की लाइन लग रही है उसके तार कहीं गुम हो गये हैं और लाइन पर काम बन्द है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई तार गुम नहीं हुआ है। कस्बा कोंच के विद्युतीकरण का कार्य पहले की भांति ही प्रगति पर है।

४०—श्री विजयसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि माताटीला बांध से कोंच तथा जालौन को बिजली दी जायगी तो इन दोनों कस्बों के बीच के ग्रामों को, जिनकी आबादी २,००० से अधिक है, बिजली को देने में क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सर्वप्रथम जिला जालौन के मुख्य-मुख्य कस्बों को ही विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है और तदुपरान्त यदि दूसरी आबादी जो ट्रान्समिशन लाइन पर आती हो और प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो तो उनके विद्युतीकरण के बारे में विचार किया जायेगा।

औद्योगिक ऋण पर ब्याज

४१—श्री रघुनाथसिंह—क्या लघु और कुटीर उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों के तेजी से विकास के लिये लोगों को आर्थिक सहायता देने की जो राज्य ऋण सहायता योजना चालू की गई है उसके लिये दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर और उसके देय होने की अवधि और किस्तें क्या होती हैं ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २४९ पर)

४२—श्री रघुनाथसिंह—क्या कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि उद्योग चलाने के नाम पर रुपये अन्य कामों के लिये ले लिये जाते हैं ?

श्री फूलसिंह—कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रुपया उद्योग के लिये लिया जाता उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती

बुनकर सोसाइटी, मुरादगंज का धन

४३—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा, तहसील औरैया बुनकर सोसायटी, मुरादगंज का कितना धन, शेयर तथा अनुदान का, सेन्टर वीवर्स स्टोर, इटावा में जमा है और कितना धन बुनकर सोसाइटी, मुरादगंज के पास है ?

श्री फूलसिंह—दक्खिनी औरैया तहसील कोआपरेटिव हैण्डलूम वीवर्स सोसाइटी लि०, अजीतमल, इटावा, जिसका नाम सन् १९५७ ई० में नए बाइलाज (New Bye-laws) की रजिस्ट्री होने पर बुनकर सहकारी समिति लि०, मुरादगंज, जिला इटावा हो गया है, का ५०० रु० का हिस्सा पूंजी के रूप में तथा १,४०९ रु० ८० न० पै० अमानत के रूप में इटावा डिस्ट्रिक्ट वीवर्स सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर लि०, इटावा में जमा है। समिति को कभी कोई अनुदान नहीं दिया गया। समिति के पास इस समय ६८५ रु० नकद और ११५ रु० का सूत व कपड़ा है।

४४—श्री सुखलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि बुनकर सोसाइटी, मुरादगंज का धन कुछ थोड़े ही व्यक्ति निजी जो कार्य में लगाये हुये हैं? सन् १९६१ जनवरी से सन् १९६२ अगस्त तक बुनकर सोसाइटी ने कितना गज कपड़ा बना कर तैयार किया और किस-किस मेम्बर ने कितना-कितना गज कपड़ा बनाया और क्या सोसाइटी को मुनाफा हुआ, सरकार उसकी जाँच करायेगी ?

श्री फूलसिंह—बुनकर सोसायटी, मुरादगंज, इटावा का धन कोई व्यक्ति अपने निजी कार्य में नहीं लगाये हुए हैं। जनवरी, १९६१ से लेकर अगस्त, १९६२ तक इस सोसाइटी ने कुल ९६० गज कपड़ा तैयार किया। इसके मेम्बरों द्वारा तैयार किये गये कपड़े का विवरण निम्न प्रकार से है:—

मेम्बर का नाम	कपड़ा, जो बनाया गया
	गज
सर्वश्री प्रभुदयाल	१६०
मातादीन	२२४
रामसेवक	६४
मनफूल प्रसाद	१२८
फूल चन्द	२५६
रामलाल	६४
रामनाथ	६४
	९६०

सोसाइटी को उपरोक्त अवधि में ३८—९४ न० पै० लाभ हुआ है। सरकार द्वारा कोई जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा बवइयां के कागजों की जांच

४५—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया अन्तर्गत विकास खंड विशुनपुरा के ग्राम सभा बवइयाँ हरपुर के हिसाब और अन्य कागजों की जाँच खंड विकास अधिकारी द्वारा २१ अगस्त, १९६१ को जाँच हुई थी ? यदि हाँ, तो जाँच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। इस संबंध में जिला स्तरीय जाँच चल रही है। अंतिम निर्णय हो जाने से पूर्व इसका प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित में न होगा।

४६—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—क्या विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड अधिकारी, विशुनपुरा, जिला देवरिया ने सहायक जिला पंचायत अधिकारी, देवरिया के पास जांच की रिपोर्ट भेजी किन्तु अब तक कोई कार्यवाही न होने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—संबंधित व्यक्तियों के बयानों व अन्य कागजात के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण कोई कार्यवाही न की जा सकी।

४७—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—क्या विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव सभा के भूतपूर्व प्रधान ने २१ नवम्बर, १९६१ को सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड, विशुनपुरा को लिखित कोई बयान भी दिया है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—भूतपूर्व प्रधान ने दिनांक २७ नवम्बर, १९६१ को एक लिखित बयान दिया है, जिसे अभी जांच पूर्ण न होने के कारण सदन की मेज पर रखना सार्वजनिक हित में न होगा ।

उत्तराखण्ड में नयी शिक्षा संस्थायें

४८—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपापूर्वक बतलायेगी कि उत्तराखंड प्रशासन के अधीन जिला चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कुल कितने इन्टर कालेज और हाई स्कूल प्रत्येक जिले में फरवरी, सन् १९६० के बाद नये खोले गये हैं और कितने जनता द्वारा संचालित विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(१) फरवरी, सन् १९६० ई० के बाद उत्तराखंड प्रशासन के अधीन जिला पिथौरागढ़ में धारचूला, चमोली में गोचर बालिका विद्यालय व उत्तरकाशी में पुरोला, चिनयालीसौर, मटवारी, बालिका विद्यालय उत्तरकाशी और राजगढ़ी में नये हाई स्कूल खोले गये ।

(२) उक्त अवधि में पिथौरागढ़ में बालिका विद्यालय, पिथौरागढ़, चमोली में गोपेश्वर, जोशीमठ और गमशाली तथा उत्तरकाशी में नये इंटर कालेज खोले गये ।

(३) जनता द्वारा संचालित गोपेश्वर विद्यालय का प्रांतीयकरण १९६०–६१ में किया गया और बधाण स्कूल तलवाड़ी का प्रान्तीयकरण जनवरी, १९६३ से व गंगोलीहाट स्कूल, पिथौरागढ़ का प्रान्तीकरण जुलाई, १९६३ से किया जायेगा ।

४९—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार ने कोई लक्ष्य इस प्रकार का तय किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में कितने नये हाई स्कूल इन्टर कालेज खोले जायेंगे और जनता द्वारा संचालित कितने विद्यालयों का प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तराखंड में ११ नये हाई स्कूल व ३ इंन्टर कालेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

(२) जनता द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रान्तीयकरण का कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था ।

५०—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतलायेगी कि किसी नये विद्यालय के खोलने या जनता द्वारा संचालित विद्यालय के प्रान्तीयकरण करने से, पूर्व जिला सलाहकार समिति की राय ली जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नये विद्यालय के खोलने या जनता द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रान्तीयकरण के पूर्व जिला सलाहकार समिति से, जहां तक सम्भव हो सकता है, राय ली जाती है ।

पथरा ग्राम की डकैती

५१—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में ५० मील दूर मध्य प्रदेश की सरहद पर गांव पथरा के जागीरदार, श्री कन्हैया राजा, के घर सशस्त्र डाकुओं ने ९ सितम्बर, १९६२ की रात्रि को या उसके लगभग डाका डाला था ? यदि हां, तो कितना सामान लूट कर ले गये और कितने अभियुक्त अभी तक उस मामले में पकड़े गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ग्राम पकरा बांदा जिले में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। अतः प्रश्न में मांगी गई सूचना देना संभव नहीं है।

पोहिया ग्राम हत्याकाण्ड की जांच

५२---श्री शिवचरण (जिला आगरा)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा, थाना खदौली, ग्राम पोहिया में पुलिस के सिपाही की गोली से एक व्यक्ति मारा गया? यदि हां, तो उस कानिस्टेबिल पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब-तक की जांच से ज्ञात हुआ है कि वहां एक डकैती के अभियोग में गिरफ्तार करते समय पुलिस पर आक्रमण करने पर एक व्यक्ति पुलिस के कांस्टेबिल की गोली से मारा गया। इस मामले में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथ्य का ठीक ज्ञान हो सकेगा। तत्पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो कांस्टेबिल के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

५३---श्री रतीपाल---[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

५४---श्री शिवनाथसिंह---[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

शुगर वेज बोर्ड व कपड़ा वेज बोर्ड की सिफारिशें

५५---श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस समय तक यू० पी० में किस-किस चीनी व कपड़ा मिलों ने शुगर वेज बोर्ड व कपड़ा वेज बोर्ड की सिपारिशों को अपने यहां लागू नहीं किया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---प्रदेश की समस्त चीनी मिलों ने शुगर वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू कर दिया है। बिजली काटन मिल, हाथरस को छोड़कर प्रदेश की समस्त मिलों ने, जिन पर कपड़ा वेज बोर्ड की रिपोर्ट लागू है, सिफारिशों को लागू कर दिया है।

बिजली काटन मिल ने इस संबंध में हाई कोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त कर लिये हैं, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

५६---श्री शराफत हुसैन रिजवी---[हटा दिया गया।]

वाराणसी जिले में ग्रामीण क्षेत्र को बिजली देने की प्रार्थना

५७---श्री ऋषिनारायण शास्त्री---क्या सरकार वाराणसी जिले में जहां सरकारी बिजली की लाइन लगी हुई है उससे जल विद्युत् विभाग के अधिशासी अभियन्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहर से बारह मील के अन्दर है बिजली देने का अधिकार देने को तैयार है, क्योंकि बिजली कम्पनी को निजी लाइन केवल जिले के बहुत थोड़े से क्षेत्र तक सीमित है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हाल ही में कुछ यूनिविसिटी क्षेत्र की लाइनें सिंचाई विभाग से राज्य विद्युत् परिषद् ने ले ली हैं, जो कि स्थानीय लाइसेन्सी---दी बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐन्ड पावर कम्पनी लि० के वितरण क्षेत्र में आती हैं,--- लाइसेंसी उनको हस्तान्तरण करने की मांग कर रहा है। यह मामला सरकार तथा परिषद् के विचाराधीन है। यह प्रश्न कि क्षेत्र में बिजली लाइसेंसी या विद्युत् परिषद् द्वारा दी जाय इस पर निर्भर करता है कि लाइनें परिषद् के पास रहें या लाइसेंसी को हस्तान्तरित की जायें।

५८--- श्री ऋषिनारायण शास्त्री---क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिले से हजारों प्रार्थना-पत्र बिजली के लिये आये हैं और अभी तक उन पर कोई हुक्म नहीं हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तक १३ प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, हाईडल डिवीजन, वाराणसी के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं। ये तब तक विचार के लिये रक्खे हुये हैं जब तक कि प्रश्न ५७ के उत्तर में दिये हुये मामले पर कोई निर्णय नहीं होता।

५९—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—क्या सरकार को पता है कि वाराणसी शहर के समीपवाला क्षेत्र सूबे की सब से घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें अधिकतर लोग या तो मजदूरी या गृह उद्योगों पर आश्रित हैं जिनको बिजली न मिलने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह निश्चय पूर्वक कहना सम्भव नहीं है कि प्रान्त में यह क्षेत्र सब से घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह सत्य है कि जो लोग गृह उद्योगों पर आश्रित हैं, उनकी कार्य क्षमता बिना बिजली के बढ़ाना मुमकिन नहीं है।

६०-६१—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

राही विकास क्षेत्र के पम्पिंग सेट तथा विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

६२—श्री रतीपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राय बरेली जिले के राही विकास क्षेत्र में अब तक कितने पम्पिंग सेट लगाये गये हैं और उनमें से कितने सही अवस्था में कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अब तक कुल ६ पम्पिंग सेट लगाये गये हैं, और वे सब सही अवस्था में कार्य कर रहे हैं।

६३—श्री रतीपाल—क्या सरकार को रायबरेली जिले के राही विकास क्षेत्र के भूतपूर्व क्षेत्र प्रमुख का कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने विकास क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की थी कि वे वहां के राजकीय चपरासियों से अपना व्यक्तिगत एवं घरेलू कार्य लेते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। राही विकास क्षेत्र के भूतपूर्व क्षेत्र प्रमुख के दो शिकायती पत्र, एक जनवरी १९, १९६२ का व दूसरा ९ अगस्त, १९६२ का जिला नियोजन अधिकारी, राय बरेली को प्राप्त हुये। जनवरी, १९६२ के शिकायती पत्र को गलत कहकर प्रमुख ने स्वयम् रद्द करवा दिया। अगस्त, १९६२ के पत्र के संबंध में जांच हेतु जिला नियोजन अधिकारी, रायबरेली ने प्रमुख को दो बार अपने कार्यालय में बुलाया, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुये, जिसकी वजह से जांच पूरी नहीं की जा सकी।

दुरजन पुरवा की डकैती

६४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुरजन पुरवा थाना दीरापुर, जिला कानपुर में २८ व २९ जून, १९६२ की रात्रि में कोई भीषण डकैती पड़ी ? यदि हां, तो उसमें कितना माल गायब हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दिनांक २८/२९ जून, १९६२ की रात उक्त ग्राम में एक डकैती की घटना हुई थी। इसमें ३,००८ रु० मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई।

६५—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सच है कि जिसके यहां डाका पड़ा था उसने दरोगा जी को वह नाम बताये कि जिन्होंने डाका डाला था क्यों कि उनको वह डाका पड़ते समय देखने के कारण पहचानता था ? यदि हां, तो अभी तक उन मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? और यदि की है, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वादी शिवनाथ सिंह ने दरोगा जी को एक लिखित रिपोर्ट दी थी, जिसमें ५ व्यक्तियों को नामजद किया गया और शेष डाकुओं की हुलिया पहचानी गई बताया गया। इस संबंध में की गई जांच के फलस्वरूप ४ अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये। इनमें से ३ के विरुद्ध धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध अभी जांच जारी है।

बैंक कर्मचारियों का मामला

६६—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम मंत्री के पास यू० पी० बैन्कर्स कर्मचारी संघ के केन्द्र कार्यालय, गोरखपुर से २४ अगस्त, १९६२ को तार द्वारा उनके संघर्ष को निपटाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं, संघ से इसी आशय का एक पत्र दिनांक २४ अगस्त, १९६२ का सरकार को प्राप्त हुआ था। यू० पी० कोआपरेटिव बैंक तथा प्रादेशिक बैंकों के कर्मचारियों का मामला सरकार के विचाराधीन है।

६७—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विवाद कितने दिनों से चल रहा है और अभी तक न सुलझ पाने का कारण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों का मामला स्थायी, संराधन मंडल को जनवरी, १९६१ में भेजा गया था और प्रादेशिक बैंकों का मामला संराधन मंडल को दिसम्बर, १९६० में भेजा गया था। दोनों पक्षों में समझौता न होने के कारण ये मामले अभी तक सुलझ नहीं पाये हैं।

क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक

६८—**श्री शिवनाथसिंह**—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम १, १९६१ में कोई संशोधन लाने का विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है? उसको सरकार कब तक लाने का विचार कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ विधान परिषद् में ३ अक्तूबर को पुरःस्थापित किया जा चुका है। वहां से पारित हो जाने के उपरान्त वह शीघ्र ही इस सदन के सम्मुख विचारार्थ आयेगा।

६९—**श्री विजय सिंह**—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियां

७०—**श्री काशीनाथ मिश्र**—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित "संघर्ष-कालीन नेताओं की जीवनियां" नामक पुस्तक स्टाक में नहीं है और जनता की मांग उपरोक्त पुस्तक के लिये बहुत है, तो सरकार उसे प्रकाशित क्यों नहीं कराती?

श्री बनारसीदास—"संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियां" शीर्षक पुस्तक स्टाक में नहीं है। अन्य प्रकाशनों के साथ इसकी भी मांगें होती रही हैं। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही पांच-पांच हजार प्रतियों का एक के बाद दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया था।

यह प्रकाशन प्रथम स्वतंत्रता शताब्दी समारोह के विशिष्ट अवसर के लिये किया गया था। इसके बाद आगे के प्रकाशन कार्यक्रमों के सम्पन्न करने हेतु वित्तीय प्राविधान को ध्यान में रखते हुये इस पुस्तक को तीसरी बार नहीं छपाया गया।

ब्लाक प्रमुखों का चुनाव

७१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि क्षेत्र समितियों के हरिजनों, सहकारी समितियों आदि के प्रतिनिधियों का जो कोआप्शन हुआ था उन सदस्यों ने बिना शपथ ग्रहण किये क्षेत्र प्रमुख के चुनावों में वोट दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि क्षेत्र समिति का कोई भी सदस्य बिना अपने पद की शपथ ग्रहण किये प्रमुख के चुनाव में वोट नहीं दे सकता।

७२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार यह बतायेगी कि बिना शपथ ग्रहण किये कोआप्ट सदस्यों को वोट देने का कोई हक नहीं था किन्तु प्रमुख के चुनाव में वोट दिया जोकि अवैधानिक है ? यदि हां, तो क्या क्षेत्रप्रमुखों का चुनाव भी अवैधानिक नहीं हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बिना शपथ ग्रहण किये हुये सदस्यों द्वारा प्रमुख के चुनाव में वोट देने में कोई अवैधानिकता नहीं हुई है और न प्रमुखों का चुनाव ही अवैधानिक है। अतः इस संबंध में शासन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

७३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार इन ब्लाक प्रमुखों के हुये अवैधानिक चुनावों के संबंध में पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चूंकि प्रमुखों का चुनाव अवैधानिक नहीं है अतः पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता।

सचिवालय के सचिव

७४—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में विभिन्न विभागों में सचिव कितने-कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २५० पर)

७५—श्री हिम्मत सिंह—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

परसा जागीर ग्राम में गुण्डागीरी

७६—श्री श्यामलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को पता है कि बस्ती कोतवाली थाने के अन्तर्गत परसा जागीर नामक ग्राम में गुन्डों का एक गिरोह है जिसमें रामदास पान्डेय, सुन्दर, सुमेर और मनीराम प्रमुख हैं और जिसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद कोतवाली पुलिस ने उक्त गुंडों के खिलाफ गत ३ वर्षों से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की ?

७७—क्या सरकार को यह भी पता है कि इन गुंडों के खिलाफ अनेकानेक प्रकार की शिकायतों रिपोर्ट कोतवाली बस्ती में लिखायी गयी हैं ?

७८—सरकार ने अब-तक उक्त गुन्डों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? आगे कौन-सा कदम उठाने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गुन्डागीरी की कोई आम शिकायत नहीं है । श्री राम समुझ नामक एक व्यक्ति ने पिछली दुश्मनी के कारण उन लोगों के विरुद्ध एक रिपोर्ट थाना कोतवाली में इस आशय की लिखाई कि उक्त लोगों ने उनके घर में आग लगा दी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा भा० दं० वि० की धारा ४३६ के अंतर्गत दर्ज किया गया किन्तु स्वतंत्र साक्ष्य न मिलने के कारण इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई । फिर भी वादी की सुरक्षा के हेतु उक्त व्यक्तियों का चालान धारा १०७/११७ द० प्र० सं० के अन्तर्गत कर दिया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त गत ३ वर्षों में उक्त लोगों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अन्य रिपोर्ट थाना कोतवाली में नहीं लिखाई गई, इसलिए उनके विरुद्ध किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

अवही न्याय पंचायत

७९—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला के अन्तर्गत अवही न्याय पंचायत को धानापुर विकास क्षेत्र में मिलाने का प्रस्ताव धानापुर एवं वरहनी विकास क्षेत्रों से आया है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, न्याय पंचायत क्षेत्र, अवही के अन्तर्गत स्थित गांव सभाओं की राय मांगी गई है ।

८०—श्री बृजेश्वरसहाय—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रमुखों के सम्बन्ध में आदेश

८१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई राज आदेश प्रसारित किया गया है कि जो प्रमुख गांव सभा के प्रधान हैं वे एक स्थान रिक्त अमुक तिथि के भीतर कर दें? यदि हां,तो क्या उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं, किन्तु उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ७ (२) में दिए हुए प्राविधान के सम्बन्ध में समस्त प्रमुखों को आवश्यक स्पष्टीकरण, दिनांक १७ अगस्त, १९६२ के पत्र द्वारा भेजा गया था कि यदि कोई प्रधान, क्षेत्र समिति का प्रमुख अथवा उप-प्रमुख चुन लिया गया हो तो वह प्रधान के पद पर नहीं रहेगा । अतः ऐसे प्रधानों को चाहिये कि वे तुरन्त प्रधान पद का कार्यभार उप-प्रधान को सौंप दें उक्त पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५१ पर)

८२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिले में प्रसपुर विकास क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख से, प्रधान पद से त्याग-पत्र देने की कोई विशेष आज्ञा भेजी गई और २४ घंटे के भीतर त्याग-पत्र ले लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और रिक्त स्थान का चुनाव किन नियमों के अधीन कराया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चूंकि क्षेत्र समिति, प्रसपुर के प्रमुख पद पर वहां के एक प्रधान निर्वाचित हुए थे अतः उन्हें भी उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर प्रधान पद रिक्त कर देना चाहिये था । किन्तु उनके ऐसा न करने पर उन्हें इस विषय में पुनःस्मरण कराया गया, किन्तु उस पत्र में २४ घंटे का कोई जिक्र नहीं था ।

प्रधान पद रिक्त हो जाने पर उसकी पूर्ति पंचायत राज नियम संख्या २१ (डब्लू) के अनुसार की जा चुकी है ।

पी० सी० एस० परीक्षा

८३—श्री श्यामलाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि पी० सी० एस० परीक्षा हो जाने तथा इन्टरव्यू हो जाने के बाद selected candidates लगभग एक वर्ष तक training के लिये ही नहीं बुलाये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। आयोग से परीक्षाफल आने के ६,७ महीनों के अन्दर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी जाती है। केवल १९६० के पी० सी०एस० परीक्षा के आधार पर की गई नियुक्तियों में एक वर्ष से अधिक लगा था।

८४-८५—श्री श्यामलाल—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

८६-८८—श्री रियासत हुसैन—[हटा दिये गये।]

बाराबंकी में सैयद मुहम्मद हुसेन को पीटने की घटना

८९—श्री हिम्मत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९६२ के दूसरे सप्ताह के आस पास रात्रि में बाराबंकी में वहां की पुलिस ने ४ आदमियों द्वारा एक आदमी को बुरी तरह बांध कर पीटते हुये पकड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की पूरी रिपोर्ट देने की कृपा करेगी और बतायेगी कि उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार की कोई घटना अगस्त, १९६२ में नहीं हुई। एक घटना दिनांक ८/९ सितम्बर, १९६२ की रात्रि में अवश्य हुई थी जिसका विवरण तथा जिसके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ २५२ पर)

९०—श्री हिम्मत सिंह—क्या यह सच है कि घटनास्थल के पास ही एक जीप उलटी पड़ी थी और उसका सम्बन्ध उसी घटना से बताया जाता है। यदि हां, तो वह जीप किसकी थी और उस जीप का उक्त घटना से क्या सम्बन्ध था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सत्य है कि घटनास्थल के पास एक जीप उलटी पड़ी थी। उस जीप का संबंध घटना से इस हद तक था कि अभियुक्तगण तथा श्री सैयद मोहम्मद हुसेन उस जीप से घटना स्थल तक आये थे। यह जीप श्री रामानन्द शास्त्री बाराबंकी की थी।

चीनी मिल मजदूरों का बोनस

९१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मजदूरों को १९६०-६१ का बोनस केवल ४० लाख रुपया वेज बोर्ड के फैसले के अनुसार बांटा जा रहा है परन्तु L, A .T. Award के अनुसार उपरोक्त साल में बोनस की धनराशि सरकारी आंकड़ों के अनुसार १,६६,३१,२०६ रु० मिलना चाहिये ? क्या सरकार प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रदेश की चीनी मिलों को १९६०-६१ सीजन का बोनस ३७,५७,९१७ रुपया राजाज्ञा संख्या १७४६ (एस०टी), दिनांक १ मई, १९६२ द्वारा देना है। उपर्युक्त सीजन का लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के फारमूले के हिसाब से बोनस १,६६,३१,२०६ पया होता है।

९२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ सितम्बर, १९६२ ई० का लिखा हुआ कोई पत्र यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष का सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पत्र के अनुसार सरकार बोनस के मामले को State Industrial Tribunal को भेजने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

सरकार इस मामले को ट्रिब्यूनल में भेजने की आवश्यकता नहीं समझती।

९३–९५—श्री उग्रसेन—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

९६–९७—श्री नियामतुल्ला अन्सारी (जिला गोरखपुर)—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

मार्टिन कम्पनी, इलाहाबाद

९८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि रीहन्द से इलाहाबाद में बिजली मिलने की योजना सफल होने के बाद Martin Company का कार्य वहां से समाप्त हो जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद (Martin Company) के लाइसेंस के अनुसार इस कम्पनी को खरीदने का पहला विकल्प (option) राज्य विद्युत परिषद् को १६ सितम्बर, १९६४ को प्राप्त होगा।

खजुहा विकास खंड के कर्मचारियों का भुगतान

९९— श्री रामकिशोर वर्मा—क्या विकास मंत्री प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४, दिनांक १३ सितम्बर, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों का वेतन या यात्रिक भत्ता समय से नहीं मिल पा रहा है तो उसका क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिन कर्मचारियों का, जिन अवधियों का वेतन बाकी था वे, उन अवधियों में, "अर्जित" अथवा "चिकित्साजनित आवश्यकता के आधार पर लिये गये" अवकाश पर थे, अर्जित अवकाश के प्रार्थना-पत्रों पर उपर्युक्त अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ही वेतन का भुगतान किया जा सकता था। चिकित्साजनित आवश्यकता के आधार पर वांछित अवकाश के अनुक्रम में, प्रार्थी सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र, तात्कालिक रूप से, प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, जिसके बिना आगे की कार्यवाही स्थगित रखनी पड़ी।

यात्रिक भत्तों के भुगतान में विलम्ब होने का कारण यह है कि इन भत्तों के बिल या तो देर से प्राप्त हुये या प्राप्त हुये ही नहीं, जो प्राप्त हुए उनके भुगतान में विलम्ब होने का एक कारण यह भी था कि वे सभी गत वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने पर प्राप्त हुए जबकि सरकारी खजाने में इनके भुगतान का रुपया तात्कालिक रूप से उपलब्ध न था।

१००–१०१—श्री रामकिशोर वर्मा—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये]

जे० जे० आर० इण्डस्ट्रीज, दुलहीपुर

१०२—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जे० जे० आर० इन्डस्ट्रीज, दुलहीपुर, वाराणसी में फैक्ट्री ऐक्ट कब से लागू है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त कारखाना फैक्ट्रीज ऐक्ट के अन्तर्गत मार्च, १९६१ में आया।

१०३—श्री काशीनाथ मिश्र—उपरोक्त फैक्टरी में स्टैंडिंग आर्डर लागू हुआ है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त कारखाने में स्थायी आदेश अभी लागू नहीं हैं। फैक्टरी के स्थायी आदेश का आलेख्य प्रमाणीकरण हेतु गत मास में श्रमायुक्त को प्राप्त हुआ।

१०४—**श्री काशीनाथ मिश्र**—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

१०५-१०७—**श्री बृजेश्वर सहाय**—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

महुआडावर ग्राम के रमेसर खटिक पर जुल्म की शिकायत

१०८—**श्री रामलखन सिंह** (जिला बस्ती)—क्या सरकार को यह मालूम है कि बस्ती जिले की हरैया तहसील में महुआडावर ग्राम के एक गरीब पिछड़ी हुई जाति का किसान रमेसर खटिक काश्तकारी के खेत में उसी का बोया हुआ सांवा व मकराई व धान एक जबरदस्त पुराने जमींदार ने कटवा लिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त ग्राम में कुछ खेतों पर श्री रमेसर खटिक तथा भूतपूर्व जमींदार श्री भगवानसिंह दोनों ही अपना कब्जा बताते हैं। श्री भगवान सिंह का कथन है कि इन खेतों को १३६८ तथा १३६९ फसली में उन्होंने ही बोया और काटा है।

१०९—**श्री रामलखन सिंह**—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जब रमेसर खटिक की बोई हुई फसल पुराने जमींदार कटवा रहे थे तो वह मना करने गया तो उस गरीब को बुरी तरह पीटा, किसी तरह जान बचाकर भागने के बाद भी उसको पकड़ पर आंख पर पट्टी बांध कर उससे कई कागजों पर निशानी अंगूठा लगवाया और फिर मार कर उसके घर से निकाल दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तारीख ७-९-६२ को जो प्रार्थना-पत्र श्री रमेसर ने एस० पी० को भेजा उसके अनुसार फसल काटने की घटना ४-९-६२ को या उससे पहले हुई और मारने की तथा कागजों पर अंगूठा लगवाने की घटना ७-९-६२ को हुई। किन्तु जिन लोगों के विरुद्ध मारने की शिकायत थी उन्होंने बयान दिया कि न तो उन्होंने उसे मारा न किसी कागज पर अंगूठे लगवाए। श्री रमेसर भी इस विषय में जांच के समय कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सके। घर से निकालने की बात ठीक नहीं है क्योंकि घर में अब भी श्री रमेसर का ताला लगा है और वह नौकरी के सिलसिले में पत्नी सहित दूसरी जगह रह रहे हैं।

११०—**श्री रामलखनसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ७ सितम्बर, १९६२ को एस० पी०, बस्ती व गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश को तार व रजिस्ट्री दिया, लेकिन अब तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो सरकार उसके जान व माल की हिफाजत के लिये क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—७-९-६२ को श्री रमेसर ने एस० पी०, बस्ती को एक तार तथा उसी दिन एस० पी० और गृह मंत्री को प्रार्थना-पत्र भी भेजे। पुलिस द्वारा की गई जांच से कोई cognizable अपराध नहीं बना। अतः पुलिस ने कोई कार्यवाही भा० द० वि० के अन्तर्गत नहीं की। चूंकि दोनों पार्टियां खेत पर कब्जा बतलाती हैं, अतः शान्ति और सुरक्षा के हित में धारा १४५ जा० फौ० के अन्तर्गत चलानी रिपोर्ट अदालत भेज दी गई है।

शान्ति व्यवस्था

१११—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार पुलिस की कठिनाइयों को देखते ये शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु अलग और समाज में घटित अपराधों से सम्बधित जांच के लिये अलग अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। अतः इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि इस सम्बन्ध कब तक अलग अधिकारियों की नियुक्ति होगी।

माताटीला बांध से बिजली देने की योजना

११२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध से कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है और इस समय किन-किन स्थानों को बिजली दी जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माताटीला बांध से इस समय कोई बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा, है अतः इस परियोजना से किसी भी स्थान को बिजली देने का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

११३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बतायेगी कि भविष्य में इस बिजली घर से किन-किन जिलों को बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है और इस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—परियोजना सम्पूर्ण होने पर माताटीला बिजलीघर से झांसी जालौन, बांदा तथा हमीरपुर जिलों को बिजली देने का प्रस्ताव है और इस परियोजना पर लगभग ८-२३ करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

चीनी उत्पादन शुल्क

११४—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की चीनी मिलों पर सरकार का चीनी उत्पादन शुल्क का कितना अलग-अलग अब तक किन-किन मिलों पर बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी पर उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आरोपित करती है और गोदाम से चीनी की निकासी के पहिले ही मिलों द्वारा चीनी उत्पादन शुल्क जमा कर दिया जाता है अतएव उसके बकाया रहने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले में बिजली

११५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद गोरखपुर के कितने गांवों तथा कस्बों में विद्युतीकरण किया गया तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने का करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोरखपुर जिले के १७ गांव तथा कस्बों का विद्युतीकरण हो चुका है और ६ गांव तथा कस्बों के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है। अन्य नगर जिनका विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना में होना है विचाराधीन है।

११६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर में कितने व्यक्तियों को बावजूद दरख्वास्तें देने के अभी तक न तो झांसी बिजली कम्पनी से बिजली दी गई न तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी से ? ऐसा न होने का क्या कारण है तथा उनकी दरख्वास्तें कब से पड़ी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, गोरखपुर में १५९ तथा हाइडिल विभाग में १७४ व्यक्तियों को अभी तक बिजली नहीं दी गई है। कहीं पर लाइनें न होने तथा कुछ प्रार्थियों द्वारा तत्संबंधी कार्यवाहियों को पूरा न करने के कारण उन्हें बिजली न दी जा सकी। ये दरख्वास्तें २८ जून, १९६१ और उसके बाद की हैं।

११७–११८—**श्री मन्नालाल**—[हटा दिये गये।]

राज्य विद्युत् परिषद् का लेखा व रिहन्द बिजली योजना

११९—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५९ में निर्मित होने वाले यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के १९५९–६० तथा १९६०–६१ के ऐनुअल एकाउन्टस (Annual Accounts) तैयार होने और Forms of accounts finalise न होने का क्या कारण है और कब तक इसके तैयार हो जाने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य विद्युत् परिषद् के सन् १९५९–६० तथा १९६०–६१ के वार्षिक लेखा अभी तक नहीं तैयार हो सके हैं क्योंकि जिस प्रारूप में यह लेखा (Forms of Accounts) बनने हैं उसकी स्वीकृति कांपटोलर तथा आडिटर जनरल से अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त परिषद् के एकाउन्ट्स ३०–६–६२ तक महालेखापाल, उत्तर प्रदेश ही रखते रहे और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९५८ की धारा ६९ के अनुसार एकाउन्ट्स बनाने में अपनी असमर्थता प्रगट की। अब परिषद् के चीफ एकाउन्ट्स आफिसर नियुक्त हो गये हैं और आशा है कि वार्षिक एकाउन्ट्स अब शीघ्र ही तैयार हो सकेंगे।

१२०—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बिजली योजना में—

(अ) इस समय कुल कितनी बिजली उत्पादित हो रही है ? और

(ब) प्रति यूनिट उसकी क्या लागत है ?

(स) उत्पादित बिजली में से कितनी पूर्वी जिलों (वाराणसी तथा गोरखपुर व फैजाबाद कमिश्नरी के जिलों को) को दी जा रही है और कितनी बड़े उद्योगों को दी जा रही है ? तथा

(द) कितनी बिजली मध्य प्रदेश को दी जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) रिहन्द बिजली योजना से इस समय लगभग ७७,००० किलोवाट बिजली उत्पादित हो रही है।

(ब) अभी रिहन्द प्रोजेक्ट के एकाउन्ट्स बन्द नहीं हुये हैं इसलिये बिजली पैदा होने की ठीक-ठीक लागत नहीं निकाली जा सकती।

(स) उत्पादित बिजली में से करीबन सभी बिजली पूर्वी जिलों में ही दी जा रही है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता हैं। खास-खास बड़े उद्योगों के लिये इस समय लगभग ७६,००० किलोवाट बिजली दी जा रही है।

(द) मध्य प्रदेश को रिहन्द से अभी तक कोई बिजली नहीं दी गई है।

टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ व गोरखपुर

१२१—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैक्टरी इन्सपेक्टर के पद की योग्यता निर्धारित करते समय लखनऊ स्थित टेक्निकल इंस्टीट्यूट की उपाधि को ही क्यों मान्य करार दिया है जबकि गोरखपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी सरकार के तत्वाधान में है और पाठ्यक्रम इत्यादि सभी बातें समान स्तर की हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—टेक्निकल इन्सन्टीट्यट लखनऊ तथा गोरखपुर की उपाधि की मान्यता फैक्ट्री इन्सपेक्टर के पद के लिये समाप्त कर दी गई है। परन्तु टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के केवल उन विद्यार्थियों को जो १९५९ ई० से पहले उपाधि प्राप्त कर चुके थे, उपरोक्त पद के लिये मान्यता इस कारण दी गई है कि इस इन्स्टीट्यूट की उपाधि सदा से ही उपरोक्त पद के लिये मान्य थी।

१२२—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पिछले वर्षों में कभी भी गोरखपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की उपाधि फैक्ट्री इन्स्पेक्टर के पद की योग्यता के लिये सरकार द्वारा मान्य करार दी गई थी ? यदि हां, तो कब तक और उपरोक्त मान्यता समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गोरखपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की उपाधि फैक्ट्री इन्स्पेक्टर के पद के लिये केवल सन् १९४४ से १९५९ तक मान्य थी। यह मान्यता इस वजह से समाप्त कर दी गई है कि फैक्ट्री इन्स्पेक्टर के पद के लिये कम से कम इंजीनियरिंग में डिग्री होना आवश्यक है।

१२३-१२५—**श्री बृजेश्वरसहाय**—[१७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

नर्सों की तनख्वाह से रिकवरी

१२६—**श्री रियासत हुसैन**—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतायेंगे कि नर्सों से उनकी तनख्वाह की कितनी प्रतिशत सरकारी सिक्योरिटी की रिकवरी की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नर्सों से उनकी तनख्वाह में से कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती, अपितु प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षार्थी नर्सों से उन्हें दिये जाने वाले स्टाइपेन्ड और भत्तों में से जो कि कम से कम ९४ रुपये प्रति माह होते हैं २२ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से ४१ किस्तों में कुल ९०० रुपये सिक्योरिटी के रूप में लिये जाते हैं।

१२७—**श्री रियासत हुसैन**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि वह रिकवरी उनकी तनख्वाह में से प्राविडेन्ट फन्ड की तरह से काटी जाती है या तनख्वाह देते वक्त हर नर्स से नकद ली जाती है या क्या उसकी रसीद जारी की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न १२६ के उत्तर में सूचित सिक्योरिटी प्रशिक्षार्थी नर्सों से उन्हें स्टाइपेंड और भत्ते देते समय नकद ली जाती है और उन्हें इसकी रसीद दी जाती है।

१२८—**श्री रियासत हुसैन**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि सरकार उस सिक्योरिटी रिकवरी पर अपनी तरफ से कितना प्रतिशत रुपया देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं देती है।

१२९-१३०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया कोतवाली के अन्तर्गत श्री ब्रह्मा की मृत्यु की जांच

१३१—**श्री चन्द्रबली सिंह**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की देवरिया कोतवाली के ग्राम बढ़पा बुजुर्ग के ब्रह्मा नामी व्यक्ति को देवरिया के कोतवाल द्वारा मार डालने की सूचना गत २४ अगस्त को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दी गई है ? क्या यह सच है कि देवरिया जेल में १८ जुलाई, १९६२ को मारने की डाक्टरी जांच हुई है ? यदि हाँ, तो कोतवाल अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया ? दूसरी कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। ऐसी सूचना प्रश्नकर्त्ता द्वारा दी गई थी। परन्तु जाँच करने पर यह सत्य नहीं पाई गई। श्री ब्रह्मा दिनांक १८-७-६२ को धारा १४८/३२३/४२६ भा० दं० वि० के एक मामले में पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार हुये थे। जेल में भर्ती होने से पहले उनकी डाक्टरी जाँच की गई थी, पर उनके बदन पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। दिनांक २१-७-६२ को वे जेल से जमानत पर रिहा हुये थे, उसके एक माह बाद दिनांक २३-८-६२ को उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। अतः इस बारे में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

१३२-१३४—**श्री मन्नालाल**—[१७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

१३५—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—[१७वें गुरुवार किये लिये स्थगित किया गया।]

पुलिस कान्स्टेबिलों का मकान भत्ता

१३६—**श्री रतीपाल**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कान्स्टेबिलों को मकान किराये के मद में ५.५० रु० दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उन्हें ५.५० रु० में रहने के लिये मकान दिलवायेगी? यदि नहीं, तो क्या उन्हें जितने में मकान मिलता है उतने किराये की रकम सरकार देगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

(दूसरे भाग के उत्तर में)—प्रश्न नहीं उठता।

(तीसरे भाग के उत्तर में)—इस समय भी सरकार जितने में मकान मिलता है उतने किराये की रकम देती है, यदि वह रकम स्वीकृत दर के बराबर या कम हो।

हैदरगढ़ औषधालय इंचार्ज के विरुद्ध शिकायत

१३७—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैदरगढ़, बाराबंकी औषधालय में डाक्टरी रिपोर्ट के लिये पुलिस द्वारा कितने केस १९५९ से १९६२ तक आये जिनमें धारदार औजार का प्रयोग होना रिपोर्ट में दर्ज किया गया और डाक्टरी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हैदरगढ़ जिला बाराबंकी औषधालय में डाक्टरी रिपोर्ट के लिये पुलिस द्वारा १९५९ की सितम्बर १९६२ तक कुल ९० केसेज भेजे गये जिनमें से डाक्टरी रिपोर्ट में कुल २० केसेज धारदार औजारों से चोट खाये पाये गये।

१३८—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या यह बात सही है कि उक्त औषधालय इन्चार्ज १५ अगस्त, १९६२ को राष्ट्रीय दिवस पर छुट्टी पर थे और इस अवसर पर उन्होंने जनतंत्र में अपनी निष्क्रियता और क्षेत्र में बदनामी के कारण उपस्थित रहना उचित नहीं समझा? यदि हाँ, तो क्या यह राष्ट्रीय पर्व के प्रति अराष्ट्रीयता का द्योतक नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि उक्त औषधालय इन्चार्ज १५ अगस्त, १९६२ को छुट्टी पर थे। परन्तु यह सत्य नहीं है कि चिकित्सक बदनामी के कारण उपस्थित नहीं रहे। चिकित्सक उस दिन तथा उसके पहिले दिन भी अपने पिता की गंभीर बीमारी के कारण छुट्टी पर थे।

१३९-१४०—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—[हटा दिये गये।]

गाजीपुर जिले के लिये निर्माण कार्य

१४१—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की गरीबी तथा दयनीय स्थिति को देखते हुये मैन पावर स्कीम में कौन-कौन सी सड़क तथा बाँध वगैरह लेने पर विचार कर रही है कि वहाँ के लोगों को रोजी मिल सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ग्रामीण जन-शक्ति योजना के द्वितीय चरण में सैदपुर ब्लाक में सैदपुर-सादात जन मार्ग तथा दो सिंचाई के कार्यों (१—चकिया ड्रेन तथा २—अनलाइंड गूल २० मील) के निर्माण की योजनाए ली गई हैं।

तृतीय चरण में सादात ब्लाक के अन्तर्गत सैदपुर-सादात जन मार्ग का निर्माण विचाराधीन है।

दुद्धी तथा तुर्रा थानों में अपराध

१४२—**श्री रामप्यारे**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो तीन माह में थाना दुद्धी तथा तुर्रा, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत कितनी हत्याएं तथा आत्म हत्याएं (फांसी लगा कर) हुईं ? क्या उनका विवरण सरकार देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वाँछित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ २५३ पर)

१४३—**श्री रामप्यारे**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना दुद्धी के अन्तर्गत पिछले जून, जुलाई तथा अगस्त में कितनी मार-पीट की रिपोर्ट आई हैं ? क्या सरकार उनकी कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में थाना दुद्धी के अन्तर्गत मारपीट की २४ रिपोर्टें प्राप्त हुईं, इनमें से केवल ४ मामले cognizable थे जिनमें से ३ मामलों में जांच नहीं की गई तथा १ मामले में जांच हुई जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

आगरा जिले में वाटर मार्क कागज का अभाव

१४४—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में वाटर मार्क कागज कितने समय से उपलब्ध नहीं है ? वाटर मार्क कागज के स्थान पर कौन-सा कागज प्रयोग में लाया जा रहा है तथा वाटर मार्क कागज न होने से कितने रुपये के रेवेन्यू की हानि सरकार को हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डैन्डीरोल के खराब हो जाने के कारण मिल वाटर मार्क कागज न तैयार कर सका, जिसके फलस्वरूप जनवरी, १९६० से आगरे को यह कागज न भेजा जा सका। वाटर मार्क कागज की अनुपलब्धि में शासकीय विज्ञप्ति दिनाँक २६-९-६० के अनुसार सादा मोटा कागज तथा विज्ञप्ति दिनाँक ३०-१०-६१ के अनुसार सादा मोटा कागज जिस पर केवल जनता के प्रयोग के लिये छपा था, प्रयोग में लाया गया। वाटर मार्क कागज के अप्राप्य होने के कारण आगरे जिले में अनुमानतः १६,००० रुपये प्रति वर्ष राजस्व की कमी हो गई।

शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी

१४५—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी के शिवप्रसाद गुप्त, जनाना व मरदाना अस्पताल में अलग-अलग कितनी चारपाइयाँ मरीजों के लिये तथा कितने डाक्टर, नर्सें, मिडवाइफें तथा कम्पाउन्डर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वाराणसी का शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल मर्दाना अस्पताल है। जनाने अस्पताल का नाम ईश्वरी मेमोरियल जनाना अस्पताल है। इन दो अस्पतालों में मरीजों के लिये चारपाइयाँ, डाक्टरों, नर्सों, मिडवाइफों तथा कम्पाउन्डरों की संख्याओं की सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ २५४ पर)

१४६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बतायेगी कि सन् ६२ में तथा जनवरी, सन् ६२ से जुलाई तक मरीजों के भरती की संख्या दोनों अस्पतालों में क्या रही है? क्या सरकार के पास इस आशय की सूचना है कि मरीजों की भरती की संख्या को देखते हुये चारपाइयाँ कम हैं? यदि हाँ, तो उसे दूर करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मरीजों के भर्ती की संख्या भी संलग्न तालिका में दी हुई है। इन अस्पतालों में चारपाइयाँ कम हैं यह बात सरकार को विदित है। मरदाना अस्पताल में इसी वर्ष ७६ शय्याएं बढ़ाई गई हैं। जनाना अस्पताल में शय्याएं बढ़ाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ २५४ पर)

१४७—**श्री ऊदल**—क्या सरकार शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल में जो रुपया इलाज में खर्च होता है उसे बढ़ाने पर विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय तो ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। वैसे आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

फतेहाबाद में ट्रक दुर्घटना

१४८—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४ अगस्त, १९६२ को फतेहाबाद (जिला आगरा) के पास ट्रक दुर्घटना हुई है? यदि हाँ, तो

(क) उस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुये?

(ख) दुर्घटना का कारण क्या था?

(ग) अब तक पुलिस ने संबंधित घटना के संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, इस प्रकार की एक ट्रक दुर्घटना हुई थी।

(क) उक्त दुर्घटना में ५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ३४ व्यक्ति घायल हुये।

(ख) ड्राइवर की अनुपस्थिति में क्लीनर द्वारा असावधानी एवं शीघ्रगति से ट्रक चलाये जाने के फलस्वरूप दुर्घटना हुई।

(ग) इस संबंध में एक अपराध धारा २७९/३३७/३०४-ए भा० दं० वि० के के अन्तर्गत थाना फतेहाबाद में दर्ज किया गया और मामले की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है।

पुलिस लाइन, लखनऊ में झगड़ा

१४९—**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक २५ अगस्त, १९६२ को पुलिस लाइन, लखनऊ में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नौटंकी (रास लीला) खेली गई? यदि हाँ, तो क्या उसमें किन्हीं व्यक्तियों में झगड़ा भी हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, उक्त तिथि में नौटंकी खेली गई उसमें एक झगड़ा भी हुआ।

१५०—**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि झगड़ा किन व्यक्तियों में और क्यों हुआ ? क्या यह सच है कि कोई सी० आई० डी० विभाग का व्यक्ति इतना पीटा गया कि वह बेहोशी की हालत में अस्पताल में ले जाया गया ? यदि हाँ, तो अब उस व्यक्ति की क्या हालत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—झगड़ा नौटंकी के सिलसिले में तैनात एक कान्सटेबिल और एल० आई० यू० के एक कान्सटेबिल में हुआ। एल० आई० यू० का कान्सटेबिल औरतों और बच्चों के बीच में आकर बैठ गया और डियूटी पर नियुक्त कान्सटेबिल के मना करने पर भी उसने उस जगह से उठने से इन्कार किया और हाथापाई भी की। अन्त में कुछ अन्य कर्मचारियों की सहायता से उसे पंडाल से बाहर निकाला गया। यह बात निराधार है कि एल० आई०यू० के कान्सटेबिल को मारा पीटा गया और वह बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया।

घोसी विकास क्षेत्र के स्टोर-कीपर के विरुद्ध शिकायत

१५१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री सहदेवसिंह**—क्या विकास मंत्री दिनाँक २३ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीशनारायण लाल कब से फरार हैं और उन्होंने जमानत का रुपया दाखिल किया था कि नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—श्री जगदीशनारायणलाल १६-६-६१ से फरार हैं। उनकी जमानत का रुपया जमा है।

१५२—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री सहदेवसिंह**—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीशनारायणलाल को गिरफ्तार करने के लिये कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—२८-१२-६१ को थाना कन्धरापुर से एक रिपोर्ट थाना रौनापार को, मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिये, भेजी गई। रौनापार के थाना अध्यक्ष ने २८-१२-६१ से २४-१-६२ तक, मुल्जिम के घर पर बार-बार दबिश दी, लेकिन मुल्जिम नहीं मिला। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर २७-१-६२ को, जाब्ता फौजदारी की धारा ८७-८८ के अनुसार संबंधित न्यायाधीश के पास मामले की रिपोर्ट भेजी गई तथा २-३-६२ को इन्हीं धाराओं के अनुसार मुल्जिम के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इसके पश्चात् भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, लेकिन मुल्जिम नहीं मिला। बाद में कुछ ऐसा पता चला कि मुल्जिम बम्बई की तरफ भाग गया। अन्ततः तफतीश की कार्यवाही समाप्त होने पर मुल्जिम का चालान ५-८-६२ को मफरूरी में किया गया।

मुरादाबाद जिले में औद्योगिक ऋण

१५३—**श्री रियासत हुसैन**—क्या उद्योग मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् १९६० में जो लोन २२,५०० रुपये की टैनरी जिला मुरादाबाद में दिया गया था और वह टैनरी अभी तक नहीं बन पायीं ? क्या सरकार इसमें कुछ जाँच करायेगी ?

श्री फूलसिंह—चर्म विकास योजना के अन्तर्गत जिला मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में जिन तीन चर्मशोधन सहकारी समितियों (टेनरियों) को १६,८७५ रुपये अनुदान तथा ५,६२५ रुपये ऋण (कुल आर्थिक सहायता २२,५०० रुपये की टेनरी दी है उनमें से एक चर्म शोधन सहकारी समिति (टेनरी) का भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण हो चुका है शेष दो समितियाँ भवन निर्माण कार्य कर रही है जिसके हेतु

उन्होंने आवश्यक भवन निर्माण सामग्री एकत्रित कर ली है तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आवश्यक जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि दो समितियों के भवन निर्माण-कार्य में देर होने का कारण भूमि तथा ईंटों का शीघ्र न मिलना था।

१५४—श्री रियासत हुसैन—क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि ए० डी० ओ०, आई० मुरादाबाद का तबादला हुये ५ महीने हो चुका है, मगर ए०डी०आई० ओ० ने मुरादाबाद डी०आई० ओ० का दफ्तर नहीं छोड़ा ?

श्री फूलसिंह—ए० डी० ओ० (आई) मुरादाबाद का तबालदा पिछले ५–६ महीने में नहीं हुआ अतः उनके डी०आई० ओ०, मुरादाबाद का दफ्तर छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

१५५—श्री रियासत हुसैन—क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में कौन-कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ५ हजार रुपये से ज्यादा उद्योग के लिये लोन लिया है और उनमें से किस-किस ने उद्योग शुरू कर दिये और जिन्होंने नहीं किये हैं उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह—१९६०–६१ तथा १९६१–६२ में ५ हजार रुपये से अधिक औद्योगिक ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा उद्योग प्रारम्भ कर चुके हुये व्यक्तियों के नामों की सूची† सदन की मेज पर रख दी गई है।

ऋण प्राप्त करने वालों में से जिन व्यक्तियों ने एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी उद्योग प्रारम्भ नहीं किये हैं, उनके विरुद्ध पूरा रुपया वापस कराने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इटावा बिजली कम्पनी से स्पष्टीकरण की मांग

१५६—श्री सहदेवसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य विद्युत मंडल (स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड) ने "वैस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इटावा को निर्देश किया है कि (Consumed) उपभुक्त यूनिटों पर सरचार्ज ले कर न्यूनतम ५०० यूनिट पर सरचार्ज लिया करे ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

१५७—श्री सहदेवसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उक्त कम्पनी उपभोक्ताओं को स्पेशल रिबेट, न्यूनतम ५०० यूनिट पर न देकर केवल उपभुक्त (Consumed) यूनिटों पर दिया करती है ? यदि हाँ, तो सरचार्ज और स्पेशश रिबेट के संबंध में दो मापदंड क्यों हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को ज्ञात हुआ है कि कम्पनी न्यूनतम यूनिटों पर सरचार्ज ले रही है और स्पेशल रिबेट केवल उपभुक्त यूनिटों पर ही दे रही है। इस संबंध में कम्पनी से स्पष्टीकरण माँगा गया है।

आगरा सरोजनी नायडू अस्पताल

१५८—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सरोजनी नायडू अस्पताल में आपरेशन करने के लिये यंत्रों के अभाव का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यंत्रों का अभाव नहीं है।

---

† छापी नहीं गई।

१५९—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सरोजनी नायडू अस्पताल की नई इमारत की ऊपरी मंजिल अभी तक खाली पड़ी है? यदि हां तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, सर्जिकल ब्लाक की तीसरी मंजिल का कुछ भाग अभी खाली है क्यों कि बिजली का लोड (load) कम है।

एतमादपुर थाने में श्री हरप्रसाद का कत्ल

१६०—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव निवाजपुर, ना ऐतमादपुर, जिला आगरा में १ अप्रैल, १९६२ को रात्रि को हरदेवी के पति का कत्ल कर दिया गया ? यदि हाँ, तो पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १-४-६२ को श्री किशोरीलाल निवासी ग्राम निवाजपुर ने थाना एतमादपुर में एक रिपोर्ट इस आशय की लिखाई कि उसके भाई श्री हर प्रसाद (श्रीमती हरदेवी के पति) को चार व्यक्तियों ने लाठियों से मारा। इस आधार पर धारा ३२५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। किन्तु दिनाँक ५-४-६२ को श्री हरप्रसाद की मृत्यु की सूचना मिलने पर मामले को धारा ३०४ भा० दं० वि० में परिवर्तित कर दिया गया। जाँच के बाद प्रथम सूचना में नामजद चारों अभियुक्तों का चालान कर दिया गया। मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है।

पूरनपुर-हजारा सड़क

१६१—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि जिला पीलीभीत में पूरनपुर हजारा सड़क को बनवाने का जिला प्लानिंग कमेटी ने कोई फैसला किया था? यदि हाँ, तो इस विषय में क्या कार्यवाही हुई।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पूरनपुर से हजारा जाने वाले मार्ग में घनाराघाट के आगे शारदा नदी पड़ती है जिस पर पुल नहीं है। उक्त पुल के निर्माण व सड़क के बनाने में इतना अधिक व्यय होने का अनुमान है जो जिला नियोजन समिति की शक्ति के बाहर है ऐसी अवस्था में उक्त सड़क का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

१६२—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह सड़क नैपाल से मिलती है और इसको बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। सड़क नैपाल से मिलती है, पर इस सड़क को बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

१६३—श्री रियासत हुसैन—[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इलाहाबाद क्षय रोग अस्पताल

१६४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद के क्षय रोग अस्पताल (T. B. Hospital) में जो कक्ष (ward) स्त्रियों के लिये इमारत बन रही थी उस इमारत का बनना रुका पड़ा है ? यदि हाँ, तो उसको अधूरा रोकने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । इसका कारण यह है कि स्थानीय ठेकेदार ने जिसे यह कार्य सौंपा गया था मारकेट रेट बढ़ जाने के कारण कक्ष की केवल नींव बनाकर कार्य छोड़ दिया । अब सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुनः टेंडर मांगे हैं जिसके स्वीकृति होते ही संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

१६५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलावेंगे कि इलाहाबाद के T. B. Hospital में मरीजों को भरती करने का आदेश किसके द्वारा होता है और अस्पताल में इस समय कितने bed का स्थान है तथा कुल कितने मरीज भरती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इलाहाबाद के टी० बी० हास्पिटल में मरीजों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से होती है :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश द्वारा ।

(ख) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, के आदेश द्वारा ।

(ग) अस्पताल के ऐडमिशन बोर्ड के द्वारा ।

(घ) इमरजेंसी में स्थानीय अधिकारी के द्वारा ।

इस समय अस्पताल में ४५ शय्याओं का स्थान है तथा इतने ही मरीज भरती हैं ।

१६६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलावेंगे कि क्षय रोग अस्पताल, इलाहाबाद में कितने मरीज outdoor patient १९६०-६१, १९६१-६२ में इलाज कराने हेतु आये तथा इतने समय में उस अस्पताल में कितने मरीजों की दवाई उस अस्पताल के बजट से रखी गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--टी०बी० हास्पिटल, इलाहाबाद में कोई नियमित आउटडोर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी । केवल वे मरीज जो अस्पताल से डिस्चार्ज होते थे अथवा वेटिंग लिस्ट में होते थे वही आउटडोर चिकित्सा के भागी थे । ऐसे मरीजों की संख्या सन् १९६०-६१, तथा १९६१-६२ में क्रमशः ४८८ तथा ५३८ थी तथा इस अवधि में प्रत्येक वर्ष ८,००० रुपया का प्राविधान उक्त अस्पताल के बजट में दवाओं के लिये किया गया । इसके अतिरिक्त १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में उक्त अस्पतालों को दवाओं के निमित्त क्रमशः १०,००० रुपये तथा ८,००० रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी स्वीकृत किया गया । इस सम्पूर्ण धनराशि से कितने मरीजों को दवाई दी गई यह बताना कठिन है ।

मुरादाबाद में रमेश मेटल वर्क्स से तांबे की सिल्लियों की बरामदगी

१६७--श्री रियासत हुसैन--क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि शहर मुरादाबाद में श्री रमेश मेटल वर्क्स के यहां से २० सिल्लियां तांबे की पकड़ी गई थीं जिनकी कीमत लगभग तीन हजार रुपये थी ? यदि हां, तो इस बारे में क्या किया गया ?

श्री फूल सिंह--२६ अगस्त, सन् १९६१ को तांबे की २० सिल्लियां पुलिस ने श्री रमेश मेटल वर्क्स के यहां से पकड़ी थी, परन्तु जांच के बाद जब इनकी ब्लैक से खरीद सिद्ध न हो सकी तो उपरोक्त माल को छोड़ दिया गया ।

१६८--श्री रियासतहुसैन--क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि कोई ए० डी० ओ० (एक्स इंडस्ट्रियल आफिसर) श्री रमेश मेटल वर्क्स के मकान में रहता है ?

श्री फूलसिंह--जी हां । लाला कान्ती प्रसाद जो श्री रमेश मेटल वर्क्स के पार्टनर हैं के किराये वाले क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर में २० रु० मासिक किराये पर एक ए० डी० ओ० रहता है ।

१६९—श्री रियासत हुसैन—क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि कोई आयल फायर्ड फरनेस तीस हजार रुपये को नान फेरस मेटल स्कीम के लिये १९६० में मुरादाबाद में खरीदी गई थी ? यदि हां, तो वह कहां लगी हुई है और किस काम आ रही है ?

श्री फूलसिंह—हां, एक आयल फायर्ड फरनेस मशीन १९५८ में ८,९०८ रुपयों में खरीदी गई थी। यह मशीन राजकीय नान फेरस वर्कशाप में लगाई गई है। विद्युत् शक्ति के प्राप्त होने पर वह प्रयोग में लाई जावेगी ।

नेवादा गोपालपुर के प्राइमरी स्कूल का भवन

१७०—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगल देव—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ और विकास खंड अधिकारी फतेहपुर मंडाव के पास ग्राम सभा नेवादा गोपालपुर के प्रधान का प्रार्थना-पत्र कई बार इस आशय का आया है कि पुराने प्रधान के पास सैकड़ों रुपया गांव सभा के कोष का है जिसे नये प्रधान को चार्ज में नहीं दिया है जिसके कारण अपर प्राइमरी स्कूल का भवन धराशायी है और नये भवन बनाने हेतु धनाभाव है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गांव सभा नेवादागोपालपुर के प्रधान का इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र जिलाधीश एवं खंड विकास अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ। नेवादागोपालपुर के भूतपूर्व प्रधान के पास गांव सभा का ३३१ रुपये ५ न० पै० अवश्य अवशेष था जो अब वर्तमान प्रधान के पास जमा कर दिया गया है ।

जहां तक नेवादा गोपालपुर के प्राइमरी स्कूल भवन के नव निर्माण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में क्षेत्र समिति फतेहपुर मंडाव द्वारा प्रस्ताव पारित कर अन्तरिम जिला परिषद् आजमगढ़ को भेजा था, किन्तु धनाभाव के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। गांव सभा द्वारा भवन निर्माण के लिये गांव सभा के कोष से धन राशि व्यय करने की स्वीकृति हेतु स्वयं कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिला अन्तरिम परिषद् को अनुदान

१७१—श्री देवदत्त मिश्र—क्या विकास मंत्री यह बतायेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव को द्वितीय वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में सरकार द्वारा किन-किन मदों में कितना अनुदान और कितना ऋण दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

१७२—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अवधि में अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव ने किन-किन मदों में कितना खर्च किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

१७३—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अगस्त, १९६१ से १५ अगस्त, १९६२ तक अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण और सुधार किया गया तथा इसमें कितना खर्च हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

पट्टी खनसर से निर्माण कार्यों के लिये प्रार्थना

१७४—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के पास पट्टी खनसर (सीमान्त जिला चमोली) की जनता विकास खंड गैर सैंड़ा तथा क्षेत्रीय विधायक की ओर से रामगंगा, खनसर गाड़ (नाला) तथा स्यूणी गाड़ में पुलों के निर्माण करवाये जाने और उस क्षेत्र में हलवौरी बछुप्रा बांण, नैल, देवपुरी से थरालो तक सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में जो प्रार्थना-पत्र व प्रस्ताव आदि भेजे गये थे सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पट्टी खनसरा में यातायात की सुविधा के लिये जो सुझाव आये थे उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

१७५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त पट्टी खनसर में पुलों व सड़कों के निर्माण हेतु सम्बन्धित विभागीय उच्च अधिकारियों की ओर से कोई योजना व संस्तुति पेश है ? क्या सरकार पट्टी खनसर की जनता के कष्ट निवारणार्थ इन मांगों की पूर्ति शीघ्र ही करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कर्णप्रयाग पनवाल गनई मोटर मार्ग तथा इसके ऊपर पड़ने वाले पुलों का निर्माण हो रहा है तथा इस सड़क को पक्का करने का भी विचार है ।

इसके अतिरिक्त कर्णप्रयाग थरालो पक्की सड़क तथा उस पर पड़ने वाले पुलों का निर्माण हो रहा है ।

यद्यपि यह मार्ग इस पट्टी से होकर नहीं जाता है पर पट्टी के पास से ही जाता है और इसके निर्माण से इस पट्टी के रहने वालों को भी लाभ होगा ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

१७६—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कौन-कौन से मान्यता प्राप्त राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संगठन हैं और कितनों की मान्यता सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संगठनों की सूची संलग्न है । केवल एक ऐसे संगठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ २५५ पर)

औद्योगिक प्रतिष्ठान

१७७—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कौन-कौन सी रजिस्टर्ड तथा मान्यता प्राप्त यूनियन हैं और उनके अध्यक्षों तथा मंत्रियों के क्या नाम हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ २५६-२५८ पर)

ऊनी वस्त्र उत्पादन केन्द्र, मैठाणी

१७८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिला चमोली के अन्तर्गत मैठाणी ऊनी वस्त्र उत्पादन तथा ऊन सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र का विघटन कर दिया गया है ? यदि ऐसा किया गया है, तो क्यों और किन कारणों से ?

श्री फूलसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

१७९—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिला चमोली के अन्तर्गत ऊनी वस्त्र उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मैठाणी के १९४७ से १९६२ तक के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं? केन्द्र के ह्रास तथा अवनति के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं और इसमें उत्पादन घटने के क्या कारण हैं?

श्री फूलसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

१८०—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मैठाणी (सीमान्त जिला चमोली) में सरकार ऊन सम्बन्धी उत्पादन तथा प्रशिक्षण का कार्य पूर्ववत् चालू करने का विचार कर रही है, क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री फूलसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

चीनी मिल मजदूरों के लिये मकान

१८१—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ से लेकर अब तक किन-किन चीनी मिलों ने कितने-मकान मजदूरों के रहने के लिये बनवाये हैं और उनकी संख्या सरकार ने क्या निर्धारित की थी और तब से लेकर अब तक कितना रुपया निर्माण-कार्य हेतु सरकार ने चीनी मिलों को दिया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१९५२ से लेकर अगस्त १९६२ तक ५७ चीनी मिलों ने कुल १३५१ मकान बनवाये हैं?

सरकार द्वारा निर्धारित संख्या १,५८६ हैं।

मकानों के बनवाने के लिये ४५,५०,१५७ रुपये की धनराशि स्वीकृत है जिसमें से कुल ३९,९६,०८८ रुपये चीनी मिलों को दिये जा चुके हैं।

१८२—श्री ऊदल—क्या सरकार इसकी जांच करने जा रही है कि जो मकान बने हैं वे मजदूरों के रहने लायक हैं या नहीं, तथा मकानों की कितनी आवश्यकता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह मकान, मुख्य अभियन्ता, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, द्वारा बनाये गये स्टैन्डर्ड तथा प्लान के अनुसार बने हैं। इन मकानों में रहने का स्थान भारत सरकार की औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने मकानों के समान है।

मकानों की आवश्यकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण होने जा रहा है।

राही विकास क्षेत्र

१८३—श्री रतीपाल—क्या सरकार बतलायेगी कि रायबरेली जिले के अन्तर्गत राही विकास क्षेत्र के भवन आदि निर्माण हेतु किन-किन व्यक्तियों की भूमि सरकार ने ले ली है? क्या इस हेतु भूमि से अनधिकृत किये हुये व्यक्तियों को कुछ मुआवजा देने का विधान है? यदि हां, तो उनको अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रसंगगत विकास क्षेत्र के भवनों के निर्माणार्थ सरकारी और नजूल की भूमि के अतिरिक्त, केवल एक प्लाट और लिया गया है जिसके स्वामी संयुक्त रूप से, श्री मोहम्मद आबिद खां, श्रीमती जुबेदा खातून, श्री मोहम्मद अमीन खां और श्री मोहम्मद जहूर खां हैं। इन्हें उपयुक्त मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था है, परन्तु ये लोग मुआवजा लेने के लिये बुलाये जाने पर भी अभी तक उपस्थित नहीं हुये हैं।

क्षेत्र समिति अतर्रा संबंधित कथित गबन

१८४—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र समिति अतर्रा, परगना नरैनी, जिला बांदा ने श्री बद्री प्रसाद अरजरिया पर ७०० रुपये का गबन पकड़ कर पुलिस में जांच के वास्ते भेजा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

१८५—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस गबन की जांच पुलिस को कब दी गई और उसकी फाइनल रिपोर्ट कब दी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता ।

१८६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि पुलिस ने जांच में देरी क्यों की ? क्या सरकार देरी से जांच के कारणों पर प्रकाश डालेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता ।

सिकरारा ब्लाक

१८७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या विकास मंत्री जी बतायेंगे कि सिकरारा ब्लाक में जौनपुर निर्वाचन-क्षेत्र के कौन-कौन से गांव पड़ते हैं और इन ग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले एम० एल० ए० और एम० पी० को प्रमुख के चुनाव से सम्बन्धित मतदाता सूची में क्यों नहीं दर्ज किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सिकरारा विकास खंड, जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित गांव पड़ते हैं :

१—सैदनपुर, २—कादीपुर, ३—इसमेला, ४—छलिमपुर, ५—गोधना, ६—नेवादा, तथा ७—शिवापार ।

ऐसा मालूम पड़ता है कि इन ग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले एम० एल० ए० व एम० पी० का नाम त्रुटि वश प्रमुखों के चुनाव से सम्बन्धित मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया गया । यद्यपि मतदाता सूची सर्व साधारण की सूचनार्थ विधिवत प्रकाशित की गई थी, परन्तु उस समय विधायकों या अन्य किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं उठाई । अब कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

श्री सोहनलाल धुसिया द्वारा प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति

*श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—व्यवस्था का प्रश्न है । आज मेरे एक प्रश्न ६४ के जवाब में यह कहा गया है कि माननीय सदस्य वांछित सूचना कृपया विकास मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं । तो ऐसी परम्परा नहीं रही है । यह सदस्यों के अधिकार को छीना जा रहा है । इस तरह से हम किस-किस के कक्ष में जाते रहेंगे ? आखिर हम भी आदमी हैं क्योंकि मिनिस्टरों की इतनी तादाद है कि हम कहां तक पहुंच सकेंगे । इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा राज था जो एक गवर्नमेन्ट आफिशियल ग्रुप से सम्बन्धित था और जिसके पीछे हम पड़े हुये थे । बहुत मुश्किल से यह जान सके और उसे छिपाने के लिये यहां ऐसा जवाब दिया गया । हम चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब हाउस के सामने जरूर रखा जाना चाहिये था ताकि असल बात खुल सके और हम चाहेंगे कि इसका जवाब सदन की मेज पर रखा जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—अब बहुत सी बातें नियमों से सम्बन्धित होती हैं। अगर मुझे समय हो उसे देखने का और समझने का, तो मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि ऐसा जवाब क्यों दिया गया। इस समय शायद मैं आपको नहीं बतला सकूंगा कि ऐसा उत्तर क्यों दिया गया और कैसे दिया गया। तो यह हो सकता है कि माननीय विकास मंत्री कुछ प्रकाश डाल सकें इसके ऊपर कि क्यों ऐसा उत्तर दिया गया।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—उन्होंने पूछा था कितने लोगों को प्राइज मिला? ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता क्योंकि ६,७ सफे का जवाब है। इसलिये कहा गया कि माननीय सदस्य चाहेंगे तो हमारे दफ्तर से ले लें। सवाल पूछा गया है कि किन-किन लोगों को कितना प्राइज मिला। यह तो कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है जो as facts छिपाया जाय। माननीय सदस्य चाहें तो कृपया कमरे में आकर उसे देख सकते हैं इसीलिये यह जवाब दिया गया।

श्री अध्यक्ष—माननीय धुसिया जी, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। वह ठीक है या नहीं, यह तो मैं देख लूंगा और अगर मैं यह समझूंगा कि उनको उत्तर और ब्योरेवार देना चाहिये तो मैं ऐसा कह दूंगा कि ब्योरेवार आना चाहिये।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ २५९–२७८ पर)

श्री शारदानन्द, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक गिरफ्तारी की सूचना आयी है।

October 17, 1962.

Sri M. C. Sharma,
District Magistrate.

"I have the honour to inform you that Sri Sharda Nand, a member of the U. P. Vidhan Sabha, has today been arrested under section 7 of the Criminal Law Amendment Act at 10.30 A.M. He is at present lodged in the District Jail, Lucknow."

१७ अक्तूबर, १९६२ को दिन के साढ़े १० बजे क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत माननीय शारदानन्द जी गिरफ्तार किये गये। उन्हें इस समय लखनऊ जिला जेल में रखा गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक चीज जरा निवेदन करनी थी कि यह चिट्ठी जो आयी है यह अंग्रेजी में है। गवर्नमेंट आफिसर्स का आम तौर से एक तरीका हो गया है कि जो भी लिखेंगे वह अंग्रेजी में लिखेंगे। इस पर आप जरा अगर ध्यान दें तो उनको कम से कम यह लिखें कि जो यहां पत्र भेजा करें वह तो हिन्दी में लिखा करें। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—पिछली बार जब भी कोई गिरफ्तारी होती थी माननीय सदन के सदस्यों को तो वायरलेस या तार से सूचना आती थी। उसके

ऊपर आपत्ति उठायी गयी थी कि अधूरी सूचनायें आया करती थीं। हमारी नियमावली में इसके लिये एक फार्म प्रेस्क्राइब्ड है। तो पिछली दफा अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि जब भी इस प्रकार की कोई सूचना आये तो उस प्रेस्क्राइब्ड फार्म में आये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सूचना उसी फार्म के हिसाब से आयी है ?

श्री अध्यक्ष—आप ही बता दीजिये कि फार्म के अनुरूप है या नहीं—

"I have the honour to inform you that Sri Sharda Nand, a member of the U. P. Vidhan Sabha has today been arrested .....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—यह फार्म के मुताबिक नहीं है। प्रक्रिया नियमावली में जो शेड्यूल दिया हुआ है। उसके मुताबिक यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, हमारी तरफ से डायरेक्शन चला जायगा या कदाचित् सरकार ही इसमें हमारी सहायता करेगी कि आफिसर्स को सूचना दे दें कि जो फार्म है उसी के अनुरूप वे सूचनाएं भेजें और कदाचित् विधान सभा का सचिवालय भी अगर सब आफिसेज में सूचना भेज दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इसमें तो एक बड़ा वैधानिक प्रश्न उपस्थित होगा। जो सूचना डी० एम० के द्वारा भेजी गयी है इसमें समय नहीं लिखा गया है कि किस समय गिरफ्तारी हुई।

श्री अध्यक्ष—आप सुनते तो हैं नहीं। समय दिया हुआ है साढ़े १० बजे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अगर आप फार्म पढ़ लें तो इसमें बहुत विस्तृत सूचना दी गयी है। जो सूचना दी गयी है इसमें और उसमें बहुत फर्क है और इसमें तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है।

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है तो आप सूचना दे दीजियेगा, लेकिन यह सदन इतना टची नहीं है। हम भी कुछ गौरव रखते हैं। अगर हमारे कोई अधिकारों पर आघात हो और अगर कोई ऐसी बात हो जिसके ऊपर शंका हो। एक आफिसर ने भेजा है, उसने गलती की है, उसकी सूचना उन्हें दे दी जायगी। हम लोग तो बहुत सी बातें सुनते हैं और पी जाते हैं, तो यह भी होनी चाहिये।

सर्वश्री बैजनाथसिंह वैद्य तथा रामायणराय द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब माननीय बैजनाथसिंह ने एक विशेषाधिकार की सूचना भेजी है और माननीय रामायणराय जी की भी एक सूचना माननीय वंशीधर जी पांडेय, सभा सचिव के विरुद्ध है। उनको नोटिस भेज दीजियेगा तो फिर मैं उसको पढ़ दूंगा।

माननीय बैजनाथ सिंह की सूचना इस प्रकार है :—

"दिनांक ४-१०-६२ को मैं खाना खाने जा रहा था तो बाहर के गेट पर लगभग १ बजे के बाद जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने मेरा अपमान किया। यह प्रश्न मैं कल सदन के समक्ष उठा चुका हूं। माननीय नेता विरोधी दल श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जनसंघ) के विरुद्ध मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।"

यह माननीय यादवेन्द्रदत्त जी के विरुद्ध है। (श्री यादवेन्द्र दत्त से) आपको तो नोटिस मिल ही चुकी होगी ?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मुझे कल माननीय सदस्य ने बहुत कष्ट करके और बड़ी कृपा करके नोटिस दी है और मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैं उनके इस प्रश्न का अब क्या उत्तर दूं, इसलिये मैं उसका कोई उत्तर नहीं देता.....

(श्री काशीनाथ मिश्र के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—माननीय काशीनाथ जी, यह गलत बात है। एक सम्मानित सदस्य बोल रहे हैं और आप बीच-बीच में बोल उठते हैं। यह आप नहीं कर सकते।

(श्री यादवेन्द्रदत्त से) इसका कोई उत्तर आप क्या नहीं देना चाहते हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—अब इसका क्या उत्तर हो सकता है ? आप स्वयं इसे देखें और यदि समझें तो इसको आप प्रिविलेज कमेटी में भेज दें। और क्या कहूं ?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—अगर कोई उत्तर नहीं देते हैं तो मुझे, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दे दीजिये मैं उत्तर बना दूंगा।

श्री अध्यक्ष—नहीं, जब मैं आपसे पूछना चाहूंगा तो पूछ लूंगा।

यह प्रश्न जो उठाया गया है ऐसी शिकायत के सम्बन्ध में है जो कि समय-समय पर इस आदरणीय सदन के समक्ष विभिन्न सदस्यों द्वारा आती रही है। मैंने कई बार इन घटनाओं के सम्बन्ध में अपने विचार इस आदरणीय सदन के समक्ष रखे हैं और यद्यपि मुझे इस बात से कष्ट होता रहा है कि माननीय सदस्यों को सदन में आने में कठिनाई होती है, जो अवांछनीय है, तो भी मेरे सामने, मैं समझता हूं कि बड़े कठिन प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, जब इस सबन्ध में कोई व्यवस्था करने के सम्बन्ध में मैं सोचता हूं। एक तरफ तो अनुच्छेद १९ संविधान का है जो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह अपने विचार प्रकट करे, वह असेम्बल हो सके, एक जगह पर एकत्रित हो सके और निर्बाध रूप से प्रत्येक स्थान पर जा सके। यह हमारा अनुच्छेद १९ है:—वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र्य और शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन और संस्था या संघ बनाने का अधिकार और विचारों का अधिकार" एक तरफ तो अनुच्छेद १९ इस प्रकार का है। दूसरी तरफ अनुच्छेद १९५ और १९४ हमारे उन संसदीय अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है जो कि हमें प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में दो रूलिंग्स हैं। एक तो ब्लिट्स के संबंध में है और दूसरी एम० एस० शर्मा के संबंध में है। ब्लिट्ज के निर्णय का कहना यह है कि हमारे विशेषाधिकार जो कुछ हमें प्राप्त हैं, उनके मौलिक सिद्धान्त को मानते हुये, विशेषाधिकार हमारे होने चाहिये। एम० एस० शर्मा का केस १९५९ में गया। उसमें यह निर्णय हुआ कि संसदीय अधिकार, विशेषाधिकार के अधिकार संविधान के भाग (३) के अधीन नहीं हैं। तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वह यह है कि हमने इस सदन में बैठने के पूर्व यह शपथ ली है कि संविधान के प्रति हम निष्ठा और विश्वास रखेंगे और उसका पालन करेंगे और हमारी निष्ठा होते हुये, हमारे सामने प्रश्न यह होता है कि क्या हम उन मौलिक अधिकारों को उपेक्षा कर सकते हैं, जो मौलिक अधिकार संविधान के भाग (३) में हमारे देश के निवासियों को दिये गये हैं, क्या उनकी उपेक्षा कर के हमारे लिये उचित होगा कि हम विशेषाधिकारों को बरतें, यह कुछ ऐसे मौलिक सिद्धान्त मेरे सामने उपस्थित हो गये हैं जिनका मैं अध्ययन कर रहा हूं और उनके अध्ययन करने के पश्चात् ही मैं माननीय नेता विरोधी दल से और माननीय बैजनाथ सिंह जी से यह जानने का प्रयत्न करूंगा कि इस संबंध में हमारी क्या व्यवस्था होनी चाहिये। तो मैं आज सिर्फ अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप भी विचार कर लें और यथासमय हम इसके ऊपर आवश्यकता होने पर विचार कर लेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, इसके बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इसमें माननीय नेता विरोधी दल कहां से आ जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप बहस शुरू कर देते हैं। इसको बाद में देखा जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, जब यह आते ही नहीं हैं तो देखने का प्रश्न कहां से आता है। विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—माननीय श्रीपाल जी आप कृपया आसन ग्रहण करें। वह आते हैं या नहीं, यह भी एक बड़ा मौलिक प्रश्न है। मैं इस सदन में बैठ सकता हूं और एक आन्दोलन का संचालन बाहर कर सकता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा है कि जनसंघ का आन्दोलन जरूर चलेगा, चल रहा है और जनसंघ उत्तरदायित्व लेता है। इस किस्म की बातें हैं तो यह बहस की बात हो जाती है। आप चाहते हैं कि मैं यह कह दूं और तय हो जाय। इधर भी कहने वाले हैं और उधर भी कहने वाले हैं। यह ऐसा विषय नहीं है कि इसको इस तरह से खत्म कर दें। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसके पीछे एक पृष्ठ भूमि है उसको हमें देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि आप रुकावट डाल रहे हैं या नहीं।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यहां पर रुकावट का प्रश्न नहीं है, अपमान का प्रश्न है और बाहर का है।

श्री अध्यक्ष—अब इसके ऊपर फिर विचार होगा। अब श्री रामायणराय जी का मैं देख लूं। यह आज सायंकाल या कल सबेरे ले लिया जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं और नियम ५२ के अन्तर्गत बहुत सी सूचनाएं आयी हैं। मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव और नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं जो आयी हैं उन सब को अस्वीकार किया है। केवल एक माननीय मदनपालसिंह के प्रश्न को माननीय मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के हेतु भेज दिया है। जो माननीय सदस्य कारण जानना चाहें वह कृपया सचिव से बात कर लें। उसमें मैंने कारण लिख दिये हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक दफा ५२ का मेरा भी है। वह कम से कम हाउस में पढ़ कर सुना दिया जाय।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, दफा ५२ के अन्तर्गत, जालौन डिस्ट्रिक्ट में एक मर्डर हो गया था और हर तीन-तीन दिन पर मर्डर हो रहे हैं, उस संबंध में दफा ५२ के अन्तर्गत सूचना थी।

श्री अध्यक्ष—इस तरह से अगर मैं बहस सुनने लग जाऊंगा तो नियम ५२ एक घंटे चल सकता है। यहां सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की है। आप आकर देख लें।

श्री शिवसम्पति शर्मा—मैं जानना चाहता हूं कि उस पर आपका क्या निर्णय हुआ?

श्री अध्यक्ष—आप सुन लें। मैंने इस आदरणीय सदन में कहा है, हो सकता है कि मैं गलती पर हूं, हो सकता है कि मैंने गम्भीरता न समझी हो, मैं जानकारी प्राप्त करके दूसरे दिन भी ले सकता हूं। इस समय जिसको मैंने स्वीकार नहीं किया है, उसको कह दिया है, उसके अतिरिक्त अगर जानकारी चाहते हैं ....

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। माननीय मदनपालसिंह का आपने जो नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया, आपने कहा कि

[श्री कल्पनाथसिंह]

वह माननीय मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है। कृपया आप मंत्री जी से कह दें, तिथि निश्चित हो जाय कि किस तिथि को मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष—शायद मैं गलत बोला, या आपने गलत समझा। मैंने नियम ५२ में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है ताकि उस पर जो उचित कार्यवाही हो वह यथाशीघ्र कर लें।

श्री कल्पनाथसिंह—निवेदन है कि आप स्वीकार कर लें, क्योंकि आपने आज कोई स्वीकार नहीं किया है। इसकी अहमियत को भी आपने समझा। उसको आप स्वीकार करें। मंत्री जी से कह दें कि वह उस पर वक्तव्य दे दें। आज कोई दूसरा स्वीकार कर लिया होता तो बात ठीक थी।

श्री अध्यक्ष—वह समाप्त हो गया।

अब काशीनाथ जी ने एक प्रस्ताव के रूप में भेजा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—बधाई का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—बधाई आप देंगे, या माननीय मुख्य मंत्री देंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—हम भी दे सकते हैं और माननीय मुख्य मंत्री भी दे सकते हैं। जिस दिन सदन खुला है उसी दिन प्रस्ताव आना चाहिए था। माननीय मुख्य मंत्री पिछड़ गये हैं तो हमारी तरफ से होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—वह मैं देख लूंगा। आपने बहुत विलम्ब से भेजा।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैंने विलम्ब से नहीं भेजा है। मैंने पौने दस बजे भेज दिया था और सीमा क्षेत्र में जो हमारे बहादुर सिपाही लड़ रहे हैं उनकी बहादुरी.....

श्री अध्यक्ष—मैंने इसको देखा नहीं है। मैं देख लूंगा।

गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क मजदूरों की मजदूरी न दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम ५२ के अन्तर्गत सर्व श्री कल्पनाथसिंह एवं बांकेलाल ने यह कहा है कि कई हजार टेस्ट वर्क के मजदूरों की मजदूरी जुलाई, १९६२ से अभी तक नहीं बांटी गई है। सरकार अभी तक उनकी मजदूरी बटवाने की जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ रही एवं ग्राम सभा प्रधान के पास टेस्ट वर्क के मजदूरों को मजदूरी देने के लिए धनराशि देने में असमर्थ रही। मजदूरी न मिलने के कारण बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में व्यापक असन्तोष रोष एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है।

श्रीमन्, फेमीन कोड के पैरा ४८ के अनुसार टेस्ट वर्क उन स्थितियों में खोले जाते हैं जबकि वस्तुओं के दामों में बढ़ती जारी रहती है, जब भिक्षुक शहरों एवं बड़े, गांवों में आने लगते हैं, सम्पत्ति के संबंध में जुर्म होते हैं या मनुष्यों का अपने पशुओं के साथ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को बड़ी मात्रा में निर्गमन होता है। आपदाकाल में, जब कि अधिकतर लोगों को रोजगार मिलना तथा जीवन निर्वाह करना असम्भव होता है, रोजगार देने के लिए टेस्ट वर्क खोले जाते हैं। टेस्ट वर्क पर काम करने वालों को दैनिक मजदूरी उनके काम के अनुसार दी जाती है। परन्तु जिलाधीश की सिफारिश पर सन् १९५९ से जिला गोरखपुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो टेस्ट वर्क खोले जाते हैं उनके सम्बन्ध में अपवाद रूप में मजदूरों को ७ रुपये प्रति हजार क्यूबिक फुट के आधार पर व्यक्तिगत

रूप से मजदूरी न देकर सामूहिक रूप से देने को स्वीकृत दी गई है। इस आदेश के जारी होने के समय जिलाधीश को स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रत्येक मजदूर को मजदूरी समान रूप से दी जावे और उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि मजदूरों को किसी शिकायत का अवसर नहीं रहना चाहिए।

सरकार ने जिलाधीश के इन सुझावों को भी स्वीकार कर लिया कि टेस्ट वर्क द्वारा पिछले वर्ष के अधूरे कार्य पूरे किये जायं, भूमिहीन मजदूरों को, जिनको हमेशा क्षति पहुंचती है सहायता दी जाय तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो कुछ सहायता दी जाय इन सब की जिम्मेदारी स्थानीय प्रधान एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर रहेगी। उक्त सुझावों को जब से सरकार ने स्वीकृत किया गोरखपुर में टेस्ट वर्क का कार्य ग्राम सभा प्रधान द्वारा होता है और उनको किये हुए कार्य के आधार पर धनराशि दे दी जाती है। वे ही मजदूरों को मजदूरी वितरित करते हैं और उसका पूरा हिसाब जिला अधिकारियों के पास भेज देते हैं।

इस वर्ष आपत्तिकालीन सहायता समिति ने अपनी २१ अप्रैल, १९६२ की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि १९६१ की बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में टेस्ट वर्क खोले जायं। यद्यपि इन क्षेत्रों में रबी की फसल सन्तोषजनक हुई थी तथापि पिछले वर्ष की बाढ़ द्वारा हुई भयानक क्षति को तथा उस क्षेत्र की पिछड़ी स्थिति को दृष्टि में रखते हुए टेस्ट वर्क के संबंध में यह प्रस्ताव किया गया था। अतएव सहायता समिति की सिफारिशों को सही और युक्तिसंगत मानकर निम्नलिखित टेस्ट वर्क इस जिले में खोले गए—

तहसील महराजगंज	११
तहसील फरेंदा	५६
तहसील बांसगांव	६
तहसील सदर	७

उपर्युक्त टेस्ट वर्क के कार्यों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथमतः वह जो कि उन क्षेत्रों में शुरू किये गये जहां रबी की फसलों को ओला वृष्टि द्वारा क्षति पहुंची थी। दूसरी श्रेणी में वह टेस्ट वर्क आते हैं जो अन्य क्षेत्रों में खोले गए।

जिन क्षेत्रों में ओला वृष्टि से क्षति हुई और जहां धन का शीघ्र वितरण अति आवश्यक था वहां मजदूरी का वितरण जहां तक हो सका समय पर हुआ है और केवल २३,४३४ रुपया ही मजदूरी के रूप में देना शेष था। मजदूरी का अधिकांश बकाया ३ लाख पया उन क्षेत्रों से संबंध रखता था जहां रबी की फसलों को कोई क्षति नहीं हुई थी और जहां टेस्ट वर्क के कार्यों को खोलने का मुख्य उद्देश्य पिछले वर्षों के अधूरे कार्यों को पूर्ण करना तथा भूमिहीन मजदूरों को रोजी देना था।

लागू योजना के अनुसार जो जिला आपत्त-कालीन सहायता समिति की सिफारिश पर स्वीकार की गई थी मजदूरी देने का आधार जमीन पर किये गये कार्य की मात्रा है। किये गए कार्य की नाप ओवरसियर करते हैं जिनकी सेवायें नियोजन विभाग, अन्तरिम जिला परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग से उपलब्ध की जाती हैं। इन ओवरसियरों को यह कार्य अपने कार्यों के अतिरिक्त करना पड़ता है। अतएव इनके लिए कभी कभी यह कठिन हो जाता है कि वे साप्ताहिक नाप समय पर कर सकें। बकाया मजदूरी के न दिये जाने का एक मुख्य कारण यह भी है, तथापि उन अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में जहां रबी की फसलें नष्ट हुईं और जहां मजदूरी का बकाया केवल २३,४३४ रुपया था, मजदूरी के शीघ्र और नियमित रूप से अदायगी के हेतु आवश्यक प्रबन्ध कर दिया गया था।

[श्री बृजविहारी]

चालू वर्ष के अगस्त मास के अन्त तक टेस्ट वर्क के संबंध में सरकार ने ३ लाख १५ हजार रुपया स्वीकार किया और ३ अक्तूबर, १९६२ को मजदूरों को मजदूरी की अदायगी के हेतु ३ लाख २५ हजार रुपये की एक अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकार की है।

मजदूरी के न दिये जाने के कारण विशेष असन्तोष नहीं प्रतीत होता है क्योंकि प्रथमतः ओले द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में अदायगी साधारण रूप से नियमित रही है और द्वितीयतः प्रधानों ने जिनके अन्तर्गत टेस्ट वर्क के कार्य किए जा रहे हैं। मजदूरों को सन्तुष्ट रखने के लिये आंशिक मजदूरी देने का प्रबन्ध कभी कभी स्वयं भी कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में टेस्ट वर्क की मजदूरी का अधिकांश नहीं बटा था वहां के मजदूरों को टेस्ट वर्क की मजदूरी के अतिरिक्त रोजी के अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। एक प्रकार से उन क्षेत्रों में टेस्ट वर्क की मजदूरी अतिरिक्त आय ही है और मजदूर इसे इकट्ठा लेना ही पसन्द करते हैं। मजदूरी का कुल बकाया अब बांटा जा चुका है।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—आपसे मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। आज के ऐजेन्डे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव का भी पांचवा आइटम है। वह आपने अभी कोई नहीं लिया है। जगन्नाथ सिंह जी ने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस विषय पर आपने कुछ नहीं कहा और दूसरे आइटम पर आप चले गये।

श्री अध्यक्ष—मैंने दोनों कार्य-स्थगन प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया है। यह मैंने कहा था।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री की ओर से जो वक्तव्य पढ़ा गया उस वक्तव्य में टेस्ट वर्क की हिस्ट्री बयान की गई, उसका प्रोसीजर बयान किया गया। मुझे उस संबंध में कुछ कहना नहीं था और मैंने उसका नोटिस ही दिया था। लेकिन अब राजस्व मंत्री जी ने उसको पढ़ दिया है.....

श्री अध्यक्ष—आप सवाल कीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—उन्होंने हाउस को कन्फ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी यह बतलायें कि कब से, किस तारीख से उन मजदूरों की मजदूरी बकाया थी और किस तारीख को उनका पेमेन्ट हुआ ?

श्री अध्यक्ष (राजस्व मंत्री से)—आप यह बतलायें कि इसमें यह लिखा हुआ है कि टेस्ट वर्क की मजदूरी गत जुलाई मास से हजारों रुपया बाकी पड़ी हुई है। इसका जवाब दीजिये।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अब वह सब अदा कर दी गई है।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उक्त मजदूरी कब से बाकी है और किस तारीख को सरकार की ओर से वह पैसा अदायगी के लिये भेजा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो रकम बाकी थी इधर, आपका नोटिस आने के बाद भेजी और अदायगी हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—फैमिन कोड का यह नियम है कि टेस्ट वर्क की मजदूरी जब मजदूर काम करें तो उसी वक्त दी जाय। यह नहीं है कि मजदूरी २ महीने, ४महीने या १ साल या २ साल तक पड़ी रहे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की

ओर से फैमिन कोड का उल्लंघन हुआ या वहां के अधिकारियों ने उल्लंघन किया या वहां के अधिकारियों ने सरकार के पास बराबर मजदूरी के लिये लिखा और सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया मैं जानना चाहता हूं कि इस देर होने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विलम्ब का कारण बयान में बतला दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—विलम्ब का कारण क्या था ? जो मजदूरी रोजाना मिलनी चाहिये थी वह कलेक्टर के कारण, अथवा किसी और कारण से सरकारी खजाने से मजदूरों को नहीं दी जा सकी और उनको उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो यह मजदूरी रोजाना क्यों नहीं दी जा सकी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—काम की पैमाइश में देरी हुई, जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है। अन्तरिम जिला परिषद् से, ब्लाक से, पी० डब्ल्यू० डी० से ओवरसियर आते हैं और वह एडीशनल काम करते हैं। फिर सैलाब का जमाना भी रहा और जमीन पानी में डूबी रही तो उस की पैमाइश कैसे होती ? इन्हीं सब वजहों से देरी हुई ।

श्री कल्पनाथ सिंह—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर जिले में १५ अगस्त को कोई बाढ़ नहीं थी और टेस्ट वर्क बन्द कर दिया गया था । उस समय कोई बाढ़ वहां नहीं थी । फिर भी १५ जुलाई से १५ अगस्त तक की मजदूरी नोटिस आने के बाद दी गयी । तो इतने विलम्ब का कारण केवल पैमाइश में देरी ही हो सकता है अथवा कोई और कारण भी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक मुझे इत्तला है, पैमाइश में देरी होने की वजह से ही यह विलम्ब हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है और आप इस में हमारी सहायता करें । फैमीन कोड का यह नियम है कि टेस्ट वर्क वहां पर शुरू किया जाय जहां कि लोगों की हालत खराब हो, वे गरीब हों, खाने पीने की हालत खराब हो और जो कमेटी बनी उसने टेस्ट वर्क जारी करने का सरकार की ओर से आदेश भी प्राप्त कर लिया । उसके अनुसार टेस्ट वर्क जारी किया गया । अब नियमों के अनुसार मजदूरों को मजदूरी उसी दिन मिल जानी चाहिये । यह कहीं नहीं है कि ओवरसियर नहीं मिले, फलानी चीज नहीं हुई, फलानी बात नहीं हुई, इसलिये मजदूरी नहीं दी जायगी । यह तो निकम्मेपन का एक सबूत है । अगर आपके ओवरसियर या इंजीनियर नहीं हैं तो उससे मजदूरों को क्या करना । उसे तो रोजाना मजदूरी नियम के हिसाब से मिल जानी चाहिये । तो मजदूरी रोजाना न देने का कारण क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, सख्त जबान बोलने से ही काम हल नहीं होता । मैं नहीं यह सकता कि कौन कितना निकम्मा है और कौन नहीं । यह मेरी आदत नहीं, लेकिन (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये काशीनाथ जी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर वक्तव्य को गौर से सुना जाय तो पता चल जायगा कि इस फेमिन कोड के मातहत यह टेस्ट वर्क नहीं है । यह तो खास रियायत गोरखपुर के लिये की गयी । अगर वहां के लोग माइगरेट करें, मवेशी ले कर भागें, या इसी तरह की और कंडीशन्स हों तब फेमिन कोड में काम होता है । पुराने नामुकम्मिल टेस्ट वर्क रह गये थे और कुछ

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

उनको पूरा करना था इसलिये यह जरूरी समझा गया। इसके अलावा रबी की फसल में हेल स्टार्म हुआ, तो यह काम फेमिन कोड की शर्तों के मातहत नहीं किया गया था, बल्कि खास एक रियायत से गोरखपुर में यह काम जारी किया गया था।

श्री यादवेन्द्रदत्त—पहले माननीय राजस्व मंत्री ने यह नहीं कहा था कि यह फेमिन कोड के अन्तर्गत नहीं है। मान लें कि यह उसके अन्तर्गत नहीं है, गलती हुई है, लेकिन आपने मजदूरों से काम लिया है और आपको उन्हें दैनिक वेतन देना चाहिये था। तो जिस के कारण गलती हुई है, जो उस के लिये जिम्मेदार है उसे दन्ड देना चाहिये। किस की गलती से यह हुआ इसे आप बतला दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं वजूहात बतला चुका हूं। मैं इसे अच्छा काम नहीं समझता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जिसकी जिम्मेदारी है उसे दंड दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हर बात के लिये सजा नहीं हो सकती।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—मंत्री जी ने कहा कि टेस्ट वर्क की मजदूरी मजदूरों को बांट दी गयी। मेरी सूचना है कि १२ तारीख तक जहां रबी की फसल पर ओला पड़ने की वजह से यह टेस्ट वर्क चालू किया गया था वहां कोई मजदूरी नहीं बंटी। यह मेरी निश्चित सूचना है। तो क्या इसे मान कर मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, कल मेरे पास रेडियो से खबर आई है कि वह बंट गयी है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, जो टेस्ट वर्क है, वह फैमीन कोड के मुताबिक नहीं हुआ है, क्योंकि जो मजदूरी दी जा रही थी वहां वह फैमीन कोड के मुताबिक ८ आने, ६ आने और ४ आने थी। जो लिविंग वर तय होती है वह तो "टु टैक्स दि सिचुएशन आफ दि फैमीन" होती है। तो मजदूरी के मामले में फैमीन कार्ड का हवाला देते हैं। परन्तु जो टेस्ट वर्क चालू किया गया तो उसके लिये आखिर कौन से नियम थे कि आपने वहां पर टेस्ट वर्क चालू किया और मजदूरी तय की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, हमारे दोस्त ने शायद वह वक्तव्य पढ़ा नहीं। वहां ७ रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से दिया जाता है, यह ८ आने और ६ आने के हिसाब से नहीं दिया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे जैसा कि अभी उन्होंने कहा, कि हर गांव सभाओं के सभापतियों द्वारा टेस्ट वर्क चालू कराया गया है। मैं आपके द्वारा कुछ नाम यहां पर पेश करना चाहता हूं। बंजरहा, पूनी, और गाय घाट में जो टेस्ट वर्क कराया गया है वह सिकन्दराजीत पुर, के गनपत राम गुप्ता से कराया गया है। मेरी यह डेफिनिट इनफारमेशन है कि अपने क्षेत्र में जो काम कराया गया है वहां वह सभापति से न कराकर इन्जीनियर ने कन्ट्रैक्टर को मुकर्रर करा कर किया और उनके द्वारा वह काम कराया गया है। इसी तरह के और भी उदाहरण हैं कि जहां सभापतियों से काम न कराया जाकर अपने कन्ट्रैक्टर्स को रखा गया और उनके द्वारा कराया गया। इसको फ्लड रिलीफ कमेटी ने कैसे लीगलाइज किया ? पेमेन्ट में देरी की गई। तो क्या मंत्री जी ने इन सब बातों की जांच कराने की कृपा करेंगे कि क्यों गांव सभापतियों के द्वारा कामनहीं कराया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन् हमारे मित्र ने तो अभी वक्तव्य सुना होगा कि कुछ प्रधानों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जरिये से काम कराया गया जो कि लोकल आदमी थे वहां के। यह हमने बता दिया है जहां तक हमारी सूचना है उसके अनुसार। पर अगर हमारे मित्र लिखकर देंगे तो उसकी तहकीकात करा ली जायगी। इसमें क्या उज्र हो सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कराया गया। तो वह ठेके पर हुआ है, इसको वह बताने की कृपा करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, वह ठेके पर नहीं बल्कि ७ रुपये क्यूबिक फीट पर हुआ है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो टेस्ट वर्क के द्वारा काम किया जाता है और विशेषकर मैं गोरखपुर की बात कहता हूं, उस क्षेत्र में एक-एक ओवरसियर मुकर्रर किया गया और इन्जीनियर्स मुकर्रर किये गये। तो जो देरी हो गई पेमेन्ट में, जब कि ओवरसियर स्पाट पर मुकर्रर थे तो कैसे देरी हो गई ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, मुझे इसकी कोई इत्तिला नहीं है कि कोई इंजीनियर भी उस काम के लिये मुकर्रर था।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह सूचना चाहता हूं इस बात पर कि क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि अभी कल हमें यह सैकड़ों हस्ताक्षर की हुई सूचना मिली है कि अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। यदि मंत्री जी चाहें तो वह इसको देख सकते हैं। तो क्या मंत्रीजी अपने रेडियो पर न विश्वास करके इन अंगूठों पर विश्वास करेंगे और इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर को भेजे हुये रुपये अभी ट्रान्जिट में हैं और अभी पहुंच नहीं पाये हैं ?

श्री अध्यक्ष—कल्पनाथ जी कौन सी तारीख उसमें लिखी है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—यह कल मुझे मिला है। मैंने तारीख देखने की कोशिश की, लेकिन अगर तारीख देने वाले होते तो टेस्ट वर्क में मजदूरी न करते।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी ने कहा है कि रात रेडियो से मुझे मालूम हुआ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—श्रीमन्, गोरखपुर में ही नहीं बल्कि जहां-जहां टेस्ट वर्क होता है सब जिलों में यही हालत है। भविष्य के लिये व्यवस्था कर दें मंत्री जी कि ओवरसियर अलग से मुकर्रर हों और रोज नहीं, तो सप्ताह में दो बार मजदूरी उन्हें अवश्य दिलाने की कृपा करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी को सूचना है कि ३ लाख से ऊपर जो टेस्ट वर्क का बकाया है उसके पीछे कितने मजदूरों की मजदूरी बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह हिसाब तो इस वक्त हमारे पास है नहीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मुझे एक निवेदन करना था कि माननीय राजस्व मंत्री ने अभी समाचार दिया कि उन्होंने रेडियो सुना और उस पर अमल किया। तो कल रात प्रधान मंत्री ने कहा है कि "It is wrong to the land" तो इस रेडियो के ऐलान के बाद क्या मंत्री जी जोतकर विधेयक को वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रेडियोग्राम से सुना था वायरलेस से, रेडियो तो मेरे पास है भी नहीं।

†उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—जोतकर विधेयक बड़ा ही इम्पार्टेंट है और १०-१२ सदस्य बोल भी चुके हैं तो इसलिये कि आगे और भी सदस्य बोल सकें मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि अपने भाषण को इस जोतकर तक ही सीमित रखें और २५ मिनट से अधिक समय न लें।

श्री अध्यक्ष—मैं बलवान सिंह जी से कहता हूं कि वह हमारी और आपकी दोनों की प्रार्थना स्वीकार करेंगे। १ बजे उन्हें खत्म करना है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—बलवान सिंह जी के संबंध में जो आपने कहा तो इस सदन में अब तक इस विधेयक पर किसी आदमी के लिये यह आपने नहीं कहा....

श्री अध्यक्ष—मैंने कोई टाइम लिमिट की हो तो आप एतराज कर सकते हैं। मैंने निवेदन किया है। माननीय बलवान सिंह, शुरू कीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मुझे निवेदन करना था कि इसी संबंध में मैंने....

श्री अध्यक्ष—मैंने पढ़ा नहीं है। बिना पढ़े हुये मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपदो बजे बोलें, इस समय नहीं। माननीय बलवान सिंह।

**श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जितने मेरे पास प्वाइंट्स हैं या जो मुख्य-मुख्य भाषण कांग्रेस बेंचेज से हुए है उनका जबाब मुझे देना है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन ज्यादा विस्तार न हो।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बुलन्दशहर तक ही सीमित न रहियेगा।

श्री बलवानसिंह—मैं कानपुर और बुलन्दशहर दोनों की बातें कहूंगा।

श्रीमन्, यहां पर माननीय नवलकिशोर जी ने एक बात कही थी, ठीक कही थी, मगर वह आधी कही थी आधी छोड़ दी थी। उन्होंने गेंदासिंह जी की बात का एनालिसिज करते हुये कहा था कि उन्होंने मर्ज को तो देखा, मरीज का निरीक्षण भी किया, मर्ज भी बताया, मगर उसको दूर करने के लिये कोई मेडिसिन नहीं बताई। मैं मेडिसिन भी बता रहा हूं जिससे उस मरते हुये किसान को बचाया जा सकता है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह सुझाव पहले भी आया था और कहा गया था कि हमारे यहां ३६ लाख एकड़ जमीन उपजाऊ है। इस वक्त आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिले। उसके लिये एक सीधा सवाल है। मेरा यह सुझाव है कि इस वक्त जो ३६ लाख एकड़ जमीन, जो जोत के काबिल है, पड़ी हुई है उसको तोड़िये। मेरा ऐसा ख्याल है कि उसको तोड़ने के लिये आपको ज्यादा से ज्यादा ३७ करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। ५० रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन तोड़ी जाती है। उस ३६ लाख एकड़ जमीन को तोड़ने से ५ और ६ करोड़ मन के बीच आपको अनाज मिलेगा, ८ मन फी एकड़ के हिसाब से और इस तरीके से आपको ४५ करोड़ रुपये साल की आमदनी का जरिया प्राप्त हो सकता है और जो अनाज की कमी है वह भी पूरी हो जायेगी। लेकिन आज तक सरकार ने इस सुझाव पर कोई गौर नहीं किया।

---

† ४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।
* १७ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से।
**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने सन् १९५१–५२–५३ में एक नारा लगाया था कि एक लैंड आर्मी तैयार की जाय। जमीन की फौज के लिये कहा था। आज १० साल के बाद भी मैं फिर उसी नारे को कहता हूं। हमारे साथी विकल जी ने कहा कि हमारे यहां अनाज की कमी है जिस की वजह से आज हमको पुलिस और फौज के लिये योग्य व्यक्ति नहीं मिलते, आज ३२ इन्च सीने के व्यक्ति नहीं मिलते, उसको घटा दिया गया है....

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—यह गलत है।

श्री बलवानसिंह—यह बात है। मैं सिद्ध करूंगा। श्रीमन्, इस वक्त हिन्दुस्तान में, यू० पी० में १८०० कैलोरीज की एवरेज डाइट है, परन्तु एक व्यक्ति के लिये, शरीर में गर्मी रखने के लिये, २८०० कैलोरीज रोज की आवश्यकता है। यानी १००० कैलोरीज रोज की कमी है हमारी डाइट में। फिर भी कैसे कहा जाता है कि हमारे यहां के नौजवान मजबूत हैं? इस पर मंत्री जी को सोचना पड़ेगा। आज किसान की तन्दुरुस्ती गिर रही है। अगर २८०० कैलोरीज रोज हम अपने यहां दें तो हमको ७ करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। यह मैं सन् ५८ के आंकड़े दे रहा हूं। इस वक्त ५ करोड़ टन की पैदावार है। १४०० करोड़ रुपये का अनाज विदेशों से आया। १४०० करोड़ का अनाज हिन्दुस्तान में बाहर से क्यों आया? आप क्यों बाहर से अनाज की भीख मांग रहे हैं? मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान का मोरेल, हिन्दुस्तान की इज्जत व हिम्मत इसी वजह से गिर रही है कि अमेरिका जाकर आप भीख मांगते हैं। कुछ लोगों ने कहा और मेरा खयाल है कि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि अगर चीन हमारे ऊपर हमला करता है तो हम लड़ने के लिये तैयार हैं। बनारसी दास जी ने भी इस चीज को कहा था। आज जो पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत होती है, आखिर यह क्या है? मुरार जी की बड़ी दोहाई दी जाती है जो यूरोप में जाकर अनाज मांगते हैं, आस्ट्रेलिया से अनाज मांगते हैं। यू० पी० के अन्दर साढ़े ४ करोड़ एकड़ जमीन खेती के योग्य है और अभी एक करोड़ एकड़ जमीन ऐसी बाकी है जिसे तोड़ लिया जाय तो मेरा खयाल है कि आपको विदेशों से अनाज मंगाने की जरूरत न पड़े। माननीय शिवराज सिंह जी कहते हैं कि यू० पी० के अन्दर अनाज बाहर से नहीं आता है लेकिन मेरा विश्वास है कि यहां की साढ़े ७ करोड़ की आबादी के लिये यू० पी० के अन्दर अनाज नहीं पैदा होता।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद बाहर से यहां अनाज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री बलवानसिंह—मैं नहीं जानता कि सन् १३६३–६४ तक क्या होगा, लेकिन आज की जो स्थिति है उसे मैं आपको बतला रहा हूं। इंगलैंड में ६ प्रतिशत काश्तकार वहां की ५० फी सदी आबादी के लिये खेती से पैदावार करते हैं और यू० पी० में ७५ प्रतिशत लोग खेती में लगे हुये हैं पर वे अपने यहां के शत प्रतिशत आबादी के लिये अनाज नहीं दे पाते क्योंकि यू० पी० में खेती की पैदावार का औसत कम है, सबसे ज्यादा कम है। ऐसा क्यों है? हो सकता है कि मिनिस्टर साहब कह दें कि हमारे प्लानिंग का बीज वहां नहीं गया। अगर प्लानिंग का बीज नहीं गया, अगर आपकी आबपाशी वहां नहीं गयी, अगर आपकी खाद वहां नहीं गयी, तो फिर आपका कौन सा मोरेल है, कौन सी हिम्मत है, कौन सा दावा है, कौन सा फर्ज है जो आप काश्तकारों से जाकर कहने के लिये तैयार हैं कि सरकार को टैक्स दो? वे आपको क्यों टैक्स दें? माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, उन्होंने बड़ी मार्मिक अपील करते हुये कहा कि अगर फी काश्तकार २० सेर अनाज की पैदावार हमें अधिक दे दें तो हमारे प्लान के लिये पैसा मिल जाय। २० सेर अनाज आप घर घर में जाकर मांग रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इस वक्त आपके यहां गेंहूं की औसत पैदावार ८ मन फी एकड़ है जब कि मिश्र के अन्दर ४० मन है। धान की औसत पैदावार जापान की देखें। विदेशों के अन्दर जो औसत पैदावार है उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान की पैदावार एक चौथाई है। जब हिन्दुस्तान की पैदावार इतनी कम है तो इसका सीधा ताल्लुक आपकी प्लानिंग से है जिसका कोई फायदा काश्तकार के पास नहीं आया। अगर आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा

[श्री बलवानसिंह]

हो जिससे काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने में आपने किसी किस्म की मदद दी हो, तो मैं उसे माननीय मंत्री जी से जानने के लिये तैयार हूं। मेरा सीधा सा सवाल है कि टैक्स का अधिकार आपको क्यों दें ? हालांकि दो सवाल मेरे हैं। आज मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, कल भी मैंने इस चीज को कहा था जिसे दोहरा देना चाहता हूं कि इस वक्त आप १६ करोड़ रुपये का टैक्स काश्तकारों से ले रहे हैं। जो लगान पहले साढ़े ६ करोड़ था उसे अब आपने २३ करोड़ कर दिया है, इस तरह से साढ़े १६ करोड़ रुपये आप काश्तकारों से अधिक ले रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हुये हैं.....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—२१ करोड़ है।

श्री बलवानसिंह—तो भी आपको १४ करोड़ से अधिक तो अब मिलता ही है। इसको मैं यही कहूंगा कि यह काश्तकारों के साथ एक धोखा है। जमींदारों के सामने आपकी बातचीत होती थी तो उस वक्त का एक नारा होता था हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज को मानने को तैयार न हों....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—अगर आप लोग इस तरह से बीच में बोलियेगा तो वह दिन भर बोलेंगे।

श्री बलवानसिंह—यह मालवीय जी की खुद की किताब है, उन की बात का तो आप आदर करेंगे। हो सकता है कि वह असेम्बली में नहीं हैं इसलिये आप उनका आदर न करते हों। वह कहते हैं कि यू०पी० में रेंटल डिमांड, १८९३ से १९४५ तक जमींदारों ने ४२ प्रतिशत ज्यादा बढ़ायी और इसकी वजह से १५ प्रतिशत यू० पी० में रेवेन्यू अधिक हो गई, यह ८७ प्रतिशत काश्तकारों पर लूट है। उस वक्त का उनका एक रिमार्क है "Reminder simply expects levy because he is the owner of the land" राजस्व मंत्री जी जा रहे हैं वह कृपया इतना बताये जायं कि यू० पी० में इस वक्त रेंट है या रेवेन्यू है ? माननीय नवल किशोर जी, मैं आप से भी पूछ सकता हूं कि आप ही बता दें कि इस वक्त किसान आप को रेंट दे रहा है या रेवेन्यू दे रहा है ? मेरी सारी बहस इतनी ही है और मेरा दावा है कि अगर यह सरकार रेंट और रेवेन्यू....

(श्री काशीनाथ के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—माननीय काशी नाथ जी, आप कहें तो मैं उन्हें बैठा दूं और आप की ही बात पहले सुन लूं। यह अच्छा नहीं लगता।

श्री बलवानसिंह—यह जो आप ३ करोड़ अधिक कर लगाना चाहते हैं यह मालगुजारी पर होगा या यह रेंट पर होगा ? इस वक्त किसान आप को रेंट दे रहे हैं या रेवेन्यू दे रहे हैं ? अगर इस का जवाब मिल जाय तो मैं आगे कहूं। उधर से कहा गया कि इधर से कोई मेडिसिन नहीं बताई गई, आप ने यू०पी० में दस साल में १४ करोड़ टैक्स अधिक डाल दिया है। सरकारी खजाने में जितना भाग सन् ५१ में आता था उतना ही हिस्सा रेवेन्यू में सन् ६२ में भी आना चाहिये लेकिन आज वह रेवेन्यू चौगुनी हो चुकी है। चौधरी चरण सिंह जी ने भी अपनी किताब में ३ गुना माना है और माननीय नवल किशोर जी तो तिगुना भी मानने को तैयार नहीं हैं तो फिर वह जवाब ही क्या देंगे। जवाब मैं दे रहा हूं, रेवेन्यू के माने हैं आय का हिस्सा, उसके माने हैं कि काश्तकार को बीज, पानी, खाद, मजदूरी, कपड़ा, रोटी और ब्याह-शादी में जितना उसका खर्चा होता है उस सब को काटने के बाद जो भाग उस की आय का लिया जाता है उस को रेवेन्यू कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह व्याख्या कहां दी गई है।

श्री बलवानसिंह—यू०पी० टेनेन्सी ऐक्ट की है.....

श्री अध्यक्ष—उसमें यह नहीं लिखा है।

श्री बलवानसिंह—मैं कोई बात गलत नहीं कहूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं भी एग्रीकल्चर में एम० एस-सी० की डिग्री लिये हूं। हो सकता है फिर भी मैं काबिल न होऊं। हां अगर मैं भी मिनिस्टर होता तो मैं भी काबिल होता।

श्रीमन्, यह लिखा हुआ है यू०पी० बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सन् १९२९-३० में। मैं गुप्ता जी के पास आपके द्वारा इसको भेज दूंगा। श्रीमन्, आप क्यों पूछते हैं? आप मिनिस्टरों का पक्ष क्यों लेते हैं?

श्री अध्यक्ष—आपने य०पी० टेनेन्सी ऐक्ट का हवाला दिया, उसमें यह चीज नहीं है।

श्री बलवानसिंह—रेंट और रेवेन्यू तो एक जनरल टर्म है। मैं आप ही से पूछता हूं कि रेंट और रेवेन्यू क्या एक है? रेंट के अन्दर ओनरशिप नहीं होती लेकिन रेवेन्यू में ओनरशिप होती है, वह उसकी प्रापर्टी होती है और सरकारी खजाने में उसकी आमदनी का एक हिस्सा आता है। रेंट में वह चीज दूसरे की होती है और जो वह उसका इस्तेमाल करता है, उसकी वह कीमत अदा करता है। यह तो श्रीमन्, ठीक है।

श्री अध्यक्ष—बिलकुल।

श्री बलवानसिंह—यही सही। इसका मतलब यह है कि काश्तकार जमीन का रेवेन्यू सरकार को देता है और इस हिसाब से सरकारी खजाने में साढ़े छह करोड़ रेवेन्यू आना चाहिये। लेकिन आप २२ करोड़ ले रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—जो नयी लैन्ड होल्डिंग्स बढ़ गयीं, उसका रुपया आपने लगाया या नहीं?

श्री बलवानसिंह—उससे सिर्फ १ करोड़ रुपया बढ़ा है। एग्रेरियन रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है।

श्री शिवराजसिंह—सोशलिस्टिक पैटर्न में रेवेन्यू को रेंट में परिवर्तित करना होता है।

श्री बलवानसिंह—यह तो आप उल्टी बात कह रहे हैं। यहां तो आपने रेंट को रेवेन्यू कर दिया है। १८ करोड़ के रेंट को आपने रेवेन्यू बना दिया। जो गुप्ता जी के सलाहकार हैं उन्होंने गुप्ता जी से कहा कि काश्तकारों की आमदनी अब ज्यादा बढ़ गयी है, आपकी प्लान की वजह से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया है और उन्होंने यह कर काश्तकारों पर लगा दिया। काश्तकार आपको साढ़े चौदह करोड़ रुपया अधिक देता है। तीन करोड़ रुपया तो आप भी ज्यादा मानते हैं।

एक लीगल पक्ष और है। एक तो आप इस बात को आज कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि काश्तकार अपनी जमीन के मालिक नहीं हैं। श्री चरणसिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस वक्त जमींदारी टूटी काश्तकार साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन के मालिक हो गये। तो मेरा उनसे यह कहना है अगर काश्तकार साढ़े ४ करोड़ एकड़ जमीन का मालिक है तो जो मालगुजारी थी वही सरकारी खजाने में आनी चाहिये थी। अगर नहीं आती है तो सरकार ने यह सबसे बड़ा धोखा किसान को दिया है। उस लगान को मालगुजारी की शक्ल

[श्री बलवानसिंह]

में ले कर सरकार ने खुद जमींदार से ज्यादा खतरनाक जामा अपनाया । आपने यह नारा दिया है कि काश्तकार के लिये आपने कुर्बानी दी है, काश्तकार आपका है और अबालीशन आफ जमींदारी काश्तकार के लिये है। तो मैं मुख्य मंत्री से पूछूंगा कि यह साढ़े १६ करोड़ की बेईमानी क्यों हुई ? लेकिन अब ३ करोड़ की ज्यादा जरूरत हुई तो उस पर यह कहना कि काश्तकार की हालत अच्छी है और ३ करोड़ ज्यादा लेने का हक सरकार को है [यह] उचित नहीं है। अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि समाजवाद में रेंट को भी वह रेवेन्यू कर सकते हैं। रेंट के मानी हैं कि किसान मालिक नहीं है। मैंने १९५७–५८ में कहा था तो चौधरी साहब नाराज हो गये। काश्तकार सरकार की मरजी पर जमीन को जोतता है तो वह जमीन का मालिक कैसे हो गया ? सरकार ने अपनी तमाम पावर्स डेलीगेट कर रखी हैं गांव सभा को, और विधान में तमाम टैक्स सरकार ने गांव सभा को दे रखे हैं जमीन के ऊपर लगाने के लिये और उसने उसी ताकत पर १ आना रुपया टैक्स गांव पर लगा भी रखा है तो सरकार फिर कैसे यह बिल ले आई ? या तो फिर सरकार ने जो पावर्स डेलीगेट कर रखी हैं गांव सभा को उसे वह वापस ले ले, लेकिन सरकार ने सारा मामला कन्फ्यूज कर रखा है। एक तरफ तो गांव-सभा को यह अधिकार है कि अगर कोई काश्तकार तीन साल तक अपनी जमीन को जोतता नहीं है तो वह उस जमीन को ले लेगी। पूरी ओनरशिप जमीन की गांव सभा को दे रखी है। तो फिर ३ करोड़ रुपया काश्तकार से वसूल करने का यह बिल सरकार कैसे पेश कर सकती है ? (व्यवधान) मेरी बहस का तो यही जुज है कि आप काश्तकार को धोखा न दें, बहुत उसे लूट चुके हैं, ५२ से ६२ तक । अब तक १५५ करोड़ रुपया आप उससे ज्यादा टैक्स की शक्ल में ले चुके हैं, उसका हिसाब कौन देगा ? गांव के अन्दर आज भुखमरी है । इसको बनारसीदास जी मानने को तैयार नहीं थे। मिनिस्टर लोग सोच कर बतायें कि क्या काश्तकार को शौक है झोपड़ी में रहने का और आपको उसकी झोपड़ी भी पसन्द नहीं है और आप यह दावे के साथ कहने के लिये तैयार हैं कि उसका जीवन स्तर ऊंचा हो गया है] । अगर उसका जीवन स्तर ऊंचा हो गया होता तो वह झोपड़ी में न रहता । मेरा ख़याल है कि बनारसीदास जी ने कहा था कि आज काश्तकार के पास सायकिल है, जूता है। लेकिन आप जानते हैं कि काश्तकार का बजट बड़ा अनबैलेंस्ड होता है। अगर वह जूता खरीद लेता है तो उसके पास धोती नहीं होती और अगर वह धोती ले आता है तो उसके पास कुरता नहीं होता। मैं देहातों के अन्दर घूमता हूं। मिनिस्टर लोग जाड़े में मेरे साथ मेरी कांस्टीटुएंसी में चलें। किसी घर में हर व्यक्ति के पीछे लिहाफ नहीं पायेंगे। दो-दो, तीन-तीन बच्चे फटे हुये लिहाफ में पयाल के ऊपर पिल्लों की तरह सोते हैं। और जब मैं जाता हूं, शायद कुछ साफ कपड़े पहनने का शौक हो गया है इसलिये, इतनी बदबू होती है उनके कपड़ों में कि मुझे रात भर मुंह बाहर निकाल कर सोना पड़ता है। मिनिस्टर लोग अगर सरकिट हाउस में न ठहर कर देहातों में जा कर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि हालत क्या है। इस पर भी अगर काश्तकार का शहर की किसी चीज पर मन ललचा गया तो यह भी मिनिस्टर लोग बरदाश्त नहीं कर सकते । अगर किसी बालक ने ५–६ रुपये की पुरानी घड़ी खरीद ली जो चलती नहीं है, जिसमें चाबी भी नहीं लगती, उसे पहने हुये मिनिस्टरों की मीटिंग में दिखायी दे गया तो वे कहते हैं कि अब तो किसान के पास घड़ियां हो गयीं । क्या वे घड़ियां फेवर-ल्यूबा की होती हैं ? इसके अलावा अगर बीबी ने जिद्द कर के एक नयी साड़ी खरीद ली तो हमारे मिनिस्टर लोग कहते हैं कि अब तो देहातों में साड़ियां हो गयीं । उनको यह भी पसन्द नहीं है। लिपिस्टिक और पाउडर की बात तो जाने दीजिये, वह तो वहां है ही नहीं ।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—आपकी ससुराल में पाउडर है ?

श्री बलवानसिंह—मैं चाहता हूं कि आपकी भी ससुराल जल्दी हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह शोभा नहीं देता ।

श्री बलवानसिंह—दरअस्ल में चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब की ससुराल जल्दी हो जाय ताकि उन्हें भी मालूम हो जाय कि गृहस्थी में कितना खर्चा होता है। बनारसीदास जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं क्योंकि मुझे याद है सन् ४६ में बुलन्दशहर जिले में जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ कर आया था तो काफी प्रेरणा मिली थी उन से। लेकिन क्या वह सोशलिस्ट हैं? एक जमाना था जब वे अंग्रेजों के सामने चिल्ला-चिल्ला कर कहते थे कि यहां का किसान भूखा है, नंगा है।

(इस समय १२ बजकर ४८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।) आज वे कहते हैं कि उनके पास सायकिल हो गयी है। हमारे बाबा ने आज से सौ साल पहले एक सोने का रथ खरीदा था।

एक सदस्य—किस चीज का था? चांदी का था?

श्री बलवानसिंह—सोने का था। अगर वह चांदी का रथ होता तो शायद अब तक रहता भी नहीं। वह एक तरह का शौक था। उस वक्त भी खेती होती थी। कोई जमींदारी नहीं थी और माननीय शिवराजसिंह जी जानते हैं वह मेरे गांव में हो आये हैं। तो जो वह सोने का रथ था उसमें हजारों रुपये का सोना था, बैलों के जेवर भी, यानी यहां तक कि सोने की जंजीरें थीं, पैरों में सोने के गहने थे। लेकिन आज कहां है वह? श्रीमन्, आज हम मुसीबत में और उस रथ को रखकर परेशान हैं और उसके पीछे टूटा मकान अपना नहीं बना सके। हालांकि २ सौ बीघा जमीन अब भी है। कानपुर के अन्दर भी मेरे पास जमीन है तब भी मैं मकान नहीं बना सका। और अधिक तो नहीं कहता, अपने खेत जोतने की बात नहीं, बी०बी० शरण जी यह कहेंगे कि चांदनी रात के अन्दर हल चलाते हैं, लेकिन मैं इन्तजार कर रहा हूं कि किस वक्त हाउस बन्द हो कि मैं अपना खेत जाकर देखूं और उस पर हल चलाऊं। शिवराज सिंह जी देख आये हैं कि मैं खुद अपने हाथ काम करता हूं और खुद मेहनत करने के बाद भी और इतनी जमीन होने के बावजूद भी उसमें मुझे कुछ ज्यादा बचता नहीं है। मैं मिनिस्टर साहबान से कहता हूं, उनमें से कितनों के फार्म्स चल रहे हैं क्या उनमें से आपको कोई फायदा है या जो सरकारी फार्म्स आज सरकार के इतने चला रहे हैं उनमें आपको फायदा है?

एक सदस्य—बहुतों में फायदा है।

श्री बलवानसिंह—बनारसी दास जी बैठे हैं। मेरा खयाल है कि बनारसी दास जी ने भी एक फार्म खरीदा है। उसमें आपको फायदा है या नुकसान?

सूचना राज्य-मंत्री (श्री बनारसीदास)—वह मैंने छोड़ दिया।

श्री बलवान सिंह—श्रीमन्, वह खुद ही कह रहे हैं छोड़ दिया। ४ सौ एकड़ का वह फार्म था। मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं खुद खेती कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं है। मेरा यह दावा है कि आज खेती से कोई फायदा यहां नहीं हो रहा है और त्रिलोकीसिंह जी ने तो यहां तक कहा है कि १० एकड़ से नीचे की जमीन पर कोई फायदा नहीं है। मैं दावे से कहता हूं और माननीय शिवराजसिंह जी ने भी रिपोर्ट देखी होगी कि १ मन गेहूं पैदा करने में १२ रुपये की कीमत बैठती है और धान पैदा करने में फी मन १० रुपये की कीमत आती है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—सरकारी फार्मों पर १ मन गेहूं की पैदावार की कीमत २८ रु० मन है।

श्री बलवानसिंह—एक सरकारी फार्म पर ५० रुपये मन गेहूं की पैदावार की कीमत आयी थी, यह शिवराजसिंह जी ने खुद एक बार मुझे बताया था और हो सकता है कि वह आइन्दा

[श्री बलवानसिंह]

यह राज भी कहने के लिये तैयार नहीं होंगे, लेकिन ५० रुपये एक मन पर जब कि सरकार के पास जमीन थी, रेविन्यू भी नहीं था, हल थे, पानी था, ट्रैक्टर भी थे और कोई खर्चा भी नहीं था..

श्री शिवराजसिंह—वह तो रिसर्च पर खर्चा था।

श्री बलवानसिंह—रिसर्च में सही, लेकिन ५० रुपये आया और २८ रुपये तो कीमत जो ऊबल जी ने बतलायी है वह आयी ही है सब फार्मों पर, इस से कम कीमत तो हो नहीं सकती आपके फार्मों की। इसलिये मेरा आपसे कहना है कि अगर १० रुपये मन धान और १२ रुपये मन गेंहू की कीमत आती है और एवरेज होल्डिंग्स इस प्रदेश में ३ या ४ एकड़ से ज्यादा की नहीं है और उसके बाद भी आप कहना चाहते हैं कि आप टैक्स दें तो मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखने के लिये तैयार हैं? श्रीमन्, मिल मालिक करोड़ों रुपया कमाता है, उसको छूआ नहीं गया। तो मेरा एक सजेशन हाउस में इस सरकार से है कि जमीन पर लगान या रेंट, हो सकता है मालगुजारी या लगान या क्या कहें, क्योंकि यह शब्द सरकार के मेरी समझ में नहीं आये। चौधरी साहब समझायेंगे हम लोगों को। माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि रूस में जब प्लानिंग आया तो स्टेट का नारा था कि आँसू और आधी रोटी लेकर चलो। लेकिन आप भूल गये कि रूस ने सब से पहले केपिटलिस्ट को पकड़ा था, करोड़-पतियों को पकड़ा था। लेकिन आप करोड़पतियों को छूट देते हैं और गरीबों की जबान पकड़ते हैं। १९५३–५४ में १७ हजार से ज्यादा वारंट निकले थे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने माल-गुजारी नहीं दी थी। लेकिन एक भी वारंट कभी सिंहानिया का आपने निकाला है? उल्टे उससे आपको समझौता हो गया है और वह आपको दस साल में बकाया टैक्सेज को देगा। श्रीमन्, मेरा एक बहुत सीधा-सादा सा सुझाव है कि जिन लोगों ने बगैर कुछ पैदा किये हुए इस सूबे में करोड़ों रुपये की दौलत पैदा की है, उनका ऐक्शट्रा प्रोफिट लेने की बात कीजिये। यह मेरा कहना है। आप में हिम्मत है? मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूं। यू० पी० में जितने दलाल, स्टाकिस्ट्स और ग्रेन डीलर्स हैं, इन्होंने करोड़ों रुपये तिजोरियों में भर रखे हैं। मेरा कहना यह है कि जब आप इन करोड़पतियों के रुपया लेकर खर्च करने के लिये तैयार हों तो हम आप के साथ होंगे और प्रदेश के किसान भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन अभी हमारा आप में विश्वास नहीं है।

श्रीमन्, अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक फिल्म ऐक्टर बम्बई से दिल्ली के लिए चला तो रास्ते में जुये में साढ़े छै लाख रुपये से ज्यादा हार गया। कानपुर में ऐसे आदमी का नाम बता सकता हूं जो डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा जुये में हार गया। आज आपके ही हजरत गंज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो २०० रुपये रोज एय्याशी पर खर्च करते हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (सुल्तानपुर)—क्या आप बता सकते हैं कि यह चीज आपको कैसे मालूम हुई?

श्री बलवानसिंह—मैं उनका दोस्त था। हो सकता है कि आप यह भी कह दें कि मैं भी शामिल था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय प्रदेश में और देश में इस तरह से पैसे की बरबादी हो रही है और लोग अपने ऊपर हजारों रुपया अय्याशी पर खर्च करते हैं, इसके बावजूद हमारे मुख्य मंत्री की नीयत इनको छोड़कर गरीब की झोपड़ी पर जाती है। यह कहाँ तक ठीक है? कल माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि उसके पास साइकिल क्यों है? नया जूता क्यों है? क्या हम लोग हिम्मत के साथ इस बात को कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि जिनके पास करोड़ों रुपये की दौलत तिजोरियों में पड़ी हुई है और जिसका इस्तेमाल डेवलपमेंट में नहीं हो रहा है उसको निकाल लें और डेवलपमेंट पर उसको खर्च करें। आज हमें पाकिस्तान और चीन से खतरा नहीं है। कुछ लोग भले ही कह दें कि हमें चीन और पाकिस्तान से डर है। भारत की छाती इतनी चौड़ी थी कि इसने इस्लाम को लिया,

ईसाई मजहब को लिया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को लिया, कभी हिन्दुस्तान को चोट नहीं आयी। लेकिन आज हिन्दुस्तान का मारल, हिम्मत गिर रही है और मुझे डर है कि अगर हिन्दुस्तान का पतन होगा, चीन और पाकिस्तान के हमले से पतन होगा तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर होगी क्योंकि वह इस टैक्स के जरिये हमारे मारल को गिराने जा रही है। आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन हमला करेगा, वह चीनी हमला करेंगे जो १९५० तक अफीमी थे, जिन की छाती पर चांकाईशेक फार्मूसा में बैठा हुआ है, उन चीनियों से यह खतरा नहीं है कि वह हिमालय पहाड़ को तोड़ कर यू०पी० के अन्दर आयेंगे। डर यह है कि जिस तरह से किसानों की हड्डियों में से यह सरकार रस खींचना चाहती है, हो सकता है कि आप २,४,५, साल मिनिस्टर और रहें, लेकिन जिस दिन हिन्दुस्तान के किसानों के खून नहीं होगा, तो हिन्दुस्तान गुलामी के रास्ते में जायगा। हिन्दुस्तान में हमले होंगे। क्यों नहीं होंगे? किसान के पास पर्चेजिंग पावर नहीं है। कहां जायेंगे आपके रेडियो, कहां जायेंगी आपकी साइकिलें, करोड़ों किसानों के पास पैसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बलवान सिंह, आप और बोलेंगे?

श्री बलवानसिंह—अभी तो एक प्वाइंट को डील किया है। अभी बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—अब हम उठते हैं। दो बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे श्री उपाध्यक्ष, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि इस वक्त हिन्दुस्तान के लिये सबसे ज्यादा खतरा अगर कोई है तो वह हमारा अन्दरूनी खतरा है क्योंकि ऐसा होता आया है श्रीमन्, कि जब भी कभी हिन्दुस्तान पर हमले हुये हैं या जब भी हिन्दुस्तान बीच के अन्दर से टूटा है तो उसका एक खास सबब रहा है और वह रहा है मुल्क की गरीबी, हिन्दुस्तान के बहुत से लगभग ७० फीसदी लोगों के पास उस समय कुछ भी नहीं होता था। वही डर मैं आज इस चीज के अन्दर देख रहा हूं और मुझको उम्मीद है कि इस वक्त सन् ६२ में कांग्रेस पार्टी अपना मारल और देश का मारल ऊंचा करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेगी। मुझे बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ, माननीय नवलकिशोर जी ने उस दिन कई दफा कहा कि कम से कम पी०एस०पी० तो इस बिल का साथ दे। उन्होंने कहा कि इस जोत-कर विधेयक पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उनका साथ दें क्योंकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी समाजवाद और प्रजातंत्र में यकीन करती है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग में यकीन करते हैं। लेकिन आज मैं नवलकिशोर जी से कहूं कि आप भी वही हैं और पी०एस०पी० के साथी भी वही हैं जो कि जब हिन्दुस्तान पर सबसे बड़ी मुसीबत आयी थी सन् ४२ में तो एक साथ लड़े थे और इतिहास कहता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने यही नहीं कि वह जेल गये, बल्कि जेल से भी कूदकर जितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी वह दे सकते थे, वह दी। हम लोग वही आपके साथी हैं। तो क्या बात हो गई कि सन् ६२ में आज आप कहते हैं कि आप हमारा कोआपरेशन क्यों नहीं करते हैं? क्या कोई फर्क नहीं है? श्रीमन् जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हम एक साथ लड़े थे तो हिन्दुस्तान की तरक्की के लिये, इस प्लानिंग के लिये जिसका कि मकसद यह है कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊंचा हो, लोग खुशहाल हों, जब यह सवाल है तो फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विरोध क्यों कर रही है? इसका एक मेरा जवाब है और वह यह कि हम इसलिये इसका विरोध करते हैं कि यह जो आपका कर है यह उन लोगों के लिये नहीं आ रहा है जिनके लिये कि आने की जरूरत है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इसका विरोध करेगी और मैं उनमें से हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कुछ हदबन्दी के पक्ष में है, ६ एकड़, ८ एकड़, १० एकड़ या बारह एकड़, बारह एकड़ तक की होल्डिंग का भी सवाल नहीं है। हमारा तो यह सिद्धांत का सवाल है। प्रजा

[श्री बलवान सिंह]

सोशलिस्ट पार्टी तो इस बात के लिये तैयार है कि १२ एकड़ तक की जमीन एकोनामिक होल्डिंग के अन्दर न मानी जाय। तो जब तक आपकी एकोनामिक होल्डिंग नहीं है तब तक हम इस चीज के लिये कैसे तैयार हो जायं? मेरे और शिवराज सिंह जी के आंकड़ों में फर्क हो सकता है। लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज हिन्दुस्तान में और खास तौर से यू०पी० में जब यह सवाल आया है तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस जोतकर का विरोध इसलिये करना चाहती है कि इससे आम जनता का मारल, आम जनता की हिम्मत, आम जनता का चरित्र नीचे जायगा। इसलिये क्या मैं उम्मीद करूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर भी कुछ कहेंगे कि यह जो आपका बिल आ रहा है इस जोतकर से जितना भी पैसा आयेगा क्या वह पैसा गरीबों से नहीं आयेगा? वह गरीबों से आयेगा और इसका असर उन पर जायगा। जितने भी टैक्स आये हैं उन टैक्सों का असर उन पर गया है।

इसलिये श्रीमन्, हमारा यह कहना है कि आज जो इनकी रिपोर्ट है उसके अन्दर बिल की जो शक्ल है, जो स्प्रिट है, जो आत्मा है उसका स्वरूप बिल के अन्दर नहीं आता है। मेरा खयाल है कृष्णानन्द राय जी ने ८ एकड़ की राय प्रकट की थी। उसके अन्दर जो उद्देश्य हैं उनमें पहला उद्देश्य यह है कि हम कर को ज्यादा करना चाहते हैं यानी हम टैक्सेशन करना चाहते हैं प्लानिंग के लिये और दूसरा उद्देश्य है यूनिफार्मिटी, यानी एक तरह का लैन्ड सिस्टम और उसके लिये एक तरह का कानून बने यानी सिम्पिल टेन्योर सिस्टम बनायें। इसकी इसके अन्दर कहीं खुशबू भी नहीं आती है। मुझे यह ताज्जुब होता है, और मैं तो यह कहूं कि शायद हो सकता है कांग्रेस बेंचेज वालों ने इस बिल को पढ़ा ही नहीं है। वह बात इस बिल के अन्दर नजर नहीं आती है। माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं वे बतलायें कि कैसे इस बिल से सिम्पिल टेन्योर सिस्टम बनेगा जिसकी यू०पी० में करने की आप बात कहते हैं? इसके अन्दर कहीं नहीं है। मैंने सरकार के सामने एक बड़ा अच्छा सुझाव रखा था। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ३ १/२ करोड़ रुपया चाहते हैं। यह मेरा दावा है कि जिस दिन इन हरिजन और पिछड़े लोगों के लिये ७६ लाख एकड़ जमीन देने को तैयार होंगे, जिस दिन आप अमेरिका और आस्ट्रेलिया के सामने अपना सिर नहीं झुकायेंगे, जिस दिन इन हरिजन और पिछड़े वर्ग के पेट में रोटी आयेगी तो उसी दिन ७६ लाख एकड़ जमीन तोड़ने के लिये वे लोग आजायगें। वह ७६ लाख एकड़ जमीन जिस दिन तोड़ेंगे उस दिन अगर ५ रुपये फी एकड़ रेवेन्यू आपने लिया तो बहुत-सा रुपया आपके पास आजायगा। मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तान भर में १०२ करोड़ रुपया कुल रेवेन्यू है और १०२ करोड़ में से ८० करोड़ रुपया दूसरे सूबे देते हैं और २२ करोड़ रुपया मालगुजारी हमारा यू०पी० देता है। ३२ लाख एकड़ जमीन काश्त के अन्दर है। हिन्दुस्तान की ऐवरेज औसत आती है आज लगान की २.८ रुपया और यू०पी० की मालगुजारी का जो औसत आता है वह ५.४ रुपया आता है। और किसी सूबे से इतनी मालगुजारी नहीं आती है। मालगुजारी से हमको जो आमदनी होती है वह २२ करोड़ रुपया होती है यानी ५ रुपया फी एकड़ उसका औसत आता है। हमारे यहां से २२ करोड़ आता है। और सारे हिन्दुस्तान के सूबों से ८० करोड़ आता है तो उसका औसत ३ रुपये से कम आता है। तो जिस दिन आप ७६ लाख एकड़ जमीन को काश्त के अन्दर ले आयेंगे उसी दिन ७६ लाख एकड़ को ५ से गुणा करेंगे तो मेरा खयाल है कि ३.८ करोड़ रुपया आपको रेवेन्यू के लिये मिल जायगा। इसके अन्दर आपको क्या एतराज हो सकता है? क्या कांग्रेस सरकार की तरफ से इस पर एतराज हो सकता है? आप इस नई जमीन को तोड़ने के लिये एतराज क्यों करते हैं? इसको आप तोड़ें। अगर आप ७६ लाख एकड़ जमीन तोड़ेंगे तो ७६ लाख आदमियों को रोजी मिलेगी। एक बटा दस आबादी के आदमियों के पेट के अन्दर रोटी जायगी। १२ लाख से अधिक कुटुम्बों को उससे फायदा होगा। १२ लाख कुटुम्ब में हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग भी होंगे। हमारे प्लानिंग कमीशन ने इसके लिये शिकायत की थी और वह शिकायत जायज भी थी। और मेरा ऐसा खयाल है कि गेंदा सिंह जी ने कहा था प्लानिंग कमीशन उत्तर प्रदेश की आबादी जो साढ़े ७ करोड़ की है उसके हिसाब से पैसा क्यों नहीं देता। यह एक जायज

मांग है। अगर सोर्स पर देते हैं तो देखें कि यू०पी० में कितना दम है, कितनी ताकत है। लेकिन एक मांग है कि आखिर प्लानिंग कमीशन से आबादी के हिसाब से पैसा क्यों न आये? आपके यहां ७० फीसदी से कम न होंगे हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिये अगर आप यह रुपया खर्च कर दें तो आपका क्या नुकसान होगा। आपकी प्लानिंग का मतलब स्टेट्स को नहीं है। जो आदमी मालदार है उसके लिये प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का मकसद यह है कि जो झोपड़ी में रहता है, जो गरीब है, जिस के पास पैसा नहीं है, उसके लिये प्लानिंग कमीशन की तरफ से पैसा आये और खर्च किया जाय। यह मांग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से है। यहां गरीबी है, पिछड़ा पन है। यह ठीक है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसके अनुसार अब हमें हरिजन और पिछड़े वर्ग के नाम पर मांगने की गुंजायश नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह मांग तो अब गरीब-अमीर के हिसाब से चलेगी। लेकिन क्या मैं यह पूछ सकता हूं और मैं समझता हूं कि इसके आंकड़े सरकार के पास भी नहीं हैं कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिनकी आज समाज में इज्जत नहीं है, जिनके पास खाने के लिये नहीं है, उनके लिये प्लानिंग की तरफ से कितना परसेंटेज लिया गया है? गेंदा सिंह जी के भाषण में था कि शायद ५५ लाख रुपया आपने कानपुर के एक मिल मालिक को दिया, ९० लाख दूसरे किसी को दिया। एक करोड़ से ज्यादा रुपया कानपुर के दो, तीन मिल मालिकों को दिया गया। यह आप क्या प्लानिंग के लिये ले रहे हैं? अगर आप यहां टाटा और बाटा को प्लानिंग के जरिये बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ४ परसेंट आदमी हिन्दुस्तान पर डामिनेट करें, अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोग अमीर रहें और बाकी सब गरीब रहें, और कांग्रेस के यही नारे रहें तो हम ऐसी प्लानिंग का घोर विरोध करेंगे। हमारा ऐसी प्लानिंग में विश्वास नहीं है। समाजवादी कहलाने वाली कांग्रेस सरकार की यह क्या बात है कि वह आज बराबर अमीरों को ही प्लानिंग के नाम पर रुपया दिये जा रही है? मैं जानता हूं कि आज इंदर सिंह के लिये क्या-क्या सहूलियतें नहीं हैं। मेरा खयाल है कि १५८ एकड़ जमीन काश्तकारों की छीन कर एक बड़ी मिल वहां खोली जा रही है वैगन फैक्टरी बनाने के लिये। रेयन मिल खोली गयी है वहां। तो क्या गुप्ता जी यह साढ़े तीन करोड़ रुपया भी उन्हीं के लिये लेना चाहते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह प्लानिंग जो अमीरों के लिये ही की जा रही है, उसे आप नहीं रोक सकते?

श्रीमन्, हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू हैं। वह पुराने सोशलिस्ट हैं। और सोशलिस्ट तो यह भी हैं। श्रीमन्, सन् १९३४ में श्री गुप्ता जी और नवलकिशोर जी, बनारसीदास जी तथा राममूर्ति जी भी, सभी उस समय सोशलिस्ट पार्टी में थे। मैं बड़ी स्पष्ट और व्यवहारिक बात कहता हूं। अब वह पूरी पुरानी सोशलिस्ट पार्टी ही कांग्रेस में आ गई है। उस समय जब-जब बात होती थी तो एक ऐसा वर्ग भी था जो कि श्री गुप्ता जी से नफरत करता था। वह लोग गुप्ता जी के बिना सहयोग के ही अपनी समाजवाद की गाड़ी चलाने के लिये तैयार थे। परन्तु आज जब ट्रेजरी का सवाल आता है तो वही लोग आज अपने आपको समाजवादी कहते हैं। परन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि १९३४ के वह उनके स्लोगन्स आज कहां हैं? आप जरा अपने हार्ट की एनालिसिस करें तो आपको अपनी यथार्थता का ज्ञान होगा। आप यदि इतिहास को उठाकर देखें तो आप को मालूम होगा कि समाजवाद तभी आया है जब कि किसी जगह पर अमीर और अमीर हुआ हो और गरीब और गरीब हुआ हो। अब मैं आपकी सेवा में पंडित जवाहर लाल नेहरू का एक बयान पेश करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि "पिछले १२ सालों में सेठों ने जितना पैसा बनाया है उतना पिछले १०० सालों में भी हिन्दुस्तान के सेठों ने नहीं लिया था।"

अब बताइये कि क्या जवाब है इसका आपके पास? यदि आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो आप नेहरू जी को एक पत्र लिख कर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आप इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि आज टाटा और बिड़ला तथा सिंहानिया और अधिक मिलों वाले हुये हैं। श्री कृष्णमाचारी तो पंडित नेहरू से और भी दो कदम आगे हैं। उनका तो कथन है कि इस प्लानिंग से हिन्दुस्तान भर को निचोड़ करके हमने सेठों की जेब के अन्दर पैसा दिया है। यह है हमारे बड़े-बड़े नेताओं का कहना। इसलिये आप भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं।

[श्री बलवानसिंह]

अब मैं आपको एक बात और बता दूं और यह तो गुप्ता जी भी जानते होंगे कि ऐसे-ऐसे आदमी हमारे देश में हैं जिनके हाथ में ५०० करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल है। चाहे वह टाटा हों, चाहे वह बिड़ला हों, और चाहे वह बाटा हों, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या समाजवाद उनके लिये नहीं है ? क्या यही आपका सोशलिज्म है, यही आपका सोशलिस्टिक पैटर्न है ? आप जिसको समाजवाद कहते हैं वह वास्तव में समाजवाद नहीं है। इसको न मार्क्स ने लिखा और न लेनिन ने लिखा है। पता नहीं कहां से उसकी रचना पंडित नेहरू ने अपने दिमाग से की है। पता नहीं आप ट्रूमेन के अनुयायी हैं या किसके हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपका कोई चरित्र नहीं है और कांग्रेस में कोई गट्स नहीं हैं। कांग्रेस के पास कोई सच्ची और सही समाजवाद की तस्वीर नहीं है। आप एक तरफ अरबपति को रखते हैं और दूसरी तरफ कंगाल को पालते हैं। आप एक तरफ तो पहाड़ पर लोगों को बैठाते हैं और दूसरी तरफ पाताल में। आमदनी का जो पहाड़ है एवरेस्ट, उस पर कुछ लोग बैठे हैं और एक तरफ गरीबी की दलदल में कुछ लोग बैठे हुये हैं। प्लानिंग के नाम पर आप एवरेस्ट पहाड़ पर और ज्यादा पैसा देते हैं और गरीबों का सवाल आता है तो कुओं के अनुदान में, तकावी की शक्ल में बुरादा-सा छिड़कते हैं और कहते हैं कि समाजवाद लायेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक साल नहीं, १०० साल में भी अगर आप अपना समाजवादी ढांचा लायें तो हिन्दुस्तान में जो डिस्पैरिटी और फर्क है वह कांग्रेस पार्टी से टूटने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर अगर बराबरी और समाजवाद लाना है तो एवरेस्ट पहाड़ों को तोड़ना होगा और उसकी मिट्टी को इस दलदल में डालना होगा, तब हिन्दुस्तान में बराबरी की सतह आयेगी। पहाड़ों की चोटी में लोगों को बिठाकर और दलदल में गिराकर अगर कांग्रेस उसको समाजवाद कहने को तैयार है तो कम से कम मैं नहीं हूं। अगर नवलकिशोर जी कहते हैं कि हमारा साथ दो बिल में, तो कैसे दे दें ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सिद्धांत है कि सौ से कम, हजार से ज्यादा किसी को मत दो। श्रीमन्, जबकि आई०सी०एस० आदमियों का सवाल आया तो कांग्रेस सरकार ने कह दिया कि क्योंकि उनकी २-३ हजार की तनख्वाहें अंग्रेजों ने मान ली थीं लिखकर इसलिये कानफिडेंस तोड़ नहीं सकते। तो क्या गुप्ता जी से मैं पूछ सकता हूं कि आज आई०सी०एस० की तनख्वाहों में तो वायदे का खयाल किया कि कहीं आई०सी०एस० नाराज न हो जायं और हजारों की तनख्वाहें उनको दीं लेकिन जहां पर आपका खुद का वचन था कि ४० साल तक इस सूबे में यह लगान बढ़ाया नहीं जायगा उसको १० साल के अन्दर क्यों तोड़ डाला ? क्या कोई मिनिस्टर मेरी बात का जवाब देगा कि उस अंग्रेज के जमाने के वादे को तो अफसरान ने कायम रखा, लेकिन जब रेवेन्यू का सवाल आया पंत जी के जमाने में तो ४० साल के अन्दर तोड़ने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---अगर जरा जल्दी कर लें तो और लोग भी बोल लेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---विरोधी पक्ष को आप बराबर टोकते हैं। यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---वह मेरी बात समझते हैं, आप बीच में मत बोलिये।

श्री बलवानसिंह---श्रीमन्, चरण सिंह जी की एक किताब है, उसको उन्होंने विश्वास के साथ बटवाया है "ऐग्रेरियन रिवोल्यूशन" उसमें दिया है कि ४० साल तक लगान बढ़ाया नहीं जायगा। क्या इस डाक्यूमेंट को तोड़ने के लिये तैयार हैं ? नवल किशोर जी कहते हैं कि हम सावरेन हैं, हमें तोड़ने का हक है तो क्या आपका हक गरीबों के इंटरेस्ट को खत्म करने में है, अमीरों के इंटरेस्ट के समय नहीं आता ? ४० करोड़ रुपये आपने लगान लिया कि हम किसान को जमींदारी अबालिशन करके जमीन का मालिक करने जा रहे हैं। श्रीमन्, अंग्रेजों ने भी ९ आने एकड़ का रेवेन्यू रखा था परमानेन्ट सेटिलमेंट में और १५० वर्ष तक उसी को रखा। मेरा यह कहना है और सुझाव है कि अगर आप टैक्सेशन चाहते हैं तो मैं जो दो-तीन मोटे-मोटे सुझाव आपको देता हूं उन पर आप अमल करें। पहला सुझाव यह है कि अगर आप ३६ लाख एकड़ जो उपजाऊ जमीन पड़ी है इसको जोतें तो आपको इससे ३ करोड़ ८० लाख रुपये की मालगुजारी मिल सकती

है। हर साल आपको ऐसा करने पर ४० करोड़ रुपये का अनाज प्राप्त होगा। आप बड़े बड़े कारखाने खोलना चाहते हैं। अमेरिका की तरह बड़े-बड़े सुन्दर, गगन चुम्बी, भवन बनाना चाहते हैं, आपको शौक है कि वहां की तरह यहां भी ये सब बने, और आप आज चल भी अमेरिकन पैटर्न पर रहे हैं, इंडियन पैटर्न पर नहीं। मगर इस तरफ आप ध्यान नहीं देते। एक-एक मिल पर, एक-एक डैम पर, आप जितना खर्च करते हैं, उतना खर्च करके आप कई लाख आदमियों को रोजी दे सकते थे, कई लाख एकड़ जमीन तोड़ सकते थे, लेकिन इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया। आज अमेरिकन पैटर्न पर चलने से आपकी कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही है। आपकी जितनी काटेज इंडस्ट्रीज हैं, अगर उन पर भी आपने ध्यान दिया होता तो बहुत लाभ हो सकता था। गेंदासिंह जी के लिये आप कहते हैं कि वे तो शुगरकेन की ही बात करते हैं। मैं कहता हूं खांडसारी से ही लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। उस पर आपने रोक लगा रखी है और वह इसलिये लगा रखी है कि उससे बड़े-मिल मालिकों को नुकसान होता है। आपने इन मिल मालिकों को जो छूट दे रखी है उससे ही १९५२-६२ तक, ३२ करोड़ रुपये का फायदा इन लोगों को हुआ है। इस मिल मालिकों ने सन् १९५२ में एक बर्ड आफ कांफीडेंस दिया था कि हम २७ रुपये मन चीनी बेचेंगे। आज वह भाव ४० रुपये मन है। यह फायदा किसको हुआ है? श्रीमन्, महाराष्ट्र में जो आज शुगरकेन का भाव है वह क्या है? वहां पर ५५ रुपये टन का भाव है। और हमारे यहां क्या है? हमारे यहां ४५ रुपये टन का भाव है। इतना फर्क क्यों है?

श्री बनारसीदास—वहां के शुगर कन्टेंट्स क्या हैं?

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, कई करोड़ रुपया आपका वहां पड़ा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन १० सालों के अन्दर कई करोड़ रुपया इन शुगरकेन के मिल मालिकों ने कमाया है। २ आने तक की छूट थी। सन् १९४९ में इस सूबे ने १ ३/४ रुपये मन गन्ने के दाम दिये थे और उस समय चीनी का भाव था २० रुपये मन। क्या उनके मिलों में अब करोड़ों रुपया और लग गया है? नहीं किताबों में एक कहानी पढ़ी थी और गांवों के अन्दर कहावत भी थी कि जितनी आने मन गन्ना उतने रुपये मन चीनी। हजारों साल से गन्ने की खेती हिन्दुस्तान में होती चली आई है यह प्रोवर्ब रही है। आज गन्ने का दाम है १ रुपया १० आना मन तो चीनी का दाम होना चाहिये २६ रुपये मन। तो जोत-कर का पैसा अकेले चीनी के मालिकों से लिया जा सकता है। खन्ना जी के पास कोई और रिपोर्ट हो तो हमें बता दें। जितना पैसा १० सालों में चीनी के मिल मालिकों ने कमाया है उसे अगर लें तो जोत-कर से जितना पैसा आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आ जावेगा। अभी मेरी बात राममूर्तिजी से हुई। उन्होंने कहा बलवानसिंह इन्कम टैक्स का सवाल तो सेंटर का है। लेकिन जो सवाल आपके हैं उनके लिये ही आप क्या करने के लिये तैयार हैं? अकेले चीनी पर जो ३२ करोड़ का मुनाफा बढ़ा है उसे ही लेलें।

दूसरी बात यह है कि अनाज के जो व्यापारी हैं उनकी तरफ़ भी जरा देखें। १९५२-५३ में अशोक जी फुडग्रेन्स कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने हवाला दिया था कि जिस दाम पर काश्तकार अपने अनाज को बेचता है और जिस दाम पर वह कन्ज्यूमर को मिलता है उनमें करोड़ों रुपये का फर्क है। भानुप्रतापसिंह जी बैठे हैं एग्रीकल्चर का उनका अच्छा ज्ञान है। इसके लिये फीगर्स हैं कि ४० परसेंट तक कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। करोड़ों टन अनाज और ४० परसेंट का फर्क। २०० करोड़ रुपये से ज्यादा की लूट होती है इसमें। मेरा खयाल है कि यू० पी० के हिस्से में इस लूट में से ४०,४५ करोड़ रुपया आता है। यह लूट भावों में होती है। क्या इस सरकार का कोई बिल इस लूट के लिये है? नहीं है। क्या सरकार की ताकत इस लूट में कुछ हिस्सा लेने की नहीं है? अशोकजी ने कहा है कि मुनाफ़े के इस पैसे में से आधा किसान को मिलना चाहिये और आधा जाना चाहिये प्लानिंग के लिये। कितने शर्म की बात है कि जो आदमी सिर्फ़ गद्दी पर बैठा रहे, लेकिन चूंकि उसके पास पैसा है बड़े-बड़े गोदाम हैं अनाज रखने के लिये वह करोड़ों रुपया खा जाता है केवल ३,४ महीने बाद किसान से लिये हुए अनाज को

[श्री बलवानसिंह]

बेचने में। क्या मैं आज गुप्ताजी से पूछ सकता हूं कि वेलफेयर स्टेट के नाम पर और सोशलिस्ट स्टेट के नाम पर कम से कम वह उस काश्तकार को गारन्टी देने के लिये तैयार हैं कि उसे कुछ राहत मिलेगी जो साल भर तक जाड़े की रात में अपनी हड्डी सिकोड़ कर और गर्मी की धूप में अपना बदन जलाकर यह अनाज पैदा करता है ? क्या उस पसीना बहानेवाले का हक नहीं है कि उसे अपनी मेहनत का पूरा फल मिले ? लेकिन उसकी मेहनत की लूट होती है और वह ऐसे आदमी के हाथ होती है ,जिसका इस राष्ट्र के निर्माण में कोई हाथ नहीं है। क्या आप इन चोर और डकैतों को तोड़ने के लिये तैयार हैं ? आपके सन् १९३१ के और सन् १९४६ के रेजोल्यूशन और सन् १९५२ का नारा और सन् १९५७ का मैनीफैस्टों कहां हैं ? हमारे संविधान में भी है कि एक्सप्लायटेशन क्लास–टू–क्लास नहीं होगा। तो क्या यह सरकार इस मिडिलमैन द्वारा इस एक्सप्लायटेशन को तोड़ने के लिये तैयार है ? आप कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के गोदाम गांवों में कीजिये। यह मेरा मंशा नहीं है कि इसकी हिन्दुस्तान में स्टेट ट्रेडिंग फिर हो जाय क्योंकि आपने विकेन्द्री करण किया है। लेकिन आप इस मिडिलमैन को तोड़ कर देख सकते हैं कि एक ही साल में आपको कितने रुपये का मुनाफ़ा होता है। लेकिन आप इसके लिये तैयार नहीं हैं। क्यों ? मेरे खयाल से कृष्णानन्दराय जी कुछ कह सकते हैं इसके ऊपर कि यह लूट है या नहीं। क्यों इसे होने देते हैं। चोर १०,५ रुपये की चोरी के लिये जेल जाता है लेकिन आपके पास इस लूट के पैसेवाले के लिये हल नहीं है जो चोरबाजारी करता है। आपकी नाक के नीचे ही हजतरगंज में एक रबड़ कम्पनी के कोई बड़े सज्जन हैं जो लिस्ट प्राइस से अधिक में बेचने में लाखों रुपये साल की बचत करते हैं। लिस्ट प्राइस से दोगुने दाम तक पर रबड़ को देते हैं। देखें जाकर गुप्ता जी कि काश्तकार जब अपनी गाड़ियों के लिये लेजाता है तो कितनी लूट होती है। तो क्या आपमें शक्ति है कि उस एक्स्ट्रा पैसे को उस रबड़ कम्पनी से ले लें ? आपके पास इस हजरतगंज में ही इकेली एक कम्पनी द्वारा लाखों रुपये साल की लूट होती है। आप उनकी कम्पनी को लीजिये। आप बिजली की कम्पनीज़ को लीजिये। अभी इंटरवल में मेरी नवलकिशोरजी से बात हुई थी। क्या गुप्ताजी मानेंगे कि उनके सेल्स टैक्स में इवेजन बहुत है ? करोड़ों रुपया जो व्यापारी सेल्स टैक्स में जनता से वसूल करते हैं सरकार को नहीं देते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीया रोहतगी जी के पीछे एक सज्जन खड़े हैं। वह संसदीय विभाग में काम करते हैं या कांग्रेस में?

श्री उपाध्यक्ष—अब चले गये। मुझे दिखलाई नहीं दिया।

श्री बलवानसिंह—क्या मैं पूछ सकता हूं इस सरकार से कि उसके सेल्स टैक्स का इवेजन कितना होता है। मानते हैं आप इस चीज़ को। कोई भी मिनिस्टर हिम्मत के साथ यह नहीं कह सकता कि इवेजन ज्यादा नहीं है। है ज्यादा। लोग सेल्स-टैक्स लेकर लैजर में नहीं लाते हैं। इस सरकार को मालूम है कि इन्कम टैक्स अफसरों और कमिश्नरों को कैपिटलिस्ट लोग करोड़पति लोग हजार और २,२ हजार रुपये माहवार की नौकरी पर इसलिये रखते हैं कि वे उन्हें टैक्स इवेजन की बातें बतलावें। हमारे दत्ता साहेब जानते होंगे इस चीज़ को। डिप्टी मिनिस्टर साहब यह जानते होंगे कि किस तरह सेल्सटैक्स आफीसर्स को और कमिश्नर्स को बड़े-बड़े व्यापारी केवल सेल्स टैक्स बचाने के लिये रख लेते हैं और इस प्रकार से सेल्स टैक्स में लाखों रुपये का घोटाला होता है।

मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं कही जो कान्ट्रोवर्शियल हो, कोई चीज़ आवेश में नहीं कही, क्योंकि मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको सुझाव देता। हिन्दुस्तान में जितना इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है जितना मिलों में माल पैदा होता है उसको आप देखें और इसी माल पर जितना इन्कम

टैक्स दिया जाता है उसको आप देखें तो आपको बहुत बड़ा फर्क मालूम होगा। यह मैं जानता हूं कि इन्कम टैक्स सेन्ट्रल का सब्जेक्ट है। यह जानते हुए भी मैं इसको इसलिये आपसे कह रहा हूं हाउस के सामने कि आप इस चीज को सोचें कि क्या आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं।

हिन्दुस्तान में ३,६०० रुपये से ज्यादा जब किसी की इन्कम होती है तब उसके ऊपर इन्कम टैक्स लगाया जाता है। जब कि दूसरे देशों में यह अलग-अलग है। पाकिस्तान हमारे नजदीक है। इसके बारे में इन्डियन टैक्स स्ट्रक्चर एन्ड एकोनामिक्स नामक किताब में लिखा हुआ है।

"When an Indian Tax payer enjoys an income 50 times as high the national per capita income, he pays only 7.3 per cent of his income in income tax."

यानी इस बेसिक आमदनी, ३०० रुपया माहवार आमदनी की अगर ५० गुना तक इन्कम होती है तो सिर्फ ७ प्रतिशत तक वसूल होता है जब कि दूसरे देशों में इससे दुगना है कहीं-कहीं २०-२० गुना तक लिया जाता है। आपका स्ट्रक्चर कितना कमजोर है। आपका यह कैपेटेलिस्ट वर्ग एक बहुत बड़ा मजबूत वर्ग है जिसका खजाना हर साल बढ़ताजाता है। लेकिन एक दूसरा वर्ग काश्तकारों का है जिसके पास कोई आमदनी ही नहीं है। अब जो सीलिंग लगा दी है वह ४० एकड़ पर लगा दी है। चरणसिंह जी के अनुसार अगर ७५ रुपया फी एकड़ आमदनी भी रखी जाय तो ३०० रुपया होती है। यहां शहरों में जो आपकी इन्कम टैक्स छूट की हद है गांवों में वह आपकी अधिक से अधिक आमदनी की हद है। क्या माननीय शिवराज सिंह जी अथवा और कोई मंत्रिमंडल का सदस्य इसका उत्तर देने के लिये तैयार है। कि ऐसा क्यों है जब शहरों में आपने ३,६०० रुपया तक की आमदनी को इन्कम टैक्स के लिए छोड़ा है तो देहात में क्यों बांध दी है? टैक्स क्यों लगा दिया है?

श्रीमान्, क्या हम इसकी मांग नहीं कर सकते कि आपके ला में यूनिफार्मिटी हो? हिन्दुस्तान का जो कांस्टीट्यूशन है हिन्दुस्तान का जो ला है वह अमीर गरीब के लिये एक-सा होना चाहिये। एक तरफ शहर के लिये तो आपकी यह नीति है कि जिसकी आमदनी ३०० रु० महीने से कम हो उसे एक पैसा भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हिन्दुस्तान की फौज, हिन्दुस्तान की पुलिस, हिन्दुस्तान के डाकखाने, हिन्दुस्तान की नहरें व प्लानिंग के नाम पर आप शहर वालों से एक पैसा भी लेने के लिये तैयार नहीं हैं और दूसरी तरफ देहात के लिये जो आपने सीलिंग मुकर्रर की है उससे किसी की आमदनी ३०० रुपये महीने से कम हो तो भी आप उससे टैक्स ले रहे हैं। इसको मैंने कल भी कहा था कि अगर किसी काश्तकार के पास एक एकड़ जमीन है और इससे दो रुपये महीना भी इन्कम नहीं है तो उसके ऊपर भी आपका टैक्सेशन है। गुप्ता जी क्या इस बात को बतलाने के लिये तैयार हैं कि अगर गांव के आदमी को बकरा बनाने के लिये तैयार हैं तो वही चीज शहर वालों के लिये क्यों नहीं है? उन्होंने सदन में बड़ी ही मार्मिक अपील की थी कि देहात के अन्दर टैक्सेशन कम है और शहरों के अन्दर टैक्सेशन ज्यादा है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आज शहर का वह आदमी जिसके पास रोजगार है, मशीन है आज वह अपनी दूकान के अन्दर बैठ कर, चाहे वह हलवाई हो, दर्जी हो, दूकानदार हो, या कारखानों में हो, हिन्दुस्तान के डेवलपमेन्ट के लिये एक पैसा भी देने के लिये तैयार नहीं है जब तक कि उसकी इन्कम ३,६०० रु० सालाना न हो? आज आप गांव वालों के साथ जबरदस्ती करते हैं, पुलिस की लारी जाती है, और उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाते हैं। नेगी साहब भी मौजूद हैं, और मिनिस्टर लोग भी मौजूद हैं, दत्ता साहब भी मौजूद हैं जो कानपुर में जा कर बड़ी बड़ी दुहाइयां देंगे कि हमने इतनी छूट दी है, जब कि हम लोगों की तरफ से एजिटेशन होगा। आपकी यह पालिसी डिवाइड एंड रूल की है, क्योंकि आप जानते हैं कि शहर वाले होशियार हैं, शहर के आदमी पढ़े लिखे हैं, शहरों के अन्दर से ही पोलिटिक्स चलती है, और अगर कहीं शहर वाले नाराज हो गये तो उससे अगले एलेक्शन में धक्का लग सकता है। जो बेस आपने शहरों के अन्दर इन्कम का बनाया है वही देहातों के लिये भी कीजिये। अगर आप मानते हैं कि किसान अपनी जमीन

[श्री बलवानसिंह]

के मालिक हैं तो क्या आप इस बात के लिये तैयार हैं कि उनकी रेवेन्यू में छूट दें। पहले हम लोग भी कहते थे और सोशलिस्ट पार्टी भी सोचती थी कि एक वक्त आयेगा कि जब हम लोग रेवेन्यू के लिये लड़ेंगे, लेकिन यहां तो वही बात चरितार्थ हुई कि चौबे जी छब्बे होने गये, लेकिन दुबे भी नहीं रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक वक्त आयेगा जब हम इस बात को सोचेंगे कि यू० पी० के अन्दर रेवेन्यू धीरे-धीरे खतम हो जाय। फिर क्या आपका यह दावा नहीं है कहने का कि एक तरफ तो रेवेन्यू में छूट देने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ इस बात को कहने के लिये तैयार हैं कि जो इकोनामिक होल्डिंग्स नहीं हैं और जिससे काश्तकार को लाभ नहीं है उसके रेवेन्यू को तोड़? आज मिनिस्टर साहब को चाहिये कि इस वादे को तोड़ दे, लेकिन फिर गांव में आपकी कौन-सी फिलासफी काम देगी। आपकी एक बात का जवाब मैं दे दूं कि अगर आप कुर्बानी का माद्दा चाहते हैं तो देहातों और शहरों के फर्क को समाप्त कर दें और सबके साथ एक-सी डीलिंग करें। अपनी इस दुरंगी नीति को छोड़ दें और किसानों तथा भूखों नंगों से पैसा मांगने की नीति को छोड़ें। पैसा आप लें उससे जिसके पास पैसा देने के लिये हो। माल मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की ज्वाइंट रेस्पान्सिबिलिटी है। आप ८ एकड़ की बात करते हैं लेकिन यह आप ने नहीं समझा है कि मिले हुये खातों पर क्या होगा? वैसे तो आप बड़ी कोआपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं क्या कोआपरेटिव फार्मिंग पर यह टैक्स नहीं लगेगा? यह जो लैंड पालिसी इस सरकार की है मैं कहता हूं कि वह करप्ट है और वह शैतानियत से भरी हुई है। वह कैसे? आप कन्सालिडेशन आफ होलडिंग्स का कानून लाये इसलिये कि उससे किसान को लाभ होगा और उसके बाद आप कोआपरेटिव फार्मिंग ले आये, दोनों एक साथ। जब कोआपरेटिव फार्मिंग होती है तो फिर कन्सालिडेशन आफ होलडिंग की क्या जरूरत है, यह आप के दिवालियापन की निशानी है। इस कनसालिडेशन आफ होल्डिंग के लिये किसान को ६ करोड़ रुपया देना पड़ा और करोड़ों रुपया उसको रिश्वत में देना पड़ा। रात को सरकार को ख्वाब हो गया तो सुबह को कनसालिडेशन का कानून आ गया। इस की मैं एक मिसाल दे दूं माननीय नवल किशोर जी मेरी बात मान जायेंगे। ८ साल का बागों का लगान एक साल में वसूल किया गया, वैसे सबके लिये कर्ज के बारे में ३ साल की मियाद है, लेकिन आप ८ साल के बागों की बकाया लगान वसूल करते हैं। सम्भव है कि श्री नवलकिशोर जी को कभी रात के बाद उठते-उठते किसी दिन सुबह को यह ख्वाब आ जाय कि शाहजहां के जमाने का लगान भी बाकी है उसको भी वसूल किया जाय। अगर ८ साल का बकाया लगान वसूल करने वाली पार्टी भी अपने को डेमोक्रेटिक कहे, जो बागों का ८ साल का लगान किसानों पर बरदाश्त नहीं कर सकी और जिसका करोड़पतियों पर करोड़ों रुपया बाकी है वह किसी माने में भी डेमोक्रेटिक नहीं है, ईमानदार नहीं है। एक मिसाल और मैं देता हूं, आपने कहा था कि जमींदारी अबालिशन में दस साल का लगान वसूल करेंगे, वह वसूली नहीं थी वह किसानों से छीनना ही था। माननीय बनारसी दास जी और नवल किशोर जी रामायण तो पढ़ते होंगे। रामायण में शुरू से आखिर तक चारों तरफ रावण की बुराई है, वह विद्वान था, शक्तिशाली था, और सुनते हैं कि वह हवा भी बांध सकता था.....

श्री उपाध्यक्ष श्री—इस वक्त तो आप हवा बांध रहे हैं।

श्री बलवानसिंह—अच्छा है अगर वह मेरी हवा से बंध जायं। तो वह शक्तिशाली था, लेकिन उसने केवल एक पाप किया था। उसने और चाहे जितने जुल्म किये, ऋषियों तक के खून को चूसा, यज्ञों में जाकर उनको पकड़ा, लेकिन रामायण में कहीं यह नहीं है कि रावण ने अपने यहां के काश्तकारों से पिछला लगान कोई वसूल किया हो, दुनिया के अन्दर इतिहास में नहीं है। अंग्रेज हिन्दुस्तान में लूटने के लिये आया था और करोड़ों, अरबों रुपया लूट भी ले गया। अंग्रेजों ने नहरें खोदीं और उसके पीछे उद्देश्य यह था कि काटन यहां हो और मैनचेस्टर में मिलें खुलें, लेकिन वह इतना पतित नहीं था कि वह जाते वक्त किसानों से कहता कि १५ साल का लगान दे दो और हम तुम्हें तुम्हारी जमीन का मालिक बनाये देते हैं। आपने १० साल का लगान

लूटा। १९५२ में वसूल किया, लेकिन अगर १९५७ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आ जाती और यह कानून तोड़ देती तब क्या होता? आप आगे आने वाले जमाने तक को रोकने के लिये तैयार हैं और इस पर आप अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं? आप काश्तकार को एक सहूलियत देने को तैयार हैं और उसकी कीमत मांग रहे हैं? नवल किशोर जी, कानून अगर किसी के फायदे के लिये बनाया जाता है तो उस की रिश्वत नहीं होती। आपने इसकी रिश्वत ली। इस सरकार के राज्य में रिश्वत ही रिश्वत है और जमींदारी अबोलिशन के लिये भी रिश्वत ली गई।

(व्यवधान)

मेरे लिये आप कुछ कह सकते हैं। बहुत से लोग मुझे इस निगाह से देख भी रहे हैं अगर रावण की तरह शक्ति होती उनकी निगाहों में तो मैं यहीं भस्म हो जाता। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस १० गुने लगान की वसूली में कौन-सी फिलासफी थी? काश्तकार से आपने इसलिये कहा कि तुम जमीन के मालिक हो और ४० साल तक कोई लगान नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज १९६२ में अब आप क्यों कहते हैं कि प्लानिंग करनी है इसलिये तीन करोड़ रुपये काश्तकार से वसूल करने हैं। सरकार कृपया बतलाये कि आबपाशी में कितनी एकरेज बढ़ी? १ करोड़ १८ लाख एकड़ जमीन पर आबपाशी है, लेकिन फ्लड्स के अन्दर १ करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन आ जाती है। अगर आप की प्लानिंग की वजह से जिस जमीन पर आबपाशी नहीं है और जहां पर कोई इम्प्रूवमेंट और इम्पलिमेंट्स मुहइया नहीं किये गये हैं, जहां पर योजनाओं की कोई झलक नहीं है वहां से क्यों यह टैक्स वसूल किया जा रहा है।

फ्लड्स में टेस्ट वर्क की बात कही जाती है। एक आदमी खरीफ में रात-दिन मेहनत करता है और गंगा जी का पानी आकर उसकी सारी मेहनत को बहा ले जाता है, उसका आप मुआबिजा देते हैं, आपके बिल में गुंजायश है? तो फिर क्यों आप उससे यह टैक्स लेने को तैयार हैं? जोत-कर में कोई छूट है? कोई छूट नहीं है। मेरा ऐसा खयाल है कि ढाई करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर गुप्ता जी को हक नहीं है कि जरा भी कर लें। इनकी जो फ्लड की रिपोर्ट है उसमें ये कहते हैं कि करोड़ों रुपये हमने खर्च किये हैं और ५-६ लाख एकड़ जमीन में अब फ्लड नहीं आयेगा, क्योंकि हमने गांव को ऊंचा किया है। लेकिन हर साल लाखों एकड़ जमीन बाढ़ में डूबती है। मनुजी ने युधिष्ठिर से पूछा था कि तुम्हारे राज्य में किसानों के लिये क्या हो रहा है, तो युधिष्ठिर जी ने कहा था कि मेरे राज्य में ऐसा कोई गांव नहीं है, जिसमें दो-तीन गहरे तालाब न हों, जिनसे उन गांवों की आबपाशी ही नहीं होती है, बल्कि बारिश के पानी को भी रोकते हैं। आज वह चीज नहीं रही और फ्लड्स आने लगे। जब से आपकी प्लानिंग आयी तभी से बाढ़ ज्यादा आने लगी। आपकी जितनी नहरें बनी हैं, जो रोड्स बनी हैं उनका ऐसा गलत प्लानिंग हुआ है कि ये पानी के बहाव को रोकती हैं। इसी वजह से फ्लड्स से इस सूबे में ज्यादा नुक्सान हो रहा है, लेकिन इस लैंड टैक्स बिल में कहीं भी फ्लड एरिया को छूट देने की बात नहीं है।

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—आपने बिल को पढ़ा नहीं है, इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष—आपस में बात न करें।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मैंने अंग्रेजी का भी बिल पढ़ा और हिन्दी का भी पढ़ा मुझे तो कहीं मिला नहीं। अंग्रेजी जमाने में ट्यूबवेल्स से ८ लाख रुपये साल का मुनाफ़ा होता था और आज डेढ़ करोड़ रुपये साल का स्टेट ट्यूबवेल्स से नुक्सान हो रहा है। तो आखिर यह नुक्सान क्यों हो रहा है? कोई जवाब नहीं। इस डेढ़ करोड़ रुपये को तो बचाइये। कहीं न कहीं आपकी तरफ़ से गलती है जरूर। जब तक आप इस रुपये को इस बिखराव को नहीं रोकेंगे तब तक आपको टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है। डेढ़ करोड़ रुपया कम नहीं होता।

अब एक दूसरा सवाल फर्टिलाइजर्स का आता है। आपका यू० पी० का खाद हैदराबाद में तम्बाकू की उपज के लिये जाता है और उस मामले में यहां पर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में पिछले साल भी सवाल आये कि करोड़ों रुपये का खाद ब्लैक मार्केट में चारों तरफ चला जाता है और यहां के काश्तकार को उससे फायदा नहीं मिलता। तो कहां है आपका

[श्री बलवानसिंह]

प्लानिंग का ढांचा । यह कोई बतावे कि जिसके पास खाद आपकी न हो, पानी न हो, सीर न हो उससे आपको कहने का हक कहां है कि टैक्स दो ।

श्री कृष्णानन्द राय—फलड्स के बारे में सेक्शन ९ (१) देख लीजिये ।

श्री बलवानसिंह—वह पढ़कर ही तो मैं कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बोलिये ।

श्री बलवानसिंह—खैर, तो ट्यूबवेल्स में नुकसान क्यों है, खाद आपकी कहां जाती है यह सब क्या आपने देखा । जब आपके फार्म पर ८ लाख रुपये साल का नुकसान हो रहा है तो फिर आपको क्या हक है कि आप टैक्स मांगें ? मैं तो आपको कन्विन्स करना चाहता हूं या सरकार हमको कन्विन्स कर दे ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हम तो आपको कन्विन्स करने के लिये तैयार हैं ।

श्री बलवानसिंह—अगर हैं तो इंडस्ट्रियल प्राइसेज और फूडग्रेन्स की प्राइसेज में पैरिटी लाइये । आपको मालूम है कि कितनी लूट हो रही है इंडस्ट्रियल प्राइसेज से ? किसान को उसकी चीजों की उतनी कीमत नहीं मिल रही है । आज मिल मालिक ने लूट मचा रखी है । अगर आपकी सरकार काश्तकारों के हित के लिये होती तो प्राइस पालिसी बनाती । प्राइस का फिक्सेशन बोर्ड बनाइये और जिस दिन आप प्राइस को मेन्टेन करने की पालिसी बनायेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि उस दिन इस सूबे के अन्दर एक तहलका आयेगा । पता नहीं आपके ऐग्रेरियन रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन आया या नहीं, लेकिन उस दिन यू० पी० के अन्दर क्रान्ति आयेगी और उस रोज पता चल सकेगा कि हां वास्तव, में कांग्रेस पार्टी सोशलिज्म को चाहती है । लेकिन जब तक वह नहीं होता तब तक आपको टैक्स काश्तकारों से मांगने का कोई हक नहीं है ।

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं । एक एक विभाग के दो दो मिनिस्टर्स, हेल्थ और मेडिकल के दोनों के मिनिस्टर अलग अलग । डाइरेक्टर एक, सेक्रेटरी एक, लेकिन मिनिस्टर्स २, क्या जरूरत थी ? श्री बी० बी० शरण जी, आप काश्तकार भी हैं आप बताइये क्या जरूरत है ?

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—काम ज्यादा हो रहा है ।

श्री बलवानसिंह—ठीक है, डाइरेक्टर एक, सेक्रेटरी एक, लेकिन काम ज्यादा है मिनिस्टर के लिये, लेकिन अगर आप कहने दें तो शायद, श्रीमान्, मिनिस्टरों की नौकरी के लिये डिपार्टमेंट बना रखा गया है । क्यों ऐसा हो रहा है ? आप अपनी केबिनेट को तोड़िये और कम कीजिये । यह मेरा सुझाव है । अंग्रेजों के जमाने में कितने मिनिस्टर थे, कितने सेक्रेटरीज थे और आज देखिये कि ४८ हैं । मैं दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि मिनिस्टर के ऊपर ६ हजार से कम की लागत माहवार नहीं आती है । उनका बंगला देखिये, उनकी तनख्वाह देखिये, पैट्रोल देखिये, नौकर देखिये और बिजली देखिये । हो सकता है कुछ कम खर्चा आता हो । लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि एक मिनिस्टर के ऊपर ५ और ६ हजार के बीच में एक महीने में खर्चा आता है । माननीय लोहिया जी ने कहा है कि हमारे यहां के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर २५ हजार रुपये माहवार खर्चा होता है । आज तक यह चीज नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना खर्चा होता है उसका यह हिसाब है । जो देखना चाहे देख ले । इसी तरह से इनको चाहिये कि एक मिनिस्टर के ऊपर जो खर्चा आता है उसका हिसाब रखा जाय और जो देखना चाहे देख ले । लेकिन हिसाब नहीं रखा जाता है, इसीलिये मेरा कहना यह है कि इससे कम मिनिस्टर के ऊपर खर्च नहीं होता है ।

श्रीमन्, मुझे कहने का अधिकार है । लेकिन मैं झूठ बात नहीं कह सकता । किसी को गाली नहीं दे सकता मैं कुछ आंकड़े देता हूं । एक मिनिस्टर के बंगले का फर्नीचर १५–२०

हजार रुपये से कम का नहीं होता है। इसके अलावा बिजली और नौकरों का खर्चा अलग है। यह मिनिस्टरों की जेब से नहीं जाता है। एक बार मुझे रेल में जगह नहीं मिल रही थी। मैंने देखा कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आ रहे थे। उनके लिये पूरी बर्थ रिजर्व थी। मैं उनके साथ आ गया। यह हालत है। इनके लिये पूरी बर्थ रिजर्व होती है। कानपुर में रोज एक न एक मिनिस्टर के स्वागत के लिये पुलिस खड़ी रहती है। श्रीमन्, यह कितना वेस्टेज है? इसको सोचना चाहिये। इनकी कितनी लक्जरी है, कितनी एशो इशरत है, शाहजहां की भी इतनी शान शौकत न रही होगी। लेकिन श्रीमन्, इनकी शान शौकत चल रही है और टक्सेशन भी चल रहा है और फिर भी उधर से आवाज हो रही है कि वाह क्या बात है। मैं माननीय कृष्णानन्दराय जी को देखता हूं तो ताज्जुब होता है। वे साल में ५-६ धोती से ज्यादा न लेते होंगे और कुर्त्ते भी ४-५ रखते होंगे और उनको घर पर ही धो लेते होंगे। इसी तरह से रामप्यारे जी हैं, वे बहुत सीधे सादे हैं, ऐसे लोग कांग्रेस में जीवटदार हैं, इनको कहना चाहिये। इनको समझाना चाहिये। ये जो आगे बैठे हैं, हो सकता है कि ये ताकत के मद में हों, लेकिन पीछे बैठने वाले एम० एल० एज० से कहता हूं कि वे सूबे को बचाने के लिये कमर कस कर खड़े हो जायं। जब कभी कांग्रेस बेंचेज से कोई साथी खड़ा होकर सरकार को क्रिटिसाइज करने लगता है तो हम सोचने लगते हैं कि कांग्रेस में भी अभी जीवन है। आज मिनिस्टरों के लिये कह रहा हूं। श्रीमन्, एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पर नहीं हैं लेकिन मैं यह पूछता हूं कि प्लान को तो चलाया जाता है, लेकिन यह कोआपरेटिव मिनिस्टर, ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर, केन मिनिस्टर, मैं तो मिनिस्टरों के नाम तक भूल गया हूं, यह क्या राज है। अगर यह तमाम डिपार्टमेंट्स, कोआपरेटिव, केन, एग्रीकल्चर, ऐनिमल हस्बैन्डरी एक मिनिस्टर के अन्दर आ जायं तो मैं दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि आप की प्लानिंग सकसेसफुल होगी। अनाज की पैदावार बढ़ाने का जहां पर सवाल है वहां पर इर्रीगेशन का इंजीनियर काश्तकारों से बात करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बलवान सिंह, पौने तीन घंटे हो चुके हैं।

श्री बलवानसिंह—मैंने तो पांच-छः प्वाइंट ही कहे हैं। ३९ प्वाइंट हैं। मैं कहने के लिए तैयार हूं कि मेरा एक प्वाइंट भी इर्रेलेवेंसी में काट दें तो बड़ी खुशी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—आपने जो दलीलें रखी हैं उनमें एक ही आर्गूमेंट है कि कितनी इकोनोमी हो सकती है, इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है। सब वक्ताओं ने यह आर्गूमेंट दिया है। यह तो दूसरी बात है कि आप उसे न मानें, लेकिन वास्तव में यह बात है कि वही आर्गूमेंट हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी समाप्त हो जाय, तो और लोगों को भी मौका मिले।

श्री मैनेजरसिंह—कब तक बोलने का मौका देंगे? आपने कई लोगों को आश्वासन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने किसी को आश्वासन नहीं दिया। मैंने आपको आश्वासन नहीं दिया है।

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर।)

आप क्यों खड़े हो गये बिला वजह.....

श्री कल्पनार्थसिंह—मुझको विराजने का हुक्म है?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री कल्पनार्थसिंह—अच्छा, अच्छा।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मुझको दुख होता है जब आप यह कहते हैं कि अपनी बात को खत्म करो जल्दी। सरकार इस बिल को वापस ले ले तो मैं फौरन बन्द कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—पौने तीन घंटे भाषण हो चुका है। बन्द कर दो तो आप समझें, लेकिन मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस तरह से समय लिया जायगा तो आप कहेंगे कि बहुत थोड़े आदमी बोले। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जल्दी से खत्म कर दीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो आप कहें कि खत्म कर दो तो क्या समझें बन्द करो या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने निवेदन किया कि जल्द से जल्द खत्म कर दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आपने अभी कहा कि यह न समझो कि बन्द करो।

श्री उपाध्यक्ष—आप आब्सट्रक्शन की बातें करते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री बलवानसिंह—मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो किसी चीज पर जबरदस्ती करें। मैंने अगर आप हाउस की प्रोसीडिंग्स देखें, तो कभी इस चीज की चेष्टा नहीं की और न मुझको शौक है बोलने का। लेकिन जब मैं अपनी कांस्टीटुएंसी अकबरपुर में जाऊंगा तो वहां क्या कहूंगा उनसे ? उन्होंने मुझे इसलिए भेजा है कि अगर यहां कोई गलत बिल आये तो उसका डट कर विरोध करो। श्रीमन्, मुझे शुबहा हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, कल भी मैंने कहा था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लोजर मूव होने वाला है। श्रीमन्, हो सकता है कि आपके पास उसका प्रेशर आता हो, लेकिन एक चीज है श्रीमन्, क्या इससे अहम बिल कोई हो सकता है ? इससे बड़ी चीज भी क्या कोई हो सकती है ? इस सूबे के अन्दर आप एक करवट लेने जा रहे हैं, गरीबों को चूसने का नया टैक्स ला रहे हैं, तो यह इतनी बड़ी खतरनाक चीज है कि अगर हमारे इतना लड़ने पर भी, हमारे इतना कहने पर भी यह सरकार मान जाय तो अच्छा है। अगर यह सरकार मानने के लिये तैयार हो तो मैं बैठने के लिये तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कहिए साहब। आप जो कहना चाहें कहिए।

श्री बलवानसिंह—एक चीज मैं यह कहूंगा कि यह जो लैंड टैक्स बिल है इसके पीछे कुछ मंशा है और वह मंशा क्या है। एक कहानी है देहात के अन्दर श्रीमन्, छोटा-सा एक बनिया था। बनिये का घर था एक जाट के घर के पास। एक दिन ऐसा हुआ कि जब बनिया सो रहा था तो एक सांप आया और उसके पेट पर से निकल गया। तो एकदम बनिया रोया और दूसरे दिन जब जाट आया तो उससे रोकर उसने बताया। जाट ने पूछा कि तुम बच तो गये, अब रो क्यों रहे हो, तो उसने कहा कि डर मुझे अब इस बात का है कि सांप ने अपने आने जाने का एक रास्ता देख लिया; यानी कि मौत ने उसका घर देख लिया। तो यह नहीं कि केवल लैंड टैक्स का सवाल है, इस बिल के जरिये से एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं कि इसके बाद उसको मारने के लिए यह न जाने कौन-कौन से बिल लायेंगे ? इसलिए क्या इसकी फिलासफी है, क्या इसके पीछे मंशा है, वह मैं बता रहा हूं। वह वर्ग जिसके पास पैसा बचता नहीं है, जिसके पास अपनी लग्जरीज के लिए कोई चीज नहीं है उस वर्ग पर यह टैक्स लगा रहे हैं और वह वर्ग भी इतना बड़ा वर्ग है कि जो ७० फीसदी यहां पर है, करोड़ों लाखों पर तो यह टैक्स लगाने के लिए आप तैयार हैं लेकिन जहां करोड़ों और अरबों की सम्पत्ति बिना मेहनत के दबाये बैठे हैं, बिना मेहनत के जो लाखों की आमदनी करते हैं उन पर कोई टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। बताइए, कहिए, डालिए न उस पर टैक्स। मैं यह बात मानता हूं कि इस देश को बनाने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है। यहां पर यू० पी० के अन्दर प्लानिंग फेल हो, इसको न हम चाहते हैं और न कोई वर्ग चाहता है। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी भी चाहती है कि यू० पी० के प्रत्येक आदमी की आमदनी का जरिया बढ़े, लेकिन एक सवाल मैं करने जा रहा हूं, क्या आप इस बिल को समझाते हुए यह समझा सकेंगे कि इसका एक-एक पैसा इसी गरीब आदमी पर खर्च होगा ? मैं एक कान्फिडेंस चाहता हूं। यह चाहता हूं कि वेस्टेज न हो। आज

वेस्टेज है। करोड़ों रुपये की फिजूलखर्ची यू० पी० में है। (व्यवधान) रिपीटीशन तो जो उधर से जवाब आयेगा, वह भी होगा। एक चीज में यह अर्ज करूं कि ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब दें कि गोरखपुर....

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो आपके कांशेंस पर छोड़ता हूं। रिपीटीशन न कीजिए और चलिए। आप के कांशेंस पर छोड़ता हूं कि रिपीटीशन है या नहीं।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मुझको दरअसल दुख होता है...

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो आप से ही कह रहा हूं न, दूसरे से तो नहीं कह रहा हूं। सारा जजमेंट तो आपके ही ऊपर रहा।

श्री बलवानसिंह—मैं यह नहीं चाहता कि कोई टार्गेट बनूं मैं किसी चीज का। लेकिन मुझे पूरी-पूरी बात तो जो कहनी है वह कहने दी जाय और मैं बड़ी जल्दी-जल्दी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, आप ढाई घंटे और तीन घंटे कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी थका नहीं हूं इसलिए कि मैं दिल की बात कह रहा हूं और जब आदमी दिल से बात कहता है तो उसके अन्दर जोश रहता है। ये लोग दिमाग से बात करते हैं। गांव का आदमी बड़ा भोला भाला होता है, कुदरत के साये में रहता है। उस भोलेभाले आदमी को लूटने का सवाल है। एक चीज मैं यह कहूं कि काश्तकार जिसने यह भगवान की दी हुई जमीन तोड़ी, जिसने झाड़ियां काटीं, जिसने उस जमीन को कुदाल से तोड़ा, जिसके हाथ के अन्दर छाले आये वह काश्तकार किसी वक्त लहलहाते खेत को देखता है तो उसकी मेहनत चमकती है लेकिन जब एक पादरी आकर उसको कहता है कि भगवान् ने कैसी अच्छी फसल दी तो उस काश्तकार को गुस्सा आया और कहने लगा कि यह भगवान् की खेती नहीं है। भगवान् की दी हुई खेती तो उधर है जहां पर झाड़ियां खड़ी हुई हैं। इसलिये ही मैं कह रहा हूं कि आज यू० पी० का काश्तकार, जिसने अपने खून पसीने से अनाज को पैदा करने की कोशिश की है, जो आज लहलहाती खेती को लाने की कोशिश करता है उसके लिये मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी प्लान की वजह से इतना अनाज पैदा हो रहा है। हम जानते हैं कि खरीफ योजना या रबी योजना आपके पास नहीं है। काश्तकार आज अपनी हिम्मत से पैदा कर रहे हैं। जब गांवों में टिड्डी दल आता है तो वे काश्तकार उससे अपने खेतों को बचाने की कोशिश करते हैं। शहर में तो दरवाजे बन्द हो जाते हैं। उस १० फुट के कमरे के अन्दर रहने वाला किसान, जिसका सामान उस कमरे में फैला हुआ पड़ा रहता है, जिसमें कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है जब टिड्डी दल आता है तो उस नुकसान को बरदाश्त करता है। मेरे कहने का इतना ही मकसद है कि काश्तकार ऐसा वर्ग है जो रात दिन लुटने के बाद भी आज जिन्दा खड़ा है। जो आज भी इतना वफादार है, मुल्क के लिये, उसके ऊपर आप टैक्स लादने की बात करते हैं। तो अगर हमसे आप उम्मीद करें कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आपका साथ दे तो यह नहीं हो सकता। अगर आज चीन का हमला होता है या पाकिस्तान का हमला होता है तो मेरा कहना है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अपना अन्तिम खून का बूंद इस देश को बचाने के लिये देने को तैयार है लेकिन अगर लूटने का सवाल आता है और हमसे आप यह उम्मीद करते हैं कि हम साथ दें तो यह हरगिज नहीं हो सकता है। हमारा हक विरोध करने का है और वह विरोध सिद्धान्त पर है। हम ने जो बातें सरकार के सामने रखी हैं उनका जवाब नहीं है। इसलिये अगर मैं पूरी बातें कहता हूं तो आप पूछते हैं कि बलवान सिंह अपनी बातों को शार्ट करो। टेनेन्सी ऐक्ट पर और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पर महीनों बहस चली थी। अगर इस खास विधेयक पर १०, १५ दिन तक बहस चल जाती है और इधर से लोग अपने सुझाव सरकार के सामने रखते हैं तो कौन सा पहाड़ सरकार के ऊपर टूटने वाला है। अगर आप यह समझते हैं कि मैं और न बोलूं तो मैं बैठने के लिये तैयार हूं। अगर आप यह समझते हैं कि इस असेम्बली का बनाने का मकसद यही है कि यू० पी० को लूटा जाय तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि ऐसी असेम्बली और पार्लियामेंट को तोड़ दिया जाय। हमको ऐसी किसी डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान में आजादी आती है

[श्री बलवानसिंह]

इस कीमत पर कि इस देश का एक आदमी, एक गरीब आदमी भूखा मरता है तो मैं ऐसी आजादी को वापस कर दूंगा। इसलिये हमारा कहना यह है कि आपकी डेमोक्रेसी में आपकी असेम्बली और पार्लियामेंट के सिद्धान्त और कानून अगर गरीबों को लूटने के लिये बनते हैं तो हमको ऐसे ला की जरूरत नहीं है। इसलिये अपोजिशन के लोग अगर टाइम मांगने के लिये तैयार हैं तो यह कोई अनुचित बात नहीं है। आप यह कह सकते हैं। हम आपका हुक्म टालने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप अपने दिल को देखें। क्या यह हमारी मार्मिक बातें नहीं हैं? जिस वक्त यह बिल पास हो जायगा तो हमारी जबान में कोई ताकत नहीं होगी। जबान में ताकत होगी बाहर। हम तो इतना ही चाहते हैं कि वे लोग जो सरकारी बेंचों पर बैठे हैं, हमारी बातें सुनने के लिये तैयार हो जायं।

मैंने जितने सुझाव रखे हैं वह सब माकूल सुझाव हैं। मैंने ७६ लाख एकड़ जमीन को तोड़ने का सुझाव रखा। अगर नुस्खे को बताने में यदि मैंने टाइम लिया, अगर मैंने इस बात को कहा कि यह शहरों में गल्ले के व्यापारी बैठे हुये हैं उनसे धन लिया जाय, तो क्या मैंने बुरा कहा? अगर ३२ करोड़ रुपया शुगर मिल मालिकों से लिया जाय तो क्या यह जितने सुझाव दिये हैं वह ठोस नहीं हैं? इसके लिये मैं आप से मांग करता हूं कि मुझे आपके सामने ३९ प्वाइन्ट रखने थे जिनमें से अभी तक ९ प्वाइन्ट ही रख पाया हूं। अगर आप कहते हैं कि मैं छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। अगर आप के दिल में मेरी तरफ से खुशी नहीं है तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। जब तक आपकी आज्ञा रहेगी तो मैं बोलता रहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष—अगर आपकी कांशस में जरा भी कोई बात है तो आप उसके मुताबिक जरूर बोलिये।

श्री बलवानसिंह—धन्यवाद!

श्री उपाध्यक्ष—'एक चिड़िया उड़ी फुर्र' कर के अगर आप चलेंगे तो आप जानिये कि आपकी कांशंस की कीमत क्या रह जायगी।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, यह वह चिड़िया है कि जो पकड़ाई में नहीं आती। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि कैबिनेट में ४२ से ज्यादा मिनिस्टर्स हैं। इस विधेयक का उद्देश्य है कि करों से ज्यादा आमदनी बढ़ा कर प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाया जाय। अगर आप कैबिनेट का खर्च घटा दें तो क्या नुकसान होगा? जो मिनिस्टर्स डबल हैं, ओवरलैप करते हैं, उनकी क्या जरूरत है? यहां महावीर प्रसाद जी नहीं हैं, अगर बैठे हैं तो ठीक है। वह एक मिनिस्टर हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह क्या आर्गूमेंट है?

श्री बलवानसिंह—मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आज के मेरे बोलने के बाद जो उनका रुख बनेगा उसमें इस स्पीच की बहुत समानता होगी। महावीर प्रसाद जी और गुप्ता जी, दोनों मिनिस्टर हैं हेल्थ के। अगर गुप्ता जी अपने पास ही उस सारे पोर्टफोलियो को रख लें और श्रीवास्तव जी को ड्राप कर दें तो क्या नुकसान हो जायगा?

श्री बृजभूषणशरण—अगर सभी को ड्राप कर दिया जायगा तो एक ही आदमी सारा काम चला सकता है।

श्री बलवानसिंह—तो आप हम को बना दीजिये। मैं यह जरूर चाहता हूं कि शरण जी ड्राप न किये जायं और अगर ड्राप किये जायं तो वे इधर आ जायं, क्योंकि वे विद्वान् हैं और मैं उनकी कद्र करता हूं। (व्यवधान) श्रीमन्, इस तरह मेरा टाइम लोग ले लेते हैं और मैं कुछ कह नहीं रहा हूं।

इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट लेविल पर देखिये। एक-एक विभाग के तीन-तीन दफ्तर चलते हैं। एक सिविल सर्जन का दफ्तर है, दूसरा मलेरिया का दफ्तर है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर का दफ्तर है। तीन दफ्तर अलग-अलग हैं, उनका किराया और खर्च भी अलग-अलग होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने दफ्तरों को खोल कर, इतने गैर जरूरी मिनिस्टरों को बना कर आप लाखों करोड़ों रुपये की चोट इस सूबे को देते हैं और अगर इस पर मैं कहूं कि आप इन खर्चों को घटा दें तो क्या नुकसान है। मैंने इस बात को बड़ी सीरियसली कहा है। श्रीमन्, अगर आप एग्रीकल्चर विभाग को केन और कोआपरेटिव विभाग दे दें तो इस सूबे की पैदावार बढ़ सकती है। आपने एग्रीकल्चर के हाथ पांव सब काट दिये हैं। एग्रीकल्चर अफसर आज मारा-मारा फिरता है और कोई उससे बात नहीं करता। आज उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसे विभाग भी हैं जिनको आपको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी और अगर उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाय तो आपको इस बिल को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मैंने एक बात कही थी। यह सरकार छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोलने के लिये तैयार है क्या? बड़ी-बड़ी स्कीमों पर जो एक-एक करोड़ से ज्यादा रुपया यह सरकार खर्च कर रही है उन्हें तोड़ने के लिये यह सरकार क्या तैयार है? अगर आप बड़ी स्कीमों को तोड़ दें और छोटे धन्धों को ले लें तो लाखों आदमियों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन आप इसके लिये तैयार नहीं होते। आपके बड़े-बड़े बांध दस साल बाद जाकर न जाने क्या करेंगे।

वे फेल्योर पर चल रहे हैं और बहुत में सिल्ट आ रहा है और आ गया है। पता नहीं वह किस तरह से बनाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ६ लाख से ज्यादा एक पुल पर बनाने पर खर्च होगा, यह एक स्कीम बनी। पर बाद में पता चला कि वहां पुल ही नहीं है। यह क्या हो रहा है? क्या आप इसी के लिये योजना बनाते हैं और नियोजन करते हैं। वह अकबरपुर में है और करीब १९५४ से वह बन रहा है। इन सब बातों पर आपको गहराई से विचार करना चाहिये।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में रेवेन्यू हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। परन्तु श्री नवलकिशोर जी कहते हैं कि वह सबसे कम है। हमारे यहां ५ रुपये एकड़ के हिसाब से है तो वह स्वयं देख सकते हैं कि यह सबसे ज्यादा है। मालगुजारी की बात मैं कर रहा हूं। आपने तो रेंट और रेवेन्यू में कोई फर्क रखा नहीं है। इसलिये आप इस चीज को जरा फिर सोचिये यह एक बड़ी ही मत्वपूर्ण चीज है। इसलिये मैं यही कहूंगा कि आप लैंड टैक्स बिल मत लाइये।

श्रीमन्, एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज किसान को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अनुपात में इन्डस्ट्री के सामान के लिये करीब डेढ़ गुना देना पड़ता है। इतने दाम ज्यादा देने पड़ते हैं। जब किसान अपनी जरूरत की चीजें बाजार से खरीदता है तो उसको इसी शक्ल में अधिक देना पड़ता है। इसलिये मैं सरकार से फिर अनुरोध करुंगा कि वह इस पर और अधिक गौर करे।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो कि मैं आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। आपको पूर्ण अधिकार है कि जब आप देखते हैं कि रिपीटीशन होता जा रहा है और ३ घंटे ४० मिनट तक एक ही आदमी अगर बोलता रहेगा तो हम लोग फिर कैसे बोलेंगे? इसलिये आप जब रिपीटीशन देखें तो रोक सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं पर छोड़ चुका हूं। वह ४ दिन तक बोल सकते हैं, लेकिन उनको रिपीटीशन नहीं करना चाहिये, परन्तु मैंने उन पर ही छोड़ दिया है।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, अब मैं कुछ भूमिधरी पर कहना चाहता हूं। जोतकर बिल में कहा गया है कि यह जो टेन्योर सिस्टम है इसके अन्दर यूनीफार्मेटी आयेगी। मैं आपसे कह दूं कि २ किस्म के भूमिधर हैं। एक भूमिधर वह हैं जो जमींदार हो गये थे और एक वह हैं जिन्होंने १० गुना दिया था। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि उनका क्या उद्देश्य है? भूमिधर २ किस्म के हैं और सीरदर ४ किस्म के हैं। तो क्या इस जोतकर विधेयक को लाने से राजस्व मन्त्री जी समझते हैं कि समानता आ जायगी किसी किस्म की?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—दो तरह के आदमी थे, दो वर्ग थे जिनको भूमिधर कर दिया गया, लेकिन उनके एक से अधिकार और जिम्मेदारी हैं। १० तरह के काश्तकार थे उनको आज सीरदार कर दिया गया, लेकिन उन सबके एक से अधिकार और जिम्मेदारी हैं। तो यह कहना कि दो किस्म के हैं, गलत होगा।

श्री कल्पनाथसिंह—लगान और रेवेन्यू के बारे में भी बतला दें।

श्री बलवानसिंह—चौधरी साहब से मुझे उम्मीद थी कि इसको क्लैरिफाई कर देंगे। दोनों किस्म के भूमिधरों में फर्क है। टाइटिल एक है, जमीन को बेचने का हक है, लेकिन क्या रेवेन्यू में फर्क नहीं है ? जो जमींदार अपनी जमीन का मालिक बनकर बैठ गया, उसका रेवेन्यू कम है और जिसने १० गुना लगान दिया उसका देना है। तो यह कौन सा सिद्धान्त था, कौनसी आपकी फिलासफी थी ? गोरखपुर और मेरठ में रेवेन्यू में क्या फर्क है बता दीजिये जरा ?

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, बिल में उद्देश्य है कि टेन्योर की यूनिफार्मिटी करेंगे। आप जो आर्गूमेंट कर रहे हैं कि मालगुजारी में यूनिफार्मेलिटी नहीं है, इसलिये टेन्योर की यूनिफार्मिटी नहीं रही, यह आर्गूमेंट गलत है। मालगुजारी और लगान की यूनिफार्मिटी तो कहीं नहीं है, एक जिले में भी नहीं है, भूमिधरों में नहीं है, सीरदारों में नहीं है क्योंकि उसका राशन लबेसिस नहीं है, सिवाय इसके कि जो आदमी पहले रेंट दे रहा था या खुदकाश्त और सीर का रेंट दे रहा था उसको आगे भी देता रहेगा, यह हमने तय किया था। लेकिन टेन्योर के राइट्स और आब्लीगेशन्स का जहां तक ताल्लुक है सारे भूमिधर एक हो गये, पहले वह कैसे ही रहे हों। सीरदार भी वैसे ही हो गये।

श्री बलवानसिंह—मेरा एक सवाल है। मैंने कहा था कि मेरी बहस का जो जुज है वह यह था कि टैक्सेशन १४ करोड़ रुपया बढ़ा। मैं उसके मुताल्लिक कह रहा था, लेकिन आपने कहा कि रेपेटीशन न हो। क्या मैं चौधरी साहब से पूछ सकता हूं कि इस बिल के अन्दर जो आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स हैं उसको लाने की क्या जरुरत है ? इसमें जो आपने "सिंगिल टेन्योर सिस्टम" लिखा है, आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में, किस क्लाज से यह आया है ?

"With a view to augment the financial resourses to meet the requirements of planned development and to encourage the evolution of a single tenure system of proprietorship it is necessary to impose a Tax on land holdsings."

श्री चरणसिंह—इसमें यह तो नहीं है "सिंगल रेंट आफ रेविन्यू"। आप तो रेवेन्यू की अनयूनिफार्म होने की बहस कर रहे हैं।

(व्यवधान)

***श्री कृष्णानन्द राय**—इस प्वाइन्ट पर तो कई बार चुनौती दी गयी है कि इसके उद्देश्य इर्रिलीवेंट हैं। आप क्लाज ७ के सब क्लाज ४ को पढ़ लें। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि कोई टेन्योर होल्डर चाहे तो १९६३ तक भूमिधर हो सकेगा और इस तरह से एकीकरण होगा।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनार्थसिंह—आपने माननीय कृष्णानन्द राय जी को बहस करने का मौका दिया.....

श्री उपाध्यक्ष—यह गलत है कि बहस करने का मौका दिया ।

*श्री कल्पनार्थसिंह—आप मेरी बात सुन लीजिये। आपने माननीय चरण सिंह जी के बोलने के बाद स्पष्टीकरण करने का माननीय कृष्णानन्द राय जी को मौका दिया। उपनेता माननीय बलवानसिंह जी के बोलने के बाद मुझे भी इसके स्पष्टीकरण करने का आप मौका दें ।

(व्यवधान)

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने तो सन् ६३ तक भूमिधर होने का रास्ता दिखाया, मैं समझता था कि मेरी बात का वह स्पष्टीकरण देंगे। यहां सब एम० एल० एज० बैठे हुये है। बच्चे नहीं हैं। कम से कम जब इनके गुरु जी ने एक बात कही तो चेले को उसे गलत नहीं कहना चाहिये।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि यह बिल, जो बनाया गया है, यह अफीम के नशे में बनाया गया है। इट इज ए मैड बिल। आपने जो टैक्सेशन की पालिसी रखी है प्लानिंग के लिये वह गरीबों के लिये है। इसमें जो दो आब्जेक्ट्स हैं, अगर उसके लिये यह बिल लाया गया है तो मैं कहूंगा कि यह वेस्टेज है। मेरा कहना यह है कि आज हमको कंविन्स कर दिया जाय, अच्छी तरह समझा दिया जाय कि आपके उद्देश्य ठीक हैं। अगर ऐसा हो जाय तो मैं गांव-गांव जाकर कहूंगा कि आप जोत-कर टैक्स दो।

लेकिन अगर यह वेस्टेज है तो इसमें कोई सेंस नहीं है। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग टैक्स दें?

मैंने कहा कि दो किस्म के भूमिधर हैं। मैं उनके राइट्स और टाइटिल पर जाना नहीं चाहता, उनके एजेक्टिव पावर्स पर भी नहीं गया। इसी प्रकार आप देखिये सीरदारों में भी किस्में हैं। सीरदार जमींदारी एबोलीशन के पहले क्या था और यह जो रेवेन्यू कलेक्शन यानी ३ साल के कब्जे की बात है, उसकी वजह से भी एक सीरदार बन गया है। इस प्रकार से तीन प्रकार के सीरदार और २ प्रकार के भूमिधर हैं। इस से आपका यूनिफार्मिटी लाने का परपज भी साल्व नहीं होता।

चौधरी साहब यहां बैठे हुये हैं वे बतायें कि क्या आपने ऐसा कोई क्लाज बनाया है कि जिस खेती में कई-कई लोग मिल कर काम करते हैं वहां पर ८ करोड़ का सवाल किस तरह से हल होगा? आपने दावे के साथ कहा था कि कोआपरेटिव फार्मिंग से फ्रेगमेंटेशन न होगा, चकबन्दी भी इसके लिये आपने की। लेकिन इन बिलों के ऊपर जो करोड़ों रुपया आपने खर्च किया वह बरबाद हो जायगा क्योंकि इस बिल की वजह से तमाम लोग कोशिश करेंगे कि ८ एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन न हो पाये और अपने घर में बैठकर बटवारा करेंगे। क्या आप उसको रोक सकेंगे? कोआपरेटिव फार्मिंग और चकबन्दी से आपका नारा था कि उससे ५० प्रतिशत पैदावार बढ़ेगी। चकबन्दी के समय बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाये गये। लेकिन उसका नतीजा आज यह हो रहा है कि जहां-जहां चकबन्दी नहीं हुई है वहां कोई भी काश्तकार कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिये तैयार नहीं है। मालूम यह होता है कि बिल पर कैबिनेट में विचार नहीं किया गया। क्या इससे कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग और कोआपरेटिव फार्मिंग पर असर न पड़ेगा? इन बातों से मुझे तो शुबहा होने लगा है कि यह बिल कैबिनेट की राय से नहीं लाया गया है। अगर यह कैबिनेट की राय से आया होता तो इसका उद्देश्य दूसरा ही होता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलवान सिंह]

श्रीमन्, आज कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? मेरे ख़याल से मिनिस्टर लोग भी इसे जानते होंगे कि कितने करोड़ रुपये का गबन इसमें हर साल होता है। और यह गबन रोज होता है, श्रीमन्, आपको भी याद होगा कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जब कि मिनिस्टर साहब इस बात का एलान न करते हों कि फलां जगह इतने रुपये का गबन हुआ। माननीय बनारसीदास जी से मैं अपील करता हूं कि अगर आप कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को ही स्वच्छ कर दें और उसमें होने वाले गबन को रोक दें तो अकेले उस डिपार्टमेंट से ही आपका साढ़े तीन करोड़ रुपया वसूल हो जाय। कोआपरेशन के मन्त्री चतुर्भुज शर्मा जी इस समय मौजूद नहीं हैं,

श्री बनारसीदास—अगर आप पूरे बजट की व्याख्या करें तो वह एक रेकर्ड होगा और कल तक और समय आपको मिल जायगा।

श्री बलवानसिंह—माननीय बनारसीदास जी ने जैसा कहा, मैं उन सब बातों को दोहराने के लिये तैयार नहीं हूं। अब पैसे बांटने का धन्धा किस तरह से होता है, इसे माननीय बनारसीदास जी भी जानते हैं, किस तरह से फिजूलखर्ची होती है, काश्तकारों को पैसा मिलने के बजाय किस-किस की जेबों में वह चला जाता है इसे भी सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिस जगह वह पैसा पहुंचना चाहिये वहां नहीं पहुंच पाता।

एक बात मैं आपसे कहूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग भी आपका लक्ष्य था और चौधरी साहब इससे नाराज हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि कोआपरेटिव फार्मिंग का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। कुछ लोगों का खयाल है और मेरा भी ऐसा खयाल है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार चल रहा है। चौधरी साहब का भी खयाल है कि कोआपरेटिव फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आपकी किताब ज्वाइन्ट फार्मिंग एक्सरेड—को मैंने पढ़ा है, उसमें भी आपने कहा है, कि इसकी सफलता में मुझे शुबह है। हिन्दुस्तान का आज एक लक्ष्य है, खासकर पंडित जवाहर लाल जी का यह लक्ष्य है कि हिन्दुस्तान में कोआपरेटिव फार्मिंग बना कर ही छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं माननीय बनारसीदास जी से यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस सहकारी शब्द में जो भ्रष्टाचार आ गया है, वह हिन्दुस्तान के फ्यूचर की जो प्लानिंग है, उसको भी ले डूबेगा।

अब मैं एजूकेशन को ले रहा हूं। माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि हर जिले के अन्दर जूनियर हाई स्कूल बन रहे हैं लेकिन मैं उनसे पूंछ सकता हूं कि प्राइमरी स्कूल्स में जितने बच्चे जाते हैं उनका कितना रेशियो जूनियर हाई स्कूलों में जाता है? गांवों के अन्दर आज उनका रेशियो क्या है? वैसे तो कांग्रेस सरकार ने प्लान के नाम पर कसम खायी थी कि १० साल के अन्दर वह हिन्दुस्तान से निरक्षरता को समाप्त कर देगी लेकिन उस नारे के बावजूद भी वह निरक्षरता को हटा सकने में सफल हो सकी है? नहीं हो सकी है और मेरा ऐसा खयाल है कि आज भी हिन्दुस्तान में ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ज्ञान नहीं है। जब तक गांवों में एजूकेशन नहीं जायगी और उनको ज्ञान नहीं होगा, जब तक उनको साइंटिफिक बातें बतलाने के लिये आप तैयार नहीं होंगे, तब तक आपकी सारी की सारी योजनायें बेकार होंगी। इसलिये मेरा कहना है कि जो आपकी तालीम है, वह अभी तक देहातों में नहीं गयी है। अगर गयी है तो पहले से चौथे क्लास तक गयी है, और उसमें भी मेरा ऐसा खयाल है कि लाखों बच्चे तो ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल तक या अलिफ, बे तक जाते हैं और उसके बाद जाने का उनका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वे अपना बस्ता लेकर जानवर घेरने के लिये चले जाते हैं। आज लाखों बच्चे गांवों में बेकार हैं, आप वहां जाकर देखें। शक्षा, जिसके लिये यह टैक्सेशन है और योजना को अच्छा बनाने के लिये जो टैक्सेशन है, उसका प्रश्न है।

आजादी से पहले २० प्रतिशत ऐसे लोगों की संख्या थी जो आय-कर में २५ हजार से ज्यादा पैसा देते थे और आज वह बढ़कर ३४ प्रतिशत हो गई है। यह फर्क क्यों हुआ

और क्यों यह फर्क बढ़ता जा रहा है। मैं दोहराना नहीं चाहता इसलिये मैं इतना ही कहकर इसको समाप्त करता हूं।

आंकड़े अगर मैं आपके सामने पेश करूं.....

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर है मेरा कि जब इधर कांग्रेस की तरफ से २ आदमी लगातार बोल चके और तीसरे सदस्य के बोलने का अवसर आया तो उधर से यह सवाल उठाया गया कि पक्षपात किया जा रहा है चेयर की तरफ से और फिर कुंवर श्रीपालसिंह जी ने सवाल उठाया कि इधर भी पहले २ सदस्यों को मौका दिया जाय। कल उधर से जब श्री नेकराम शर्मा और श्री श्यामलाल जी बोल चुके थे तो फिर भी माननीय बलवानसिंह जी को मौका दिया गया, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना की थी कि वह आज बाहर जाने वाले हैं, इसलिये उनको आज मौका दे दिया जाय। उनके बाहर जाने की बात को समझकर उनको मौका दिया गया, लेकिन आज उसका अनुचित लाभ उठाकर इस बात की कोशिश की जा रही है कि भाषण किसी तरह से जारी रखा जाय, वह रिपीटीशन कर रहे हैं और २९१ नियम के अनुसार उनको रोका जाना चाहिये। वह आंकड़े देखने में सदन के ५-५ मिनट बिता देते हैं जब कि सदन का समय बहुत मूल्यवान होता है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री कल्पनाथसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ अभी कहा है उसी के प्रसंग में मुझे कुछ कहना जरूरी हो गया है। मेरा कहना है कि आपने मुझे मौका देने के लिये कहा था कि श्री बलवानसिंह जी के बाद मुझे आप मौका देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने कहा था कि आप या श्री बलवानसिंह में से कोई एक बोल लें। मैंने दस बार यही कहा था.....

श्री कल्पनाथसिंह—श्रीमन्, आपने मुझ से कहा था.....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुझको मौका देने के लिये आपने...

श्री उपाध्यक्ष—आपने मुझसे कहा था कि मौका मिलना चाहिये लेकिन मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको मौका मिले।

कुंवर श्रीपालसिंह—अध्यक्ष महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष—अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन नहीं दिया था किन्तु उन के कक्ष में चार पार्टीज के चार महानुभाव ने यह कहा था कि हम २० मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे लेकिन अगर उसे आप नहीं मानेंगे तो कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं तो नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन एनकरेज तो कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं। यह लांछन गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने बलवानसिंह जी से कहा था कि पौने तीन घंटे तक आप बोल चुके हैं, टाइम ज्यादा हो गया है। उनसे प्रार्थना की थी कि रिपीटीशन न करें। उन्होंने कहा कि मेरे पास ३९ प्लाइंट्स हैं और उनमें से केवल ९ प्लाइंट्स हुये हैं। उसके बाद पौन घंटा वह और बोल चुके हैं। इसमें मेरा क्या वश है?

श्री बलवानसिंह—मैंने कोई रिपीटीशन नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—रिपीटीशन तो किया है आपने।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं निवेदन करूं.....

श्री उपाध्यक्ष—यह ठीक है। मुझे मालूम है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे आश्चर्य होता है। मेरी बात तो सुन लें आप और फिर जो भी चाहें आप व्यवस्था दें। आप में अगर भगवान प्रदत्त और सत्तादल प्रदत्त शक्ति आ गयी है जिससे आप स्वयं सब की बात जान लेते हैं तो दूसरी बात है। आप शांति व धैर्य से बात तो सुनें। अध्यक्ष महोदय ने स्वयं माननीय श्रीपालसिंह जी को आश्वासन दिया था जो कार्यवाही में भी है, कि उनको वह बोलने का समय देंगे.....

श्री चन्द्रसिंह रावत—प्वाइंट आफ आर्डर। मुझे बड़ा खेद होता है कि बलवान सिंह जी के पास कोई तैयारी नहीं है और प्रिपरेशन के लिये हाउस में टाइम नहीं दिया जा सकता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मेरी बात तो आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—स्पीच के बीच में एक लम्बी-स्पीच हो जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं स्पीच नहीं दे रहा हूं। बात तो सुनें आप। उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया था और आपने यह कहा माननीय श्रीपालसिंह जी को कि वह एनकरेज करते हैं, इस बात को मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अध्यक्ष महोदय के कक्ष में चार आदमियों ने जाकर कहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि २०, २० मिनट वे बोलेंगे। हम लोग चाहते यह हैं कि अच्छी तरह से बहस हो जाय और सब लोग अपनी बात कह लें। लेकिन उसके बाद चार घंटे तक कोई बोलेगा तो फिर सब लोगों को मौका नहीं मिल सकेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं व्यवस्था चाहता हूं। मेरे कहने के बाद आपने कहा कि मैं गलत कहता हूं। तो क्या "गलत" शब्द का इस्तेमाल करना संसदीय है?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, है।

कुंवर श्रीपालसिंह—आपने यह कहा कि कोई चार-चार घंटे तक बोले तो आप क्या कर सकते हैं? आप कृपया बतलायें कि हम लोगों में से किसी ने कहा कि चार घंटा बोलने दीजिये। आपको अधिकार है, आप चाहें तो रोक दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने रिपीटीशन के लिये कहा कि रिपीटीशन नहीं होना चाहिये। रिपीटीशन के कई तरीके हैं। आपने कहा कि फलां बात ऐसी है उसके बाद फिर कहा कि फलां बात ऐसी है और इस तरह वह बात फिर रिपीट कर दी। जब कहा जाता है कि रिपीटीशन हो रहा है तब सारा अपोजीशन एक हो कर बोलता है। तो यह सही है या गलत है?

कुंवर श्रीपालसिंह—श्याम लाल जी बोल रहे थे। स्पीकर ने कहा कि रिपीटीशन हो रहा है, ५ मिनट के अन्दर बैठ जाइये। तो आपको अधिकार है लेकिन आप कहें कि हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रोत्साहित कर रहे हैं तो यह गलत है। आप अपने अधिकार को बरतिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—आपने बात कुछ वजन की नहीं कही। दोनों तरफ से सोचा जाय। वास्तव में अगर हम चाहें तो अपने भाषण को सीमित कर सकते हैं। यह विधेयक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। साढ़े ७ करोड़ में से ७५ फीसदी जनता को एफेक्ट करेगा, फ्रैगमेन्टेशन भी करेगा, आपकी योजनाओं को भी एफेक्ट करेगा, इसलिये उपाध्यक्ष जी, समय का निर्धारण कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बलवान सिंह की स्पीच जब तक नहीं खत्म हो जाती तब तक क्या किया जाय ? और यह मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है । अपील की, सब बात की । अब वह जानें । आप विराजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—क्या मैं आपसे आश्वासन पा सकता हूं ? केवल ३० मिनट मुझे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—आश्वासन मैं कोई नहीं दूंगा, आप बैठ जाइये ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह ही एक प्वाइंट आफ आर्डर दिया था ।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

अध्यक्ष महोदय, आपने हुक्म दिया था कि २ बजे आपका प्वाइंट आफ आर्डर लिया जायगा और जो कार्यवाही आप उचित समझेंगे वह इस आदरणीय सदन में करेंगे । मेरा प्वाइंट आफ आर्डर बड़ा निश्चित था । (व्यवधान)

श्री बसन्तलाल शर्मा—मैं पहले प्वाइंट आफ आर्डर उठा चुका हूं । उस पर व्यवस्था हुई नहीं । बीच में इनका प्वाइंट आफ आर्डर कैसे लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय बलवान सिंह जी आप १५ मिनट में खत्म कर दीजिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह—आपने माननीय बलवान सिंह के लिये १५ मिनट का समय मुकर्रर कर दिया . . . . . .

श्री अध्यक्ष—वह मेरा और बलवान सिंह जी का आपसी मामला है, आपसे मतलब नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—आपकी व्यवस्था सारे सदन के लिये होती है । जितने भी वक्ता माननीय बलवान सिंह के पूर्व बोले, माननीया श्रद्धाजी जब बोल रही थीं . . . . .

श्री अध्यक्ष—माननीय कल्पनाथ सिंह जी . . . . .

श्री कल्पनार्थसिंह—आप मेरी बात तो सुन लें । आप जिसको चाहें बोलने दें, जिसको चाहें न बोलने दें, आपको पूरा अधिकार है । मुझको बैठने के लिये कहें मैं बैठ जाऊंगा । लेकिन जब आपने हुक्म दे दिया तो आप मेरी पूरी बात सुन लें . . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप बोलिये तो सही ।

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीया श्रद्धाजी, माननीय नवलकिशोर जी—प्रातः स्मरणीय, माननीय बनारसीदास जी—स्वनाम धन्य, इन लोगों ने जब इस सदन के अन्दर भाषण किया तो उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया और माननीय बलवानसिंह जी, उपनेता प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी जब आज बोलने के लिये खड़े हुये हैं तो श्रीमन्, आपकी यह व्यवस्था थी कि जब तक यह बहस चलेगी तब तक न तो आप क्लोजर आने देंगे और न आप किसी को रोकेंगे ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये । तो आपको बता दूं । आपकी पार्टी के नेता माननीय गेंदा सिंह जी मेरे कमरे में आये थे । मैंने उनसे कहा कि आप बलवान सिंह जी से कह दीजिये कि वह १ बजे तक खत्म कर दें । उन्होंने कहा कि यह तो नहीं हो सकता । तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा २ बजे से ३ बजे तक बोलकर खत्म कर दें । उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि लोग जल्दी-जल्दी खत्म कर दें और यह कह कर वह मेरे कमरे से गये थे । माननीय नेकराम जी भी उस समय मौजूद थे, वह यह कह कर गये थे कि मैं कहूंगा कि लोग जल्दी जल्दी खत्म कर दें । उसी सिलसिले में जो बात आपके नेता ने कही मैंने चाहा कि अगर आप अपने नेता

[श्री अध्यक्ष]

की बात को पूरा कर सकें तो करें और नहीं कर सकते हैं तो यह आपकी इच्छा। इसीलिये मैंने बलवानसिंह जी से व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि आप १५ मिनट में खत्म कीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मेरे प्वाइंट आफ आर्डर का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—उसी बात के बारे में है न ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जी हाँ।

श्री अध्यक्ष—बलवानसिंह जी के बोल लेने के बाद उसको लिया जा सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अगर आज न आ पाये तो क्या कल भी उसको लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे कह तो दिया कि बलवानसिंह जी के बोलने के बाद यह लूंगा, खत्म हुआ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, जो आपने यह प्रार्थना हमारी स्वीकार कर ली थी कि आज क्लोजर सदन में न आने पायेगा और हम लोगों ने भी यह कहा कि हम भी प्रार्थना करेंगे कि जो स्पीचेज हों, लोग उनमें कम से कम टाइम लें।....

श्री अध्यक्ष—पहले बलवान सिंह जी को बोल लेने दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—हमने बलवान सिंह जी के बारे में कभी नहीं कहा था कि वह खत्म कर देंगे, हमने अन्य माननीय सदस्यों के लिये कहा था कि हम उनसे प्रार्थना करेंगे। बलवान सिंह जी के बाद आध घंटे २० मिनट जो भी आप तय कर दें हम उसे मान लेंगे और उसी में खत्म करेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप हमारे कंट्रेक्ट को पूरा करेंगे तो हम आपके कंट्रेक्ट को पूरा करेंगे। दोनों तरफ से होना चाहिये। श्री बलवानसिंह, कृपया बोलिये।

(श्री बलवानसिंह के खड़े होने पर)

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, कल जब मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम क्लोजर लाना चाहते हैं तो आपने कहा था कि अभी हम इजाजत नहीं देंगे। आपने यह कहा था कि कल पेश कर सकते हैं।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मैंने आपसे कल एक रिक्वेस्ट की थी और आपने खुद कहा था।

श्री अध्यक्ष—आप विषय पर बोलिये।

श्री बलवानसिंह—आपने कहा कि क्लोजर नहीं आयेगा, क्या मैं आपसे कहूं.....

श्री अध्यक्ष—अभी तो क्लोजर नहीं आया है। आप तो बोलिये।

श्री बलवानसिंह—हमें डर लगता है श्री बनारसीदास जी ने जो कहा है।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो व्यक्तिगत तौर से आपसे प्रार्थना की है कि आप बोलिये।

श्री बलवानसिंह—व्यक्तिगत रिक्वेस्ट तो उसी तरह से मैं भी आपसे कर सकता हूं। मुझको दुख होता है कि लोग कहते हैं कि मैं रिपीटीशन करता हूं। रिपीटीशन शब्द मालूम होता है लोगों ने सुन लिया है।

श्री अध्यक्ष—आप विषय पर आइये, इन सब बातों को छोड़िये।

श्री बलवानसिंह—अच्छा, श्रीमन्, मैं एक बात पर आ रहा हूं खासतौर से जो इस बिल का उद्देश्य है और जो भी इसका सारांश है और जिसके लिये ट्रेजरी बेंचेज में इतना जोश

है वह यह है कि अलाभकर जोतों पर यह विधेयक लागू नहीं होता । अब इकनामिक होल्डिंग है क्या ? अगर यह साफ हो जाय तो यह साफ हो सकता है कि यह जो कर हैं इसके पीछे कितनी शक्ति है । बहुत से आँकड़े इस संबंध में हैं । कुछ आँकड़े तो चौधरी साहब के हैं, कुछ और लोगों के आँकड़े भी है । श्रीमन्, हिन्दुस्तान में जो पुराने विशेषज्ञ थे कृषि के उन्होंने हिन्दुस्तान की इकनामिक होल्डिंग के ऊपर अपनी राय दी है।

श्रीमन्, श्री कोटिंग ने इकोनोमिक होल्डिंग्स की लिमिट ४० और ५० एकड़ के बीच में मानी है । हेरैल्डमैन ने २० एकड़ की लिमिट इकोनोमिक होल्डिंग्स की मानी है । इकोनोमिक होल्डिंग की लिमिट ४०–५० एकड़ के बीच और २० एकड़ के बीच की मानी है । ई० डब्लू० ल्यूक्स और स्टेनली ने २० एकड़ की मानी है। इसी के साथ-साथ श्रीमन्, १९३६ में जो कांग्रेस की तरफ से एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी बैठी थी ? इस कमेटी ने इकोनोमिक होल्डिंग्स की लिमिट १५–२० एकड़ के बीच मानी है । इसके बाद जमींदारी एबोलीशन कमेटी की रिपोर्ट ने भी १० एकड़ की लिमिट मानी है । अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी एग्रेरेरियन रिफार्म्स कमेटी ने १५–२० एकड़ के बीच में और जमींदारी एबोलीशन कमेटी ने १० एकड़ की लिमिट मानी है और जो आपके एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं वे ४०–५० एकड़ के बीच की मानते हैं । श्रीमन्, यह बहुत ही वाइड सबजेक्ट है और ऐसा विषय है कि जिस पर बहस होना चाहिये कि अलाभकर जोत की लिमिट क्या है ?

श्रीमन्, यू० पी० की बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में सारांश में यह दिखाया है कि काश्तकार जितनी जमीन पर अपने और अपनी फेमिली का खर्चा काटकर तथा लगान का खर्चा काटकर जो पैसा बचेगा और मुनाफा होगा वह इकोनोमिक होल्डिंग होगी । इस प्रकार कहा गया है कि—

"Minimum economic holding was taken at an area capable of producing an outturn of sufficient value to cover the cultivator's necessary expenses together with his rent."

इसलिये मेरा कहना यह है कि किसान के जरूरी खर्चे क्या हैं ? क्या आपके पास इसका कोई पैमाना है ? मेरा खयाल यह है कि इसका पैमाना होना चाहिये । हमारी सरकार की अभी तक लैंड पालिसी क्लीअर नहीं है । इसलिये श्रीमन्, मैं कहता हूं कि किसान के जरूरी खर्चे काटने के बाद लाभकर जोत क्या है, यह चीज तय हो जानी चाहिये । आज जिस तरह से माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा है कि दस एकड़ की जमीन, जो इर्रीगेटेड है, वह भी लाभदायक नहीं है ? इसलिये सरकार की तरफ से इकोनोमिक होल्डिंग के बारे में सफाई आनी चाहिये । अगर आप यह कहते हैं और माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा है कि ८ एकड़ जमीन इकोनोमिक होल्डिंग है और चौधरी साहब ने कहा था कि सवा छः एकड़ तो बड़ी कंट्रोवर्शल फीगर्स हैं । अगर वह सवा आठ एकड़ की लिमिट को बीस एकड़ तक ले जायेंगे तो अच्छा होगा । इस वक्त लाबीज में एक अफवाह है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने एक ऐग्रीमेंट दिया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आठ एकड़ तक इकोनामिक होल्डिंग मानते हैं । इसलिये मेरा कहना है कि इकोनामिक होल्डिंग का सवाल बड़ा पेंचीदा सवाल है । हो सकता है कि इकोनोमिक होल्डिंग जमीन पर लगायी जाय, हो सकता है कि किसान ने कितने इम्प्रूवमेंट्स किये हैं, उसके ऊपर लगायी जाय, हो सकता है कि क्लाइमेट के ऊपर लगायी जाय । शहर के पास जमीन की कीमत देहात की जमीन से कई गुनी ज्यादा होगी, तो दोनों जगह की इकोनोमिक होल्डिंग में फर्क होगा । तो यह कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इकोनोमिक होल्डिंग का सवाल ऐसा है कि उस पर कोई निश्चित राय नहीं हो सकती है । लेकिन मेरा उनसे पूछना है कि आखिरकार उन्होंने आठ एकड़ की जमीन कैसे मान ली है, जिस पर टैक्स नहीं होगा ? अगर कांग्रेस की तरफ से यह सफाई आ जाय तो हमारे लिये सोचने का मौका होगा । अगर इस वक्त आप इकोनोमिक होल्डिंग १२ एकड़ तक ले जायें, जैसा कि कुछ लोगों का खयाल है तो सरकार को क्य

[श्री बलवानसिंह]

मिलेगा ? मुझको ऐसी उम्मीद है कि एक दो करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं आयेगा और अगर २० एकड़ तक जमीन छोड़ दें तो कुछ नहीं आयेगा । इसलिये सरकार के सामने में एक सुझाव लाना चाहता हूं । मेरा सुझाव सीधा सादा है। सरकार अपने एक्सपर्ट्स को बिठा कर इकोनोमिक होल्डिंग की परिभाषा दे दें, क्योंकि माननीय कृष्णानन्द खड़े हो कर कह दें कि हमने आठ एकड़ इकोनामिक होल्डिंग रखदी तो इससे हम सहमत नहीं हैं । उनका जो पैमाना है वह गलत है । अगर आप खर्चे देखें, अगर आप प्राइसेज को देखें, किसानों की दौलत को आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि आज गाँव के अन्दर श्रीमन्, २० हजार रुपये से ज्यादा कीमत की जमीन किसी के पास नहीं रह गयी है । पाँच सौ रुपये फी एकड़ के हिसाब से अगर ४० एकड़ जमीन के भी दाम लगाये जायं तो श्रीमन्, मैक्सिमम कैपिटल २० हजार रुपये का होता है । यह उनका न्याय है । श्रीमन्, आप सोच सकते हैं कि २० हजार का मुनाफा क्या होगा ।

अब मैं इनकम टैक्स पर आता हूं । अगर आपको छोड़ना ही है तो आप ४० एकड़ तक की होल्डिंग छोड़ दीजिये । ३६ सौ रुपये तक इनकम टैक्स नहीं पड़ता । चौधरी साहब के भी फीगर्स हैं, ७५ रुपये फी एकड़ अगर दाम लगाएं तो ४० एकड़ की कीमत ३६ सौ रुपये से भी कम हुई । ३६ सौ रुपये यानी ३ सौ रुपये महीना, यह शहर के अन्दर लोएस्ट इनकम है । तो यह कितना बड़ा कुठाराघात है काश्तकार के साथ ! आप काश्तकार की जिन्दगी की बेसिक नेसेसिटीज को उस सेचेयुरेटेड प्वाइंट पर देना चाहते हैं जहाँ पर कि शहर की जिन्दगी शुरू होती है । क्या मैं पूछ सकता हूं मिनिस्टरों से कि क्या कोई यह कहने के लिये तैयार है कि कानपुर शहर के अन्दर या यू० पी० के और किसी शहर के अन्दर कोई किसान का बालक डाक्टरी या इंजीनियरी की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, क्या उसके लिये उसके पास पैसा होगा ? मेरा साफ यह कहना है कि डाक्टर और इंजीनियर होने के लिये १०० रुपये महीने का खर्चा कोई काश्तकार अपनी जेब से नहीं दे सकता । मेरा यह कहना है कि काँग्रेस बेंचेज पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से कि क्या आप चाहते हैं कि किसान का बच्चा बिलकुल अनपढ़ रहे ? गाँव के अन्दर का कोई डाक्टर या इंजीनियर न हो ? जितनी भी टेकनिकल शिक्षा है, वह गाँव से बिलकुल-बिलकुल गायब हो जाय ? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी गाँव के रहने वाले के पास इतने सोर्सेज आयेंगे कि वह अपने बच्चों को यह शिक्षा दे सके ? तो यह ७५ फीसदी गाँव की जनता को अन्धेरे में ढकेलने के लिये यह बिल आया है और इसके ऊपर हमारी फीलिंग्स न हों ? यह मेरा बिलकुल सीधा-सादा सवाल है काँग्रेसी एम० एल० एज० के लिये, वह बतायें कि अगर आपकी सीलिंग ४० एकड़ पर है और ४० एकड़ की सालाना आमदनी ३,००० रुपये है, तो क्या उसका लड़का कभी बी० ए०, एम० ए० या डाक्टरी, इंजीनियरी पास कर सकता है ? अगर ऐसा है तो मेरा यह उन काँग्रेसी एम० एल० एज० से कहना है कि फिर क्यों इस तरह से यू० पी० के अन्दर अन्धेरा ला रहे हो ? श्रीमन्, अन्धे दो तरह के होते हैं । एक तो ऐसे होते हैं कि जिनके आँख न हो और दूसरे ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग न हो ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री बलवानसिंह—मैं क्या बताऊं ? मेरे प्वाइंट्स तो रह ही गए । लेकिन श्रीमन्, यह मेरे साथ . . . . . (व्यवधान) कोई रिपीटीशन में मैं नहीं जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—खत्म कीजिये, यही निवेदन है ।

श्री बलवानसिंह—तो श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट पर बोल रहा हूं और वह जब तक खत्म न हो जाय तब तक . . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं प्रार्थना तो आपसे करता रहूंगा, अब आपका मन हो तो मानें या न मानें ? अब यह आपका लास्ट प्वाइंट है ।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मेरे ३९ प्वाइंट्स थे । उनमें से १२-१३ हुए हैं । २६ तो वैसे ही कट गए ।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी जो वक्ता बोल रहे हैं, कोई चार पांच घंटे हो गए, और वह फ्लोर छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं और श्रीमन् की भी मजबूरियां हैं, तो श्रीमन् ने हम लोगों को भी कुछ आश्वासन दिये हैं हाउस में, तो हम लोगों का क्या होगा, अगर इसके बाद क्लोजर आ गया.....

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

काजी जलील अब्बासी---यह अटेंशन ड्रा करने का सवाल है ।

श्री बलवानसिंह---श्रीमन्, अब मैं अपनी उस बात को जो मैंने एजूकेशन की कही उस को छोड़ रहा हूं और इसको उन्हीं के ऊपर छोड़ रहा हूं जो कि इसके इस वक्त विधाता हैं । मैं एक चीज पर आ रहा हूं श्रीमन्, कि आखिरकार, यह प्लानिंग किसके लिए है ? सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह साढ़े सात करोड़ जनता के लिए है । मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि साढ़े सात करोड़ जनता का उत्थान होगा इससे ? साढ़े सात करोड़ जनता के अन्दर कोई उत्साह आ रहा है आपकी प्लानिंग से ? साढ़े सात करोड़ जनता को विश्वास है आपकी इस प्लानिंग में ? क्या आपकी इस प्लानिंग से गांव की उस गरीब जनता की जेब में कोई पैसा आया है ? क्या आपके सामने जो इस सूबे को रचने का काम है वह आपके इस प्लानिंग के ढांचे से पूरा होगा ? यह मेरा सीधा सवाल है । और श्रीमन्, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं । लेकिन क्या यह टैक्स जिनके लिए आ रहा है, क्या उन लोगों के पास जायगा ? क्या आज वह झोपड़ी के अन्दर रहने वाला इन्सान जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास इस बात के लिए पैसा आयेगा कि उसके पास धोती और कुर्ता हो जाय और उसके पास कुर्सी और मेज के लिए पैसा आ जाय ?

श्रीमन्, मैं आपसे कह रहा हूं कि मजबूरी है सरकार की । प्लानिंग कमीशन के पास सरकार मांगने गई गरीबी के नाम पर । जब विदेशों से पैसा आता है, जब अमेरिका से अरबों रुपया आता है और आया भी है तो वह हिन्दुस्तान की गरीबी की वजह से लाया गया है । हिन्दुस्तान के अन्दर आज इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसका इन्टरेस्ट भी दे सके । यह तमाम पैसा किसके नाम पर मांगा गया है ? यह सब पैसा गरीबी के नाम पर मांगा गया है। यह हम जानते हैं कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है । हमारे जवाहर लाल जी नेहरु और मोरार जी देसाई जब जाते हैं तो वह बिड़ला टाटा के लिये पैसा नहीं मांगते हैं । वहां से गरीबों के नाम पर पैसा आता है ताकि यहां पर ४४ करोड़ के पेट में रोटी जाय । तो क्या यह प्लानिंग, जिसके नाम पर आप यह पैसा ले रहे हैं, यह गरीबों के लिये होगी ? मैं यह सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं । आपसे ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं । इस यू० पी० में अभी तक ३ महीने गांव की तिहाई आबादी बेकार बैठी रहती है। यू० पी० के अन्दर बेकारी है । आज भी वहां पर नौजवान आदमी, २० साल का नौजवान, जिसके हाथ पैर मजबूत हैं, जिसको अपनी मां का दूध पीने के बाद इस देश का अनाज खाकर शक्ति आती है, जब वह अपनी शक्ति से कुछ बनाने की कोशिश करता है, जब वह अपनी पूर्ण शक्ति पाकर चमकता है और बैन्क, कृषि, कारखाने, रेलवे, मोटर आदि बनाने की कोशिश करना चाहता है उस समय वह बेकार बैठा रहता है । आज भी वह २० वर्ष का नौजवान आदमी गांव में बेकार बैठा रहता है। आपकी प्लानिंग की क्या योजना है ? आपके पास क्या हिम्मत है ? मैं यह चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि अगर वह हमारे इस हाउस के अन्दर यह कहने के लिये तैयार हैं और हमको यह विश्वास दिलायें कि इस प्लानिंग के अन्दर नौजवान आदमियों को काम देंगे तो हम टैक्सेज को देने के लिये तैयार हैं लेकिन आज यह हमारा मौलिक सवाल है परन्तु हम उस वातावरण को देख नहीं सकते । एक गरीब बालक जब अपनी मां के पेट से आता है तो उसके बड़े बड़े सपने होते हैं। जब वह स्कूल के अन्दर जाता तब वह बहुत बड़े ख्वाब पर चलता है । तब वह सोचता है कि हिन्दुस्तान को बनाने की उसके हाथ में शक्ति होगी ।

[श्री बलवानसिंह]

क्या चीफ मिनिस्टर साहब उसको मौका देने के लिये तैयार हैं? क्या उसको यह गारन्टी देने के लिये तैयार हैं कि हम एक भी हाथ बेकार नहीं रहने देंगे यू० पी० के अन्दर? अगर आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सामान नहीं है और अपने को गरीब मानते हैं तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि आप सबसे ज्यादा मालदार हैं। यू० पी० हिन्दुस्तान का कलेजा है। यू० पी० हिन्दुस्तान का सिरताज है। हिन्दुस्तान की तहजीब और हिन्दुस्तान भर के मजहब यू० पी० के पेट से निकले हैं। यू० पी० को यह गर्व रहा है कि जब हिन्दुस्तान का कोई सवाल आया तो यू० पी० आगे रहा है। आज भी यू० पी० का आदमी हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है लेकिन आज यू० पी० के लोग ७।। करोड़ लोगों को आपकी प्लानिंग से कोई लाभ नहीं होता है तो फिर उनका शोषण क्यों किया जाय? हमारी ऐसी बात एक सदस्य को पसन्द नहीं आती हैं। उनको तो वे बातें पसन्द आती हैं जो देश के लिये गिरावट की बातें होती हैं। आप यह किसके लिये प्लानिंग कर रहे हैं? अगर आपके अन्दर यह हिम्मत नहीं है कि हर आदमी को काम दे सकें और इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं है तो फिर इस प्लानिंग से क्या लाभ है? इसलिये मैं कहूंगा कि इस विधेयक पर कोई तैयार नहीं है कि आपके साथ रहे। मैं तो यह चाहता हूं कि चाहे एक दिन में ४ घंटे का ही आप काम दें, २ आने ही रोजाना उसको दें। यू० पी० के अन्दर तो कुछ बात समझ में आ सकती है।

आज यू० पी० के अन्दर सड़कों की कमी है, यू० पी० के अन्दर नहरों की कमी है—यू० पी० के अन्दर उस फिजिकल लेबर की कमी है जिसके जरिये यू० पी० के चेहरे पर रौनक आ सकती है। उसके लिये आप के पास पैसा नहीं है, सिंहानियां के लिये आप के पास पैसा है, बाटा और टाटा के लिये आप के पैसा है। आप एक एक करोड़ रुपया उनको दे सकते हैं, मटरू, चटरू और घसीटे के लिये आप के पास पैसा नहीं है, उस गरीब तबके की बात कहने के लिये यहां जिम्मेदारी हमारी है। आज अमरीका से भीख आप किस नाते मांगते हैं? असेम्बली में आप उनकी बात कहने के लिये तैयार नहीं हैं। क्यों? यह श्रीमन्, एक मारेल क्वेश्चन है। आखिर क्या यह उत्तर प्रदेश के गरीब किसान के धन की चोरी नहीं है? यह सरकार के ऊपर डकैती नहीं है? अगर सरकार यहां के आदमियों को काम देने में कामयाब नहीं होती, अगर यहां के दो, तीन करोड़ इंसान फिजिकल लेबर नहीं पाते, काम नहीं पाते, तो कसूर किसका है? आप दो आना घंटे के लिये गांवों में डुग्गी पिटवा दीजिये कि जितने बेकार लोग होंगे उनको दो आने घंटे पर काम मिलेगा तो आप देखियेगा कि गांवों में कितने स्कूल, शफाखाने, सड़कें और तालाब आपको एक साल में बने दिखायी पड़ेंगे। एक साल में यहां इतनी तरक्की होगी कि जिसे आप सोच नहीं सकते। श्रीमन्, जो यह गांधी चबूतरे बनते हैं, जो यह सड़कें बनती हैं, अगर सरकार पैसे की शकल में उनकी मेहनत को देने की कोशिश करे गांवों में डुग्गी पीट कर तो मुझे उम्मीद है कि इस सूबे में एक बड़ी शक्ति पैदा हो सकती है। हम कह सकते हैं कि हम बंगाल और मद्रास से अच्छे हैं, किन्तु मैं क्या करूं। मुझे तो सरकार की नीयत पर शक है। जब गांव में एक बच्चा पैदा होता है तो गांव में तो खुशी मनायी जाती है, लेकिन मिनिस्टरों के माथे पर उसकी वजह से सिलवट पड़ जाती है। उनकी खुशी गायब हो जाती है इसलिये कि एक मानव यहां और आ गया। आज यहां मानव की कदर नहीं है। आप इंसान को काम देना नहीं चाहते, आप के दिल में रहम नहीं है इंसान के लिये। अगर वह रहम आपके दिल में हो तो क्या आप इंसान को काम देने के लिये कुछ नहीं कर सकते? आप हम से उनके लिये टैक्स लें। लेकिन इसके बाद क्लोजर आयेगा और यह मैं जानता हूं। इसीलिये मैं सब बातें रखना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप इस सूबे की पापुलेशन के नाम पर खूब मांगें, लेकिन जो यह पैसा जमीन पर टैक्स लगा कर आप ले रहे हैं, उसकी जिन्दगी से ले रहे हैं, जो गरीब

का रोजगार है, तो उसके लिये मेरी यह जायज मांग है कि आप उसे खर्च भी उन्हीं के लिये करें। भगवान की तसवीर बनाने वाला, गांधी जी की तस्वीर बनाने वाला एक मजदूर ही रहा होगा, आपका दावा है कि हिन्दुस्तान का मालिक एक किसान होगा, इसलिये सरकार को यह भी हिम्मत के साथ कहना चाहिये कि इसका एक एक पैसा गरीब के लिये खर्च होगा और गांव में जो बेकार हैं, जिनके हाथों में शक्ति है उनको काम देने के लिये, यू० पी० को समर्थ करने के लिये, यू० पी० में नयी जिन्दगी पैदा करने के लिये इस टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जायगा। उसमें मुझे खुशी होगी और विरोधी दल भी उसके लिये तैयार होगा। आपके साथ अगर गरीबों का पैसा गरीबों के लिये खर्च किया जाय, लेकिन अगर उद्देश्य उलटा होगा तो हम लोग आन्दोलन करेंगे और उसके लिये हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोगों की मीटिंग तब तक नहीं हो सकती है, हम लोग नहीं करने देंगे। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ७ लाख रुपया तो इसकी वसूली में ही खर्च हो जायगा। लाखों रुपया जेलों में और पुलिस बढ़ाने में ही खर्च हो जायगा क्योंकि हम लोग आन्दोलन करेंगे। तब आप स्वयं सोचेंगे कि क्या सेविंग होगी। मैं और अधिक समय आपका नहीं लूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको इतना टाइम दिया और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। इसलिये मैं यह नहीं चाहता कि आपकी बात टालूं। लेकिन मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आप इस पर अभी क्लोजर न आने दें। मुझे श्री गुप्ता जी की शक्ति में पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने तो डा० संपूर्णानन्द जी के मंत्रिमंडल तक को उलट दिया और इतने मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ा। यह तो मानना ही पड़ेगा कि गुप्ता जी अपनी धुन के बड़े पक्के हैं और जो काम वह सोच लेते हैं वह कर ही डालते हैं। आपको इससे तो इन्कार नहीं होगा कि आपके पास सोरसेज की कमी नहीं है और अगर वह चाहें तो करोड़ों रुपया केवल कानपुर से ही आ सकता है। इसलिये मैं अन्त में यही कहूंगा कि वे लाखों बेकार आदमियों को काम दें और बेकारी दूर करें जो कि आज मानवता का तकाजा है। यदि वह ऐसा कर सकें तो मैं वादा करता हूं कि इस विधेयक का विरोध नहीं होगा। यदि नहीं तो वह बेकारी पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते हैं। मैं इस जोतकर विधेयक का घोर विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह—अध्यक्ष महोदय, चूंकि भाषण ४-४ घंटे तक एक एक सदस्य देते हैं और साथ ही यह महत्वपूर्ण विधेयक भी है और इस पर कई भाषण होने भी चाहिये, इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस पर ३ दिन तक और चर्चा हो और प्रत्येक भाषण २० मिनट से अधिक का न हो। १५ मिनट तक माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनी इच्छा से भाषणकर्त्ता का समय बढ़ा सकते हैं, उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए। इसका उनको अधिकार होगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने प्रस्ताव किया था कि इस विषय पर अब वाद विवाद समाप्त किया जाय। इसलिये मेरी बात पर विचार होना चाहिये।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना है श्री सुभाषचन्द्र चतुर्वेदी, मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनऊ की, वह इस प्रकार है। "मुझे आप को यह सूचना देनी है कि क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट ऐक्ट (अधिनियम) की धारा ७ के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य श्री बाबूलाल श्रीवास्तव को विधान सभा के फाटकों पर धरना देकर आने जाने के मार्ग में अवरोध करने के कारण बन्दी कर लिया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

तदनुसार श्री बाबूलाल श्रीवास्तव विधान सभा, सदस्य को १८-१०-१९६२ (तिथि) को १० बज कर ३० मिनट पर (समय) बन्दी कर लिया गया है और उन्हें इस समय माडल जेल लखनऊ (स्थान) में रखा गया है।"

आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक से सम्बन्धित समाचार के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

श्री अध्यक्ष—एक सूचना और है श्री नरसिंह नारायण की "मैं आपका ध्यान कल रात आल इंडिया रेडियो दिल्ली से प्रसारित एक सम्वाद की तरफ दिला कर आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जोतकर विधेयक पर विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व स्पष्ट कर देता हूं। आशा है कि इसे सदन में पढ़ कर स्पष्टीकरण दिलाने की कृपा करेंगे—

"पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जोतकर विधेयक जो विभिन्न विधान सभाओं में चल रहा है इसमें न तो कोई प्लानिंग कमीशन ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है और न तो मैंने ही इस सम्बन्ध में अपने विचार उसके सामने पेश करने के सम्बन्ध में दिये हैं' उपरोक्त सूचना से यह स्पष्ट है कि न तो प्लानिंग कमीशन का, न तो प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का मत इस विधेयक के पक्ष में है। अतः मुख्य मंत्री का यह कहना कि प्लानिंग कमीशन से वार्ता करने के बाद ही सदन में पेश किया गया है, सत्य से परे है। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता माननीय सदन में अवश्य है।"

इसके ऊपर मैंने लिखा है कि यह "मानते हुए कि उपरोक्त सूचना सत्य है तो भी यह विषय माननीय सदस्य अपने उत्तर में कह सकते हैं। यदि सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आवश्यक समझा जावेगा तो दे दिया जावेगा। एक अलग से स्पष्टीकरण का कोई नियम नहीं मालूम होता।"

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—बनारसीदास जी ने परसों अपने भाषण में इस बात को कहा था कि अगर नेहरू जी ऐसा आदेश दें तो हम वापस कर सकते है। अब जो भावनाएं उनकी प्रकट हुई हैं उनसे काफी संकेत मिलता है। सरकार को गौर करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस पर अपनी राय दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मुझ से अभी पंडित जी से बात तो नहीं हुई है, मैंने फोन मिलाया था। लेकिन अखबार भी आ गये और उनमें जो खबर छपी है वह मेरे विचार की पुष्टि भी करती है तथा उन विचारों की पुष्टि करती हैं जो कि पंडित जी और प्लानिंग कमीशन इस विषय में रखते हैं। मेरे पास स्टेट्समैन की कापी है। कल कांग्रेस पार्टी एग्जिक्युटिव कमेटी की बैठक थी। वहां एक माननीय सदस्य ने कोई, बिहार का बिल है, उस पर विचार रखे, कुछ विचार विनिमय हुआ। प्रस्ताव के ऊपर तो विचार हुआ नहीं और जैसा कि हमारे बिल के विषय में प्रेस में चर्चा हुई उन्होंने उस बिल को प्लानिंग कमीशन के पास भिजवा दिया अपनी सलाह देने के लिए। तो उस विषय में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये कि रिसोर्सेज का मसला तो स्टेट्स का मसला है और उन्हीं को रिसोर्सेज बनाने हैं। तो उसमें महज लैण्ड टैक्स लगा कर ही रिसोर्सेज बनाने की बात तो कही नहीं, मैं नहीं जानता कि वहां पर और किन किन चीजों पर टैक्स लगाया गया है। यह "स्टेट्समैन" में लिखा है—

"Mr. Nehru is reported to have told the meeting that it was not right to blame the Planning Commission if the States were making the efforts to increase their resources. It was upto the States to find out which resources they should tap first without creating difficulty. The Planning Commsission had never made the suggestion that increased resourses should come from land only, even if Land resourses have to be tapped in position of a levy should be gradual so that the hardship was mitigated."

तो जैसा कि पहले भी जब कि प्लान बनने लगी, उसके ऊपर उन्होंने विचार किया और सारे रिसोर्सेज के ऊपर निर्णय लिया और हमारे पर भी निर्णय लिये तो रूरल सेक्टर और अरबन सेक्टर पर भी टैक्स लगे यह तो प्लानिंग कमीशन की बराबर नीति रही है जिसे उन्होंने प्रदेश की सरकार को बताया है और मैं जानता हूं कि यह बिहार के बिल में है। उन्हें भी वही सलाह मिलेगी जो हमें मिली। और हमारे पास तो उनकी सलाह मौजूद है। तो यह कहना कि प्लानिंग कमीशन और पंडित जी ने यह कह दिया, मैं समझता हूं कि यह तो उस नीति को घोषित करता है जो सदा से घोषित करते रहे हैं और प्लानिंग कमीशन तो एक एडवाइजरी बाडी है, वह केन्द्र को भी सलाह देती है, प्रदेशीय सरकारों को भी सलाह देती है, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, उसको देखना होता है कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं। यह १४७ करोड़ जो हमें इकट्ठा करना है यह तो इन्टीगरल पार्ट है सारी इस प्लान का। जो योजना हमने बनाई उसमें लैंड टैक्स भी शामिल है। वह वहां जा चुकी है और वहां इस पर विचार भी हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न जो इस समय बार बार उठाया जाता है वह कोई मानी रखता है।

(व्यवधान)

श्री झारखंडेराय—जो वक्तव्य अभी पढ़ा गया है उसमें यह बात सही है कि "ओनली लैंड" है। मगर "प्रेजुमली बेसिस पर" यह उसमें है। तो क्या माननीय मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं इसके लिये तैयार हैं कि जो ८ एकड़ को छूट दी गयी है उसके बाद जो टैक्स लगेगा वह इसी बेसिस पर लगेगा जो इसमें अभी कहा गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे बिहार के बिल के सिलसिले में हैं। जहां तक हमारा बिल है, माननीय सदस्यों को पता है कि पहले हमने १ एकड़ तक की छूट रखी थी और उस समय पार्लियामेन्ट के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था और प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि वह इस प्रस्ताव को प्लानिंग कमीशन के पास विचार करने के लिये भेजेंगे। मैं और मेरे अन्य मंत्री वहां गये थे और उन विचार विनिमय हुआ था और विचार विनिमय के बाद उनकी अपनी एक रिपोर्ट निकली और उसकी एक कापी हमें भेज दी गयी। उसमें यह बात साफ कर दी गयी है कि हां, जो योजना हमने बनायी थी उस समय जो १४७ करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने इकट्ठा करने की बात थी वह उस योजना का एक इन्टीगरल पार्ट है और इस संबंध में उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर में कर लगाने का भी विचार विचाराधीन रहा है और हम उस नीति के समर्थक हैं। तो आज एक एकड़ जहां चर्चा थी वहां उन्होंने ५ एकड़ का सुझाव दिया था लेकिन हम तो ८ एकड़ तक की छूट देने के लिये राजी हो गये। (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री बसन्तलाल शर्मा—मेरा प्रस्ताव था कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—बसन्तलाल जी, मैं इस समय आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान—श्री गंगाप्रसाद का नाम पुकारने पर)

श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसके पहले भी कई बार बोलने के लिये खड़ा हुआ था। जब माननीय बलवान सिंह जी को बुलाया गया तब भी मैं खड़ा हुआ था और उस समय आपने यह कहा था कि उनको जल्दी है, कहीं जाने की इसलिये मैं उनको बोलने के लिये इजाजत दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीपत मिश्र—बार बार खड़ा होने पर भी मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया। यह इस बात को इंगित करता है कि कोई और बात हो है जिसके आधार पर आप बोलने के लिये समय देते हैं, यह नहीं है कि खड़ा होकर आपका ध्यान आकर्षित किया जाय या.....

श्री अध्यक्ष—जो बात आप कर रहे हैं यह रिफलैक्शन है चेयर पर। मुझे यह अधिकार है कि मैं जिसको उचित समझूं बोलने का समय दूं। अगर समय हुआ तो मैं यह प्रयत्न करूंगा कि सब को मौका दूं। लेकिन यह कहना कि इससे यह मालूम होता है गलत है। (व्यवधान)

श्री झारखंडेराय—समय के बारे में आपने तय नहीं किया ?

श्री श्रीपत मिश्र—आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष—अच्छा।

श्री श्रीपत मिश्र—जब-जब अवसर हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूं और आपने देखा है। उसके बाद भी आपने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं क्या समझूं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस अवसर पर आपके मुकाबले में गंगा प्रसाद जी का बोलना अधिक उपयुक्त होगा और मैं आदेश देता हूं कि गंगाप्रसाद जी बोलें।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—वह है। मैं उसे रखूंगा।

श्री भगवानसहाय—आपने अभी कहा कि आपको हक है कि चाहे जिसे बोलने के लिये कहें। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है तो आप अपनी ताकत को लिस्ट के सुपुर्द करते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह बात गलत है। आप बैठ जाइये। लिस्ट का सवाल नहीं है।

श्री श्रीपत मिश्र—आपने 'उपयुक्त' कहा। इसका क्या मतलब है ?

श्री भगवानसहाय—यह ठीक है कि मेरी और आपकी निगाह चार होने के बाद भी आप किसी और को बुलावें। लेकिन अगर किसी पार्टी की लिस्ट देखने के बाद आप बुलावें तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा उचित नहीं है। अपनी पावर के हिसाब से आप बुलावें, तब तो अच्छा है। लिस्ट के हिसाब से बुलाने में, मैं समझता हूं आप नियमों की पाबन्दी नहीं करते।

श्री मैनेजरसिंह—आपने अब्बासी साहेब को भी कहा था कि आपको भी मौका दूंगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय अब्बासी स्वयं समझते हैं। उनकी मुझसे बात हो गई है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नयी असेम्बली के बैठने के बाद आज मुझे पहली दफा मौका मिला है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार प्रकट करूं। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार, अध्ययन करने के बाद, इस माननीय सदन के सामने रखे, उनसे मुझे प्रलोभन हुआ कि मैं भी आपके सम्मुख अपने विचारों को रखूं। यह सही है कि कई दिन से इस विधेयक पर दोनों ओर से विचार आ रहे हैं। उधर के लोग कहते हैं कि हमारी गरीबी बढ़ती जा रही

है और इधर के लोग कहते हैं कि हमारी गरीबी कुछ कम हुई है, हां, हम अमीर नहीं हुए हैं। दोनों अपने-अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये अन्यान्य प्रकार के विचार रखते हैं और पुस्तकों से सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यह बात सही है कि हमारी गरीबी का प्रश्न सामने है। हमारी गरीबी बहुत कम नहीं हुई, सही है, बढ़ी नहीं। इसके सम्बन्ध में इधर के लोगों ने अपने दर्द का इजहार किया और उधर के लोगों ने भी। लेकिन मैं इन दोनों प्रकार के दर्दों को अपने दिमाग की तराजू पर तौलता रहा और मैं सोचता था कि दोनों तरफ जब दर्द है तो यह गरीबी अभी तक बनी हो क्यों है? आज उसका रास्ता मुझे मिला। जब हमारे बलवान सिंह जी बोल रहे थे तो कई घंटे बोलने के बाद उन्होंने एक शब्द कहा। वह शब्द छोटा है लेकिन उसका तात्पर्य विशद है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने दिल से कहते हैं और हमारे लिये उन्होंने कहा कि आप लोग मस्तिष्क से कहते हैं। बात किसी हद तक ठीक है यहां तक कि आधा हिस्सा जो आपने अपने लिये कहा कि आप दिल से कहते हैं वह तो ठीक ही है, आपने कहा ही है और उधर से किसी ने ऐतराज नहीं किया है इससे मालूम होता है सब लोग उधर से दिल से ही बात करते हैं। लेकिन हमारे लिये जो आपने कहा उसमें कुछ सुधार कर लीजिये। दिल भावों के पैदा होने की जगह है लेकिन मस्तिष्क सोचता है। जब तक भावों को मस्तिष्क की सहायता और अनुमोदन नहीं मिलता तब तक भाव अंधा होता है। अंग्रेजी के एक लेखक ने कहा है—

"Emotion without reason is blind and reason without emotion is lame."

आप जो बात कहते हैं वह केवल दिल से कहते हैं, दिल में दर्द तो जरूर होता है लेकिन उस दिल के दर्द की दवा नहीं होती। मस्तिष्क ही दर्द की दवा बताता है। हम दिल और मस्तिष्क दोनों से काम लेते हैं। मस्तिष्क के तर्क और दिल के भाव दोनों से काम लेते हैं, दोनों का समन्वय होता है, दोनों का संतुलन होता है, तभी किसी चीज की पुष्टि होती है। हम अपने माइन्ड से काम लेते हैं और उसके साथ ही साथ हम दिल से भी काम लेते हैं और इसका सबूत यह है कि पहले हमने एक एकड़ तक छूट रखी थी और जब हमने देखा कि इससे काम नहीं चलेगा तो गरीब किसानों के लिये हमने उसको बढ़ा कर ८ एकड़ कर दिया। इससे किसानों के प्रति, जो हमारे भाव हैं, प्रकट होते हैं। इस प्रकार हम अपने विचरों का और भावों का समन्वय करके चलते हैं। दिल वाली बात का किसी अपोजीशन के साथी ने विरोध नहीं किया, तो क्या मैं यह समझूं कि वे इसी अंधे दिल से काम कर रहे हैं जिस अंधे दिल से जनसंघ का यह सत्याग्रह चल रहा है? इस कार्य से शासन का बहुत-सा धन दुरुपयोग हो रहा है। इस तरह से जिस कदम को आप अपना रहे हैं, उससे इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

जहां तक दिल में दर्द की बात है। कांग्रेस पार्टी के लोगों के दिलों में किसानों के लिये सदा से ही दर्द रहा है और शुरू से ही चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो। जब मैंने स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के दिल में दर्द की एनेलेसिस की तो मुझे वह कहीं नजर नहीं आया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब जमींदारी समाप्त हुई थी और जमींदारों के जमाने में ४.४२ रुपया प्रति एकड़ किसानों से वसूल किया जाता था। तब क्या आपको दर्द नहीं मालूम होता था? आज आपको दर्द है और उनको ज्यादा है जो पहले राजे और महाराजे तथा जमींदार थे। जमींदारी उन्मूलन के पहले हम भी काश्तकार थे, और आज भी हैं। किसानी के सिवा हमारा और कोई धन्धा नहीं है। हमारे पास अपनी जमींदारी थी और कुछ काश्तकारी भी। पूर्वी जिलों के जमींदार अंग्रेजी सरकार को १२ आने बीघा के हिसाब से (जो एक एकड़ में करीब एक रुपया जाकर पड़ता है), दिया करते थे जब हम अपने जमींदार को देते थे एक एकड़ का ३० रुपये तक। उस समय दो एकड़ के लिये कम से कम ३१ रुपये देते थे लेकिन आज हम ज्यादा से ज्यादा दो एकड़ के लिये ९ रुपये देते हैं। इन दोनों स्थितियों में स्पष्ट फर्क है। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि किसानों का पाकेट खाली होता जा रहा है। उनकी बात मेरी समझ में नहीं आयी। पहले जमींदार, राजा या ताल्लुकेदार जो रुपया लेते थे वे अपने ऐश के लिये रुपया लेते थे? वे अपने ऐश व तरब के लिये रुपया लेते थे, अपने ऐश व आराम के लिये लेते थे.....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—समझने लायक तो बोलें।

श्री अध्यक्ष—माननीय गंगाप्रसादसिंह जी, आज जरा धीरे-धीरे बोलें ताकि लोग समझ सकें, नहीं तो वे लोग घबड़ा जायेंगे।

श्री गंगाप्रसादसिंह—बात यह है कि जब कोई समझना न चाहे तो उसके लिये चारा ही क्या है। मैं यह कह रहा था कि उस जमाने में २ एकड़ के लिये ३१ रुपया देना पड़ता था जबकि आज के जमाने में २ एकड़ के लिये ज्यादा से ज्यादा ९ रुपया दे रहे हैं। जमींदार लोगों में और इस सरकार में बहुत फर्क है। जमींदार लोग तो उस रुपये को अपनी रंगरेलियों में खर्च करते थे जब कि आज जो २ एकड़ के लिये हम ज्यादा से ज्यादा ९ रुपया देते हैं वह प्रदेश की समृद्धि के लिये और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिये दे रहे हैं। उन दोनों में बड़ा फर्क है।

यहां पर माननीय राजा दुबे जी ने कहा कि हम किसानों से बगावत करायेंगे। रिवोल्यूशन इन थिंग्स, यानी चीजों की कीमतों में रद्दोबदल से इसका मतलब हो तब तो हम भी उसका स्वागत करते हैं लेकिन अगर रिवोल्यूशन के माने खूनी क्रान्ति से हैं तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमने बड़ी-बड़ी खूनी क्रान्तियां देखी हैं, इससे हमको डराया नहीं जा सकता है और हम डर नहीं सकते। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो उनके दिल में दर्द है, वैसा ही दर्द १९३२ में रूस में हुआ था। पहली योजना १९२८ में प्रारम्भ हुई थी। वहां की बोलशेविक पार्टी जिसे आज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उसने पूरी-पूरी हत्तुलइम्कान इस बात की कोशिश की कि रूस में धन बढ़े। उस राष्ट्र की प्रगति आगे की ओर बढ़े। स्टेलिन ने वहां कहा था कि किसानों की भलाई के लिये हमें अपना पेट काट कर भी इस योजना को पूरा करना होगा। किसान अपना गल्ला खलिहान में इकट्ठा करते थे, सरकार की तरफ से लोग जाते थे और उस किसान से उस गल्ले को अपने भाव के मुताबिक खरीदते थे। वहां की मेनसेविक पार्टी ने इसका विरोध किया और किसानों को भड़काया जिससे किसानों ने काम करना बन्द कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि करीब ४ लाख किसान १९३२–३३ में मर गये। उसके बाद वहां के किसानों ने समझा कि हमारे मुल्क की तरक्की तभी हो सकती है कि जब कि हम मेहनत मशक्कत करें। अध्यक्ष महोदय, वहां की सरकार ने दूध का रेट ३६ प्रतिशत, गेहूं के आटे का ४४.४ प्रतिशत, राई के आटे का ४४.४ प्रतिशत कम कर दिया। कम दामों पर किसानों से सामान लिया और इस तरह से वहां के किसानों ने पेट काट कर योजना में योगदान दिया। उस जमाने में स्टेलिन जानता था कि देश पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। वह यह भी जानता था कि जर्मनी में हिटलर चांसलर सन् ३२ में हो चुका था। मेनसेविक लोग मुखालफत कर रहे हैं और जर्मनी के गुप्तचर किसानों को भड़का रहे हैं कि किसी तरह से स्टेलिन की योजना पूरी न होने पाये लेकिन वहां के किसान धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने आने वाले खतरे को देखा और मेहनत कर योजना को पूरा किया। वही हालत आज यू० पी० में जनसंघ और स्वतन्त्र दल के लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन यहां के किसान जिस तरह से रूस के किसानों ने वहां अपनी हुब्बुलवतनी का परिचय दिया उसी प्रकार से हमारा किसान भी उन के बहकावे में नहीं आने वाला है। अगर रूस उस वक्त अकलमन्दी से काम न करता तो सन् ४० के हमले के वक्त रूस जर्मनी का मुकाबिला नहीं कर सकता था और आज अमेरिका की श्रेणी में नहीं आ सकता था। हमारे यहां भी किसानों को भड़काने की बातें की जाती हैं। जबकि यहां की हालत यह है कि एक तरफ काश्मीर का मसला है तो दूसरी ओर तिब्बत का। चीन का मामला दिन प्रति दिन भयंकर होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया माइक पर बोलें, जरा धीरे बोलें।

श्री गंगाप्रसादसिंह—हर आदमी को इस बात का हक हासिल है कि वह अपने दृष्टिकोण के मुताबिक अपने कार्य को सम्पन्न करे, लेकिन हमेशा यह देखने की बात होती है, कि उसके कार्य से कहीं बहुजन सुखाय और हिताय के सिद्धांत को धक्का तो नहीं लगा रहा है। जब माननीय विरोधी पक्ष के नेता इस बिल का विरोध कर रहे थे मैं उनका भाषण गौर से सुन

रहा था। मैं समझ रहा था वे एक होशियार आदमी हैं और वह देश की स्थिति से परिचित हैं। एक बार हीगल ने कहा था कि:—

"Low percentage of Education combined with spiritual monoism results in fascism."

वे जानते हैं कि यहां पर शिक्षा कम है; शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है और यहां आध्यात्मिक इकाई भी है। इन दोनों के मिलने से तानाशाही प्रवृत्ति पैदा होती हैं। क्या राजा लोग किसानों को भड़का कर कांग्रेस सरकार से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। कर सकते हैं पर यह देश उन्हें क्षमा न करेगा। हिटलर ने पहले अपने यहां किसानों का नारा लगाया और बाद में हिटलर सन् ३२ में जर्मनी का चांसलर बन बैठा और जिन नारों से किसानों को उस ने अपने साथ लिया था उन्हीं किसानों को उस ने तलवार से खत्म किया। वह चाहते हैं कि किसान उनके कहने में आ जाय। क्या यह सही नहीं है कि जमींदारी अबालिशन से पहले उन्होंने १८० किसानों को बेदखल किया लेकिन आज उनको किसानों से मुहब्बत हो गई। मैं भी उस जमाने में मनकापुर में था और उस जमाने में वह असेम्बली के मेम्बर भी थे। उन्होंने जमींदारी अबालिशन से पहले अपनी कोठी के सामने जो किसानों की झोपड़ियां थीं उनको उन्होंने जबरदस्ती उठा दिया।

कुंवर श्रीपालसिंह—मेरे लिये आप एक भी प्रमाण नहीं दे सकते दफा १७४ वाला।

श्री गंगाप्रसादसिंह—जानता ही नहीं। आपके लिये कहा भी नहीं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती जो एक दिन में बदल जाय, इसमें सदियों के बाद रद्दोबदल होता है। नेता विरोधी दल ने कहा कि इकोनामिक फोर्सेज में कोई चेंज नहीं हुआ और अगर रद्दोबदल हुआ तो ऊपर की तरफ नहीं हुआ, नीचे की तरफ हुआ है। अगर रद्दोबदल नहीं हुआ तो फिर प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य हुआ है कि जिनकी जिन्दगी मजदूरों, किसानों के शोषण पर आश्रित रही है आज यकायक उनके दिमाग में यह बात कैसे आ गयी, उनके दिलों में किसानों के लिये प्रेम कैसे पैदा हो गया है ? आज वह लोग अपने दर्द की दवा तलाश कर रहे हैं ! किसानों को उभाड़ करके इस प्रकार वही इतिहास यहां भी दोहराना चाहते हैं, जो बातें रूस में १९३२–३३ में हुई थीं।

बात सीधी सी है कि जो आन्दोलन चलाया जा रहा है उस आन्दोलन की क्रिया उतनी खतरनाक नहीं मालूम होती जितनी खतरनाक कि उसके पीछे जो प्रवृत्ति है वह मालूम होती है। जनसंघ उसे कर सकता है, स्वतन्त्र पार्टी उसे कर सकती है लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी से मेरा अनुरोध है जिन्होंने मुल्क के खातिर सब कुछ किया, जिनके दिल में मुल्क और प्रदेश के लिये मुहब्बत है, प्रेम है, वह किस बिना पर, किन आधारों पर उनसे हाथ मिलाये हुए हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

लोग कहते हैं कि आबादी घटी है या बढ़ी है, आमदनी घटी है या बढ़ी है तो मैं भी एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूं। १९५० से पहले आपके मुल्क में गल्ले का जो आयात था चाहे रूस से, आस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या अर्जेंटाइना से था वह था ३ अरब, २५ करोड़ और कुछ लाख टन, लेकिन अब कितना है १० वर्ष के बाद ? अब है १ अरब २५ करोड़ टन के करीब। यह गल्ला कहां से आ गया अगर कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई तो ?

दूसरी बात यह कहनी है कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में हम कपड़े के मामले में इंग्लैंड के कपड़े पर आश्रित थे। उन्होंने कपड़ा दिया और हमने पहना। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि लंकाशायर के मजदूरों ने कुछ समय पूर्व कहा था कि हिन्दुस्तान का बना कपड़ा बन्द कर दो नहीं तो हड़ताल करेंगे ? क्या यह सिद्ध नहीं करता कि हमारा कपड़े का उत्पादन बढ़ा है ?

हमारे साथी रामचन्द्र विकल ने कहा और केन्द्रीय सरकार के जी० ओ० का हवाला दिया कि लड़ाई के मैदान के लिये हमारे नौजवान का वजन १२५ पौंड होना चाहिये, सीना इतना होना

[श्री गंगाप्रसादसिंह]

चाहिये था लेकिन वह नहीं मिल रहा है। उसी जी० ओ० में आगे यह नहीं लिखा हुआ है कि १९५१ में आदमी की औसत उम्र ३२ वर्ष थी और आज ४७ वर्ष है? क्या यह सही है या नहीं कि ५५–५६ में हमारे यहां इर्रीगेटेड एरिया १ करोड़ कुछ लाख था और आज एक करोड़ २६ लाख ५८ हजार कुछ है? ५५–५६ में हमारे यहां ५ करोड़ एकड़ की जुताई होती थी और आज ५ करोड़ १९ लाख कुछ है। हमने तरक्की की है, लेकिन यह सही है कि हमारी तरक्की वैसी नहीं हुई जो खुली आंखों से दिखाई दे सके। उसके कारण हैं। पहला कारण यह है कि १९५१ में ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी थी और आज ७ करोड़ ३७ लाख है। हमारी पापुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ी और आमदनी एरिथमेटिकली बढ़ी। जब तक दोनों की चालें उल्टी नहीं होंगी तब तक हमारी पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ सकती। क्यायह सही बात नहीं है कि पहले जिस ढंग से हम क्रिया का सम्पादन करते थे उसमें सोचने की दृष्टि में कुछ फर्क हुआ? आज लोगों के सोचने में फर्क हुआ है और यह भी तभी हो सकता है जब कि इकोनामिक फोर्सेज में कुछ रद्दोबदल हो।

श्री अध्यक्ष—माननीय गंगा प्रसाद जी, १५ मिनट में आप खत्म कर दीजियेगा।

श्री गंगाप्रसादसिंह—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—अच्छा बोलिये।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही नहीं है कि ३ अरब ६६ करोड़ रुपया दस वर्ष के भीतर प्राविन्शिल एक्सचेकर में आया है? २०.६ प्रान्त की आमदनी बढ़ी है या नहीं, क्या यह सही नहीं है? यह भी उतना ही सही है कि १२ प्वाइंट कुछ शहर की बढ़ी है और बाकी देहात की बढ़ी है। लेकिन इसका भी कारण है। जब तक पब्लिक एक्सपेंडीचर में वृद्धि नहीं होगी तब तक इन्कम में वृद्धि नहीं हो सकती। हमारी पहली और दूसरी योजनाओं में ३ अरब ९२ करोड़ पब्लिक व्यय में था और इस दफा ४ अरब ९७ करोड़ है। तो थ्योरी आफ spiral आर्डर के मुताबिक जितना पब्लिक एक्सपेंडीचर बढ़ेगा उसी हिसाब से आमदनी भी बढ़ेगी। अन्ततोगत्वा पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है, घटी नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि जहां तक पब्लिक एक्सपेंडीचर की बात है पहली योजना और दूसरी योजनाओं में जो ज्यादा खर्च हुआ वह शहरों से ही खर्च हुआ है देहात से नहीं हुआ? मैं आंकड़ों में तो अब नहीं जाता क्योंकि आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से तो दिया जा चुका है और बार-बार किसी चीज को दुहराने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह सही बात है कि शहरों में टैक्सेशन ज्यादा है बनिस्बत देहात के। इन्कम भी शहर की ज्यादा है। मैं आपको बताऊं।

श्री अध्यक्ष— अब, मेरे खयाल से, आप कल ही बताइयेगा। अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ अक्तूबर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१ पर]

तालिका

३१-८-१९६२ को जरवल शुगर मिल्स बहराइच पर सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं को देय रकम के बकाया का विवरण

मद का नाम	बकाया रकम (लाख रुपयों में)
१—सेस तथा क्रय-कर	१६.४०
२—गन्ने का मूल्य	१६.२५
३—गन्ना समितियों का कमीशन	३.४८
४—सूद	०.७४

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७ पर]

सिंचाई हेतु स्वीकृत कुओं से सम्बन्धित सूचना

ब्लाक का नाम	कुओं की संख्या जिन पर अनुदान दिया गया	कुओं की संख्या जो बने
राम नगर	१७	१८
मडियाहू	४६	५६
योग ..	६३	७४

पानी पीने के हेतु स्वीकृत कुओं से सम्बन्धित सूचना

राम नगर	३४	२४
मडियाहू	८८	७९
योग ..	१२२	१०३

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३७–३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२० पर]

सूची 'क'

वर्ष	अनुदान जो दिया गया	कर्ज जो दिया गया
	रु०	रु०
१९५७–५८	२६,४७,६१६	१,४७,५००
१९५८–५९	४१,७७,३१२	३,९७,७३७
१९५९–६०	१४,४३,९३५	१,४४,८७५
१९६०–६१	२१,८९,०९९	४,९२,८४४
१९६१–६२	८,८६,४४१	१०,७३,०९०
योग ..	१,१३,४४,४०३	२२,५६,०४६

सूची 'ख'

वर्ष जिसमें कर्ज दिया गया	रकम जो कर्ज दी गई	रकम जो वसूल हुई				रकम जो वसूल होना बाकी है
		१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२	
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१९५७–५८ ..	१,४७,५००	८,७५०	२१,७५०	९३,०००	३,०००	२१,०००
१९५८–५९ ..	३,९७,७३७	..	२४,७७३	२,५९,९७४	३१,४४९	८१,५४१
१९५९–६० ..	१,४४,८७५	..	..	१,१५०	७१,४६२	७२,२६३
१९६०–६१ ..	४,९२,८४४	..	..	..	..	४,९२,८४४
१९६१–६२ ..	१०,७३,०९०	..	..	..	..	१०,७३,०९०
योग ..	२२,५६,०४६	८,७५०	४६,५२३	३,५४,१२४	१,०५,९११	१७,४०,७३८

नत्थी 'घ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर]

सूचना विभाग के अधिकारियों को अध्ययनार्थ दिये जाने वाले अखबारों की सूची

१—सूचना सचिव के लिए

१—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली
२—स्टेट्समैन, दिल्ली
३—हिन्दुस्तान, दिल्ली
४—आज, वाराणसी
५—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ
६—पायनियर, लखनऊ

२—सूचना निदेशक के लिए

१—हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली
२—पायनियर, लखनऊ
३—स्टेट्समैन, दिल्ली

३—सहायक निदेशक (प० स० शा०) के लिए

१—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ
२—पायनियर, लखनऊ
३—स्टेट्समैन, दिल्ली
४—आज, वाराणसी

४—सहायक निदेशक (क्षे० प्र०) के लिये

१—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ
२—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली

५—सहायक निदेशक (प्रदर्शनी) के लिये

१—नेशनल हेरेल्ड, लखनऊ
२—आज, वाराणसी।

६—सहायक निदेशक (सामूहिक श्रवण योजना) के लिए

१—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली
२—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ

७—सहायक निदेशक (प्रकाशन) के लिए

१—पायनियर, लखनऊ
२—आज, वाराणसी।

८—अनुसचिव के लिये

१—पायनियर, लखनऊ
२—नव भारत टाइम्स, दिल्ली

विधान सभा

९—सहायक सचिव के लिए

१—हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली
२—पायनियर, लखनऊ

१०—राज्य वार्षिक रिपोर्ट के अधिकारी के लिए

१—हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली

११—प्रकाशन अधिकारी के लिए

१—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ

१२—सम्पादक, त्रिपथगा के लिए

१—पायनियर, लखनऊ

१३—समाचार सम्पादक के लिए

१—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली
२—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ

१४—समाचार अधिकारी (श्री बहल) के लिये

१—हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली

१५—समाचार अधिकारी (श्री अवस्थी) के लिये

१—हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली

१६—समाचार अधिकारी (श्री संघी) के लिये

१—हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली

१७—सहायक सुपरवाइजर रूरल ब्राडकास्टिंग (आल इंडिया रेडियो)

१—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ

१८—सम्पादक, नया दौर के लिए

१—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली

१९—सम्पादक उत्तर प्रदेश के लिये

१—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली

२०—सम्पादक, पंचायती राज्य के लिये

१—नवजीवन, लखनऊ
२—धर्मयुग, साप्ताहिक

अन्य विभागों के अफसरों को जो अखबार अध्ययनार्थ दिये जाते हैं उनकी सूची

१—मुख्य सचिव के लिये

१—पायनियर, लखनऊ
२—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ
३—एन० आई० पत्रिका, इलाहाबाद
४—स्टेट्समैन, दिल्ली
५—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली
६—स्वतंत्र भारत, लखनऊ

२—गृह सचिव के लिये

१—हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली
२—स्टेट्समैन, दिल्ली
३—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली
४—पायनियर, लखनऊ
५—नेशनल हैरेल्ड, लखनऊ
६—स्वतंत्र भारत, लखनऊ
७—ब्लिट्ज

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

[देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर]

तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर से सम्बन्धित तालिका

	विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों की संख्या	उन मुकदमों की संख्या जिनमें मालिकों ने एतराज लगाया	उन मुकदमों की संख्या जिनमें एतराज मान लिया गया
(अ) १ जनवरी, १९६२ को	३१७	१०१	१२
(ब) १ जून, १९६२ को ..	४४२	१२३	३

संसद ग्रंथालय सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर)

उपमंत्रियों तथा अवैतनिक सभा सचिवों के लिये नियुक्ति की तिथि से ३१ जुलाई, १९६२ तक किये गये दौरों के विषय में प्रश्न संख्या ३७ में मांगी गई सूचना का विवरण

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	कुल कितने दिनों का दौरा किया गया	कुल कितने दिनों का अपने घरों के जिलों में दौरा किया	कितने दिन रात्रि निवास अपने घरों पर किया	कुल कितने ऐसे दिनों का भत्ता लिया जबकि रात्रि निवास अपने स्थान पर किया
१	२	३	४	५	६
		दिन	दिन	दिन	दिन
१	श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, उप मंत्री ..	८८	६७	३३	..
२	श्री बलदेव सिंह आर्य, उप मंत्री ..	४६	५	..	..
३	श्री धर्म सिंह, उप मंत्री	२७	२२	२१	..
४	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, उप मंत्री	८३	४५	४०	..
५	श्री जयराम वर्मा, उप मंत्री ..	७९	६६	६	..
६	श्री शिवप्रसाद गुप्ता, उप मंत्री ..	७७	४४	४४	..
७	श्री केशभान, उप मंत्री	५८	४३	१२	..
८	श्री शिवराज सिंह, उप मंत्री ..	८०	७	१	..
९	श्री नवलकिशोर, उपमंत्री ..	५१	२५	१८	..
१०	श्रीमती प्रकाशवती सूद, उप मंत्री ..	६४	६३	६३	..
११	डाक्टर रामनारायन पान्डे, उप मंत्री ..	३७	..	..	..
१२	श्री बृजबिहारी मिश्र सभा सचिव ..	६१	५३	११	..
१३	श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, सभा सचिव	७७	२७	..	..
१४	श्री गणेशीलाल, सभा सचिव ..	८७	५१	५१	३८

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	कुल कितने दिनों का दौरा किया गया	कुल कितने दिनों का अपने घरों के जिलों में दौरा किया	कितने दिन रात्रि निवास अपने घरों पर किया	कुल कितने ऐसे दिनों का भत्ता लिया जबकि रात्रि निवास अपने स्थान पर किया
१	२	३	४	५	६
		दिन	दिन	दिन	दिन
१५	मौलाना मुहम्मद शाहिद फाखिरी, सभा सचिव ..	६५	४८	४८	४८
१६	श्री चन्द्रसिंह रावत, सभा सचिव ..	४६	३२	..	..
१७	श्री अजयकुमार बसु, सभा सचिव ..	८१	७५	६३	५९
१८	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सभा सचिव ..	७२	५१	४९	४१
१९	श्री वीरसेन, सभा सचिव	५१	४४	२०	१९
२०	श्री धर्मदत्त वैद्य, सभा सचिव ..	४४	२५	२४	२१
२१	श्री हरिदत्त कान्डपाल, सभा सचिव ..	६७	५९	८	..
२२	श्री बंशीधर पांन्डेय, सभा सचिव ..	७९	७९	८	..
२३	श्रीमती तारा अग्रवाल, सभा सचिव ..	४६	२८	२८	२७
२४	श्री अजीज इमाम, सभा सचिव ..	५६	४१	३१	३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३६ पर)

जिला अस्पताल, देवरिया में १ जुलाई, ६१ से ३१ जुलाई, ६२ तक टिटिनेस के रोगियों की भर्ती तथा उनमें से मरने वालों की संख्या

मास	भर्ती हुये	मरे
१—जुलाई, १९६१	५	३
२—अगस्त, १९६१	९	२
३—सितम्बर, १९६१	१२	३
४—अक्तूबर, १९६१	१३	६
५—नवम्बर, १९६१	११	२
६—दिसम्बर, १९६१	६	१
७—जनवरी, १९६२	२	०
८—फरवरी, १९६२	८	६
९—मार्च, १९६२	१८	९
१०—अप्रैल, १९६२	८	५
११—मई, १९६२	७	४
१२—जून, १९६२	५	४
१३—जुलाई, १९६२	७	६
योग ..	१११	५१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४५ पर)

परिशिष्ट 'अ'

क्रम-सं०	उद्योग का नाम	स्थान
१	कंकड़ चूना उद्योग	मखदूमपुर
२	कंकड़ चूना उद्योग	फतेहाबाद
३	फर्नीचर उद्योग	जहांगीराबाद
४	फर्नीचर उद्योग	बाराबंकी
५	चर्मकला उद्योग	बड़ेल
६	काष्ठ कला उद्योग	बड़ेल
७	हथकर्घा उद्योग	बाराबंकी
८	ग्रामीण तेल उद्योग	बाराबंकी
९	लोह उद्योग	सुरण्डा
१०	साइकिल पुर्जे बनाना	मसौली
११	फल संरक्षण उद्योग	बड़ागांव
१२	काष्ठ कला उद्योग	मसौली
१३	काष्ठ कला उद्योग	रसौली
१४	काष्ठ कला उद्योग	बड़ापुर
१५	चर्म शोधन उद्योग	जैदपुर
१६	ग्रामीण तेल उद्योग	इब्राहिमाबाद
१७	खेती का सामान बनाना	सरैयां
१८	चर्म कला उद्योग	कासिमगंज
१९	हाथ कर्घा उद्योग	पोण्डु
२०	खेती का सामान बनाना	रुदौली
२१	चर्म उद्योग	दौली
२२	नेवाड़ उद्योग	मेलपुर
२३	लोहार गोरा उद्योग	हडहा
२४	चर्म कला उद्योग	महावापुर
२५	हड्डी से खाद बनाना	रुदौली
२६	फर्नीचर बनाना	अहियाबाद
२७	गन्ने के कोल्हू बनाने का उद्योग	टिकैतनगर
२८	खेतों का सामान बनाना	सेवंगी, मबरा हैदरगंज
२९	कंकड़ चूना उद्योग	साढ़ेमऊ
३०	चमड़े का सामान बनाना	साढ़ेमऊ
३१	रेडियो एसिम्बलिंग	फतेहपुर
३२	हाथ कर्घा उद्योग	हसनपुर टांडा
३३	बान मंज उद्योग	मवई
३४	मछली संरक्षण	रामनगर
३५	रस्सी उद्योग	दुर्गापुर

क्रम-सं०	उद्योग का नाम	स्थान
३६	बढ़ईगिरी उद्योग	गनेशपुर
३७	होजरी उद्योग	रायपुर
३८	हाथ कर्घा उद्योग	सूरतगंज
३९	लोहारगिरी उद्योग	बन्दगी नगर
४०	कुम्हारगीरी उद्योग	पिपरौली
४१	आरा मशीन व फर्नीचर उद्योग	हैदरगढ़
४२	जूते व चमड़े का सामान	साराय चौबे
४३	सेंडा बेंत मूंज उद्योग	हैदरगढ़
४४	ग्रामीण साबुन उद्योग	हैदरगढ़
४५	धान कुटाई उद्योग	बमरौली
४६	चर्म कला उद्योग	सुकुलपुर
४७	ग्रामीण तेल उद्योग	बरांवा
४८	मूंज बांस सेंठा उद्योग	त्रिवेदी गंज
४९	चर्म उद्योग	तेजवा पुर
५०	साबुन उद्योग	हुसेनाबाद
५१	साबुन उद्योग	पखरपुर
५२	चर्म उद्योग	नारायनपुर
५३	साबुन उद्योग	लकरिया
५४	साबुन उद्योग	मवनियांपुर
५५	फर्नीचर उद्योग	सिधौर
५६	लोहे के सन्दूक बनाना	उसमानपुर
५७	पावरलूम उद्योग	मसौत्रो
५८	पावरलूम उद्योग	बड़ागांव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५२ पर)

क्रम-सं०	स्थान	जिला
१	धूमनगंज	इलाहाबाद
२	कौहडार	इलाहाबाद
३	जलालपुर	आगरा
४	देघाट	अल्मोड़ा
५	मझौवां	बलिया
६	शेर ग्राम	बलिया
७	बलचन्दपुर	बहराइच
८	श्यामपुर	बिजनौर
९	सिखुई	बस्ती
१०	चौपड़ानागपुर	चमौली
११	जटहा	देवरिया
१२	कौवा	इटावा
१३	रशीदाबाद	फर्रुखाबाद
१४	नैतवार कोठी	गोरखपुर
१५	सोना	गाजीपुर
१६	दलेलनगर	हरदोई
१७	इस्किल	झांसी
१८	मझांवन	कानपुर
१९	मीरकनगर	लखनऊ
२०	सिमरई	मैनपुरी
२१	नसीठी	मथुरा
२२	अगवानपुर	मुरादाबाद
२३	राजापुर अंटहा	प्रतापगढ़
२४	बमरौली	पीलीभीत
२५	नशीराबाद	रायबरेली
२६	मछरेटा	सीतापुर
२७	रामपुर खंजारी	उन्नाव
२८	दानगंज	वाराणसी
२९	मुड्डी	देहरादून
३०	जोहवासर्की	रायबरेली
३१	सेवाइजपुर	हरदोई
३२	धानगांव	मथुरा
३३	जलालपुर करीरा	बुलन्दशहर
३४	अम्बेहटा	सहारनपुर
३५	चिरियाकोट	आजमगढ़
३६	ईंटगांव	लखनऊ
३७	ढकिया	रामपुर
३८	ईंटों	जालौन

यह पांच डिस्पेंसरी बन्द है।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८० का उत्तर पीछे पृष्ठ १५३ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

स्वायत्त शासन (अ) विभाग

संख्या २३ बी०-९/८६३/१९५१

दिनांक लखनऊ, १६ मार्च, १९५६

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या २४५२ बी०/९/८६३/१९५१, दिनांक ७ नवम्बर, १९५५ ई० के सिलसिले में और यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ (सन् १९२२ ई० की ऐक्ट संख्या १०) की धारा १७२ के साथ पठित यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २१० के अधीन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों के रक्षण संबंधी नियमों को, जो विज्ञप्ति संख्या ३५६ बी०/९/८६३/५१ दिनांक ७ अप्रैल, १९५३ ई० में प्रकाशित हुये हैं, श्री राज्यपाल ने रद्द कर दिया है।

आज्ञा से,

जे० एन० उगरा,

सचिव।

प्रमाणित,

उप सचिव।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर)

ऋण की अन्तिम धनराशि	व्याज की दर	देय होने की अन्तिम अवधि		किश्तों की संख्या
१	२	३		४
	प्रतिशत	वर्ष		
१५,००० रु० तक	३	७	१०	(६ माहा)
१५,००० रु० से अधिक और २५,००० रु० तक	३	१२	१०	(वार्षिक)
२५,००० रु० से अधिक और ५०,००० रु० तक	४	१२	१०	(वार्षिक)
५०,००० रु० से अधिक और १ लाख रु० तक	५	१२	१०	(वार्षिक)

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

सूची

क्रम-संख्या	विभागों के नाम	अधिकारी जो सचिव के पद को ग्रहण किये हुये हैं	तिथि जब से इस पद पर कार्य कर रहे हैं।
१	सिंचाई तथा विद्युत शक्ति विभाग	श्री विपिन बिहारी लाल, आई० सी० एस०	१९-११-५९
२	वित्त विभाग ..	श्री वासुदेव माधव भिडे, आई० ए० एस०	१९-११-५९
३	सार्वजनिक निर्माण, आबकारी, सहायता तथा पुनर्वासन विभाग ..	श्री हरी कृष्ण टंडन, आई० ए० एस० ..	१-९-६२
४	राजस्व विभाग ..	श्री शिवराम सिंह, आई० ए० एस० ..	१३-१-६१
५	गृह विभाग ..	श्री अशोक सेन, आई० ए० एस० ..	६-११-५९
६	श्रम विभाग ..	श्री हरीशचन्द्र सक्सेना, आई० ए०एस०	१७-११-५९
	परिवहन विभाग ..	श्री हरीशचन्द्र सक्सेना, आई० ए० एस०	३१-७-६१
७	नियोजन, अर्थ और संख्या, समाज कल्याण तथा हरिजन सहायक विभाग ..	श्री सतीशचन्द्र, आई० सी० एस०	२१-३-५८
८	कृषि पशुपालन तथा वन विभाग	श्री राम सहाय, आई० ए० एस० ..	१६-५-६२
९	सहकारिता तथा गन्ना विभाग	श्री भगवन्त सिंह, आई० ए० एस० ..	२५-६-६२
१०	खाद्य तथा रसद विभाग और चिकित्सा तथा सार्वजनिक विभाग	श्री बसंतसिंह सेठ, आई० ए०एस० ..	६-३-५९
११	उद्योग विभाग ..	श्री श्रीपत, आई० ए० एस० ..	२०-१२-६०
१२	शिक्षा विभाग ..	श्री गिरिजा प्रसाद पांडे, आई० ए० एस.	१-१२-६१
१३	स्वायत्त शासन विभाग ..	श्री ज्ञान प्रकाश आई० ए० एस० ..	२१-५-६२
१४	सूचना विभाग ..	श्री बृजलाल चक, आई० ए० एस० ..	१३-१२-६०
१५	न्याय विभाग ..	श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम ..	२०-९-६०
	विधायिका विभाग ..	श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम ..	१-३-६२

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर)

संख्या ३२८९-ए/३३—१९-आर-६१

प्रेषक,

श्री सूर्य कुमार दीक्षित,
अतिरिक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

अन्तरिम जिला परिषदों के समस्त अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक लखनऊ, १७ अगस्त, १९६२ ।

महोदय,

पंचायती राज विभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कुछ क्षेत्र समितियों को छोड़कर शेष सभी में प्रमुखों एवं उप-प्रमुखों के चुनाव ८ जुलाई, १९६२ को सपन्न हो चुके हैं। शासन को यह सूचना मिली है कि कुछ क्षेत्र समितियों में इन पदों पर गांव सभा के प्रधान चुन लिये गये हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा ७ की उप-धारा (२) के प्राविधान के अनुसार यदि संघटक गांव सभाओं के प्रधानों में से कोई प्रधान प्रमुख अथवा उप-प्रमुख चुन लिया जाय तो किसी अन्य अधिनियमित में किसी बात के होते हुए भी वह प्रधान के पद पर नहीं रहेगा परन्तु वह उन सदस्यों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख धारा ६ में है पदेन क्षेत्र समिति का सदस्य बना रहेगा और उसके द्वारा रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति करने वाला प्रधान क्षेत्र समिति का सदस्य होगा । उक्त प्राविधान के अनुसार आपके जिले में किसी क्षेत्र समिति में यदि कोई गांव सभा का प्रधान प्रमुख अथवा उप-प्रमुख के पद पर चुन लिया गया है तो चुनाव का फल घोषित किये जाने के दिनांक से वह उस गांव सभा का प्रधान नहीं रहेगा। अतः उसे चाहिये कि अपना वह कार्य-भार उप-प्रधान को सौंप दे जो तब तक प्रधान का कार्य करता रहेगा जब तक कि नये प्रधान का चुनाव नहीं हो जाता। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उन प्रधानों को, जिनका क्षेत्र समिति में प्रमुख अथवा उप-प्रमुख के पद पर चुनाव हो चुका है, उक्त स्थिति स्पष्ट कर दें और साथ ही यह भी बता दें कि प्रधान न होते हुये भी वे पदेन क्षेत्र समिति के सदस्य बने रहेंगे ।

आपका विश्वासपात्र,
सूर्यकुमार दीक्षित,
अतिरिक्त सचिव ।

संख्या ३२८९ (१)-ए/३३—१९-आर-६१

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

(१) समस्त जिलाधीश, उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड डिवीजन को छोड़कर) ।

(२) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड डिवीजन को छोड़ कर ।)

(३) निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

(४) समस्त प्रमुख उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
सूर्यकुमार दीक्षित,
अतिरिक्त सचिव

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८९का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

घटना का विवरण

दिनांक ८/९-९-६२ की रात्रि में करीब १२-३० बजे बाराबंकी शहर में पुलिस के हेड कांस्टेबिल देवनारायन कांस्टेबिलान राम सुमेर पाठक, वली मोहम्मद व रघुवीर सिंह के साथ गश्त कर रहे थे । जब यह लोग मुहल्ला पीरबटावन में श्री नागेश्वर नाथ के मंदिर के समीप से जा रहे थे, इन लोगों को कुछ शोर-सा मालूम हुआ । गश्त पार्टी मौके पर पहुंची और पाया कि बाराबंकी के श्री शम्भू लाल की बाग के पास एक जीप उल्टी पड़ी है तथा उसी के समीप चार व्यक्ति जिनके की नाम आशा राम, राम औतार, बुद्धी लाल व हरनाम निवासी साकिन खुशाल पुरवा थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी हैं, एक व्यक्ति श्री सैयद मुहम्मद हुसेन निवासी नं० १०५ लोअर चीतपुर रोड, कलकत्ता को लेन-देन के झगड़े के संबंध में लात घूसा व बेंत से मार रहे हैं । पुलिस गश्त पार्टी ने उपरोक्त चारों व्यक्तियों को मारने पीटने से मना किया परन्तु वे लोग नहीं माने और उपरोक्त श्री सैयद मो० हुसेन को पुनः मारने की ताक में थे । अतः झगड़े को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस की गश्त पार्टी ने कुछ जनता के लोग, जो कि बाद में शोर-गुल पर आ गये थे की मदद से उपरोक्त चारों व्यक्तियों को धारा १५१ जा० फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया और थाने ले गई जहां से चारों व्यक्तियों का धारा १५१/१०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत चालान कर दिया गया । यह मुकदमा अदालत में विचाराधीन है । थाना पहुंचने पर उपरोक्त श्री सैयद मोहम्मद हुसेन ने एक रिपोर्ट इस आशय की किया कि वह तिजारत के संबंध में बाराबंकी आते जाते थे तथा उपरोक्त चारों व्यक्तियों को भी जानते हैं । इन चारों व्यक्तियों के बारे में बताया कि ये लोग तारीख ८/९-९-६२ को रात में उनसे सेन्ट्रल होटल लखनऊ, में जहां कि वे ठहरे हुए थे, मिले और बताया कि राज बहादुर सिंह जिलेदार से निशात-गंज लखनऊ में तिजारत के संबंध में उन्हें मिलवायेंगे । इस पर उन चारों व्यक्तियों के साथ श्री मुहम्मद हुसेन की जीप में बैठकर राज बहादुर सिंह जिलेदार से मिलने के लिये चले । परन्तु उपरोक्त चारों व्यक्ति जीप को बजाय निशातगंज लखनऊ ले जाने के बाराबंकी ले गए । जिस समय जीप बाराबंकी में शहर के किनारे पहुंची उस समय उन्हें शक हुआ कि यह लोग कुछ गड़बड़ न करें अतः उन्होंने जीप के स्टेयरिंग को जोर से घुमा दिया जिससे जीप उलट गई । इस पर उपरोक्त चारों व्यक्तियों ने उनको लात घूंसों व बेंत से मारा व घसीट कर ले जाना चाहा परन्तु उसी समय पुलिस की उपरोक्त गश्त पार्टी आ गई जिसने उनको बचाया । श्री सैयद मु० हुसेन उपरोक्त की इस सूचना पर मुकदमा अपराध सं० २९३ धारा ३४२/३२३/५०६ भा० दं० वि० कोतवाली में कायम हुआ जिसकी विवेचना हो रही है ।

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

प्रश्न संख्या १४२ से सम्बन्धित तालिका

माह जून, जुलाई, तथा अगस्त, १९६२ में

थाना	आत्महत्या की घटनाओं की सं०	हत्या की घटनाओं की सं०
दुद्धी ..	४	२
तुर्रा (थाना पीपरी) ..	१	—

विवरण—थाना दुद्धी के अन्तर्गत २ पुरुषों तथा २ स्त्रियों ने तथा तुर्रा (थाना पिपरी) के अन्तर्गत १ स्त्री ने घरेलू झंझटों के कारण आत्म-हत्या की। इन मामलों में केवल पंचायतनामा लिया गया।

थाना दुद्धी के अन्तर्गत घटित दोनों हत्यायें पुरुषों की है। इनमें से एक हत्या घरेलू झगड़े तथा दूसरी हत्या आशनाई के कारण हुई। इन मामलों में चार्जशीट लगा दी गई है तथा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हैं। तुर्रा (थाना पिपरी) के अन्तर्गत हत्या की कोई घटना नहीं हुई।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

मत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४५–१४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

तालिका

	शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल	ईश्वरीमेमोरियल जनाना अस्पताल
१——चारपाइयां	१६६	११०
२——डाक्टर	१५	४
३——नर्सें	३०	२२
४——मिडवाइफें	..	१०
५——कम्पाउन्डर	१२	३
६——१९६१ में मरीजों की संख्या ..	६,८४१	११,५४०
७——जनवरी, १९६२ से जुलाई तक मरीजों की संख्या	४,२५८	५,७२२

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

१—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, पशुपालन विभाग ।

२—अंजुमन हिमायत चपरासियान, न्याय विभाग ।

३—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सहकारिता विभाग ।

४—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग ।

५—बोर्ड आफ रेवेन्यू इन्फीरियर सर्विस एसोसियेशन ।

६—गन्ना विकास कामदार संघ ।

७—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, श्रम विभाग ।

८—अंजुमन चपरासियान, राजस्व विभाग ।

९—यू० पी० सिविल सेक्रेटरियट इंफीरियर गवर्नमेंट सरवेंट एसोसियेशन ।

१०—यू० पी० सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इन्फीरियर स्टाफ एसोसियेशन ।

११—ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आफिस इन्फीरियर स्टाफ एसोसियेशन ।

१२—क्लास फोर गवर्नमेंट एम्पलाईज एसोसियेशन आफ इकनामिक्स ऐंड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ।

१३—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।

अध्यक्ष पदेन सभा

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

उन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की सूची जो उत्तर प्रदेश शासन के भिन्न-भिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रही है

क्रम-संख्या	सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम	रजिस्टर्ड यूनियन का नाम	मान्यता या अमान्यता प्राप्त	केन्द्रीय संस्था जिससे यूनियन सम्बद्ध है	रजिस्टर्ड अध्यक्ष का नाम	रजिस्टर्ड मंत्री का नाम
१	२	३	४	५	६	७
१	कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर	रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप इम्प्लाईज यूनियन, कानपुर	अमान्यता प्राप्त	आई० एन० टी यू०सी०	श्री सूर्यवंश मिश्रा	श्री शिवलोचन प्रसाद
२	,, ,,	सेन्ट्रल वर्कशाप कर्मचारी संघ, कानपुर	,,	उपलब्ध नहीं है	श्री अर्जुन अरोड़ा	श्री आर० के बाजपेई
३	स्टेट वर्कशाप ई० एम० ई० बरेली	ई० एम० ई० वर्कशाप वर्क्स यूनियन, बरेली	,,	,,	श्री अब्दुल अजीज खां	श्री महेश चन्द
४	स्टेट फार्मेसी, लखनऊ ..	राजकीय औषधि निर्माणशाला कर्मचारी संघ, लखनऊ	उपलब्ध नहीं है	,,	श्री पी० के० शर्मा	श्री जी० बी० मिश्रा
५	,,	रसायन कर्मचारी संघ, लखनऊ	,,	,,	श्री शिवकुमार द्विवेदी	श्री खुशीराम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

६	गवर्नमेंट प्रेस, लखनऊ	राष्ट्रीय प्रेस कर्मचारी संघ, यू० पी०, लखनऊ	अमान्यता प्राप्त	आई० एन० टी० यू० सी०	रामेश्वरशरन सिंह	श्री नारायणस्वरुप मिश्र
७	,,	गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस मजदूर यूनियन, लखनऊ	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	रमाकान्त बाजपेयी	श्री परशोत्तम त्रिपाठी
८	,,	छापाखाना मजदूर संघ, लखनऊ	,,	,,	श्री शिवकुमार द्विवेदी	श्री खुशीराम पांडेय
९	,,	राजकीय प्रेस वर्कर्स यूनियन, लखनऊ	मान्यता प्राप्त	आई० एन० टी० यू० सी०	श्री नारायणस्वरूप मिश्रा	श्री महारानीदीन पांडेय
१०	यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज वर्कशाप, लखनऊ	मोटर मजदूर यूनियन, लखनऊ	अमान्यता प्राप्त	प० आई० टी० यू० सी०		
११	गवर्नमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, लखनऊ	राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माण-शाला श्रमिक संघ, लखनऊ	मान्यता प्राप्त	,, ,,	श्री अनवर हुसैन	श्री मोहनलाल श्रीवास्तव
१२	,,	राजकीय कृषि यंत्र कर्मचारी संघ, लखनऊ	उपलब्ध नहीं है	आई० एन० टी० यू० सी०	श्री जी० बी० मिश्रा	श्री रामअौतार तिवारी
१३	,,	गवर्नमेंट प्रेसीजन इंसट्रूमेंट फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन, लखनऊ	,,	,,	श्री बी० के० मुकर्जी	श्री अब्दुल समद
१४	सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़	सेन्ट्रल डेरी फार्म वर्कर्स यूनियन, अलीगढ़	,,	,,	श्री गौरीशंकर गुप्ता	श्री विश्वनाथ माटिन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सरकारी औद्योगि प्रतिष्ठान का नाम	रजिस्टर्ड यूनियन का नाम	मान्यता या अमान्यता प्राप्त	केन्द्रीय संस्था जिससे यूनियन सम्बद्ध है	रजिस्टर्ड अध्यक्ष का नाम	रजिस्टर्ड मंत्री का नाम
१	२	३	४	५	६	७
१५	यू० पी० गवर्नमेंट वर्कशाप, रुड़की	गवर्नमेंट वर्कशाप मजदूर यूनियन रुड़की, सहारनपुर	उपलब्ध नहीं है	आई० एन० टी० यू० सी०	श्री जगदीशनारायण सिन्हा	श्री जहीर मुहम्मद खां।
१६	यू० पी० गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद	गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाईज एसोसियेशन, इलाहाबाद	मान्यता प्राप्त	आई० एन० टी० यू० सी०	श्रीमती राजेन्द्र कुमारी	श्री परमानन्द शास्त्री
१७	एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट फैक्ट्री नैनी, इलाहाबाद	एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट फैक्ट्री कर्मचारी संघ, इलाहाबाद	अमान्यता प्राप्त	उपलब्ध नहीं है	श्री एच० एन० बहुगुना	श्री ओमप्रकाश
१८	ओपियम फैक्ट्री, गाजीपुर	ओपियम फैक्ट्री लेबर यूनियन गाजीपुर	मान्यता प्राप्त	यू० टी० यू० सी०	श्री बालरूप वर्मा	श्री रामसागर सिंह
१९	यू० पी० गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क मिर्जापुर	चुर्क मजदूर सभा, मिर्जापुर	अमान्यता प्राप्त	उपलब्ध नहीं है	श्री प्रभुनारायण	श्री शिवदास तिवारी
२०	,,	चुर्क इम्प्लाइज यूनियन, मिर्जापुर	मान्यता प्राप्त	आई० एन० टी० यू० सी०	श्री काशीनाथ पांडेय	श्री जे० आर० त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८४ पर)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

दुकानों और वाणिज्य-अधिष्ठानों में कार्य और नियोजन की दशाओं के विनियमन से सम्बद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रवृत्ति

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) अनुसूची १ में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्ध उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में उस मात्रा में प्रवृत्त होंगे जिसका कि निर्देश उस अनुसूची में किया गया है और राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति देकर, समय-समय पर, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में और उतनी मात्रा में भी प्रवृत्त होंगे जिसका कि निर्देश उस विज्ञप्ति में किया जाये।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(१) "शिशिक्षु," का तात्पर्य किसी व्यापार या व्यवसाय में नियोजक (employer) द्वारा शिक्षण के प्रयोजनार्थ मजदूरी पर या बिना मजदूरी के नियोजित ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु १२ वर्ष से कम न हो;

(२) "बच्चा" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो चौदह वर्ष का न हो चुका हो;

(३) "बन्द" का तात्पर्य खण्ड (१३) के अर्थ में खुला न होने से है;

(४) "वाणिज्य-अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी भू-गृहादि से है जो, फैक्ट्री के भू-गृहादि या दुकान न हों और जहां कोई व्यापार, कारोबार, निर्माण (manufacture) या उससे सम्बद्ध अथवा उसका आनुषंगिक या सहायक कोई काम लाभ के लिये किया जाता हो और इसके अन्तर्गत ऐसे भू-गृहादि भी हैं जहां पत्रकारिता या मुद्रण का कार्य अथवा रुपये के लेन-देन, बीमा, स्टाक तथा अंश, दलाली या उत्पाद-विनिमय का कारोबार किया जाता हो अथवा जो थियेटर या सिनेमा के रूप में या किसी अन्य सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के लिये प्रयुक्त होता हो अथवा जहां फैक्ट्री के लिपिक तथा अन्य कर्मचारिगण, जिन पर फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ के उपबन्ध प्रवृत्त न होते हों, कार्य करते हों;

ऐक्ट संख्या ६३
१९४८

(५) "दिन" का तात्पर्य मध्यरात्रि से आरम्भ होने वाली २४ घंटे की अवधि से है :

प्रतिबन्ध यह है कि उस कर्मचारी के विषय में, जिसके कार्य का समय मध्यरात्रि के बाद तक हो, दिन का तात्पर्य उसके कार्य के प्रारम्भ होने के समय से २४ घंटे की अवधि से है;

(६) "कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नियोजक द्वारा किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किये जाने वाले किसी व्यापार, कारोबार या निर्माण में, अथवा उसके सम्बन्ध में, मजदूरी पर अनन्यतः या मुख्यतः नियोजित हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) अवेक्षक, माली या पहरा और रक्षा दल (watch and ward) का कोई सदस्य,

ऐक्ट संख्या ६३,
१९४८

(ख) फैक्ट्री या औद्योगिक अधिष्ठान के लिपिक या अन्य कर्मचारिगण, जो फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अन्तर्गत न आते हों; और

(ग) कोई शिशिक्षु या ऐसा व्यक्ति जो ठेके पर कार्य करता हो या जिसे कार्य की मात्रा के अनुसार वेतन दिया जाता हो,

(७) "नियोजक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका, यथास्थिति, दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किये जाने वाले व्यापार, कारोबार या निर्माण (manufacture) पर स्वामित्व हो या जो उसका प्रभारी हो अथवा जिसका उस पर अन्तिम रूप से नियन्त्रण हो, और इसके अन्तर्गत उक्त व्यापार, कारोबार या निर्माण के प्रबन्ध या नियन्त्रण में नियोजक की ओर से काम करने वाला प्रबन्धक या अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी हैं ;

ऐक्ट संख्या ६३,
१९४८

(८) "फैक्ट्री" का वही अर्थ होगा जो फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ में दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत वे भू-गृहादि नहीं हैं जहां फैक्ट्री के ऐसे लिपिक या अन्य कर्मचारिगण कार्य करते हों, जिन पर उक्त ऐक्ट के उपबन्ध प्रवृत्त न होते हों;

(९) नियोजक के सम्बन्ध में "परिवार" का तात्पर्य उस नियोजक के, यथास्थिति, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री पिता, माता, भाई या बहिन से है, जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों;

(१०) "इन्स्पेक्टर" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा २९ के अधीन नियुक्त निरीक्षक, उस मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक से है;

(११) "छुट्टी" का तात्पर्य काम पर से सवेतन अनुपस्थित रहने की उस अवधि से है, जिसका कर्मचारी इस अधिनियम के अध्याय ३ के अधीन हकदार हो;

(१२) "रात्रि" का तात्पर्य लगातार बारह घंटों की ऐसी अवधि से है जो इस प्रकार नियत की जाये कि १० बजे रात्रि और ६ बजे प्रातःकाल के बीच का समय सदैव इसके अन्तर्गत हो;

(१३) दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के सम्बन्ध में "खुला" का तात्पर्य किसी ग्राहक की सेवा के लिये या दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में सामान्यतः किये जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिये खुले होने से है ;

(१४) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(१५) "फुटकर व्यापार या कारोबार" का तात्पर्य माल की छोटी मात्राओं में बिक्री तथा ग्राहकों की सेवा से है और नाई या केश-प्रसाधक का व्यवसाय, पकाये हुए भोजन, जल-पान या मादक द्रव की बिक्री तथा नीलाम द्वारा फुटकर बिक्री भी इसके अन्तर्गत हैं;

(१६) "दुकान" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है, जहां थोक या फुटकर व्यापार या कारोबार किया जाता हो अथवा जहां ग्राहकों की सेवा की जाती हो, और इसके अन्तर्गत वे समस्त कार्यालय, गोदाम या भांडार भी हैं, जो ऐसे व्यापार या कारोबार के सम्बन्ध में प्रयोग में लाये जाते हों, चाहे वे उसी भू-गृहादि में हों या न हों;

(१७) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(१८) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त या अभिव्यक्त होने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक (चाहे वह वेतन के रूप में हो या भत्ते के रूप में या अन्य किसी रूप में) से है, जो नियोजन की अभिव्यक्त या विवक्षित शर्तें पूरी हो जाने की दशा में कर्मचारी को देय होगा और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(क) कोई बोनस;

(ख) कर्मचारी को उसके नियोजन की समाप्ति के कारण देय कोई धनराशि ; और

(ग) उसके नियोजन की शर्तों के अधीन देय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक;

(१९) "सप्ताह" का तात्पर्य एक शनिवार की मध्यरात्रि से लेकर अगले शनिवार की मध्यरात्रि तक की अवधि से है; और

(२०) "तरुण" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो बच्चा हो और न सत्रह वर्ष का हो चुका हो।

अधिनियम के उपबन्ध कतिपय व्यक्तियों, दुकानों और वाणिज्य-अधिष्ठानों पर प्रवृत्त न होंगे

३—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होंगे:—

(क) ऐसे कर्मचारी जो किसी ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में, जिसमें पांच से अधिक व्यक्ति नियोजित हों, गोपनीय, प्रबन्धकीय या पर्यवेक्षी प्रकार के पदों पर हों:

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार विमुक्त कर्मचारियों की संख्या ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के कर्मचारियों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य स्वाभाविक रूप से सविराम हो, जैसे रात्री या प्रार्थक (कनवेसर);

(ग) सरकारी या स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय;

(घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यालय;

(ङ) अस्वस्थ, अशक्त, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के उपचार या उनकी देख-भाल के लिये अधिष्ठान; और

(च) नियोजक के परिवार के सदस्य।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) में उल्लिखित कर्मचारियों की एक सूची दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जायगी और उसकी एक प्रति संबद्ध निरीक्षक को भेजी जायगी।

दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अधिनियम के प्रवर्त्तन से विमुक्त करने का सरकार का अधिकार

(३) राज्य सरकार, लोक-हित में, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान अथवा दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को ऐसी शर्तों पर जो वह तदर्थ आरोपित करे, इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विमुक्ति का वापस लिया जाना

(४) राज्य सरकार, उसी प्रकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (३) के अधीन दी गयी किसी विमुक्ति को, पूर्णतः या अंशतः, स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय, वापस ले सकती है।

व्यावृत्ति

४—इस अधिनियम में दी गयी किसी बात से किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिसका कोई कर्मचारी उस दिनांक को जब यह अधिनियम उस पर प्रवृत्त होना प्रारम्भ हो, उक्त दिनांक को प्रचलित किसी विधि, अधिनिर्णय (Award), अनुबन्ध, संविदा, रूढ़ि या प्रथा के अनुसार हकदार हो।

अध्याय २

कारोबार का समय

कारोबार का समय

५—(१) कोई दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान, जो अनुसूची २ में उल्लिखित दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान न हो, किसी भी दिन, न तो ऐसे समय के पूर्व खुलेगा और न ऐसे समय के पश्चात् बन्द होगा, जो तदर्थ नियत किया जाय।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के होते हुए भी दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के लिये, या विभिन्न क्षेत्रों के लिये या वर्ष की विभिन्न अवधियों में पहले खोलने या बाद में बन्द करने का समय नियत किया जा सकता है।

(३) राज्य सरकार, किसी भी समय, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अनुसूची २ में बढ़ा सकती है या उसमें से निकाल सकती है।

काम का समय और अधिसमय

६—(१) कोई नियोजक किसी कर्मचारी से एक दिन में उसके—

(क) बच्चा होने की दशा में पांच घंटे;

(ख) तरुण होने की दशा में छः घंटे; और

(ग) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में आठ घंटे, से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं करेगा और न उसे इससे अधिक काम करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर्मचारी से जो तरुण या बच्चा न हो उपर्युक्त समय से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या उसे उक्त समय से अधिक काम करने दिया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार कि स्टाक सम्हालने या लेखा तैयार करने के दिन के सिवाय किसी अन्य दिन काम का कुल समय (जिसमें अधिसमय भी सम्मिलित है) दस घंटे से अधिक न हो;

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी तिमाही में अधिसामयिक (over-time) काम का समय पचास घंटे से अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—"तिमाही" का तात्पर्य पहली जनवरी या पहली अप्रैल या पहली जुलाई या पहली अक्तूबर को प्रारम्भ होने वाली तीन मास की निरन्तर अवधि से है।

(२) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन निश्चित काम के समय के अतिरिक्त काम किया हो उसके नियोजक द्वारा, ऐसे अतिरिक्त समय के काम के प्रत्येक घंटे के लिये साधारण दर की दुगुनी दर से मजदूरी दी जायगी।

स्पष्टीकरण १—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "साधारण दर" का तात्पर्य आधारभूत मजदूरी तथा ऐसे भत्ते से है, (जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को अनाज तथा अन्य पदार्थों की रियायती दर पर बिक्री से होने वाले लाभ के बराबर नकदी भी है) जो कर्मचारी तत्समय पाने का हकदार हो किन्तु इसके अन्तर्गत बोनस नहीं है।

स्पष्टीकरण २—कर्मचारी को अधिसामयिक (overtime) काम के लिये देय मजदूरी की गणना करने में एक दिन काम के आठ घंटों का माना जायगा।

विश्राम के लिये अन्तर्काल और एक दिन में काम के घंटों का विस्तार

७—किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम के घंटों की व्यवस्था इस प्रकार की जायगी कि प्रत्येक कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से अधिक काम करने के पश्चात् कम से कम आधे घंटे का विश्राम मिले और किसी कर्मचारी के काम के समयों तथा विश्राम के अन्तर्कालों का कुल विस्तार एक दिन में बारह घंटों से अधिक का न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार लोक-हित में, और ऐसी शर्तों पर जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे, विस्तार की उक्त अवधि को या तो सामान्यतः या दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी विशेष वर्ग के लिए बढ़ा सकती है।

अध्याय ३

अवकाश के दिन और छुट्टी

बन्दी के दिन

८—(१) प्रत्येक नियोजक अपनी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान को, जो अनुसूची २ में सम्मिलित नहीं है—

(क) सप्ताह में एक दिन, और

(ख) वर्ष में ऐसे सार्वजनिक अवकाश के दिनों (public holidays) पर, जो नियत किये जायं, बन्द रखेगा और ये दिन यहां आगे बन्दी के दिन कहे जायेंगे।

(२) बन्दी का दिन (जो सार्वजनिक अवकाश के उपलक्ष्य में बन्दी का दिन न हो) किस दिन पड़ना चाहिये इसका निश्चय, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियोजक करेगा। नियोजक दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें बन्दी के समस्त दिनों का उल्लेख होगा।

(३) नियोजक द्वारा बन्दी के दिन में परिवर्तन वर्ष में एक बार से अधिक अथवा उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का नियत रीति से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायगा। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अगले वर्ष की पहली जनवरी से प्रभावी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी स्थान के नियोजक सप्ताह के किसी विशेष दिन को बन्दी के दिन के रूप में नहीं मानते, तो उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, नियत रीति से, किसी विशेष दिन को उस स्थान के लिये बन्दी का दिन निश्चित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्राधिकारी, किसी स्थान के अधिकांश नियोजकों की लिखित प्रार्थना पर बन्दी का दिन निश्चित किये जाने के दिनांक के छः मास के बाद किसी भी समय, ऐसे दिनांक से जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, उक्त बन्दी के दिन में—यदि वह सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो—परिवर्तन कर सकता है।

स्पष्टीकरण —"स्थान" का तात्पर्य ऐसे संपार्श्विक (compact) क्षेत्र से है जिसे उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, सार्वजनिक सूचना द्वारा, इस रूप में घोषित करे।

अवकाश के दिन

९—प्रत्येक कर्मचारी को, जो चौकीदार या अवेक्षक (caretaker) न हो, नियोजक द्वारा निम्नांकित दिनों का अवकाश दिया जायगा :—

(१) प्रत्येक बन्दी के दिन का जो सार्वजनिक अवकाश का दिन हो, और

(२) पूरे सप्ताह में एक पूरे दिन का :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर प्रवृत्त न होगी, जिसकी सप्ताह में नियोजन की कुल अवधि (जिसके अन्तर्गत छुट्टी पर रहने का दिन या अवकाश का दिन भी है) छः दिन से कम हो।

उपार्जित छुट्टी, अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी तथा आकस्मिक छुट्टी

१०—(१) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में बारह मास या उससे अधिक समय से हो, धारा ९ के अधीन अनुमत किसी अवकाश के साथ-साथ उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिये कम से कम पन्द्रह दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का भी हकदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि चौकीदार या अवेक्षक, जो बारह मास या उससे अधिक समय से निरन्तर नियोजन में हो, उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिये कम से कम साठ दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का हकदार होगा।

(२) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में छः मास या उससे अधिक समय से हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, किसी एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम पन्द्रह दिन की अस्वस्थता-सम्बन्धी छुट्टी पाने का भी हकदार होगा।

(३) प्रत्येक कर्मचारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, उपार्जित छुट्टी और अस्वस्थता-सम्बन्धी छुट्टी के साथ-साथ प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दस दिन की आकस्मिक छुट्टी पाने का हकदार होगा।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, समस्त छुट्टियां प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर स्वीकृत की जायेंगी।

(५) ऐसी उपार्जित छुट्टी, जो किसी कर्मचारी ने किसी वर्ष में न ली हो, उस उपार्जित छुट्टी में जोड़ दी जायगी जो उक्त कर्मचारी को अगले वर्ष के लिये प्राप्य हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी समय कर्मचारी को देय उपार्जित छुट्टी की कुल अवधि ४५ दिन से अधिक न होगी।

(६) उपधारा (१) या (२) के अर्थ में कर्मचारी के निरन्तर नियोजन की अवधि की गणना करने में वह अवधि सम्मिलित कर ली जायगी, जिसमें कर्मचारी इस धारा के अधीन छुट्टी पर रहा हो।

(७) यदि नियोजक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दे, या कर्मचारी ही नियोजन समाप्त कर दे, तो नियोजक, कर्मचारी को उतने दिनों की मजदूरी का देनदार होगा, जितने दिनों की उपार्जित छुट्टी उसे देय हो।

अस्वीकृत छुट्टी के विषय में भुगतान

११—(१) जब किसी ऐसे कर्मचारी को जिसे पैंतालीस दिन की उपार्जित छुट्टी देय हो, ऐसी छुट्टी अस्वीकृत की जाय, तो वह अस्वीकृत छुट्टी की अवधि के लिये उस धनराशि का हकदार होगा जो कि उसके उस अवधि में छुट्टी पर रहने की दशा में उसे मजदूरी के रूप में देय होती।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय धनराशि उस अवधि के लिये देय मजदूरी के अतिरिक्त होगी।

(३) कर्मचारी के उक्त धनराशि ले लेने पर उसे देय उपार्जित छुट्टी में से उतने दिन घटा दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वह धनराशि प्राप्त की गयी हो।

अवकाश के दिन और छुट्टी के लिये मजदूरी

१२—प्रत्येक अवकाश के दिन के लिये, और इस अधिनियम के अधीन दी गयी छुट्टी के प्रत्येक दिन के लिये, कर्मचारी ऐसी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा जो उस दर से कम न हो जिस दर से मजदूरी पाने का हकदार वह अवकाश के दिन के या ली गयी छुट्टी के, ठीक पहले वाले दिन था, भले ही किसी अन्य विधि, संविदा, रूढ़ि या प्रथा में कोई विपरीत बात हो।

अध्याय ४

मजदूरी में कटौतियां और सेवा-मुक्ति का नोटिस

मजदूरी की अवधि

१३—(१) प्रत्येक नियोजक एक अवधि निश्चित करेगा, (जिसे यहां आगे मजदूरी की अवधि कहा गया है) जिसकी समाप्ति पर, और जिसके सम्बन्ध में, उसके कर्मचारियों को मजदूरी देय होगी।

(२) कोई मजदूरी की अवधि एक मास से अधिक की न होगी।

(३) प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी ऐसी अवधि के भीतर दे दी जायगी जो नियत की जाय।

(४) छुट्टी की अवधि की छुट्टी न लेने के कारण कर्मचारी को देय पारिश्रमिक और उसके द्वारा उपार्जित मजदूरी का भुगतान कर्मचारी को—

(क) यदि नियोजक द्वारा या उसकी ओर से उसका (कर्मचारी का) नियोजन समाप्त किया जाय तो इस प्रकार नियोजन समाप्त किये जाने के पश्चात् दूसरे कार्य-दिवस की समाप्ति के पूर्व किया जायगा; और

(ख) यदि कर्मचारी द्वारा अपना नियोजन समाप्त किया जाय तो अगले वेतन दिवस को या उसके पूर्व किया जायगा।

उपार्जित छुट्टी की अवधि के लिये मजदूरी का भुगतान

१४—(१) ऐसे कर्मचारी द्वारा मांग की जाने पर, जो उपार्जित छुट्टी पर जा रहा हो, उसे उक्त छुट्टी की आधी अवधि की मजदूरी का, और उस छुट्टी के ठीक पूर्व की मजदूरी की अवधि की मजदूरी का भुगतान किया जायगा। उक्त छुट्टी की शेष आधी अवधि की मजदूरी, उसके काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की मजदूरी के साथ उसे देय होगी।

(२) अस्वस्थता-सम्बन्धी छुट्टी की अवधि की मजदूरी, कर्मचारी के काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की उसकी मजदूरी के साथ उसे देय होगी।

मजदूरी में कटौतियां

१५—कर्मचारी के वेतन में से कटौतियां केवल उस सीमा तक और ऐसी रीति से की जायंगी, जो नियत की जायं।

कर्मचारियों को अर्थ-दण्ड

१६—नियोजक कर्मचारी पर, मजदूरी की अवधि के लिये उसे देय मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक का अर्थ-दण्ड आरोपित न करेगा।

अर्थ-दण्ड का रजिस्टर

१७—(१) नियोजक नियत प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें समस्त आरोपित अर्थ-दण्ड तथा उनकी वसूली दर्ज की जायेगी।

(२) कर्मचारियों से वसूल किये गये अर्थ-दंड केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये काम में लाये जायेंगे, जो उनके लिये हितकारी हों और जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों।

मजदूरी की वसूली ऐक्ट संख्या ४, १९३६

१८—यदि कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित रीति से न किया जाय तो वह पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में व्यवस्थित रीति से इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह उक्त ऐक्ट के अधीन देय मजदूरी (wages) हो।

नियोजन द्वारा अपने कर्मचारी को सेवा-मुक्त किया जाना

१९—(१) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई किसी रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी अपने नियोजक द्वारा सेवा से मुक्त न किया जायगा सिवाय उस दशा के जब,

(क) उसके द्वारा धृत पद की छटनी कर दी गयी हो, या

(ख) वह शारीरिक अशक्तता या लगातार अस्वस्थता के कारण अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के अयोग्य हो,

और उस पर ऐसा लिखित नोटिस तामील कर दिया गया हो जिसमें सेवामुक्त करने के कारण दिये गये हों। नोटिस कम से कम तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का होगा जो नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो,

प्रतिबन्ध यह है कि सेवामुक्ति का नोटिस उक्त अवधि से कम का भी हो सकता है यदि उसके साथ उतने दिनों की मजदूरी का जितने से वह नोटिस अपेक्षित अवधि से कम का हो, भुगतान किया जाय।

(२) उपधारा (१) की कोई बात अनाचार के कारण पदच्युत किये जाने पर प्रवृत्त न होगी।

२०—(१) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का, जो उसके नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो, नोटिस दिये बिना अपना नियोजन समाप्त नहीं करेगा।

कर्मचारी द्वारा नियोजन समाप्त किया जाना

(२) यदि कर्मचारी उपधारा (१) के उपबन्धों का अनुपालन न करें, तो पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि की उसकी प्रदत्त मजदूरी उसके नियोजक के हक में जब्त की जा सकती है।

अध्याय ५

बच्चों और स्त्रियों का नियोजन

२१—ऐसे नियोजन में जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किया जाये शिशिक्षु के रूप में काम करने के सिवाय, न तो किसी दुकान या वाणिज्य–अधिष्ठान में काम करने की किसी बच्चे से अपेक्षा की जायगी न उसे उसमें काम करने दिया जायगा।

बच्चों के नियोजन का निषेध

२२—रात्रि में किसी दुकान या वाणिज्य–अधिष्ठान में कर्मचारी या अन्य रूप में, किसी स्त्री या बच्चे से न तो काम करने की अपेक्षा की जायगी और न उसे काम करने दिया जायगा।

रात्रि में स्त्रियों तथा बच्चों के नियोजन का निषेध

२३—कोई भी नियोजक जान-बूझ कर किसी स्त्री से, उसके बच्चे पैदा होने के बाद के दिन से छः सप्ताह की अवधि में, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में न काम करने की अपेक्षा करेगा और न उसे काम करने देगा और न ऐसी कोई स्त्री उस अवधि में किसी दुकान या वाणिज्य–अधिष्ठान में काम करेगी।

विशिष्ट अवधि में स्त्रियों के नियोजन का निषेध

२४—(१) कोई गर्भवती स्त्री–कर्मचारी पूरे सात दिन का लिखित नोटिस देकर, अपने नियोजक से, उस अवधि तक अपने को कार्य मुक्त करने की अपेक्षा कर सकती है जो प्रसव के सम्भावित दिनांक से पूर्व छ सप्ताह से अधिक न हो।

गर्भवती होने पर अनुपस्थित रहने का अधिकार

(२) नोटिस मिलने पर नियोजक, उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उक्त स्त्री–कर्मचारी को, प्रसव के सम्भावित दिनांक को समाप्त होने वाली छ सप्ताह की अवधि के लिये, कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा।

(३) (क) नियोजक, नोटिस मिलने पर, उस स्त्री–कर्मचारी से, यदि वह चाहे तो किसी महिला डाक्टर से, अन्यथा, किसी अर्हता सम्पन्न चिकित्सा–व्यवसायी या दाई से, उसके (नियोजक के) व्यय पर चिकित्सकीय परीक्षा कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(ख) यदि—

(१) स्त्री-कर्मचारी ऐसी चिकित्सकीय परीक्षा कराने से इन्कार करे,

या

(२) उसको उक्त परीक्षा किये जाने पर यह पाया जाय कि वह गर्भवती नहीं है, या यह कि उसके उस दिनांक से छः सप्ताह के भीतर प्रसव की कोई सम्भावना नहीं है जब से कार्य से अनुपस्थित रहने की प्रवज्ञा मांगी गई हो,

तो नियोजक उसे कार्य से मुक्त करने से इंकार कर सकता है, किन्तु यदि स्त्री–कर्मचारी गर्भवती पाई जाय तो प्रसव के सम्भावित दिनांक के पूर्व छः सप्ताह की अवधि के लिये उसे कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जायगी।

प्रसूति-छुट्टी

२५—कार्य से उन अवधियों में अनुपस्थिति जिनके सम्बन्ध में स्त्री-कर्मचारी इस अधिनियम की धारा २६ के अधीन प्रसूति–लाभों की हकदार हो, कार्य से प्रधिकृत रूप से अनुपस्थित मानी जायगी, और स्त्री-कर्मचारी इन अवधियों में से किसी भी अवधि के लिये प्रसूति-लाभों की हकदार होगी, परन्तु मजदूरी पाने की हकदार न होगी।

प्रसूति-लाभ

२६—प्रत्येक स्त्री-कर्मचारी, जो अपने प्रसव के दिनांक से पहले कम से कम छः मास तक एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में (चाहे एक ही दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में या विभिन्न दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों में) रही हो अपने नियोजक से—

(क) प्रसव के दिन से ठीक छ सप्ताह तक की अवधि के लिये, और

(ख) प्रसव के दिन से छः सप्ताह बाद तक के लिये, ऐसे प्रसूति लाभों को और ऐसी रीति से पाने की हकदार होगी, जो नियत की जाय,

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्त्री-कर्मचारी किसी भी ऐसे दिन के लिये इस प्रकार का कोई लाभ पाने की हकदार न होगी, जिस दिन वह, उपर्युक्त अवधियों में से किसी भी अवधि मे काम पर आती रही हो और उसके लिये मजदूरी पाती रही हो।

विश्राम के लिए अन्तर्काल

२७—स्त्री-कर्मचारी अपने बच्चे के स्तनपान की अवधि में, विश्राम के नियमित अन्तर्कालों के साथ-साथ उपर्युक्त प्रयोजन के लिये आध-आध घंटे के दो अन्तर्कालों की हकदार होगी।

प्रसूति के कारण काम से अनुपस्थित रहने की अवधि में, या अनुपस्थित के कारण, सेवामुक्त करने या सेवा से हटाने का निषेध

२८—(१) कोई भी नियोजक किसी स्त्री-कर्मचारी को धारा २५ के अधीन काम से अनुपस्थित रहने की अनुमति अवधि में, या उस अवधि में काम से अनुपस्थित रहने के कारण न तो सेवा से मुक्त करेगा और न सेवा से हटायेगा।

(२) यदि इन्सपेक्टर की यह राय हो कि ऐसा बिना पर्याप्त कारण के किया गया है तो, प्रसव के दिनांक के छ मास के भीतर सेवा से मुक्त कर दी जाने या हटा दी जाने के कारण ही कोई स्त्री-कर्मचारी उन प्रसूति–लाभों से वंचित नही की जायगी जिनकी कि वह सेवा से उक्त मुक्ति न होने या हटाये न जाने की दशा में हकदार होती।

अध्याय ६

प्रवर्तन तथा शास्तियां

इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

२९—राज्य सरकार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये एक मुख्य निरीक्षक और एक उप मुख्य निरीक्षक और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उतने निरीक्षक, जितने आवश्यक समझे जायं, नियुक्त कर सकती है।

इन्सपेक्टरों का प्रवेश करने आदि का अधिकार

३०—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, इंसपेक्टर हर उचित समय पर किसी ऐसे स्थान में, जो दुकान या वाणिज्य–अधिष्ठान हो या जिसे दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान मानने का उसके पास कारण हो, वहां रखे रजिस्टरों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों की जांच करने के प्रयोजनार्थ, प्रवेश कर सकता है। इन्सपेक्टर अपनी सहायता के लिये ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ ले जा सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे और उस स्थान का जो उस समय स्वामी या अध्यासी हो वह उन्हें प्रवेश करने देगा तथा उक्त रजिस्टरों, अभिलेखों या लेख्यों की जांच करने देगा। इंसपेक्टर उनमें से ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों का अभिग्रहण कर सकता है जिनकी उसे इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन सिद्ध करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा हो।

३१—धारा २९ के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक तथा प्रत्येक निरीक्षक इन्डियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सरवेंट (लोक-सेवक) समझें जायेंगे ।

निरीक्षक आदि लोक-सेवक होंगे ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

३२—नियोजक ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख रखेगा और ऐसे नोटिस प्रदर्शित करेगा जो नियत किये जायें।

रजिस्टर आदि

३३—प्रत्येक व्यक्ति जो, धारा २० की उपधारा (१) के उपबन्धों से भिन्न, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे या उनका अनुपालन न करे, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी होगा।

उपबन्धों का उल्लंघन

३४—(१) यदि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उसका कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा:

कम्पनियों आदि द्वारा अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय, कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये:—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

३५—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अर्थ-दंड दिया जा सकेगा जो प्रथम अपराध के लिये एक सौ रुपये तक तथा प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

दंड

अभियोग की कालावधि

३६—(१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान (cognizance) न करेगा जब तक कि कथित अपराध किये जाने के दिनांक से छः मास के भीतर लिखित अभियोग प्रस्तुत न किया जाय।

न्यायालय जो इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकृत होंगे

(२) कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी अपराध की सुनवाई न करेगा।

अध्याय ७

विविध

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण

३७—इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी।

परिकल्पना

३८—जब कोई दुकान या वाणिज्य–अधिष्ठान वस्तुतः खुला हो तो परिकल्पना (presumption) यह की जायगी कि वह किसी ग्राहक की सेवा के लिये या दुकान या वाणिज्य–अधिष्ठान में सामान्यतः किये जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिये खुला है।

वर्कमेंस कम्पेंसेशन ऐक्ट तथा रूल्स का प्रवृत्त होना ऐक्ट संख्या ८, १९२३

३९—वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट, १९२३ तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध, दुकान या वाणिज्य–अधिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी पर, आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

नियम बनाने का अधिकार

४०—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य–सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है, अर्थात्

(क) नियोजक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख,

(ख) नियोजक द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस;

(ग) कटौतियां जो कर्मचारी की मजदूरी से की जा सकती हैं,

(घ) अर्थ–दंड तथा पदच्युति;

(ङ) आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति और उक्त छुट्टी की अवधि की मजदूरी के भुगतान को विनियमित करना,

(च) अन्य छुट्टियों की स्वीकृति को विनियमित करना;

(छ) प्रसूति–लाभ और उनका भुगतान; और

(ज) ऐसे विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने हों या जो नियत किये जा सकें।

(३) इस अधिनियम के अधीन नियम इसी शर्त पर बनाये जा सकेंगे कि उनका पूर्व प्रकाशन किया जाय।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उस का सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा अभिशून्यन (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

४१—यूनाइटेड प्राविंसेज शाप्स ऐंड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेन्टस् ऐक्ट, १९४७ निरस्त किया जाता है।

निरसन यू०पी० ऐक्ट संख्या २२, १९४७

अनुसूची १

[धारा १(३) देखिये]

भाग क

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दूकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे—

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
१—आगरा	म्युनिसिपल तथा कैन्टोनमेंट क्षेत्र
२—इलाहाबाद	,, ,, ,, ,,
३—बरेली	,, ,, ,, ,,
४—कानपुर	,, ,, ,, ,,
५—देहरादून	,, ,, ,, ,,
६—झांसी	,, ,, ,, ,,
७—मेरठ	,, ,, ,, ,,
८—मन्सूरी	,, ,, ,, ,,
९—मथुरा	,, ,, ,, ,,
१०—नैनीताल	,, ,, ,, ,,
११—सीतापुर	,, ,, ,, ,,
१२—रामपुर	,, ,, ,, ,,
१३—शाजहांपुर	,, ,, ,, ,,

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
१४—वाराणसी	म्युनिसिपल तथा केन्टोनमेंट क्षेत्र और लंका, विद्यापीठ रोड, भोजूबीर, शिवपुर और पांडेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र।
१५—लखनऊ	म्युनिसिपल तथा केन्टोन्मेंट क्षेत्र और चारबाग, आलमबाग नोटीफाइड एरिया और चांदगंज कलां, आलमबाग और मवइया के आसन्नवर्ती क्षेत्र।
१६—फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़	म्युनिसिपल तथा केन्टोनमेंट क्षेत्र और लालबाग, बढ़पुर, नेकपुर और भोलेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र।
१७—अलीगढ़	म्युनिसिपल क्षेत्र
१८—फिरोजाबाद	,, ,,
१९—फैजाबाद	,, ,,
२०—गोरखपुर	,, ,,
२१—हापुड़	,, ,,
२२—हाथरस	,, ,,
२३—मुजफ्फरनगर	,, ,,
२४—सहारनपुर	,, ,,
२५—गोंडा	,, ,,
२६—गाजियाबाद	,, ,,
२७—कायमगंज	,, ,,
२८—मिर्जापुर	,, ,,
२९—बुलन्दशहर	,, ,,
३०—बाराबंकी	,, ,,
३१ बांदा	,, ,,
३२—हरदोई	,, ,,
३३—जौनपुर	,, ,,
३४—पीलीभीत	,, ,,
३५—उरई	,, ,,
३६—बहराइच	,, ,,
३७—सुल्तानपुर	,, ,,
३८—आजमगढ़	,, ,,
३९—इटावा	,, ,,
४०—रायबरेली	,, ,,
४१—पडरौना	,, ,,

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
४२—हमीरपुर	म्युनिसिपल क्षेत्र
४३—बस्ती	,, ,,
४४—मैनपुरी	,, ,,
४५—उन्नाव	,, ,,
४६—प्रतापगढ़	,, ,,
४७—देवरिया	,, ,,
४८—लखीमपुर-खीरी	,, ,,
४९—गाजीपुर	,, ,,
५०—बिजनौर	,, ,,
५१—फतेहपुर	म्युनिसिपल क्षेत्र तथा कलेक्टर गंज, हरिहरगंज, रेलबाजार, देवीगंज और राधानगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र।
५२—कन्नौज	म्युनिसिपल क्षेत्र और सराय-मीरन और मकरन्द नगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र।
५३—बलिया	म्युनिसिपल क्षेत्र
५४—चन्दौसी	,, ,,
५५—कासगंज	,, ,,
५६—भदोई (वाराणसी)	,, ,,
५७—रामनगर (नैनीताल)	,, ,,
५८—हल्द्वानी	,, ,,
५९—शामली (मुजफ्फरनगर)	,, ,,
६०—बदायूं	,, ,,
६१—शिकोहाबाद (मैनपुरी)	,, ,,
६२—काशीपुर (नैनीताल)	,, ,,
६३—महोबा (हमीरपुर)	,, ,,
६४—मुरादाबाद	म्युनिसिपल क्षेत्र और रेलवे सेटिलमेंट नोटीफाइड एरिया, रेलवे स्टेशन और रेलवे इंस्टीट्यूट।

भाग ख

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दूकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठानों पर धारा २, ३, ८, ९, १२, १३, १५, १९, ३२, ३३, ३४, ३५ और ४० के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे :—

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धारायें प्रवृत्त होंगी
१—रुड़की	म्युनिसिपल तथा कैन्टोन्मेंट क्षेत्र।
२—खुर्जा	म्युनसिपल क्षेत्र
३—हरद्वार	,, ,,

नाम			क्षेत्र जिनमें उक्त धाराएं प्रवृत्त	
४—बलरामपुर (गोंडा)	..	..	म्युनिसिपल	क्षेत्र
५—मऊनाथ भंजन	..	..	,,	,,
६—तिलहर	..	..	,,	,,
७—नगीना	..	..	,,	,,
८—नजीबाबाद	..	..	,,	,,
९—देवबन्द (सहारनपुर)	..	..	,,	,,
१०—शाहाबाद (हरदोई)	..	..	,,	,,
११—पंडितवारी (देहरादून)	..	..	,,	,,
१२—जालौन	..	..	,,	,,
१३—अमेठी	..	..	,,	,,
१४—करवी (बाँदा)	..	..	,,	,,
१५—मुगलसराय	..	..	,,	,,
१६—टाँडा (फैजाबाद)	..	..	,,	,,
१७—गौरा बड़हज (देवरिया)	..	..	,,	,,
१८—कैराना (मुजफ्फरनगर)	..	..	,,	,,
१९—बड़ौत (मेरठ)	..	..	,,	,,
२०—वृन्दावन (मथुरा)	..	..	,,	,,
२१—मवाना (मेरठ)	..	..	,,	,,
२२—जलालपुर (फैजाबाद)	..	..	,,	,,
२३—कोटद्वार (गढ़वाल)	..	..	,,	,,
२४—एटा	..	..	,,	,,
२५—ललितपुर (झाँसी)	..	..	,,	,,
२६—मऊरानीपुर (झाँसी)	..	..	,,	,,
२७—सम्भल (मुरादाबाद)	..	..	,,	,,
२८—अमरोहा (मुरादाबाद)	..	..	,,	,,
२९—चाँदपुर (बिजनौर)	..	..	,,	,,
३०—अल्मोड़ा	..	..	,,	,,
३१—बीसलपुर (पीलीभीत)	..	..	,,	,,
३२—बिसवाँ (सीतापुर)	..	..	,,	,,
३३—गोलागोकरननाथ (खीरी)	..	..	,,	,,
३४—कोंच (जालौन)	..	..	,,	,,
३५—कालपी (जालौन)	..	..	,,	,,
३६—खतौली (मुजफ्फरनगर)	..	..	,,	,,
३७—औरइया (इटावा	..	..	,,	,,
३८—धामपुर (बिजनौर)	..	..	,,	,,
३९—सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	..	..	,,	,,
४०—ऋषिकेश (देहरादून)		..	,,	,,
४१—उझानी (बदायूं)	..	..	,,	,,
४२—भरथना (इटावा)	..	..	टाउन एरिया	
४३—रसड़ा (बलिया)	..	..	नोटीफाइड एरिया	

विधान सभा

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धाराएं प्रवृत्त होंगी
४४—शाहगंज (जौनपुर)	,, ,,
४५—छिबरामऊ (फर्रुखाबाद)	टाउन एरिया
४६—मोदीनगर (मेरठ)	,, ,,

भाग ग

राज्य में स्थित वेक्यूम पान शुगर फैक्ट्रियों के उन सब कर्मचारियों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे जिन पर कि फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होते हैं।

भाग घ

राज्य में स्थित सब गन्ना सहकारी समितियों के वाणिज्य-अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची २

(दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जिन पर धारा ५ तथा ८ के उपबन्ध प्रवृत्त न होंगे)

(१) ऐसी दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जो अनन्यतः या मुख्यतः भोजन, जलपान, समचार-पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं, औषधियों, चिकित्सकीय तथा शल्य उपकरणों, शाक-सब्जी, मिठाइयों, दूध, पकाये हुए भोजन, फूल, पान और सुपारी, माँस-मछली, कुक्कुटादि (poultry) शिकार किये हुए पक्षी पशु, अण्डों, बर्फ तथा ताजे फल, और हरे चारे का व्यवसाय करते हों।

(२) सिनेमा, नाट्यशाला तथा सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के अन्य स्थान।

(३) क्लब तथा निवास-स्थान-युक्त होटल।

(४) रेल के स्टेशनों पर के स्टाल तथा जलपान-गृह।

(५) ऐसी दुकानें जो मोटर स्प्रिट तथा मोटर अथवा वायुयान के अतिरिक्त भागों और सहायक सामान की बिक्री करती हों।

(६) नाइयों तथा केश-प्रसाधकों की दुकानें तथा अधिष्ठान।

(७) सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऐसी दुकानें तथा अधिष्ठान जो मद्य द्रवों या स्वापक भेषजों (narcotic drugs) का व्यवसाय करते हों।

(८) अनन्यतः या मुख्यतः शव दफनाने, अन्त्येष्टि के लिए ले जाने तथा दाह-संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुओं का व्यवसाय करने वाली ऐसी दुकानें जो नियत रीति से कलेक्टर द्वारा विज्ञापित की जायं।

(९) अनन्यतः या मुख्यतः पेट्रोमैक्स, बैण्ड तथा लाउड स्पीकर, जिनकी अपेक्षा विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के अवसरों के लिए की जाती है, किराये पर देने का व्यवसाय करने वाली दुकानें।

(१०) पूर्त प्रयोजनों के लिए आयोजित प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शन, मेलों या बाजारों में दुकान।

(११) परिवहन सेवाएं।

(१२) बिजली तथा जल-सम्भरण प्रतिष्ठान।

(१३) अनन्यतः या मुख्यतः साइकिलों तथा रिक्शों की मरम्मत करने वाली दुकानें।

उद्देश्य और कारण

दुकानों और वाणिज्य-अधिष्ठानों में छुट्टियों की व्यवस्था करने तथा काम के घंटे विनियमित करने के लिए १९४७ ई० में यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ अधिनियमित किया गया था। तब से यह ऐक्ट १०० से अधिक नगरों में लागू किया जा चुका है। राज्य में इसके प्रवर्तन के १४ वर्षों की अवधि में इसमें अनेक त्रुटियों और कमियों का अनुभव हुआ है। वर्तमान अधिनियम के कतिपय उपबन्धों में संशोधन करने के लिए नियोजकों (employers) और कर्मचारियों की यूनियनों से कई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने और दुकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठानों के कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देने के निमित्त वर्तमान अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक हो गया है। चूंकि प्रस्तावित संशोधनों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए वर्तमान अधिनियम को निरस्त करने और एक ऐसा व्यापक विधेयक लाने का निश्चय किया गया जिसमें दुकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठानों के कर्मचारियों के काम की दशाओं तथा उनके नियोजन (employment) को विनियमित करने के लिए आवश्यक उपबन्धों का समावेश हो।

सुचेता कृपालानी,
श्रम मंत्री।

ज्ञाप

जिसमें उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान, विधेयक १९६२ में अन्तर्ग्रस्त विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान सम्बन्धी प्रस्थापनाओं को स्पष्ट किया गया है

(१) खण्ड ५ — जब कि इस खण्ड का उपखण्ड (१) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान को जो विधेयक की अनुसूची २ में उल्लिखित न हो, खोलने और बन्द करने का समय नियत करें, उसका उपखण्ड (२) राज्य सरकार को यह प्राधिकार देता है कि वह दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों को विभिन्न वर्गों के लिए, या विभिन्न क्षेत्रों के लिए, अथवा वर्ष की विभिन्न अवधियों के लिए, दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठानों को पहले खोलने या बाद में बन्द करने का समय नियत करे।

(२) खण्ड ६ के उपखंड (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड — राज्य को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी शर्तों को नियत करे जिनके अधीन कोई कर्मचारी, जो तरुण या बच्चा न हो, काम के नियत समय से अधिक समय तक काम कर सके।

(३) खण्ड ८ — उपखण्ड (१) द्वारा सरकार को अधिकार दिया जा रहा है कि वह उन सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या नियत करे जो प्रत्येक दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में मनाई जायंगी।

उपखण्ड (३) राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसी रीति नियत करें जिसके अनुसार नियोजक बन्दी के दिन में परिवर्तन करने के लिए उपखण्ड (२) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसमें राज्य सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार ऊपर अभिदिष्ट प्राधिकारी उस स्थान के लिए बन्दी का दिन निश्चित करेगा, जिस स्थान में नियोजक कोई विशेष दिन ही बन्दी का दिन नहीं मानते।

(४) खण्ड १० उपखण्ड (२) और (३) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह नियमों द्वारा ऐसी शर्तों को नियत करें जिनके अधीन रहते हुए कर्मचारी क्रमशः अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी तथा आकस्मिक छुट्टी पाने का हकदार होगा।

उपखण्ड (४) द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसी शर्तों को नियत करे जिनके अधीन रहते हुए कर्मचारी को उपार्जित छुट्टी, अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

(५) खण्ड १३ उपखण्ड (३) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह उस अवधि को नियत करे जिसमें कर्मचारी को मजदूरी दी जायगी।

(६) खण्ड १५ राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह यह नियत करे कि कर्मचारी की मजदूरियों में से किस सीमा तक तथा किस रीति से कटौतियां की जायंगी।

(७) खण्ड १७ इस खण्ड के उपखण्ड (१) के अधीन राज्य सरकार को यह अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है कि वह नियमों द्वारा वह प्रपत्र नियत करे जिसमें नियोजक द्वारा एक रजिस्टर इस उद्देश्य से रखा जायगा कि उसमें आरोपित तथा कर्मचारियों से वसूल किये गये समस्त अर्थदण्ड दर्ज किये जायं।

(८) खण्ड २६ राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह नियमों द्वारा ऐसे प्रसूति-लाभों को नियत करे जो स्त्री-कर्मचारी अपने नियोजक से पाने की हकदार हों। इसमें राज्य सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे लाभ पाने की रीति नियत करे।

(९) खण्ड ३० राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी शर्तों को नियत करे जिनके अधीन रहते हुये निरीक्षक रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच करने के लिये दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में प्रवेश कर सके।

(१०) खण्ड ३२ इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह उन रजिस्टरों तथा अभिलेखों को नियत करे जो नियोजक द्वारा रखे जायेंगे तथा उन नोटिसों को भी नियत करे जो उसके द्वारा प्रदर्शित किये जायेंगे।

(११) खण्ड ४० राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाये। राज्य सरकार को यह भी अधिकार दिया जा रहा है कि वह विशेषतः इस खंड के उपखंड (२) में उल्लिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है।

उपर्युक्त अधिकार सामान्य प्रकार के हैं।

सुचेता कृपालानी,
श्रम मंत्री।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान, १९६२ के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण का ज्ञापन-पत्र

यू० पी० शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ में अधिनियमित किया गया था। यह पहली बार राज्य के २४ महत्वपूर्ण नगरों में प्रचलित किया गया। शासन ने उपर्युक्त ऐक्ट के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान का एक मुख्य निरीक्षक तथा ऐसे ही अन्य निरीक्षक नियुक्त किये। ऐक्ट के प्रवर्तन का प्रसार करने के लिए उन्हें कई अन्य नगरों से निरन्तर प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। ऐक्ट को प्रचलित करने के लिए और अधिक कर्मचारी उपलभ्य होने से, इसके उपबन्ध और अधिक नगरों में लागू कर दिये गये। इस समय यह ऐक्ट ६५ महत्वपूर्ण नगरों में पूर्ण रूप से और ४६ नगरों में आंशिक रूप से प्रचलित है। इस प्रकार यह ऐक्ट राज्य के १११ नगरों में प्रचलित कर दिया गया है। नये अधिनियम के अधिनियमित हो जाने पर वर्तमान ऐक्ट निरस्त कर दिया जायगा। प्रस्तावित विधेयक के अधिनियम बन जाने पर, वह उपर्युक्त १११ नगरों में प्रचलित बना रहेगा और जो कर्मचारी ऐक्ट के उपबन्धों को उक्त नगरों में इस समय लागू कर रहे हैं, वे नये विधायन के उपबन्धों को उन समस्त नगरों में लागू करते रहेंगे। अतएव यह आवश्यक होगा कि दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश के मुख्य निरीक्षक तथा उसके अधीन कार्य करने वाले निरीक्षकों की सेवायें बनाई रखी जायं। श्रम निरीक्षकों, दुकान निरीक्षकों, न्यूनतम मजदूरी निरीक्षकों और स्थानिक (रेजीडेन्ट) श्रम निरीक्षकों का समुच्चयन (pooling) कर दिया गया है और वे अब उन नगरों में, जहां वे तैनात हैं, सम त श्रम विधियों के उपबन्धों को लागू करते हैं। इसलिये उनके वेतन, भत्तों, आकस्मिक व्ययों आदि के लिये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में ९,०२,८०० रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। अभी उक्त प्रस्ताव में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। किन्तु जैसे ही अधिनियम के उपबन्ध अन्य विभिन्न नगरों में प्रचलित किये जायंगे, यह आवश्यक हो जायेगा कि उन नगरों में अधिनियम को उचित रूप से प्रचलित करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किये जायं। इस पर अतिरिक्त व्यय होगा परन्तु वह कितना होगा उसे इस समय स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करके नहीं बताया जा सकता।

सुचेता कृपालानी,
श्रम मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१६ एल ए०—१९६३ (प्रो ।।